खण्ड-422, अंक-2
बुधवार, 8 माघ, शक संवत् 1919
(28 जनवरी, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1998)

खण्ड 422 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1—96
तारांकित प्रश्न संख्या 5 से सम्बन्धित उत्तर में सिंचाई मंत्री द्वारा किसानों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने पर आपत्ति	96
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्रपाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्य नाथ उपाध्याय तथा श्री पुरुषोत्तम लाल बधवार के निधन पर शोकोद्गार	97–104
पूर्व प्रधान मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा के निधन पर शोकोद्गार	104–108
कश्मीर घाटी में दिनांक 26 जनवरी, 98 को श्रीनगर के समीप बन्धामा (गंदरवल) में 23 निर्दोष एवं निहत्थे कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या की घोर भर्त्सना और पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना संबंधी मुख्य मंत्री का प्रस्ताव	108–111
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	112
प्रदेश में हुई व्यापक ओलावृष्टि, वर्षा एवं शीतलहर के फलस्वरूप किसानों को हुई क्षति के कारण उनका सिंचाई शुल्क एवं लगान आदि माफ किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	112–121
प्रदेश में व्याप्त महंगाई एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं की कालाबाजारी के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	121–123
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत व अन्य किसान नेताओं को कारावासित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	123–125
कैसरगंज, जिला बहराइच में घाघरा नदी से होने वाले भीषण कटाव के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	125
प्रदेश में राज्य चीनी निगम की इकाइयों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	125–126
नियम 301 की सूचनायें	126
प्रदेश में किसान पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शासनादेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
पी० एस० एस० एवं अन्य राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में अभ्यर्थन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने एवं अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127–128

विषय	पृष्ठ संख्या
मेरठ महानगर/जनपद में कानून व्यवस्था सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
बागपत क्षेत्र के कई गांवों में गत 18 वर्षों से लम्बित चकबन्दी कार्य को शीघ्र पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद मथुरा के गोबर्धन क्षेत्रान्तर्गत कई नहरों/माइनरों की खुदाई, सफाई आदि में हुई धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128–129
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तदर्थ सहायक अभियन्ता (सिविल) को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर विनियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1995 तक के आरक्षित रिक्त 71 पदों के विरुद्ध सभी सहायक अभियन्ताओं को लोक सेवा आयोग से अनुमोदित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
जनपद सुल्तानपुर में डी० ए० पी० की अनुपलब्धता तथा नकली खाद की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
फोनिक्स लैम्प इण्डिया लिमिटेड, नोएडा के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	130–131
प्रतापगढ़ के सदर ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा जहनईपुर एवं कल्याणी ग्राम के सरहंग में आम रास्ता रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
प्रान्तीय वन सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद पौड़ी में प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के निराकरण हेतु तत्काल राहत राशि आवंटित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	131–132
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	132
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण दिनांक 27 जनवरी, 98 में भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता संबंधी प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	132–135
वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु निर्धारित समय को बढ़ाने का प्रस्ताव (जारी)	136
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण दिनांक 27 जनवरी, 98 में भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता संबंधी प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	136–140
नियम 51 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं पर उसी दिन संबंधित मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	140–141

विषय	पृष्ठ संख्या
दिनांक 13 अगस्त, 1997 को सरकार द्वारा विधान सभा में जिला योजना के संबंध में की गयी घोषणा को मानने से इंकार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	141
13 अगस्त, 1997 को पूर्वान्चल विकास समिति एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा का सरकार द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	142–143
जिला चिकित्सालय, देवरिया में चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वतंत्र चेतना के संवाददाता श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी को अपमानित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	144
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 † (पटल पर रखा गया) ...	145
कर एवं संस्थागत वित्त अनु०–2 की विज्ञप्तियां 1994-95 (सदन के पटल पर रखी गयीं)	145
उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के परिशिष्ट वित्तीय वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 का संकलित प्रमाणित वार्षिक चिट्ठा (पटल पर रखा गया) ...	145
राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) के अन्तरिम/अन्तिम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन †	146
उ० प्र० पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम, प्रतिवेदन 1977-78 (पटल पर रखा गया)	146
मण्डलीय विकास निगम आगरा का प्रतिवेदन, 1983-84 (पटल पर रखा गया)	146
पूर्वान्चल विकास निगम फैजाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79-80, 1980-81 (पटल पर रखा गया)	146
उ० प्र० राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997† (पटल पर रखी गयी)	146
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	147–148
उ० प्र० आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित)	148
उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 (पारित) ...	148
उ० प्र० नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	149–150
उ० प्र० शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	151–153
उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) ...	153–156
उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) ...	156–158

नोट :–† छापे नहीं गये ।

विषय | पृष्ठ संख्या

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु निर्धारित समय को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव 158

उ० प्र० राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ० प्र० महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 (प्रस्ताव, अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) 158–160

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) 160

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु निर्धारित समय को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (जारी) 161

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) 161–169

ईद के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को एक दिन पहले वेतन भुगतान की घोषणा 169

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान ... 169

अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग (स्वीकृत) 169

अनुदान संख्या–2 आवास विभाग (स्वीकृत) 170

अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) 170

अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) 170

अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ... 170

अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) 171

अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ... 171

अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामगी और मुद्रण) (स्वीकृत) ... 171

अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) 171

अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) 172

अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ... 172

अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत) ... 172

अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ... 172–173

अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ... 173

अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ... 173

अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) 173

अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ... 174

अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ... 174

अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... 174

अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ... 174

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) 175

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत) 175

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	175
अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	176
अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	176
अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	176
अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	176–177
अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	177
अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	177
अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	177
अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	178
अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	178
अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	178
अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ...	178
अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	180
अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	180
अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	180
अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	180–181
अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	181
अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	181
अनुदान संख्या–47 प्राविधिक विभाग (स्वीकृत)	181
अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	182
अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	182
अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	182
अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) (स्वीकृत)	182–183
अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	183
अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	183
अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	183
अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	184

विषय				पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) (स्वीकृत)	...			184
अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	...			184
अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...			185
अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	...	185
अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...			185
अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...			185
अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	...			186
अनुदान संख्या–64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	...	...		186
अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा , अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	...			186
अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	...	...		187
अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	...		187
अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	...	...		187
अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	...		187
अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...		188
अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...		188
अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...		188
अनुदान संख्या–74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...		189
अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	...	...	...	189
अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	...	...		189
अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	...	...		189
अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	...		190
अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत)	...			190
अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	...	...	...	190
अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...			191
अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	...	...		191
अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	...	...		191
अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	...	...	...	191
अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...		191
अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	...			192
अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)	...			192
अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	...			192

विषय				पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)			...	193
अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)		...	...	193
अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)		...	...	193
अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)		...	...	193
अनुदान संख्या–95 उत्तराखण्ड विकास विभाग (स्वीकृत)		...	...	194–198
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 (पारित)				199–206
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 (पटल पर रखा गया)			...	206
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 (पटल पर रखा गया)		...	...	206
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं		...	...	206
नत्थियां		...	...	208–216

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
अजय राय, श्री	वाराणसी	किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	मेरठ
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई	दुर्गा प्रसाद, श्री	आजमगढ़
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
इल्म सिंह, श्री	सहारनपुर	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
*ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं

फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम, श्री	जालौन
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू लाल, श्री	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिन्दु लाल, श्री	गोण्डा
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
यशवंत सिंह, श्री	आजमगढ़
रघुराज प्रताप सिंह	
''राजा भइया'', कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम प्यारे, श्री	आजमगढ़
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भैया	गोण्डा
रेवती रमण सिंह उर्फ ''मणी'', कुंवर	इलाहाबाद
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी

विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर	सतीश जतारिया, श्री	झांसी
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर	सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
शिव शंकर, श्री	बांदा	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा	सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली	सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सौलत अली, श्री	मुरादाबाद
श्रीराम, श्री	जालौन	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
श्रीराम, श्री	मऊ	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचना को उठाये जाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

नियम 311 के अन्तर्गत हम लोगों ने किसानों की जो समस्यायें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके बारे में दिया है । उसके बारे में .....

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास नियम 311 की सूचनायें आयी हैं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, आज किसान बहुत पीड़ित हैं, उनकी धान की फसल नष्ट हो गयी है, उसके पास खाने के लिये कुछ नहीं रह गया है, चारे की परेशानी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास नियम 311 की सूचनायें आयी हैं । सभी माननीय सदस्यों ने कार्य सूची देखी होगी, कार्यसूची काफी लम्बी है । मेरा कहना है कि प्रश्नकाल समाप्त हो जाये, तो फिर शून्य प्रहर में 311 के बारे में शुरू होगा और नियम 301 की भी सूचनायें ली जायेंगी, उसमें यह सब आ जायेगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मिट्टी के तेल की काला बाजारी रोकने व उपलब्धता बनाये रखने हेतु दिये गये निर्देश की जानकारी

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में प्रदेश में किरासिन तेल का अभाव उत्पन्न हो गया है और उसकी कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो कालाबाजारी को रोकने व तेल की उपलब्धता बनाये रखने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐज़ाज रिज़वी)–

भारत सरकार से वर्तमान में प्रति माह 1,26,236 किलोलीटर मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त हो रहा है । यह आवंटन वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर है, जो राष्ट्रीय औसत मानक से भी कम है । वर्ष 1991 के बाद प्रदेश की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है । अतः भारत सरकार से प्रदेश का मिट्टी के तेल का कोटा 1,26,236 किलोलीटर से बढ़ाकर 2,03,946 किलोलीटर प्रति माह करने का अनुरोध किया गया है ।

मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने एवं इसकी उपलब्धता बनाये रखने के लिये दिनांक 18-12-97 तथा 15-1-98 को कड़े निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि जो मिट्टी का तेल मिल रहा है वह 1991 की जनगणना के आधार पर मिल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में चाहे जो भी

कारण हो, काला बाजारी में मिट्टी का तेल 12 रुपये से 15 रुपये तक मिल रहा है । जनता इतनी अधिक कीमत पर मिट्टी का तेल खरीदने के लिये मजबूर हो रही है, इस दिशा में जो निर्देश जारी किये गये हैं, उनके क्या सार्थक परिणाम निकले हैं, और जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि दिनांक 18-12-97 तथा 15-1-98 को कड़े निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके क्या परिणाम आये हैं ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, 18-12-1997 को निर्देश दिये हैं, उस आधार पर कालाबाजारी रोकने के लिये 3 स्टेजेज़ पर चेकिंग करने की व्यवस्था की गयी है । एक तो जो होलसेलर्स हैं, उनके यहां पर राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से चेकिंग की जायेगी और उसके बाद जब वहां से रिटेलर को दिया जायेगा, तो दूसरी स्टेज पर सत्यापन किया जायगा । इस प्रकार से जब रिटेलर के यहां जायेगा तो विभाग के अधिकारी उसकी चेकिंग करेंगे और सत्यापन का काम किया जायेगा । मान्यवर, चौथी स्टेज है, जब जनता को वितरित किया जायेगा, तो वहां पर समितियां बनी हैं, जिनमें जनता के लोग होते हैं, उनके माध्यम से चेकिंग की व्यवस्था की गयी है । इस तरह से अच्छे परिणाम आ रहे हैं और जनपदों से जो सूचनायें आ रही हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह काम सुचारु रूप से चल रहा है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

और सार्थक परिणाम निकले । कड़े निर्देश के बाद क्या छापे वगैरह डाले गये, क्या कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गये या नहीं ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, छापे भी डाले जा रहे हैं और मुकदमात भी दर्ज हुए हैं । इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का सवाल है । गांवों में हालात बड़े खराब हैं मिट्टी का तेल 20 रु० लीटर और 15 रु० लीटर बिक रहा है । कालाबाजारी चरम सीमा पर है । मैं जानना चाहता हूं जैसा मंत्री जी ने कहा कि कड़े निर्देश जारी किये गये हैं । तो वह बेअसर हैं । कितने कालाबाजारी करने वाले पकड़े गये हैं और कितनों का चालान किया गया है । यह अहम लोक महत्व का सवाल है, इस पर प्रभावी कार्यवाही करनी पड़ेगी पूरे प्रदेश में छात्रों में असंतोष पैदा हो गया है, बोर्ड की परीक्षायें नजदीक हैं, बिजली का अभाव है ऐसा कभी नहीं हुआ वह किस तरह पढ़ाई करें ।

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक बनाये गये हैं जनसंख्या के आधार पर जो हमें भारत सरकार से कोटा मिलता है उसमें 35 प्रतिशत कम आपूर्ति केरोसीन की की जा रही है । हमने भारत सरकार से मांग की है और बराबर प्रयास किया जा रहा है कि हमें सप्लाई बढ़ाई जाय ।

दूसरी बात जो पूछी गयी कड़े निर्देश के बाद क्या सुधार हुआ तो उसके अच्छे परिणाम आये हैं । जो स्थिति है उसमें अनेक कार्य करने वालों के चालान किये गये हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

कितने लोगों का चालान किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

संख्या उपलब्ध हो तो बता दें कितनों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं ।

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

इस समय तो संख्या उपलब्ध नहीं है लेकिन हर जनपद में इस प्रकार की कार्यवाहियां चल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

आपके आदेशों का कोई असर नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से ३५ परसेंट का अभाव है तो यह बहुत अधिक नहीं रहेगा। यदि कालाबाजारी न हो, 65% का वितरण ठीक तरह से हो जाय। गांवों में सब जगह बिजली नहीं है और जहां है भी वहां बिजली सप्लाई नहीं होती है जिसके अभाव में गांवों में जहां बिजली नहीं मिलती है वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिये विशेष व्यवस्था करें। अपने तरफ से इस संबंध में आदेश जारी करवायें।

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, छात्रावासों के लिये पहले ही व्यवस्था है उनके लिये अलग से सप्लाई बराबर जारी रहती है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्रावास हैं एक परसेंट भी विद्यालयों के छात्रावासों में छात्र रहते हैं, ९९ प्रतिशत देहातों में विद्यार्थी घरों में रहते हैं। उनके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता, विरोधी दल ने बहुमूल्य सुझाव दिया है इसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं किरोसिन का जितना अभाव है उसके संबंध में सदन में जितने सवाल आये हैं उसका जवाब जो दिया गया है उसके अनुसार कानून सख्त बना दिया गया है ताकि हर जगह वह उपलब्ध हो सके। मान्यवर, मैं इतना जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी अभी तक नेता विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे पाये हैं उनके पास शायद कागज का अभाव होगा, अधिकारियों से जवाब नहीं मिला होगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जनपद बहराइच में कितने मुकदमें दर्ज किये गये हैं किरोसिन के वितरण के संबंध में ? राशन की दुकानों पर भी मिट्टी का तेल जो दिया जाता है उसकी भी आपूर्ति नहीं की जा रही है। मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में तेल उपलब्ध नहीं है क्या उसकी जानकारी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, जनपदवार सूची इस समय हमारे पास नहीं है। मैं इसकी सूचना मंगा लेता हूं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, चूंकि प्रश्नों के जवाब नहीं आये हैं इसलिये इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, छात्रावासों के लिये क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो छात्रावास के संबंध में प्रश्न किया है उसका उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि माननीय नेता, विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है उसको देख लें और उसके अनुसार कार्यवाही करें । आपका सुझाव आ गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार नहीं हैं तो इस प्रश्न को स्थगित करायें ।

लखनऊ शहर में राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता देने की मांग

**2—श्री रामपाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर में राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1996 से संशोधित वेतनमानों के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मकान किराया भत्ता में केन्द्र सरकार से समानता नहीं है । विभिन्न प्रकार के भत्ते जिसमें मकान किराया भत्ता भी सम्मिलित है, का प्रकरण इस संबंध में गठित वेतन समिति को युक्तिसंगत संस्तुति हेतु संदर्भित है ।

वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर, विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रामपाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के संबंध में वेतन समिति को कब-कब संदर्भित किया गया था और वेतन समिति को अपनी संस्तुति देने के लिये कितना समय तय किया गया है कृपया निश्चित अवधि बता दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, वेतन समिति को शीघ्र रिपोर्ट देने के आदेश दिये गये हैं और अपेक्षा यह है कि रिपोर्ट जल्दी ही आ जायगी । इस समय कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि शीघ्र रिपोर्ट आ जायगी । कोई निश्चित तारीख या उपयुक्त समय निश्चित करने में क्या मंत्री जी अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट शीघ्र आ जायगी । इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनान्तर्गत समाज कल्याण कार्यालय, मिर्जापुर में निर्गत चेक लाभार्थियों को न मिलने के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

*1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या समाज कल्याण कार्यालय, मिर्जापुर में 28-5-97 को 180 पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गये चेकों के लाभ प्राप्तकर्ताओं को (राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत) न मिलने की घटना प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लाभार्थियों को पुनः चेक निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

जी हां ।

घटना की जांच करायी गयी है जिसमें यह पाया गया है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना के 103 चेकों का अवैध भुगतान कर लिया गया है । परिणाम स्वरूप 12 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है । इस मामले में श्री अचिन्तमणि भारती, अपर जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है समाज कल्याण कार्यालय, मिर्जापुर के एक अन्य कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिन 12 लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उनमें से कितने गिरफ्तार किये गये हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या लाभार्थियों को पुनः चेक निर्गत किये जायेंगे ? इस संबंध में उत्तर दिया गया है कि परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, यह घटना 28-5-97 की है । मान्यवर, किस प्रकार का परीक्षण करवायेंगे ? वृद्धावस्था पेंशन और परिवार लाभ योजना से संबंधित विषय हैं । मान्यवर, यह गरीब लोग हैं और कष्ट में हैं तो इस संबंध में कार्यवाही करने में कितना समय लग रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर देखिये आप । इसमें स्पष्ट लिखा है कि परीक्षण हो गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आठ माह बीत गये हैं और अभी तक उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, चूंकि यह 5 लाख से ऊपर की धनराशि है । मंत्रि-परिषद् के आदेश के उपरान्त ही निर्गत की जा सकती है । इसलिये इसमें समय लग रहा है जिस दिन निर्देश मिल जायेंगे धनराशि निर्गत कर दी जायेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी ने गिरफ्तारी के संबंध में नहीं बताया कि कितने गिरफ्तार किये गये ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, गिरफ्तारी के संबंध में विवेचना हो रही है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कितने आश्चर्य की बात है । मेरे संज्ञान में यह बात आयी है कि जिस व्यक्ति ने पहली बार सूचना दी थी उसी को दण्डित करने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, उस व्यक्ति को रजिस्ट्री करने के लिये भेजा गया था उसने अपने फर्ज का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया । उसने लापरवाही बरती है इसलिये उसे दोषी पाया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रि परिषद् में दोषी लोगों के विरुद्ध दण्ड दिये जाने के संबंध में जो प्रस्ताव है उसका विरोध कौन कर रहा है ? मंत्रि-परिषद् की ऐसी मंशा क्यों है कि दोषी लोगों को दण्ड न दिया जा सके और दुःखी लोगों को राहत न दी जा सके । इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तरह के प्रकरण मिर्जापुर से संबंधित माननीय डंग साहब ने उठाया है उसी तरह से प्रदेश के दूसरे जनपदों में ऐसी जो घटनायें हुई हैं वहां पर भी इसी नीति के तहत कार्यवाही की जायेगी ? बलिया जिले के बारे में बताने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रि परिषद् में आपका प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि नहीं ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री दल बहादुर कोरी–

वहां के 12 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ० आई० आर० हो चुकी है । यह मामला न्यायालय का होता है । इससे मंत्रि परिषद् का कोई लेना देना नहीं है तथा विभागीय दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो गयी है ।

(व्यवधान)

एक मद में दो बार धन नहीं निकाला जा सकता है इसलिये जो धन देना है वह मंत्रि परिषद् के आदेश से प्राप्त करना है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं पहले वह स्वयं अपना दिमाग साफ कर लें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मा० सदस्य श्री दीपक कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

पं० उमा शंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव में पप्पू पासी पुत्र शिवराम पासी की मृत्यु में चिकित्सकों की लापरवाही का आरोप एवं कृत कार्यवाही

*2—श्री दीपक कुमार (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० उमा शंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव में दिनांक 15 जून, 1997 को पप्पू पासी पुत्र शिवराम पासी, ग्राम डीह, थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव की मृत्यु हुई है ? क्या मृतक की पत्नी ने अपने पति की अस्वाभाविक मृत्यु के लिये जिम्मेदार चिकित्सालय के कतिपय चिकित्सकों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराकर दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

स्व० श्री पप्पू पासी पुत्र श्री शिवराम पासी चिकित्सालय में जांच के समय मृत पाये गये ।

मृतक की पत्नी द्वारा किसी चिकित्सक के विरुद्ध नामजद अभियोग दर्ज नहीं कराया गया है ।

प्रारम्भिक सूचना के आधार पर पं० उमा शंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव के संबंधित चिकित्सकों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की योजना

*3—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने एवं बुनकरों के व्यापक कल्याण हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और कब तक उसे कार्यान्वित किये जाने की योजना है ?

वस्त्रोद्योग राज्य मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

बुनकरों के कल्याणार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं । इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रैमासिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए कार्य योजना बनाई गयी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह स्थगित प्रश्न है । मान्यवर, मैं विशेष रूप से वाराणसी में जो वाराणसी वस्त्र उद्योग है उसके बारे में कहना चाहता हूं उसमें विशेषकर आयातित रेशम का प्रयोग होता है उससे लाखों कारीगरों की रोजी-रोटी चलती है । इस उद्योग से एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सरकार को मिलती है इस उद्योग के लिये जो आयातित रेशम की आवश्यकता होती है जो चीन से आता है उसकी घोर किल्लत है इसी कारण इसकी स्मगलिंग भी हो रही है । बनारस में इस कार्य में लगे कारीगर भुखमरी के कगार पर हैं । पिछले दिनों एक सप्ताह तक रेशम उद्योग से जुड़े कारीगरों ने काम बन्द रखा इस तरह से अपना विरोध प्रकट किया । मान्यवर, इस कार्य में आयातित रेशम की जरूरत पड़ती है इसकी उपलब्धता बनाये रखने के लिये प्रदेश सरकार ने कोई उपाय किये हैं ? बुनकरों की बहुत दिनों से मांग रही है कि उन्हें बिजली जिस तरह से कृषकों को सस्ते रेट पर दी जाती रही है उसी तरह से दी जाए । इसके लिये कमेटी भी बनाई गई जिसमें था कि बुनकरों के प्रतिनिधि और ऊर्जा सचिव बात करेंगे और इसको तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आधार पर करायेंगे ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

श्रीमन्, रेशम की खपत चार हजार टन के करीब है । हमारा उत्पादन 40 टन है । सरकार प्रयास कर रही है कि हमारा उत्पादन बढ़े । हमारे यहां जो बाहर से रेशम आता है वह भारत सरकार के माध्यम से आता है जो गैर-कानूनी आता है वह पकड़ा जाता है उसकी वजह से रेशम की किल्लत बुनकरों को हो जाती है । हम केन्द्र सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं । बाहर से अच्छी क्वालिटी का रेशम आता है । हम रेशम की कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे । जहां तक बिजली और अन्य सुविधाओं का सवाल है इसमें सरकार प्रयासरत है । गरीब बुनकर हैं उनको सस्ते रेट पर रेशम उपलब्ध कराया जाए उनकी बहबदी के लिये ऋण दिया जाए और केन्द्र सरकार से भी सम्पर्क बनाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा मदद लेकर सस्ते रेट पर बिजली व अन्य सुविधायें दी जायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह है कि बुनकरों के व्यापक कल्याण हेतु कोई कार्ययोजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और कब तक उसे कार्यान्वित किये जाने की योजना है ? आपने उत्तर में कहा है कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रैमासिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए कार्य योजना बनाई गयी है । आप यह बतायें कि वह कार्ययोजना क्या है ?

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, बुनकरों के लिये सरकार कई योजनायें चला रही है जिनमें 85 हथकरघा विकास केन्द्र एवं 50 उत्कृष्ट रंगाई केन्द्र की स्थापना एवं 100 प्रोजेक्ट पैकेज योजना भारत सरकार के सहयोग से चलायी जा रही है । 4600 आवास कम कार्यशाला की स्थापना की योजना है इसके साथ ही 12000 बुनकरों को बीमा योजना से लाभान्वित करने की भी योजना है । भारत सरकार के सहयोग से 200 हैण्डलूम लगाये जा रहे हैं । बुनकर बहबूदी फण्ड से बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है । इसके अतिरिक्त और भी तमाम योजनायें हैं । नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा सस्ता सूत उपलब्ध कराया जा रहा है । हेल्थ पैकेज योजना, ऋण माफी योजना, एक्सपो योजना, हथकरघा पुरस्कार योजना आदि हैं । यह सरकार बुनकरों के कल्याण के लिये प्रयत्नशील है और उपरोक्त विभिन्न योजनाओं से हमारे बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिये, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये योजना के बारे में सीधा सवाल था । हम जानना चाहते हैं कि यह योजना कब की है और इस योजना पर कितना वित्तीय अधिभार आयेगा ?

श्री सरदार सिंह–

योजनायें बहुत पहले से चल रही हैं, जब से निगम का गठन हुआ है । कई योजनायें हैं जिनमें केन्द्र सरकार भी सहयोग करती है । कई योजनाओं में केन्द्र सरकार के निर्देश होते हैं उस तरह से राज्य सरकार कार्य करती है, इन्फ्रास्ट्रेक्चर भी उपलब्ध कराते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय अधिभार कितना आयेगा ? अगर वित्तीय अधिभार की जानकारी हो तो बता दें ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, बुनकरों के कल्याण के लिये सरकार समुचित वित्तीय प्रबन्ध कर रही है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत लोकमहत्व का है और गरीब बुनकरों से जुड़ा हुआ है । यह जो आयातित रेशम की आवश्यकता इस उद्योग के लिये होती है वह करीब 250 टन की आवश्यकता होती है तो क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकार की तरफ से इस बात का प्रयत्न करेंगे कि 250 टन आयातित रेशम का कोई उत्तर प्रदेश के अन्दर बफर स्टाक दिया जाये और उसके माध्यम से जो जरूरतमंद कारीगर हैं उनको वितरित किया जाये, अथवा भारत सरकार से प्रयत्न करेंगे कि जो जरूरतमंद हैं उन लोगों को ओपेन वितरण लाइसेंस दिया जाये ? मैं अपने प्रश्न को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह जो बुनकरों के प्रतिनिधियों और प्रमुख ऊर्जा सचिव के बीच एक वार्ता हुई थी, उसमें क्या तय हुआ और तमिलनाडु और महाराष्ट्र को आधार मानते हुए सस्ते रेट पर बिजली देने के संदर्भ में क्या प्रगति है और इस पर सरकार का क्या विचार है ?

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि सरकार अपने ही प्रदेश में रेशम उत्पादन के लिये प्रयत्नशील है, जिससे हमारे प्रदेश में जो कमी है, वह पूरी हो जाय । दूसरी ओर इस बात कां भी प्रयास किया जा रहा है कि हमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड से भी रेशम मिले । तीसरी बात, कि जो कर्नाटक, तमिलनाडु या अन्य दक्षिणी राज्य हैं, जहां रेशम ज्यादा पैदा होता है, वहां से लेकर हम अपने बुनकरों को उपलब्ध करायें, इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य का सुझाव है, उस पर विचार कर लेंगे । अन्य राज्यों की भांति सस्ते रेट पर बिजली देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है, यथाशीघ्र उस पर बैठक करके निर्णय ले लेंगे ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, हमारे जनपद हरदोई में बुनकरों का 18 लाख रु० बकाया है और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी उनका सम्पूर्ण भुगतान ईद से पहले करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी आप लिखकर दे दीजिये, मैं मंत्री जी को कहे दे रहा हूं कि वह इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करें ।

मित्रसेन यादव जी उपस्थित नहीं हैं ।

[दिनांक 28 जनवरी, 1998 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[3 रे बुध के लिये स्थगित]

प्रदेश में सिंचित कृषि क्षेत्र बढ़ाने की योजना की जानकारी

*2–श्री मित्रसेन यादव (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश का सिंचित क्षेत्रफल क्या है ? क्या मंत्री जी सिंचित कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिये सिंचाई की कोई बड़ी परियोजना लागू करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

वर्ष 1994-95 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 116.70 लाख है० तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 168.23 लाख हेक्टेयर है ।

वर्ष 1997-98 में कोई बड़ी परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है । अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है ।

पूर्व से ही अनेक परियोजनायें अधूरी हैं ।

लखनऊ जनपद में विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन में किये गये घोटाले की जांच की मांग

*3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में कितने विकलांग व्यक्ति अनुदान पा रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कार्य पटल सहायक द्वारा पंजिका में फर्जी विकलांग के नामों से चेकें बनवाकर प्रतिवर्ष लाखों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोटालें के संबंध में उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दल बहादुर कोरी–

01 अप्रैल, 1997 से 31 दिसम्बर, 1997 तक 2538 विकलांग व्यक्तियों पेंशन प्रदत्त किया गया है । वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल 4870 व्यक्तियों को पेंशन प्रवृत्त करने का लक्ष्य है ।

जी नहीं ।

यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है, वह गलत दिया गया है, सच्चाई यह है कि पहले विकलांग पेंशन समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत था, अब उसे पृथक कर दिया गया है । दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से 31 दिसम्बर, 1997 तक 2538 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देने की जो बात कही गई है, वह फर्जी है

और इस फर्जी भुगतान में राजेन्द्र मिश्रा इन्वाल्व है तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी भी शामिल हैं, मैं चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी द्वारा इसका सत्यापन करा लिया गया है तथा क्या इस मामले की जांच कराई जायेगी ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, अगर इनके पास घपला होने के सबूत हैं तो यह दे दें, हम इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, 2558 व्यक्तियों को पेंशन देने की बात उत्तर में कही गयी है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल 4870 व्यक्तियों को पेंशन देने का लक्ष्य रखा गया है ....

(इस समय 11 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विकलांगों की सूची क्या जनपदवाइज अब तक की तैयार हो गयी है ? मेरे संज्ञान में उसकी संख्या आपका जो मानक तैयार किया गया है, जो संख्या तैयार किये हैं उससे ज्यादा है तो क्या इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है और जो सूची तैयार है उसकी सही जानकारी माननीय मंत्री जी दे सकेंगे ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि सूची बनवाई जा रही है और जैसे ही वह सूची आयेगी उसका लक्ष्य बढ़ा दिया जायेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो सूची बनवाई जा रही है उसकी निश्चित अवधि जरूर तय कर दी जाय । माननीय मंत्री जी अपने जिले की सूची तो तैयार करवा रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि सूची बनाने का समय जरूर तय हो जाय ताकि विकलांग पात्र व्यक्तियों को सही जगह समय से धन उपलब्ध कराया जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जो सूची तैयार करवायेंगे उसकी तारीख निश्चित करेंगे ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, प्रदेश के समस्त जनपदों में यह आदेश दिये गये हैं कि मानक के अनुसार जो लोग पात्रता में आते हैं उसके आधार पर चयन करें । मान्यवर, अभी चुनाव आचार संहिता लागू है । मान्यवर, हम लोग टेन्ट लगाकर समस्त जनपदों में पात्र व्यक्तियों को चयनित करेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश कि कितने विकलांगों को यह सहायता देने की सरकार की योजना है ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, अभी तो सूची बनवाई जा रही है जब सूची बनकर आ जायेगी तब इसको बताया जा सकेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

क्या प्रदेश के सभी विकलांगों को यह सहायता देने की योजना है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, लक्ष्य बता दें ?

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, जो पिछला लक्ष्य था उसको भारत सरकार बढ़ाने जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके पास कोई आंकड़ा उपलब्ध है कि इस वर्ष का आंकड़ा क्या है ?

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर न देने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इसको स्थगित करा दें तब तक यह जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री धनी राम वर्मा–

श्रीमन्, प्रश्न 2 हैं । पहला प्रश्न यह है कि इस वित्तीय वर्ष में कितने विकलांगों को पेंशन देने की योजना है क्योंकि धन निश्चित होगा और धन निश्चित होगा तो उसी के आधार पर पेंशन वितरण की जायेगी तो कितने पात्र व्यक्तियों को पेंशन देने की इस वित्तीय वर्ष में योजना है ? दूसरी जिज्ञासा यह है कि सारे प्रदेश में कितने पात्र विकलांग हैं, उसकी सूची कब तक तैयार कर दी जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न संख्या–3 केवल लखनऊ जनपद के बारे में है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सूची कब तक तैयार हो जायेगी यह उत्तर आ जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न केवल लखनऊ जनपद से सबंधित है ।

श्री धनीराम वर्मा–

पात्र विकलांगों की सूची सारे प्रदेश में मंत्री जी ने बताया कि बनवा रहे हैं तो वह कब तक बनवा लेंगे ?

मुख्य मंत्री(श्री कल्याण सिंह)–

यह प्रश्न श्रीमन् कदाचित एक जनपद से संबंधित था लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने इसे सम्पूर्ण प्रदेश के परिपेक्ष्य में एक नीतिगत प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर दिया है । उत्तर प्रदेश भर के सभी जनपदों में 31 मार्च, 1998 तक विकलांगों की सूची तैयार कर दी जायेगी और जितने भी पात्र विकलांग होंगे, जो मानक निर्धारित हैं, उन सबको पेंशन योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय एवं कालेजों में रिक्त पदों को भरने की मांग

*4-डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय एवं कालेजों में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों पर भर्ती का कोई समयबद्ध अभियान कार्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

शासन को जानकारी है कि कुछ पद रिक्त हैं ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को भरा जा रहा है ।

तदैव

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय एवं कालेजों में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, उत्तर में कहा गया है कि कुछ पद रिक्त हैं । निदेशालय में निदेशक, उपनिदेशक और अपर निदेशक के सारे पद रिक्त हैं । सारे प्रदेश में सम्बद्धता समाप्त है लेकिन यहां चिकित्सा अधिकारियों को सम्बद्ध करके काम चलाया जा रहा है । इसी तरीके से कालेजों में 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं । इन रिक्त पदों को कब तक भर देंगे ? क्या अगले जुलाई सत्र तक यह पद भर जायेंगे ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, कुल पद रिक्त हमारे पास 18 प्रतिशत हैं शिक्षक के और निदेशालय के अन्तर्गत जो अधिकारी हैं उनके पदों का प्रतिशत 18 प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन इन पदों की भर्ती इसलिये नहीं हो रही है कि मानीनय न्यायालय ने हर पदों पर अपना स्थगनादेश दे रखा है । जहां तक विद्यालयों और महाविद्यालयों का सवाल है, हमने यह निश्चय किया है कि हम गेस्ट प्रोफेसर प्रणाली को अपने यहां लागू करने जा रहे हैं ताकि शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो । बाकी जो पद हैं, उन्हें आयोग को भेजा गया है, जैसे ही वहां से चयन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, हम उसके अनुसार नियुक्ति प्रदान कर देंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो चिकित्साधिकारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वह शिक्षण कार्य हेतु अर्हतायें रखते हैं और शिक्षक के रूप में समायोजन होना चाहते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्साधिकारियों को शिक्षक के रूप में समायोजित करने पर विचार करेंगे ताकि शिक्षण का कार्य निर्बाध तरीके से चल सके ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, हमारे आयुर्वेद में जो भी पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, उन्हें हम आप्सन भेज रहे हैं । कुछ ने अपना आप्सन दे भी दिया है, जिसे हमने स्वीकार भी कर लिया है, अब हम उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के कार्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं ताकि अध्यापन के कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके ।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो पद रिक्त हैं, वे कब से रिक्त हैं और शासन की तरफ से आयोग को जो पत्र लिखा गया है चयन करने के लिये, वह कब-कब लिखा गया है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, जहां तक प्राचार्य के पदों का सवाल है विगत कई वर्षों से आयोग को लिखा गया है । बार-बार निवेदन करने के बाद भी चयन प्रक्रिया उक्त पद हेतु पूरी नहीं हो पायी है, ज्यों ही इस पद हेतु चयन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, वह नियुक्ति प्रदान कर देंगे । निदेशालय के हर पद पर न्यायालय ने स्थगनादेश दे रखा है, जिसके कारण चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है । जैसे ही स्थगनादेश समाप्त हो जायेगा, चयन की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्तियां प्रदान कर दी जायेंगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन पदों पर स्थगनादेश दिया गया है और स्थगनादेश को समाप्त कराने के लिये शासन स्तर पर कोई गम्भीर प्रयास हो रहे हैं कि नहीं ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

शासन स्तर पर न्यायालय के स्थगनादेश को समाप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में कई प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं । जैसी ही स्थगनादेश समाप्त हो जायेगा हम चयन की प्रक्रिया को लागू कर देंगे ।

जनपद एटा के न्यौली शुगर फैक्ट्री पर किसानों के बकाये के भुगतान एवं कार्यवाही की मांग

*5—श्री नेतराम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले की न्यौली शुगर फैक्ट्री पर वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 का अलग-अलग कटौती का कितना धन किसानों का अवशेष है ? शेष बकाया धन के भुगतान करने के लिये सरकार की क्या योजना है ? बकाया धन के अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन ने उक्त चीनी मिल के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

न्यौली चीनी मिल पर वर्ष 1995-96 के गन्ना मूल्य का रु० 98.20 लाख अवशेष है । पेराई सत्र 1996-97 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान उक्त चीनी मिल द्वारा कर दिया गया है ?

चीनी मिल तथा गन्ना कृषकों के मध्य सम्पन्न अनुबन्ध के अनुसार अवशेष धनराशि का भुगतान अप्रैल, 1998 में किया जाना है । अतः वर्तमान में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

गन्ना कृषकों तथा चीनी मिल के मध्य सम्पन्न अनुबन्ध ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नेतराम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं । पहला, यह कि जो अनुबन्ध किया गया था, वह किस तिथि में किया गया था ? दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी उस अनुबन्ध की प्रति को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, किसान और मिल मालिक के बीच एक अनुबन्ध हुआ । अनुबन्ध इस प्रकार है–(1) वर्तमान सत्र 1995-96 के अवशेष पेराई सत्र में अब से निर्धारित मात्रा के लिये गन्ना मिल दर 70/- प्रति कुन्तल में से 40/- प्रति कुन्तल इसी सीजन में लेने के लिये सहमति देता है, (2) अवशेष 30/- प्रति कुन्तल का पूरा भुगतान अप्रैल, 1998 में लेने के लिये तैयार है, (3) उक्त अनुबन्ध मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं, (4) उक्त दोनों भुगतान समिति द्वारा न होकर न्यौली चीनी मिल स्वयं करे ।

श्री नेतराम सिंह–

मान्यवर, 1995-96 का जो अवशेष है, अब यह अवशेष तीन वर्ष का हो गया है, क्या सरकार किसानों का जो 98.20 लाख रुपये अवशेष है, उस पर ब्याज लगाकर किसानों को देगी ? ब्याज देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब प्रत्येक किसान ने मिल मालिकों के साथ अपने भुगतान के लिये कोई अनुबन्ध कर लिया है तो उसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का और कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह गन्ना किसानों के हित का सवाल है । मान्यवर, आज प्रदेश में गन्ना किसानों का अरबों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है । तो क्या सरकार इन गन्ना किसानों का जो बकाया है उन पर ब्याज देने पर विचार करेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य यह प्रश्न एटा जिले की न्यौली शुगर फैक्टरी से संबंधित है । फिर भी यदि माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश का किसान गन्ना मिलों से और गन्ने की भुगतान से संतुष्ट है । [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र यह कहते हुए सदन के फ्लोर पर आये कि आज जो किसानों के हित की बात कहने वाला नेता है उसको तत्काल रिहा किया जाय और सदन में चर्चा करायी जाय)

(श्री अम्बिका चौधरी डा० धर्मज्ञ मिश्र को वापस फ्लोर से ले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । माननीय नेता, विरोधी दल खड़े हैं । मैं उनको सुन रहा हूं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गन्ना किसान आज बहुत खुश हैं और इन्होंने यह भी कहा कि जो किसानों का सबसे बड़ा नेता है, महेन्द्र सिंह टिकैत उनका साथ देने वाला कोई नहीं था....

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, हमने नाम नहीं लिया है सिर्फ यह कहा है कि सबसे बड़ा किसानों का नेता।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसान खुश हैं ? क्या कोई पिछला अथवा वर्तमान गन्ने का बकाया भुगतान शेष है अथवा नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं तो प्रश्न का उत्तर अभी दे ही रहा था कि माननीय सदस्य बीच में ही उत्तेजित हो पड़े। आप तो हमारे पक्ष की ही बात कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि यदि उधर बैठे सदस्य मेरी बात के विपरीत बात कह दें तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मान्यवर, पिछले कई वर्षों बाद यह पहला अवसर है कि इस बार तुरन्त भुगतान किया जा रहा है जबकि 15 दिनों बाद भुगतान का नियम है। मान्यवर, अभी तक 1,332.62 करोड़ रुपये का गन्ना पेरा गया है जिसमें 802.76 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। शेष 529.87 करोड़ का भुगतान बाकी है। अर्थात 60.24 प्रतिशत का करेंट गन्ने का भुगतान हो चुका है। जबकि कई वर्षों से इतना अच्छा भुगतान नहीं हुआ था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य एक-एक करके प्रश्न पूछें। आप लोग व्यवधान न डालें। पहले पूरा उत्तर आ जाने दें चूंकि मंत्री जी अभी खड़े हैं। (व्यवधान) आप लोगो से मेरा निवेदन है कि मंत्री जी को पूरा उत्तर देने दें। इसलिए आप लोग कृपया बैठ जायें। (व्यवधान)

संसदीय लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का और प्रश्न का उत्तर देने की परम्परा रही है। प्रश्न इसलिये पूछे जाते हैं कि उससे सूचनायें आ सकें और उनके माध्यम से जिसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कल्याण हो सके। यदि प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नहीं सुनेंगे और एक साथ कई सदस्य खड़े हो जायेंगे तो न तो पूरा उत्तर आ पायेगा और न जिसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है उसका ही कल्याण हो सकेगा। इसलिए संसदीय परम्पराओं के सिद्धान्त पर चलते हुए प्रश्न पूछें और उनका पूरा उत्तर आने दें। इसलिए आप लोग एक-एक करके प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आपकी सारी बात मान ली जायेंगी, क्यों कि घड़ी आपके पक्ष में है ।

श्री कौकब हमीद–

मैंने पहले कह दिया था । गन्ना किसानों का तमाम रुपया बकाया पड़ा हुआ है, उसका ब्याज नहीं मिल रहा है, यह सरकार किसान विरोधी है ।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी अपने शब्द को वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक-एक प्रश्न का उत्तर आयेगा, लेकिन माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा तो कर लेने दें ।

श्री समर पाल सिंह–

जो उन्होंने कहा है कि टिकैत को कोई समर्थन नहीं है, इसको वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता–

पूरा उत्तर सुनने के बाद कहें ।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी उत्तर देना ही नहीं चाहते हैं । माननीय मंत्री जी अपने शब्द को वापस लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैंने तो नाम ही नहीं लिया है ।

श्री समर पाल सिंह–

नाम लिया है । पूरे प्रदेश के किसानों का अपमान किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप माननीय मंत्री जी की बात को सुन लें, तो शायद आपकी शंका का समाधान हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अगर कोई भी शब्द असंसदीय हो और किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप हो, तो वापस लेने के लिये तैयार हूं । मान्यवर, एक विषय आया कि कुल 15 दिन के अन्दर भुगतान करा दिया जायेगा, तो मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि 15 दिन में भुगतान की स्थिति में हम होंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अगर कार्यवाही में कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे निकाल दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आप कार्यवाही को दिखवा लें, प्रोसिडिंग को दिखवा लें, अगर नाम लिया है, तो उसको निकाल दिया जाये ।

मान्यवर, हमारा उत्तर अधूरा रह गया है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी का नाम होगा तो उसे निकाल दिया जायेगा ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि किसानों के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया है । उसका साथ देने वाला कोई नहीं है । (व्यवधान) यह किसान विरोधी सरकार है । (व्यवधान) यह किसानों का अपमान है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं कि एक-एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो यह स्थिति नहीं आयेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बातचीत करने पर) यह क्या हो रहा है । यह अधिष्ठाता महोदय असेम्बली है बाजार नहीं है ? क्या वहां पर कोई खरीद फरोख्त हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही चल रही है इस समय आप इस प्रकार खड़े न हों । (व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, एक समस्या पैदा हो गई है उसका समाधान मैं चाहता हूं, बड़े आसानी से हो सकता है । समस्या यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि हमने प्रदेश के किसानों के सबसे बड़े नेता को जेल में डाल रखा है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है । इस तरह से प्रदेश के सारे किसानों का अपमान हुआ है । मंत्री जी ने जो यह कहा है इस शब्द को वापस लें कि किसानों के सबसे बड़े नेता को जेल में बन्द कर रखा है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है इन्होंने प्रदेश के किसानों का अपमान किया है । वह उसे वापस लें अन्यथा सदन की कार्यवाही में बाधा निश्चित रूप से पड़ेगी । इसको हम भी बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसानों के एक नेता नहीं है विभिन्न लोग अपने को नेता कहते हैं सही मायने में किसानों की हिमायती यह सरकार है और उनके नेता हमारे सदन के नेता माननीय कल्याण सिंह हैं । (व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

यह सरकार किसान विरोधी है । किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है । (व्यवधान) इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । (व्यवधान) किसानों के पिछले गन्ने का बकाया पड़ा हुआ है, उसकी मांग करने पर उसे जेल में बन्द किया जा रहा है । (कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने से (व्यवधान)

(श्री कौकब हमीद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री अम्बिका चौधरी व श्री राम विशुन आजाद आदि सदस्य सदन के वेल में आकर किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(शोर)

श्री राम विशुन आजाद–

यह किसान विरोधी सरकार है, यह उद्योगपतियों की सरकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने-अपने आसन पर जायं ।

(किसानों की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाये गये ।)

कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें, अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(शोर)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

इस पर चर्चा करा लीजिये । सारे प्रदेश में किसानों की हत्यायें हो रही हैं । डी० ए० पी० खाद की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है ।

श्री कौकब हमीद–

मंत्री जी अपने अल्फाज वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दें, मैं चर्चा करा लूंगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

गोण्डा की बभनान शुगर मिल किसानों का शोषण कर रही है । डी० ए० पी० खाद बाजार में नहीं मिल रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई आपत्तिजनक बात अगर होगी तो निकलवा दिया जायेगा । आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(शोर)

अगर कोई असंसदीय बात होगी, आपत्तिजनक बात होगी तो निकलवा दिया जायेगा ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

डी०ए०पी० खाद बाजार में नहीं मिल रही है । सारा गेहूं खेतों में सड़ गया है । डिपो पर रासायनिक खाद नहीं है । आन्दोलन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है । इस किसान विरोधी सरकार का पत्ता साफ होगा ।

(कई सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े होकर एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करने की बात करें । पूरे प्रदेश के किसानों को अपमानित करने की चेष्टा से जो अहंकार की भाषा बोल रहे हैं उसको वापस लेने के लिये कहें । किसानों की कृपा से हम सब लोग इस सदन में आये हैं । इसलिये श्रीमन् मैं चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को स्पष्ट निर्देश दें कि वे अपने शब्द वापस लें और मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी आपकी है ।

(व्यवधान)

(किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने प्रारम्भ में कहा कि मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा यदि कोई असंसदीय बात....

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, किसानों के सबसे बड़े नेता के बारे में कहा गया है । आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि वे माफी मांगें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती । मंत्री जी को सदन में माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से इन्होंने कहा है कि किसानों के सबसे बड़े नेता को बन्द कर दिया है । यह सरकार किसान विरोधी है । जब-जब यह सरकार आई है किसानों पर अत्याचार हुआ है । यह किसानों के साथ अत्याचार करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने कहा कि मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा ।

(किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

श्री राम विशुन आजाद–

जब तक मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम सदन नहीं चलने देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा अगर कोई असंसदीय भाषा है तो उसको.....

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था है और हम स्वीकार करते हैं कि आप इसको दिखवा लेंगे लेकिन माननीय मंत्री जी का यह व्यवहार, इस सदन में इस सदन की गरिमा और उनके पद के अनुरूप नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी बात तो सुनें। मैंने दो बातें कहीं कि अगर इस पर चर्चा करानी हो तो लिखकर दे दें। दूसरा .....

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है मान्यवर, लेकिन चर्चा की शुरूआत उनकी माफी से हो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि इसको दिखवा लूंगा। अगर असंसदीय भाषा या आपत्तिजनक कथन है तो उसको दिखवा लूंगा।

(घोर व्यवधान)

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा।

श्री कौकब हमीद–

जो कहा गया है उसे अभी निकलवा दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

जनपद मैनपुरी के भोगांव स्थित नालों की सफाई की जानकारी

*6–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी भोगांव में जलालपुर से जल्लापुर खद्दइया तक बाया अरमसराय वाले बरसाती नाले की विगत कई वर्षों से खुदाई व सफाई न होने के कारण इस वर्ष बरसात के शुरुआत में ही जल प्लावन हो रहा है ? क्या यह सही है कि इससे काश्तकारों की हजारों एकड़ भूमि डूब रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रभावित क्षेत्र में जल प्लावन को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर के अन्तर्गत जलालपुर, भोगांव तथा तिगवां ड्रेन स्थित है, जिनकी क्रमशः लम्बाई 5.4, 17.17 तथा 5.4 कि०मी० है । वर्ष 1995-96 में तिगवां ड्रेन की सम्पूर्ण तथा वर्ष 1996-97 में भोगांव ड्रेन के 5.4 कि०मी० की लम्बाई में सफाई कार्य कराया जा चुका है । गत वर्षा ऋतु में लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित रहा ।

भोगांव ड्रेन के शेष भाग तथा जलालपुर ड्रेन के सम्पूर्ण भाग में सफाई कराये जाने हेतु कुल रु० 9.80 लाख की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध 4.38 लाख की धनराशि उपलब्ध हो गयी है जिससे भोगांव ड्रेन का कार्य कराया जा रहा है ।

जनपद बहराइच के आदमपुर रेवली बांध के बचाव में व्यय धनराशि एवं बांध के किनारे के किसानों को अन्यत्र बसाने की मांग

*7–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के आदमपुर रेवली बांध के बचाव में कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1996-97 में खर्च की गयी है ? क्या बांध के किनारे बसे किसानों को दूसरी जगह बसाने के कोई व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है ? घर उजाड़ने की नोटिसें कितने किसानों को दी जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में जनपद बहराइच के आदमपुर रेवली बांध के बचाव कार्यों में रु० 6.3 लाख की धनराशि व्यय हुई है । बांध के किनारे बसे किसानों को अन्यत्र बसाये जाने की कोई नीति सिंचाई विभाग की नहीं है । बाढ़ अवधि में कटान को दृष्टिगत रखते हुए बांध पर बसे 64 किसानों को हटाने के लिये नोटिसें दी गयीं ।

यूपिका उत्पादन केन्द्र मुरादाबाद, भोजपुर एवं ठाकुरद्वारा में भारत सरकार की जनता वस्त्र योजनान्तर्गत केन्द्र पुरो निधानित प्रोजेक्ट पैकेज योजना की जानकारी

*8–श्री सौलत अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यूपिका उत्पादन केन्द्र मुरादाबाद व भोजपुर तथा ठाकुरद्वारा द्वारा वर्ष 1995-96 से समितियों के लगभग पचास हजार बुनकरों के करघा बंद हो गये हैं ? क्या यह सही है कि इससे बुनकर भुखमरी की कगार पर पुहुंच चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके रोजगार के बारे में क्या प्रयास कर रही है ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी नहीं ।

भारत सरकार की जनता वस्त्र योजना के अन्तर्गत अब तक उत्पादन कार्यक्रम दिया गया भारत सरकार द्वारा जनता वस्त्र योजना समाप्त किये जाने के परिणाम स्वरूप उपर्युक्त क्षेत्र के बुनकरों को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अन्तर्गत 35 प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं ।

*9–श्री राजेन्द्र–

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

*10–श्री राजीव कुमार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

प्रदेश में विकलांगों को अनुमन्य सुविधाएं दिये जाने की जानकारी

*11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या विकलांग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अभी तक हजारों विकलांगों को शासन द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ? उन्हें सहायता एवं सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

जी नहीं,

शासन द्वारा विकलांगों को अनुमन्य सुविधायें नियमानुसार पात्र विकलांगों को दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निर्धन वर्ग के लोगों का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी

*12–श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निर्धन वर्ग के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निर्धन वर्ग के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पूर्व से ही उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

फाइलेरिया की दवा के परीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी

*13–डा० छोटे लाल वर्मा (महोबा)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न–14 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में फाइलेरिया के निदान संबंधी दवा का परीक्षण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ? राज्य सरकार उक्त रोग के रोगियों की निरन्तर बढ़ रही संख्या को देखते हुए इसका निदान ढूंढने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

दवा के परीक्षण में 5-10 वर्ष का समय लगना संभावित है।

भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु के साउथ आरकोट जिला बेलौर में दवा की एक खुराक सभी व्यक्तियों, एक वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर दी गई थी, जिसके

उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुये हैं । इसके फलस्वरूप भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के दो जनपदों–गोरखपुर व वाराणसी में दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को डी० ई० सी० (हेट्राजान) समस्त जनमानस (एक वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को छोड़कर) को दी गई, जिसे आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष दिया जायेगा । प्राप्त परिणामों के आधार पर फाइलेरिया के निदान हेतु दवा के संबंध में निष्कर्ष निकाला जायेगा ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में निर्धन एवं आवासहीन व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना में आवास देने की जानकारी

*14–श्री राजेन्द्र सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा बिन्दकी, जनपद फतेहपुर में निर्धन एवं आवास हीन व्यक्तियों के लिये इन्दिरा आवास की योजना का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो इन्दिरा आवास देने का क्या मानक है ? क्या शासन ने इन्दिरा आवास केवल अम्बेडकर गांवों में ही देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो अन्य गांवों के निर्धन एवं आवास हीन व्यक्तियों के लिये कौन सी आवासीय योजना है ?, यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्ति, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आवास हेतु चयन किये जाने का प्राविधान है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज में अम्बेडकर ग्राम मुंशीपुर में पुल एवं सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० खं० लालगंज, जनपद मिर्जापुर स्थित गंगहरा खुर्द से अम्बेडकर ग्राम मेउड़ी जाने वाले मार्ग पर स्थित अम्बेडकर ग्राम मुंशीपुर में पुल/पुलिया एवं सड़क ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या इस पुल एवं सड़क का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नरौरा डिवीजन के उपखण्ड नदरई में सामूहिक रूप से सफाई सिल्ट मरम्मत के नाम पर कतिपय अभियन्ताओं के विरुद्ध घांधली का आरोप

2–श्री नेतराम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरौरा डिवीजन के उपखण्ड नदरई के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता ने सामूहिक रूप से सफाई सिल्ट मरम्मत के नाम पर शासन के धन की फर्जी तरीके से व्यय करने जैसी गम्भीर आरोपों सहित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र अधिशासी

अभियन्ता नरौरा को माह नवम्बर, 97 तथा मंत्री जी को माह मई, 97 को मिले थे ? यदि हां, तो जांचकर्ता कौन थे और जांच के परिणाम क्या हैं ? जांच आख्या पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माह नवम्बर, 96 व मई, 97 के प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल अलीगढ़ द्वारा जांच की गयी । मौका मुआयना/अभिलेखों/तथ्यों के आधार पर जांचोपरान्त शिकायती-पत्रों में इंगित अधिकांशतः तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है । केवल वाजितपुर रजवाहा व इनायती माइनर की टेलों तक पानी नहीं पहुंचा । अन्य सभी माइनरों की टेलों पर वर्तमान में पानी पहुंच रहा है ।

जांच आख्या के आधार पर सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं राजस्व कर्मचारियों को उपखण्ड की समस्त टेलों पर पानी पहुंचाने हेतु कड़े निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चिकित्सकों/फार्मेसिस्टों के पदों को भरने की कार्यवाही की जानकारी

3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों तथा फार्मेसिस्टों की कितनी रिक्तियां चल रही हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्तियों को भरे जाने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद मैनपुरी में ही विधान सभा क्षेत्र भोगांव में पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करीब 16 रिक्तियां डाक्टरों एवं फार्मेसिस्टों की चल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार जनता के हित को देखते हुए कब तक नियुक्तियां करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने फरवरी, 97 में ऐसी रिक्तियों को भरे जाने का पत्र स्वास्थ्य सचिव को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सकों के 494 पद और फार्मेसिस्टों के 70 पद रिक्त हैं । चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है । इस बीच आयोग से प्राप्त संस्तुति के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्तियां की जा रही हैं ? फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी । जनपद मैनपुरी में रिक्त 16 फार्मेसिस्टों के पदों पर माह सितम्बर, 1997 में नियुक्तियां की जा चुकी हैं । जहां तक प्रश्नकर्ता के स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित पत्र का प्रश्न है, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र उपलब्ध न होने के कारण उस पर कुछ कहना संभव नहीं है । प्रदेश में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरे जाने के उद्देश्य से वर्ष 1991 से 1996 तक निरन्तर लोक सेवा आयोग से चयन कराकर नियुक्तियां की गयी हैं किन्तु चिकित्सकों के अध्ययनरत होने के कारण उनके कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति के फलस्वरूप प्रदेश में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ।

जनपद उधमसिंह नगर की तहसील किच्छा में दलितों को आवंटित करने हेतु समाज कल्याण विभाग की भूमि खरीद योजना के विरुद्ध जांच एवं भुगतान की मांग

4–श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि 16-3-83 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल ने श्री जगत सिंह कार्की (ठाकुर) तत्कालीन सचिव, सूर्यनगर सामूहिक सहकारी कृषि समिति

कोर्ट खर्रा तहसील किच्छा, जनपद उधमसिंह नगर से 10 एकड़ भूमि 10 दलित आवंटियों को आवंटित करने हेतु समाज कल्याण विभाग की भूमि खरीद योजना के अन्तर्गत रुपया 50,000 में खरीद कर शासन के नाम भूमि की रजिस्ट्री की थी ? यदि हां, तो क्या इस भूमि का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में जिला समाज कल्याण अधिकारी उधमसिंह नगर के नाम कर दिया गया है ? क्या इन 10 दलितों को पट्टे वितरित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां । तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल द्वारा रु० 50,700 की धनराशि से 10 एकड़ भूमि ग्राम–कोर्ट खर्रा तहसील किच्छा, जो वर्तमान में जिला उधमसिंह नगर में है, में सचिव, सामूहिक कृषि समिति लि०, सूर्य नगर से क्रय की थी । उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 24-3-83 को की गयी थी ।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायालय/सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अभाव में राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद संभव नहीं हो सका ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण के संबंध में मा० न्यायालय में वाद दायर हो जाने के कारण भूमि का आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ । तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल ने अपने पत्रांक–22-33/83-84 दिनांक 3-4-85 द्वारा तत्कालीन तहसीलदार किच्छा को 10 व्यक्तियों के पक्ष में विभाग द्वारा ग्राम कोर्ट खर्रा तहसील किच्छा में क्रय की गयी 10 एकड़ भूमि में से प्रत्येक व्यक्ति के नाम एक-एक एकड़ भूमि अभिलेखों में अंकित करने हेतु अनुरोध किया था जिस पर तत्कालीन तहसीलदार किच्छा ने अपने पत्र संख्या–ज्ञाप/रा०क०/पर्वतीय आवंटन दिनांक 25-8-86 द्वारा अवगत कराया था कि 10 व्यक्तियों को पट्टे का आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है तथा किस व्यक्ति को किस गाटा नम्बर से भूमि आवंटित की गयी है, की सूचना नहीं है । अतः भूमि का आवंटन सम्भव न हुआ ।

प्रश्नगत प्रकरण में सतर्कता विभाग द्वारा जांच संस्तुति की जा चुकी है ।

5–श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 में ग्राम सहदौरा, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर में 20 दलितों को भूमि खरीद योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग से रुपये 1,00,000 (एक लाख रुपये) की धनराशि से 20 एकड़ भूमि खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अवशेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? अवशेष भुगतान की धनराशि क्या है ? क्या उत्तराखण्ड सामूहिक सहकारी समिति मलसी, उधमसिंह नगर ने अवशेष भुगतान के लिये भू-स्वामी को गारन्टी पत्र लिखकर दिया था ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शून्य ।

सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं कोई अवशेष धनराशि नही है । इसलिए भू-स्वामी को गारन्टी पत्र दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत महेवा गोपाल के ग्राम प्रधान द्वारा निर्बल वर्ग आवास योजना में अपने पति के नियम विरुद्ध चयन करने का आरोप एवं जांच की मांग

6–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत, मनकापुर में ग्राम पंचायत महेवा गोपाल के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1996-97 में अपने पति को निर्बल वर्ग आवास योजना में चयनित किया गया है ? क्या यह नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां विद्युतीकरण पर व्यय धनराशि का भौतिक सत्यापन

7–श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के विद्युतीकरण पर कितना रुपया व्यय हुआ है ? स्वास्थ्य विभाग ने व्यय हुए रुपयों का भौतिक सत्यापन कब और किसी अधिकारी द्वारा कराया है ? यदि भौतिक सत्यापन कराया गया है, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, कराया गया है, तो क्यों ? भौतिक सत्यापन कब तक कराया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

विद्युतीकरण पर रु० 1,13,900.00 की धनराशि व्यय हुई ।

कार्य का भौतिक सत्यापन प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां द्वारा दिनांक 28-11-92 को किया गया ।

चिकित्साधिकारी के कक्ष माइनर शल्य कक्ष, भंडार गृह, औषधालय, पुरुष तथा महिला वार्डों, शौचालयों एवं भवन के अन्य भागों में कराए गए विद्युत कार्यों का सत्यापन किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद में विकास खण्ड हलधर मऊ में इन्दिरा आवास में अनियमितता की शिकायत के विरुद्ध कार्यवाही

8–श्री बावन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-11-96 को विकास खण्ड हलधर मऊ, जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास में की गयी घोर अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच के दौरान पाये गये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य विधान सभा श्री बावन सिंह द्वारा दिनांक 6-11-96 को विकास खण्ड हलधर मऊ जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास में की गयी घोर अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी को की गयी थी जिस पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी से जांच करायी गयी । जनता द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गयी थी जिसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा करायी गयी थी । प्रारम्भिक जांच में खण्ड विकास अधिकारी हलधर मऊ दोषी पाये गये हैं । खण्ड विकास अधिकारी हलधर मऊ श्री दया शंकर त्रिपाठी को शासनादेश संख्या 1436/38-1-97-512/97. दिनांक 13-5-97 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है तथा शासन द्वारा उप विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को जांच अधिकारी नामित किया जा चुका है । प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद सिद्धार्थनगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों का विवरण

9–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वर्ष 1996-97 में जनपद सिद्धार्थ नगर में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गयी ? इसमें कितने सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1996-97 में जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनमें 24 स्वीपर कम चौकीदार तथा 1 वार्ड आया के पदों पर नियुक्तियां की गयीं । इनमें से 12 कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा 13 कर्मचारी पिछड़ी जाति के हैं ।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम रिसौली में इन्दिरा आवास योजना में हेराफेरी के आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही

10–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि गांधी ग्राम-रिसौली, विकास खण्ड अम्बियापुर, जनपद बदायूं में वर्ष 1995-96 में ऐसे लोगों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये गये हैं जिन्हें पूर्व में भी आवास मिल चुके हैं ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थियों के चयन एवं चेकों की हेराफेरी करने के आरोप में कई कर्मचारियों को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के वर्ष 1996-97 के इन्दिरा आवास योजना के चेकों के भुगतान पर रोक लगाकर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं के गांधी ग्राम रिसौली में वर्ष 95-96 में आवंटित आवासों के लाभार्थियों में से श्रीमती शान्ती पत्नी श्री वी० पाल, श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री राम पाल व श्री वीर पाल पुत्र श्री राम लाल को पूर्व में वर्ष 94-95 में निर्बल वर्ग आवास आवंटित किये गये थे । जिला विकास अधिकारी, बदायूं द्वारा उक्त ग्राम के चयनित लाभार्थियों के चयन में अनियमितता एवं चेकों की हेराफेरी में दो अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया । इस मामले में विस्तृत जांच जिला पंचायत राज अधिकारी से भी करायी गयी । मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इन्दिरा आवास के चेकों पर

रोक लगायी गयी थी । जांच में दोषी पाये गये श्री मोहम्मद खां, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री होती राम, लेखा लिपिक को निलम्बित कर दिया गया है ।

जनपद बदायूं में वर्ष 1995-96 व 96-97 में ग्राम पंचायत अधिकारियों का गलत तरीके से निलम्बन करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जनपद बदायूं में इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताओं के आधार पर कितने ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? क्या यह सही है कि बिना जांच पत्र तामील किये तथा बिना किसी प्रक्रिया के उक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? उक्त निलम्बन करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के दम्पत्ति चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण

12–श्री विश्वनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के डा० राजेश मोहन गुप्त व डा० ममता गुप्त के विरुद्ध शिकायतों की जांच वर्ष 1997 में अपर निदेशक, स्वास्थ्य ने की है और जांच रिपोर्ट महानिदेशक, स्वास्थ्य को दिनांक 15-4-97 को भेजी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत दम्पत्ति चिकित्सा अधिकारी को सिद्धार्थनगर से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं कार्यवाही की मांग

13–श्री हरदेव सिंह तथा श्री सरवर अली खां–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में आयोग के तत्कालीन सचिव श्री रमाकान्त धूसिया का पत्र दिनांक 22-6-96 व 25-6-96 मुख्य सचिव तथा सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इन पत्रों में दिये गये तथ्यों की जांच एवं उन पर कार्यवाही हुई हैं ? यदि हां, तो जांच करने वाले का नाम, पदनाम क्या है ? जांच प्रारम्भ समाप्त तथा रिपोर्ट शासन को प्राप्त होने की तिथियां क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि मार्च, 96 में डिजर्ट कूलर क्रय करने संबंधी पत्रावली में सचिव द्वारा क्रय संबंधी टिप्पणी में लगाये गये चिन्हों में बाद में किसी अन्य द्वारा अवैधानिक रूप से परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक परिवर्तन तथा पत्र में सूचित अनियमितताओं के लिये कौन-कौन दोषी है ? शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ।

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष आडिट कराये जाने हेतु महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को शासकीय पत्र दिनांक 10-6-96, 28-6-96, 16-8-96, 30-11-96 तथा दिनांक 10 जनवरी 1997 द्वारा निर्देश भेजे गये हैं परन्तु अभी तक विशेष आडिट का कार्य कराया नहीं गया है । पत्रों में उल्लिखित अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयोग के अध्यक्ष से आख्या मांगी गयी है, आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इस संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

स्व० श्री राम पाल सिंह आवास विकास अधिकारी के अवशेष देयों का भुगतान

14–श्री राम नक्षत्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में सेवा अवधि के दौरान मृत कर्मचारी श्री राम पाल सिंह, जिनकी मूल नियुक्ति ए० डी० ओ० (ए० एच०) के पद पर पशुपालन विभाग में थी तथा प्रति नियुक्ति पर वह आवास विकास अधिकारी के पद पर सीतापुर में कार्यरत रहे, की महालेखाकार (प्रथम) उ० प्र० इलाहाबाद के पत्र सं० निधि–25/एफ–11/396/आर० एस०/355 दिनांक 18-7-1994 द्वारा फण्ड में जमा धनराशि रु० 4288.00 का अन्तिम भुगतान उनके पारिवारिक आश्रित को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

स्व० श्री राम पाल सिंह, आवास विकास अधिकारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या–निधि–25/एफ–4/396 अरा० एस० दिनांक 18-7-94 निर्गत किया गया था । उक्त के कालातीत हो जाने के कारण उक्त प्राधिकार पत्र को पुर्नमान्य कराने की कार्यवाही की जा रही है । महालेखाकार द्वारा पुनर्मान्य के उपरान्त प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई के आयुर्वेदिक अस्पताल राधौपुर के चिकित्साधिकारी पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप एवं जांच

15–श्री राम नक्षत्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र भल्लावां के आयुर्वेदिक अस्पताल–राधौपुर के चिकित्साधिकारी द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहने आदि गम्भीर आरोपों की जांच हेतु मा० सदस्य श्री श्याम प्रकाश का एक पत्र माह सितम्बर, 1997 के दूसरे सप्ताह में मा० स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएं जवाहर भवन, लखनऊ के आदेश का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं प्रखण्ड, बस्ती द्वारा पालन न करने का आरोप एवं देयों का भुगतान

16–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 13-12-95 तथा दिनांक 22-3-96 तथा सचिव कार्यालय के आदेश संख्या–1732, दिनांक 11-4-96 (जो अनिल कुमार दुबे के बारे में था) अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें प्रखण्ड बस्ती को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का पालन प्रखण्डीय कार्यालय द्वारा क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार देयों का भुगतान तथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

प्रश्न में संबंधित पत्र दिनांक 13-12-95 तथा 22-3-96 प्राप्त हुआ है । पत्र दिनांक 11-4-96 प्रखण्डीय कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदक के देयों का नियमानुसार भुगतान अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड बस्ती द्वारा किया जा चुका है ।

चूंकि देयकों का भुगतान किया जा चुका है । अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पेराई सत्र, 1995-96 में बभनान चीनी मिल, जनपद गोण्डा के क्रय केन्द्रों पर घटतौली के मामले की शिकायत

17–श्री जटा शंकर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–171 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि गन्ना घटतौली की अनियमितता मिल द्वारा दी गयी मशीन के कारण हुई है तथा यथा आरोपित कर्मचारियों ने अपने बयान में यह बताया है कि यह कार्य उन्होंने मिल मालिक के कहने पर किया है क्योंकि वह मिल मालिक के अधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पेराई सत्र, 1995-96 में बभनान चीनी मिल के क्रय केन्द्रों पर घटतौली का कोई मामला नहीं पाया गया किन्तु अशुद्ध कांटे के चार मामले पकड़े गये । प्रश्न में उल्लिखित शेष तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है ।

तौल कांटों में पायी गयी अशुद्धता के लिये मिल अध्यासी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ खण्ड बदायूं के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

18–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ खण्ड बदायूं के अधिशासी अभि० श्री वी० पी० मित्तल के विरुद्ध श्री महाराज सिंह लोधी, नेता शिव सेना, उ० प्र० द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-97 प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य सामने आये ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है ।

जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

आयुर्वेद यूनानी विभाग, उ० प्र० में हुए सुरा काण्ड में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

19–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि आयुर्वेद यूनानी विभाग, उ० प्र० में 1991-92 में सुराकाण्ड हुआ था ? यदि हां, तो उसमें निदेशालय के कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये थे ? उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवा कान्त ओझा–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशालय के तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेद स्व० डा० शिवराज सिंह तथा सहायक औषधि नियंत्रक, श्री मंगल देव त्रिवेदी कथित रूप से दोषी पाये गये ।

उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र दिया गया जिसमें डा० शिवराज सिंह का निधन हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, बलिया में तैनात अधिकारियों द्वारा गन्ना पर्ची वितरण में की जा रही धांधली

20–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र 1997 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–25 को दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जनपद बलिया में गन्ना पर्ची वितरण में की गयी धांधली की शिकायत के संबंध में था, के उत्तर में कहा गया है कि गन्ना आयुक्त, उ० प्र० को निर्देश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई है और उसकी सूचना जांच कर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को क्यों नहीं दी गयी ? संबंधित दोषी अधिकारी को अब तक दण्डित क्यों नहीं किया गया है ? जांच कब तक पूर्ण होगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ० प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ से करायी जा रही है ।

जांच अधिकारी को जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, सुल्तानपुर के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही की मांग एवं वेतन आहरण की जानकारी

21–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको संबोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री विजय बहादुर सिंह, ग्राम–पूरे बेलखरिया, पो० दुलारीनगर का दिनांक 26-11-97 का प्रार्थना पत्र जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, सुल्तानपुर के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

22–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर का 27 सितम्बर, 97 को विशेष समिति चिकित्सा विभाग तथा 14 अक्टूबर, 1997 को अपर/संयुक्त निदेशक, फैजाबाद द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो इस निरीक्षण में कौन-कौन डाक्टर/कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये ? क्या शासन को कोई निरीक्षण नोट भेजा गया है ? क्या यह सही है कि उस दिन अनुपस्थित डाक्टरों/कर्मचारियों ने अपना-अपना वेतन निकाल लिया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में विस्तृत जांच कराई जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । दि० 27-9-97 को विशेष सचिव, चिकित्सा विभाग, उ० प्र० शासन एवं अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 15-10-97 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया ।

प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोई चिकित्साधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित नहीं पाया गया ।

जी हां ।

निरीक्षण के दिन अनुपस्थित कार्मिकों के अवकाश पर होने के कारण उनका वेतन आहरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय मिर्जापुर की पुरानी बिल्डिंग की नीलामी में अनियमितता के आरोप की जांच

23–श्री दिलीप कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, मिर्जापुर की पुरानी बिल्डिंग की वर्ष 1997 में नीलामी कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा० जे० पी० श्रीवास्तव द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ? क्या नीलामी के लिये निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त पुरानी बिल्डिंग की कीमत लगभग 5 लाख रुपये थी जिसकी नीलामी मात्र 5 हजार में की गयी है ? क्या नीलामी राज्य सम्पत्ति विभाग की अनुमति से लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी उक्त अनियमितताओं की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । जिला चिकित्सालय मिर्जापुर के पुराने भवन के खंडहर के मलवे की नीलामी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (तत्कालीन) डा० जे० पी० श्रीवास्तव द्वारा की गयी थी ।

जी हां ।

जी हां, नीलामी के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एक समिति गठित की गयी थी जिसके माध्यम से नीलामी की गयी किन्तु मुख्य चिकित्सा

अधीक्षक ने उक्त मलवे की नीलामी के पूर्व लोक निर्माण विभाग से मलवे का आगणन तैयार नहीं करवाया था ।

जी नहीं । जिला चिकित्सालय मिर्जापुर के पुराने भवन के खंडहर के मलवे की नीलामी रु० 5,200 (पांच हजार दो सौ मात्र) में की गयी ।

जी हां । किन्तु किसी भवन के खंडहर के मलवे की नीलामी लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये आगणन के आधार पर सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से भी कराया जा सकता है ।

जी हां ।

जांच कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर पर चयन प्रक्रिया के विरुद्ध नियुक्ति करने के आरोप की जांच की मांग

24–श्री दिलीप कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर ने दिनांक 16-8-95 से 15-9-97 के मध्य फाइलेरिया फील्ड वर्कर के एक पद पर की गयी नियुक्ति की जांच कराकर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त अवधि में सात के अतिरिक्त 32 नियुक्तियां भी मुख्य चिकित्साधिकारी ने की है जिसमें 2 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं ? क्या उक्त नियुक्तियां चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या उसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सालय महाविद्यालय कानपुर में पुस्तकालयाध्यक्षों को जबरन सेवानिवृत्त करने का आरोप एवं सेवा निवृत्तिक लाभ देने की मांग

25–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सालय महाविद्यालय, कानपुर के कितने लाइब्रेरियन को जबरन सेवानिवृत्त किया गया ? उनके नाम क्या हैं ? स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति क्या थी ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि कर्मचारी ने विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो क्या उसको पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने के कोई आदेश हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 2-6-97 जोकि उन्हें संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सालय महाविद्यालय कानपुर में केवल श्री पी० सी० मिश्रा, लाइब्रेरियन को तत्कालीन प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति संलग्न है ।

श्री पी० सी० मिश्रा, लाइब्रेरियन के वेतन का पुनरीक्षण प्रधानाचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के आदेश दिनांक 1-9-1997 द्वारा किया जा चुका है ।

जी हां ।

श्री पी० सी० मिश्रा ने सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति हेतु नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में कोई भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः इन्हें सेवा नैवृत्तिक लाभ स्वीकृत नहीं किये जा सके। उक्त के संबंध में श्री मिश्रा को दिनांक 30-9-97 को सूचित भी किया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 208 पर)

धामपुर शुगर मिल, बाराबंकी से गन्ना किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ना मूल्य का भुगतान करने की मांग

26–श्री अशोक कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि धामपुर शुगर मिल, बाराबंकी द्वारा माह दिसम्बर, 1996 तथा जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1997 में गन्ना किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि हां, तो गांव बरांवा, तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी के गन्ना किसानों द्वारा उपरोक्त अवधि में आपूर्ति किये गये गन्ने का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त गांव के गन्ना किसानों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

धामपुर शुगर मिल्स, बाराबंकी द्वारा पेराई सत्र 1996-97 में क्रय किये गये सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान संबंधित गन्ना समितियों को कर दिया गया है।

ग्राम बरांवा तहसील रुदौली जनपद बाराबंकी के कृषकों से क्रय किये गये गन्ना मूल्य की रु०166604.49 की धनराशि में से रु० 153617.21 का भुगतान संबंधित कृषकों को कर दिया गया है तथा रु० 12987.28 की धनराशि सहकारी गन्ना समिति गनौली के पास अवशेष है। संबंधित कृषकों से पर्चियों तथा खाता संख्या आदि प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

अवशेष गन्ना मूल्य का नियमानुसार भुगतान यथाशीघ्र किया जायेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों की साज-सज्जा, रख-रखाव व मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि के उपयोग का वर्षवार जांच की मांग

27–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के सी० एम० ओ० द्वारा कितना धन वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में जनपद के विभिन्न अस्पतालों में रख-रखाव, साज-सज्जा एवं मरम्मत हेतु दिया गया है ? क्या उक्त धन का सही उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी वर्षवार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया द्वारा प्रश्न में वर्णित वर्षों में अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों के भवनों एवं उपकरणों के रख-रखाव, मरम्मत एवं साज-सज्जा हेतु दी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

मद	दी गयी धनराशि (रुपये में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
1–भवनों का रख-रखाव/मरम्मत	3,83,229	6,97,390	5,76,754
2–उपकरण/साज-सज्जा का रख-रखाव/मरम्मत	2,85,103	1,09,000	2,68,180

उपरोक्त धनराशि के उपयोग की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य को निर्देशित कर दिया है। जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा जनपद में अस्पतालों को साज-सज्जा, मरम्मत एवं दवा खरीद हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग का आरोप

28–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा जनपद के अस्पतालों को कितना-कितना धन साज-सज्जा, मरम्मत व अन्य मदों में दवा खरीद के लिए वर्ष 1996-97, 1997-98 में दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धन का सही उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों को प्रश्न में वर्णित मदों हेतु वर्षवार निम्नवत् धन दिया गया :–

मद	उपलब्ध करायी गयी धनराशि		
	1996-97	1997-98	योग
1–साज-सज्जा	6,80,105	6,24,770	13,04,875/-
2–मरम्मत	11,76,041	7,26,025	19,02,066/-
3–दवा खरीद	40,650	55,000	95,650/-

धन के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मुबारिकपुर, ब्लाक गंगोह, जनपद सहारनपुर में इन्दिरा आवास बनाये का कथित प्रस्ताव

29–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न 132 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक गंगोह के ग्राम मुबारिकपुर में ग्यारह इंदिरा आवासों को बनाये जाने के संबंध में ग्राम सभा द्वारा दिनांक 28–9–96 का प्रस्ताव पारित कर अपर जिलाधिकारी (प्र०) को भेजा था, जिसे उन्होंने अपने पत्रांक 990/एस०टी० (ई०) दिनांक 28 फरवरी, 1997 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को इसी वित्तीय वर्ष में आवास बनाये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त इन्दिरा आवास न बनाये जाने हेतु कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? इन्दिरा आवास कब तक निर्मित करा दिये जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वित्तीय वर्ष 1997–98 में जनपद मैनपुरी के विकास हेतु सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि एवं व्यय की जानकारी

30–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1997–98 में जनपद मैनपुरी में विकास हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितना धन प्राप्त हुआ और अब तक ब्लाक वाइज किन-किन योजनाओं में खर्च हुआ तथा कितना-कितना धन किस-किस ब्लाक में खर्च हेतु प्रस्तावित है ? क्या

सरकार यह भी बतायेगी कि इस योजना में विधायकों से विकास की योजनाओं में धन खर्च किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव मांगे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1997–98 में जनपद मैनपुरी में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 396 लाख रुपया प्राप्त हुआ है जिसके विपरीत 183.87 लाख रुपया व्यय हुआ है एवं मार्च, 98 तक 248.13 लाख व्यय प्रस्तावित है। प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 209–210 पर)

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में मानक के अनुरूप हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

31–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री, सचिवालय विधायक प्रकोष्ठ पत्रांक सं०–एम–3/70–39 मैनुपुरी/97 दिनांक 2–7–97 जो हैण्ड पम्प लगाये जाने विषयक था, सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं। मा० विधायक का दिनांक 9-6-97 का पत्र प्राप्त हुआ है। विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अपेक्षित 13 ग्रामों में से 7 ग्रामों में मानक के आधार पर हैण्ड पम्प लगाये जा सकते थे जिन्हें विधान सभा क्षेत्र भोगांव के संबंधित ग्रामों में अधिष्ठाता कर पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। विधान सभा क्षेत्र भोगांव में मानक के आधार पर वित्तीय वर्ष 1997-98 में 359 हैण्ड पम्प लगाये जाने है। जिनमें से 195 हैण्ड पम्प लगा दिये गये है। शेष 164 हैण्ड पम्प 31 मार्च, 1998 तक लगातार उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों को पेयजल से वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर मानक के अनुसार पूर्ण संतृप्त कर दिये जाने का लक्ष्य है।

हरदोई जनपद के माधौगंज ब्लाक में जलीहापुर–समुखा सम्पर्क मार्ग के डामरी करण की मांग

32–श्री विनोद मणि तथा श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई के ब्लाक माधौगंज, हरदोई के अन्तर्गत भजेहटा–कुरसथ मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जोकि जलिहापुर–समुखा होता हुआ नटपुरवा के पास पुनः कुरसथ भजेहटा मार्ग में मिलता है, का विगत 10 वर्षों पूर्व मिट्टी डलवाकर निर्माण कराया गया था, जिसकी लम्बई लगभग 8 कि०मी० है ? क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग का लगभग 2 किमी० कार्य जिस पर मिट्टी पड़नी थी उसे पूर्ण नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग को जो कि 3 कि०मी० पर खड़न्जा लगा है तथा शेष मार्ग पर मिट्टी का कार्य कराकर पक्का डामर करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, 1989 में मिट्टी का कार्य कराया गया था। परन्तु सम्पर्क मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई 2.50 कि०मी० है, जिसकी सम्पूर्ण लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्व में कराया गया था।

जी नहीं।

वर्तमान समय में उक्त सम्पर्क मार्ग पर 1.35 कि०मी० में ईंट की सोलिंग का कार्य किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन के वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को सर्वऋतु सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की प्राथमिकता दी गई है।

सी०एम०एस०, जिला चिकित्सालय, हरदोई के विरुद्ध गबन के आरोप की जांच

33–श्री राम नक्षत्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 1997 के दूसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता का एक पत्र श्री अरविन्द कुमार सिंह, अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, छात्र संघ, लखनऊ के आवेदन पत्र सहित जो जिला चिकित्सालय, हरदोई के सी० एम० एस० द्वारा वर्ष 1996-97 में लाखों रुपये के गबन/घोटाले की जांच हेतु था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तथ्यों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नगत मामले की जांच विशेष सम्प्रेक्षा कराये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

टी० बी० अस्पताल मिर्जापुर में नियुक्त उपचारिका से समय से अधिक सेवा लेने का आरोप

34–श्री दिलीप कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-1-86 टी० बी०अस्पताल मिर्जापुर में 50 शैय्याओं के चिकित्सालय में मात्र एक ही उपचारिका नियुक्त है ? क्या उससे नियमानुसार ड्यूटी करायी जाती है ? यदि हां, तो नियमानुसार ड्यूटी की अवधि क्या है ? क्या उक्त उपचारिका से चौबीसों घंटे अकेले ही कार्य कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या कभी जिला चिकित्सालय के किसी उपचारिका की ड्यूटी उक्त चिकित्सालय में लगायी गयी थी ? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस उपचारिका की ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी हां।

नियमानुसार उपचारिकाओं की ड्यूटी तीन शिफ्टों में निम्नानुसार लगाई जाती है :–

1–प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक,

2– 1 बजे से 7 बजे सायं तक,

3–सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक।

प्रश्नगत उपचारिका से प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी कराई जाती है जो कि नियमानुसार ही है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

दून चिकित्सालय, देहरादून में एक्सरे एवं कैट स्कैन मशीन क्रय किये जाने की जानकारी

35–श्री हरवंश कपूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दून चिकित्सालय, देहरादून के 300 एम०एम० एक्सरे

मशीन को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या एक्सरे मशीन खरीदी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

एक्सरे मशीन के क्रय हेतु महानिदेशालय स्तर पर आमंत्रित निविदा संबंधी प्रक्रिया को उपयुक्त न पाये जाने के कारण शासन स्तर पर उक्त टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था तथा पुनः टेण्डर आमंत्रित करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसके अनुपालन में महानिदेशालय द्वारा एक्सरे मशीन के क्रय के संबंध में निविदा प्रक्रिया पूर्ण ली गयी है । निविदा पुनः आमंत्रित करने के कारण एक्सरे-मशीन का क्रय अब तक नहीं किया जा सका ।

36–श्री हरवंश कपूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दून चिकित्सालय, देहरादून के लिये शासन द्वारा कैट स्कैन मशीन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उक्त कैट स्कैन मशीन अब तक क्यों नहीं खरीदी गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

उक्त कैट स्कैन मशीन के क्रय के सम्बन्ध में निविदायें आमंत्रित की गयी थीं जिसमें फर्मों द्वारा स्पेसीफिकेशन (विशिष्टिकरण) के बारे में विभिन्न आपत्ति उठाने के कारण शासन स्तर से स्पेशीफिकेशन निर्धारित करना पड़ा, जिससे क्रय सम्बन्धी कार्यवाही अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है ।

जनपद गोण्डा बभनान खोड़ारे मार्ग के धंसाव के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

37–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा द्वारा बभनान से खोड़ारे जाने वाली सड़क पर कस्बा बभनान में भीषण धंसाव होने के कारण जनता के आवागमन के लायक नहीं रही है ? क्या सरकार उक्त मिल को उक्त सड़क की मरम्मत कराने का आदेश देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38–श्री जटा शंकर सिंह–

12रे सोम के लिए अता० प्र० सं०–41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

उ० प्र० राजकीय उद्योगशाला सिंचाई विभाग रुड़की में मृतकाश्रितों के सेवायोजन की जानकारी

39–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय उद्योगशाला, रुड़की में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1990 तक कितने मृतक आश्रितों को सेवायोजित किया गया है ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनको किस शासनादेश के अन्तर्गत समायोजित किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ० प्र० राजकीय उद्योगशाला, सिंचाई विभाग, रुड़की में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों द्वारा आवेदन किए जाने के फलस्वरूप जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1990 तक नियमित अधिष्ठान में 6 तथा औद्योगिक अधिष्ठान में 6 मृतक आश्रितों को सेवायोजित किया गया है।

सूची संलग्न है।

प्रश्नगत समायोजन उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 तथा इस विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 211 पर)

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद में व्याप्त घोटाले की जांच

40–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में व्याप्त घोटाले के संबंध में उच्च स्तर पर जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार घोटाले की जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जांच रिपोर्ट अपूर्ण पाये जाने की स्थिति में पुनः जांच के निर्देश दिये गये हैं।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नियम विरुद्ध नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

41–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रदेश के मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अनियमित नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां। डा० वी०एन० प्रसाद, सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर/झांसी तथा डा० के० एन० सिंह, तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद द्वारा अपने कार्य-काल के दौरान नियमों का उल्लंघन कर कतिपय पदों पर अनियमित नियुक्तियां की गयी हैं।

जी हां। उक्त प्रधानाचार्यों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप

42–श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पत्रांक–2 फ/स्थाना०/97/2372 दिनांक 22 जुलाई, 1997 का पालन समस्त जनपदों में मुख्य

चिकित्साधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद गाजियाबाद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उप मुख्य चिकित्साधिकारी तृतीय, गाजियाबाद को लिखित कथित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी की मांग

43–श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक विविध/प्रशासनिक/97, दिनांक 1 जुलाई, 1997 जो मुख्य चिकित्साधिकारी तृतीय गाजियाबाद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों/महाप्रबंधकों द्वारा चीनी शीरा, बैगास एवं मरम्मत कार्यों में घपला करने का आरोप एवं जांच की मांग

44–श्री विश्वनाथ तथा श्री महराज सिंह यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1997 के प्रथम सप्ताह किसान गन्ना संस्थान में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल तथा राज्य चीनी निगम के अधिकारियों की बैठक में सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशकों एवं महाप्रबन्धकों द्वारा चीनी सीरा तथा बैगास की कीमतों में तथा अन्य मरम्मत आदि के कार्य में लगभग साठ करोड़ का घपला किये जाने की सहकारी चीनी मिलों के उपाध्यक्षों की बात को स्वीकारते हुए मामले की जांच किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराये जाने की घोषणा किया था ? यदि हां, तो क्या जांच प्रचलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन के अम्बेडकरनगर ग्राम मड़ेरा में स्वीकृत इन्दिरा आवास को ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम गोवरहा में बनाने पर नियमों के उल्लंघन का आरोप एवं कार्यवाही की मांग

45–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड कोन के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम–मड़ेरा में वर्ष 1996-97 में स्वीकृत इन्दिरा आवास वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम गोवरहा में बनवा दिया गया है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा शासनादेश का खुला उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर कराये गये कार्यों के विरुद्ध जांच

46–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा मनकापुर क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना में निर्धारित मानक के अनुसार सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी एवं खड़ंजे का कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र संख्या एम–4/25–47/गोण्डा/97, 21-3-97 दिया था जिस पर सचिव ग्राम्य विकास को जांच एवं भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । अपितु मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) का संदर्भित पत्र सं०–एम–4/25–47/गोण्डा–97, दिनांक 8-8-97 प्राप्त हुआ ।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों की उप विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से जांच कराई जा रही है ।

47–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जवाहर रोजगार योजना द्वारा सम्पर्क मार्गों पर हुये अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र संख्या एम 4/25–47/गोण्डा/97, 21-3-97 के सन्दर्भ में आयुक्त फैजाबाद मंडल को कार्यवाही एवं भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त जन-स्वास्थ्य रक्षकों का वेतन बढ़ाने की मांग

48–श्री विनोद मणि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जन स्वास्थ्य रक्षकों को उनकी नियुक्ति से आज तक रुपये 50.00 (पचास) प्रतिमाह की दर से ही भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इनके वेतन को बढ़ाने के सम्बन्ध में आज तक कोई जानकारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि दिनांक 8 नवम्बर, 1996 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव चिकित्सा एवं महानिदेशक चिकित्सा उत्तर प्रदेश शासन एवं सी०एम०ओ०हरदोई के लिये आदेश हुये थे ? यदि हां, तो क्या उनका क्रियान्वयन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–

जी हां ।

जन स्वास्थ्य रक्षकों को रुपया 50.00 (पच्चास) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिए जाने की योजना भारत सरकार की है । भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों की उपयोगिता एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 25-7-97 द्वारा

विशेष समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार जन स्वास्थ्य रक्षकों के वेतन आदि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सक्षम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 8-11-96 में याचीगण के वेतनमान के न्यूनतम वेतन का प्रकरण विधिसम्मत विचार कर निस्तारण के आदेश दिए थे, जिसके अनुपालन में महानिदेशक, परिवार कल्याण के कार्यालय आदेश दिनांक 15-7-97 द्वारा निस्तारण किया जा चुका है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात चतुर्थ श्रेणी में की गयी नियुक्तियों के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

49–श्री विनोद मणि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–कानपुर के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में सी०एम०ओ० कानपुर देहात के द्वारा चतुर्थ श्रेणी/वार्डव्याय के पद पर नियुक्तियां की गयीं ? यदि हां, तो क्या नियुक्तियों में भारी अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या की गई उक्त नियुक्तियों की शासन द्वारा किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी गयी थी जिसकी जांच आख्या अभी शासन स्तर पर लम्बित है ? क्या जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की पुनः उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी हां।

जी हां। जनपद कानपुर देहात में मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात द्वारा वर्ष 1995 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गयी नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसकी प्रारम्भिक जांच उच्च अधिकारी से करायी गई। जांच के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद बांदा के ग्राम बछेऊरा में चैक डैम निर्माण न कराये जाने की जानकारी

50–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतयेगी कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद बांदा के ग्राम बछेऊरा में चैक डेम बनाने का कार्य निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा कितना कार्य शेष है ? क्या निर्माण कार्य में अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकन्डेय चन्द्र–

जी नहीं।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद बांदा के ग्राम बछेऊरा में कोई चैक डैम निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के मलवा विकास खण्ड के ग्राम आवं में जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की मांग

51–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवा के ग्राम आवं में जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य अनियमितताओं की जांच संबंधी संसद सदस्य, लोक सभा फतेहपुर का पत्र दिनांक 18-8-1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी द्वारा शीघ्र जांच कराकर कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण मानक के विपरीत कराये जाने के विरुद्ध टी०ए०सी० से जांच कराये जाने की मांग

52–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों से वर्ष 1994-95 से अब तक सम्पर्क मार्ग व पुलिया निर्माण हेतु अलग-अलग कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या सम्पर्क मार्गों का कार्य मानक के विपरीत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इनकी जांच टी०ए०सी० से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फतेहपुर में जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों से वर्ष 1994-95 से अब तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मु० 130.427 लाख रुपये तथा पुलिया निर्माण हेतु 56.955 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में एस०आर०वाई० योजनान्तर्गत विद्यालयों के निर्माणार्थ अवमुक्त धनराशि के दुरुपयोग के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

53–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में एस० आर० वाई० योजना द्वारा वर्ष 1996-97 से अब तक कुल कितने विद्यालय निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ? क्या धनराशि का सही उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फतेहपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1996-97 से अब तक कुल 167 विद्यालयों के निर्माण हेतु श्रमांश की कुल मु० 138.51 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

जी हां, परन्तु एक प्राथमिक पाठशाला दीढियाही के निर्माण में धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया है ।

इसकी जांच सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० से कराई गयी और दोषी सहायक अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के एकाउन्ट के संबंध में व्याप्त घोटाला, भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी के विरुद्ध पुनः जांच

54–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के एकाउन्ट के सम्बन्ध में व्याप्त घोटाला, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि प्रकरण पर दिनांक 18 अप्रैल, 1996 के उ० प्र० भ्रष्टाचार निरोधक समिति, गाजियाबाद के शिकायती-पत्र पर अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें मेरठ मण्डल द्वारा जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

परीक्षणोपरान्त जांच रिपोर्ट अपूर्ण पाये जाने की स्थिति में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ को पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं।

जनपद फतेहपुर में दस लाख कूप योजना में लघु सिंचाई एवं एग्रो द्वारा फर्जी बोरिंग के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संसद फतेहपुर का पत्र संख्या 149/एम०पी०/एफ/1996-97 दिनांक 29-7-1996 जो जनपद फतेहपुर में दस लाख कूप योजना के तहत वर्ष 1995-96 व 1996-97 की सूची उपलब्ध कराने संबंधी पत्र जिलाधिकारी फतेहपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त वर्षों में लघु सिंचाई तथा एग्रो द्वारा की गयी बोरिंग की जांच की गयी है ? यदि हां, तो कितनी फर्जी बोरिंग दिखाई गयी है तथा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मारकन्डेय चन्द्र–

जी हां।

उक्त पत्र द्वारा मा० सांसद ने निःशुल्क बोरिंग दस लाख कूप योजना एवं जे०आर०वाई० योजना के तहत वर्ष 1995-96 व 1996-97 में की गई बोरिंग की एक सूची लाभार्थी के नाम पते सहित विकास खण्डवार उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी।

वर्ष 1995-96 की सूची मा० सांसद की अपेक्षानुसार उन्हें सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, फतेहपुर के पत्रांक 596/ल०सिं०/कार्य/96-97 दिनांक 24-12-96 द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी। वर्ष 1996-97 की सूची तत्समय यू०पी० एग्रो से सूचना प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जो अब सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) फतेहपुर के पत्रांक 812/ल०सिं०/97-98, दिनांक 24-1-98 द्वारा मा० सांसद के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दी है।

जी हां।

उक्त वर्षों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराई गई बोरिंग की रेन्डम आधार पर जांच कराई गई।

उक्त जांच में कुल 22 बोरिंग फर्जी पाई गई जिसके लिये दोषी संबंधित एक अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) को निलम्बित किया गया है तथा एक अन्य अन्तर्ग्रस्त अवर अभियन्ता (सेवानिवृत्त) की पेंशन व ग्रेच्युटी रोक दी गई है।

जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग के समस्त मंडलीय/खण्डीय कार्यालयों में शासनादेश के विरुद्ध तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का आरोप

56–श्री राम सेवक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित सिंचाई विभाग के सभी मण्डलीय/खण्डीय कार्यालयों में शासनादेश संख्या 4954/व्यूरो/78–31 (68)/74 दिनांक 9-2-79 तथा शासनादेश संख्या 675/चौवालिस–1–1984 दिनांक 2-3-84 का उल्लंघन करते हुये तृतीय/चतुर्थ श्रेणी अधिष्ठान में अब तक कितनी नियुक्तियां की गयीं ? क्या उक्त नियुक्तियों में शासनादेश दिनांक 22-3-84 के पैरा–2 का अनुपालन भी नहीं किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के लिए है। उक्त शासनादेश राज्य सरकार के विभागों पर लागू नहीं है। अतः इनके उल्लंघन का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

प्रश्न नहीं उठता।

57–राम सेवक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4954/व्यूरो/78-31 (68)/74 दिनांक 9-2-79, शासनादेश संख्या 675/चौवालिस–1–1984 दिनांक 22-3-84 तथा क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लखनऊ के पत्रांक प्रवर्तन–0104/रा०सार्व० उपक्रम/निगम 84 दिनांक 13-9-84 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग संवर्ग के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब तक कितनी नियुक्तियां की गयीं ? उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22-3-84 के पैरा–2 के अनुसार कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रश्नगत शासनादेश राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के लिए है। उक्त शासनादेश राज्य सरकार के विभागों में लागू नहीं होते हैं। अतः इन शासनादेशों के विपरीत नियुक्तियां किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर नियुक्तियां मात्र वर्कचार्ज अधिष्ठान से करने की जानकारी एवं संशोधित शासनादेश निर्गत करने की मांग

58–श्री राम सेवक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4954/व्यूरो/78–31 (68)/74 दिनांक 9-2-79 तथा शासनादेश संख्या 675/चौवालिस–1–1984 दिनांक 22-3-84 से विरोधाभास रखने वाले इस आशय के शासनादेश सिंचाई–7 अनुभाग से निर्गत हुये हैं कि सिंचाई विभाग में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर नियुक्तियां मात्र वर्कचार्ज अधिष्ठान के माध्यम से ही की जायें ? क्या इससे

"अवसरों की समानता के अधिकार" का भी उल्लंघन होता है ? क्या प्रकरण पर पुनर्विचार कर संशोधित शासनादेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के लिए हैं जबकि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी सिंचाई विभाग के शासनादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पृष्ठभूमि में जारी किए गए हैं । सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में जारी शासनादेश असंवैधानिक नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

षष्ठम् एवं सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1-4-91 से 31-3-97 के मध्य वर्क आर्डर (कार्यादेश) के माध्यम से सम्पन्न कार्य संबंधित अधिकारियों के नाम तथा वर्तमान पद नाम की जानकारी की मांग

59–श्री राम सेवक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि षष्ठम् एवं सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा 1-4-1991 से 31-3-1997 के मध्य कितने ऐसे कार्य वर्क आर्डर (कार्यादेश) के माध्यम से सम्पन्न कराये गये हैं जिनकी प्राक्कलित धनराशि रुपये 10,000/- अथवा इससे अधिक थी? प्रकरण से संबंधित अधिकारियों के नाम तथा वर्तमान पदनाम क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अधिष्ठान–4 के कथित पत्रांक द्वारा कतिपय कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी टिप्पणी के प्रेषण में विलम्ब के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं० वि० के अधिष्ठान–4–अनुभाग के पत्रांक 17259/ई–4/4बी–2सी/68, दिनांक 7-1-75, जिसके द्वारा कतिपय कर्मचारियों की वरिठष्ता के सम्बन्ध में टिप्पणी शासन को प्रेषित की गयी थी, के संदर्भ में शासन द्वारा अपने पत्रांक 124/ए०एन०/23-सिं०अनु०-7, दिनांक 2-7-1975 द्वारा जो सूचना मांगी गयी थी क्या वह विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गयी ? यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदोई जनपद के माधौगंज में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण की मांग

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के कस्बा माधौगंज में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है क्या उक्त चिकित्सालय की निजी भूमि होते हुए भी अभी तक उसके भवन का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो कब तक उसके भवन का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवा कान्त ओझा–

जी हां।

भूमि की रजिस्ट्री विभाग/चिकित्सालय के पक्ष में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गौरा एवं कुतुबापुर के भवन निर्माण की मांग

62–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम गौरा में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय जो लगभग 7 वर्ष पूर्व खोला गया था और जो कि उक्त ग्राम के पंचायत भवन में चल रहा है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अस्पताल की बिल्डिंग बनवाने हेतु जमीन प्रदान की जा चुकी है परन्तु अभी तक उक्त राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गौरा का भवन नहीं बनवाया गया है ? कब तक उक्त अस्पताल का भवन बनवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरा का भवन अभी तक नहीं बना है।

प्रस्तावित भूमि पर भवन का निर्माण जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

63–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम कुतुबापुर में राजकीय अस्पताल लगभग 7 वर्ष खोला गया था ? क्या उक्त अस्पताल का भवन आज तक नहीं बनवाया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अस्पताल हेतु भूमि भी प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त अस्पताल का भवन बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

उक्त अस्पताल का भवन अभी तक नहीं बन पाया है। इस प्रयोजन हेतु भूमि का प्रस्ताव ग्राम पंचायत से दिसम्बर, 97 में प्राप्त हुआ है। भवन का निर्माण जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद में राजकीय चिकित्सालय इशरापुर तेरवा के भवन निर्माण की मांग

64–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम इशरापुर तेरवा में राजकीय चिकित्सालय जो लगभग 7 वर्ष पूर्व खोला गया था जिसकी अपनी कोई इमारत आज तक नहीं बन सकी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अस्पताल के लिए भूमि प्रदान की जा चुकी है परन्तु अभी तक उक्त अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बनवाई गयी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त अस्पताल की बिल्डिंग बनवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न से आच्छादित चिकित्सालय का अपना भवन अभी तक नहीं बना है । इस प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिसम्बर, 1997 में प्रस्तावित की गयी भूमि पर भवन का निर्माण जिलायोजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति की जानकारी

65–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची शासन ने बनायी है ? क्या उनकी प्रोन्नतियां हो गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाई गयी थी, जो शासन के आदेश दिनांक 25-3-89 द्वारा प्रसारित की गयी थी परन्तु डा० आर० बी० शर्मा, बनाम उ० प्र० शासन में मा० लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 8-1-93 के अनुसार उक्त ज्येष्ठता सूची को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध तैयार किया गया बताया और पुनः ज्येष्ठता सूची तैयार करने के आदेश दिये गये जिसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

ज्येष्ठता सूची अन्तिम न होने के कारण पदोन्नतियां नहीं हो सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग में मण्डल स्तरीय अधिकारियों को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आदि संबंधी अधिकार दिये जाने संबंधी आयुक्त, गढ़वाल मंडल के कथित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

66–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति एवं समाज कल्याण उ० प्र० शासन को प्रेषित पत्रांक 985-87/स०क०/स्था०/97-98, दिनांक 1-8-97 एवं पत्रांक 12141-42/वै०सह०/96, दिनांक पौड़ी 8, 1996 के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र मुख्य रूप से समाज कल्याण विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारियों को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा संबंधी अधिकार प्रदान करने, कर्मचारियों को एल०टी०सी० सुविधा, भवन निर्माण अग्रिम, जी०पी०एफ० स्थायी अग्रिम स्वीकृति अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं ।

उक्त संदर्भ में तृतीय श्रेणी संवर्ग की अधिकांश सेवा संवर्गों के कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां प्रख्यापित हो चुकी हैं, जनमें सम्यक् विचारोपरान्त नियुक्ति का अधिकार, विभागाध्यक्ष को प्रदान किया जा चुका है । अवशेष तृतीय श्रेणी के सेवा संवर्गों की सेवा नियमावली में सम्प्रति नियुक्ति का अधिकार विभागाध्यक्ष स्तर पर ही कार्यहित में बनाये रखने का औचित्य पाया गया है ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सापेक्ष विचारोपरान्त नियुक्ति अधिकार सहायक निदेशक, मुख्यालय तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी अधिकार मण्डलीय उप निदेशक को प्रदान किया गया

है । एल०टी०सी० की सुविधा एवं स्थायी जी०पी०एफ० स्वीकृत करने संबंधी अधिकारों को भी विचारोपरान्त विभागाध्यक्ष स्तर पर ही बनाये रखने का सम्प्रति औचित्य पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[पहले शुक्र में अता० प्र० सं० 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद नैनीताल में चोरगलिया स्थित नन्धौर नदी पर बैराज निर्माण की मांग

68–श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के चोरगलिया स्थित नन्धौर नदी पर बैराज निर्माण की कोई योजना वर्ष 1992 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बैराज का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नई सिंचाई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर गोण्डा में सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का कार्य कराने में धांधली के आरोप की जांच

69–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी कार्य ट्रैक्टर से कराने एवं फर्जी मस्टररोल बनाकर पैसा आहरित करने के संबंध में एक शिकायती-पत्र संख्या एम-4/27-48/गोण्डा/97, दिनांक 14-8-97 पर जिलाधिकारी, गोण्डा को जांच एवं भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । अपितु मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) के पृष्ठांकन सं० एम–4/27-48/गोण्डा/97 18-8-97 प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत शिकायत की जांच कराई गई । शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निराश्रित महिला प्रशिक्षण केन्द्र एवं कर्मशाला, फुरसतगंज, रायबरेली का भवन स्थानान्तरण

70–श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निराश्रित महिला प्रशिक्षण केन्द्र एवं कर्मशाला, फुरसतगंज, रायबरेली के भवन को स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव निदेशालय के विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन स्थानान्तरण कब तक करा दिया जायेगा ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी हां ।

उपयुक्त किराये का भवन तलाश करने के लिए जिला प्रोवेशन अधिकारी, रायबरेली को निर्देश दे दिये गये हैं। किराये का भवन मिल जाने पर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

महिला कल्याण मुख्यालय पर स्वीकृत राजपत्रित अधिकारियों व वेतनमान की जानकारी

71–श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण मुख्यालय पर कुल कितने राजपत्रित अधिकारी के पद स्वीकृत हैं और उनका वेतनमान क्या-क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

महिला कल्याण मुख्यालय पर राजपत्रित अधिकारी के कुल 21 पद स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	संयुक्त निदेशक	1	3200–4875
2	उप निदेशक	1	3000–4500
3	वरिष्ठ शोध अधिकारी	2	3000–4500
4	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	1	3000–4500
5	विशेषज्ञ महिला कार्यक्रम	1	2350–4300
6	उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी (मूल्यांकन अधिकारी)	1	2200–4000
7	सहायक निदेशक	2	2200–4000
8	शोध अधिकारी	5	2200–4000
9	लेखाधिकारी	1	2200–4000
10	कनिष्ठ सहकारी (राजपत्रित)	1	2200–4000
11	क्षेत्राधिकारी	1	2000–3500
12	(जिला प्रोवेशन अधिकारी संवर्ग में)		
13	महिला परिवीक्षा अधिकारी	1	2000–3500
14	परिवीक्षा अधिकारी	3	1600–2660
	योग :	21	

महिला कल्याण विभाग में आक्जलरी नर्स के स्वीकृत पद एवं वेतनमान की जानकारी

72–श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में आक्जलरी नर्स के कुल कितने पद सृजित हैं ? 1986 में उनका वेतनमान क्या था ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उनको प्रशिक्षित नर्स माना गया है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विभाग में आक्जलरी नर्स के कुल 60 पद सृजित हैं ।

वर्ष 1986 में उनका वेतनमान रु० 825–1200 था ।

जी नहीं ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, बलिया में तैनात अधिकारियों द्वारा गन्ना पर्ची वितरण में की जा रही धांधली

73–श्री पारसनाथ यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1997 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० संख्या 25 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गन्ना आयुक्त उ० प्र० को जांच कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं ? उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं करायी गयी ? यदि जांच करायी गयी तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा की जा रही है ।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

74–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[पहले गुरुवार के अता० प्र० सं०–44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्व० हुकुम सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज, बहराइच के पुनर्निर्माण की मांग

75–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास स्वास्थ्य केन्द्र स्व० हुकुम सिंह स्वास्थ्य केन्द्र, कैसरगंज, बहराइच का भवन व आवासीय भवन जो जर्जर स्थिति में है, उसका निर्माण कराने की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो इसे कब तक पुनः निर्माण कराने की कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न से आच्छादित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन व आवासीय भवन निर्माण की कोई योजना सम्प्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

निर्माण कार्य जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अजय कुमार पोइया के कथित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 244876, 244877 एवं 244878 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

77–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग में वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी शासनादेश की जानकारी

78–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 18-1-96 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गये निर्णयानुसार वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का प्रेषित दिनांक 16-9-97 का पत्र प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि इस संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा भी की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जहां तक सिंचाई विभाग का संबंध है वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति दिये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश शासनादेश संख्या–691/97-27–सिं–7-88 (26)/85, दिनांक 7 फरवरी, 1997 एवं अन्य पूर्ववर्ती शासनादेशों द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी (एलोपैथिक), लखनऊ में दवाओं के (स्थानीय क्रय) एल० पी० हेतु आवंटित धनराशि के व्यय में अनियमितता की जांच

79–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय डिस्पेन्सरी एलोपैथिक लखनऊ में वर्ष 1996-97, 1997-98 में एल० पी० करने हेतु कितना-कितना पैसा आवंटित किया गया था और कितना खर्च किया जा चुका है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने एवं एल० पी० के नाम पर फर्जी वितरण करने वाले चिकित्साधिकारी को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश के अस्पतालों में एल० पी० (स्थानीय क्रय) हेतु अलग से धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है अपितु अस्पतालों के प्रास्थित (स्टेटस) के अनुसार औषधि मद में आवंटित बजट की 10-15 प्रतिशत (लगभग) धनराशि एल० पी० (स्थानीय क्रय) हेतु निर्धारित है ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी (एलोपैथिक) लखनऊ में वर्ष 1996-97 में एल० पी० (स्थानीय क्रय) रु० 6,04, 103.30 (रु० छः लाख चार हजार एक सौ तीन रुपये तीस पैसे मात्र) एवं वर्ष 1997-98 (31 दिसम्बर, 1997 तक में 4,34,806.00) (रु० चार लाख चौंतिस हजार आठ सौ छः मात्र) की धनराशि से किया गया है ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी में विभिन्न प्रकार की अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच करायी गयी है और जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये गये/उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखीमपुर खीरी में वर्ष 1991 में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या एवं किराये के भवनों के किराये का भुगतान

80–डा० कौशल किशोर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 1991 में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी थी ? क्या यह सही है कि यह स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में खोले गये थे ? यदि हां, तो क्या किराये का नियमित भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और भुगतान कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 91 (कलेन्डर वर्ष) में निम्न तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई थी :–

(1) ढकेरवानानकार (2) डेहुआ (3) चदवापुर पड़री ।

एक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में तथा 2 दान के भवनों में संचालित हैं ।

किराये के भवन का किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में कतिपय कर्मचारियों की वैयक्तिक पत्रावली अपूर्ण होने का आरोप

81–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि० वि० के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका पर्सनल फाइलें अपूर्ण हैं अथवा विलुप्त हो गयी हैं ? ऐसे अभिलेखों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग में वर्तमान में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका पर्सनल फाईल पूर्ण है एवं कार्यालय में किसी भी अराजपत्रित कर्मचारी का अभिलेख विलुप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

82–श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा में सिंचाई विभाग के सभी कार्यालयों में समूह ग/घ के कर्मचारियों की भर्ती में विधायकों को अवगत कराये जाने विषयक शासनादेश का उल्लंघन

83–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा स्थित सिंचाई विभाग के सभी कार्यालयों में समूह ग/घ के कर्मियों की भर्ती किये जाने से पहले विधायकों को अवगत कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या बी-696/कार्मिक 2/79, दिनांक 6-6-1979 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । अज्ञानतावश उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया ।

प्रदेश में सिंचाई विभाग की समस्त भूमि की गणना करके निर्धारित प्रोफार्मा शासन को उपलब्ध कराया जाना

84–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-678-सख/92-93-सिं-3-16 जनरल/92, दिनांक 27 फरवरी, 1992 निर्गत करते हुए शासनादेश द्वारा विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग को क्या इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि सिंचाई विभाग की समस्त भूमि की गणना करके एक निर्धारित प्रोफार्मा पर दिनांक 1-5-1992 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाये ? वांछित सूचना अब तक किस-किस मुख्य अभियन्ता (स्तर-1-2) द्वारा विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? शासनादेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि उक्त शासनादेश को विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर ही रोक लिया गया तथा अधीनस्थ अधिकारियों की उसकी प्रतिलिपियां प्रसारित नहीं की गयी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत सूचना संबंधित सभी मुख्य अभियन्ताओं द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा दी गई ।

उक्त शासनादेश सभी मुख्य अभियन्ताओं को पृष्ठांकित है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के अभिलेखों को बेचे जाने संबंधी मामले की जांच कराये जाने की मांग

85–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे बुधवार के अता० प्रश्न संख्या–46 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रकरण में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सप्तम् मण्डल द्वारा अपने प्रथम पत्र में मुख्य अभियन्ता कार्यालय को क्या सूचना दी गयी थी तथा कौन-कौन अभिलेख मिलने के संबंध में लिखा था ? क्या यह सच है कि अभिलेख विभागाध्यक्ष कार्यालय में न रखकर एक डाक बंगले में रखा गया है तथा अनेकों अभिलेख सीलबन्द न होने के कारण लापता हो चुके हैं ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जांच की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नियुक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को चयन समिति द्वारा प्रेषण की जानकारी

86–श्री राम सेवक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के ज्ञाप 2436/ई-4 दिनांक 15-4-85 द्वारा जो नियुक्तियां की गयीं इसकी अधिसूचना सेवायोजन कार्यालय को किस पत्रांक/दिनांक द्वारा किया गया था ? प्रकरण में जिस शासनादेश का उल्लंघन सिद्ध पाया गया उसके लिये उत्तरदायी सहायक/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत नियुक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को चयन समिति के पत्रांक सी–60/अनिमं–4/ई–4 दिनांक 17-2-84 द्वारा प्रेषित की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी

87–श्री छोटे लाल (हरदोई)–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 97 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माननीय न्यायालयों के आदेशों के बावजूद अभी तक वेतन नहीं दिया गया है । अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल फैजाबाद के आदेश सं० 92ए/ग्राअसे/कोर्ट केश/97-98 दिनांक 10-4-97 के आदेशानुसार उन्हें कब तक वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां । कार्यालय व्यय की मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण मा० न्यायालय के आदेशों से कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 की अनुपूरक मांगों द्वारा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराई जा रही है । बजट पारित होते ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड, बहराइच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति

88–श्री छोटे लाल (हरदोई)–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय लोक सेवा अधिकरण लखनऊ की रिट याचिका सं० 2061/96 के आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड बहराइच में कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? शेष कर्मचारियों को नियमित न किये जाने का कारण क्या है ? शेष कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

निर्देश याचिका संख्या 2061/96 में दिनांक 21-1-97 को पारित मा० लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में याचिका में सम्मिलित पांच याचियों में से दो याचियों की चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की गयी है ।

पद उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

पद उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति के समय नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

नवसृजित जनपदों में स्वीकृत स्टाफ के सापेक्ष कर्मचारियों का समायोजन एवं आरक्षण कोटा

89–श्री छोटे लाल (हरदोई)–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में शासन ने क्या कोई ऐसा आदेश माह नवम्बर, 1997 में जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि नवसृजित जनपदों में स्वीकृत स्टाफ के सापेक्ष में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों से कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करने की कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशानुसार आरक्षण कोटा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां । शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं०–6026/62-3-97–22 आरईएस/88, दिनांक 25 सितम्बर, 1997 द्वारा आवश्यक निर्देश विभागाध्यक्ष को दिये गये थे । इसी संदर्भ में पुनः शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 445 सीएम/62-3-97–22 आरईएस/88, दिनांक 18 नवम्बर, 1997 द्वारा विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें नवसृजित जनपदों में स्वीकृत स्टाफ के सापेक्ष मा० उच्च न्यायालय के आदेशों से कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों से कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों को समायोजित करते समय नियमानुसार आरक्षण के लिये निर्धारित कोटे की पूर्ति सुनिश्चित की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों में रहने वाले अनु० जा०/जनजाति के पास व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप आवास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

90–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायतों में निवास करने वाले अ० जा०/अ०ज०जाति के लोगों को इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग आवास ब्लाक स्तर से निर्मित होते हैं तथा बैंकों से वित्तीय सहायता/ऋण लेने में अनुदान भी प्राप्त होता है ? यदि हां, तो उसी प्रकार नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों में निवास करने वाले अ० जा०/अ०ज०जा० के पात्र लोगों को भी उक्त सुविधायें मुहैया होती है ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा गोरखपुर कमिश्नरी में लागू है ? यदि नहीं, तो कब तक लागू कर दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास ब्लाक स्तर से निर्मित होते हैं निर्बल वर्ग आवास योजना वर्तमान में स्थगित हैं । इन्दिरा आवास योजना में बैंक से सहायता ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है । यह योजना शत-प्रतिशत अनुदान पर आधारित है । उपरोक्त योजना ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है और नगरीय क्षेत्रों में लागू नही होती है ।

जनपद महराजगंज के ग्राम बड़हरा चरगहां में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इन्दिरा एवं निर्बल आवास निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि का पंचायत अधिकारी द्वारा दुरुपयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

91—श्री दीप लाल भारती—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बड़हरा चरगहां के अनुसूचित परिवारों को इन्दिरा एवं निर्बल आवास निर्माण हेतु पात्र व्यक्तियों को वर्ष 92-93 में धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आज तक पांच व्यक्तियों की भूमि पर नींव बनाकर पंचायत अधिकारी ने छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे आवास को तत्काल पूरा कराने का आदेश देते हुए आवास धनराशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में पड़ने वाले नहरों, माइनरों, ड्रेनों आदि के मरम्मत सफाई आदि हेतु अवमुक्त धनराशि के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग

92—श्री दीप लाल भारती—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिसवां जनपद महराजगंज में पड़ने वाले नहरों, कुलाबों, माइनरों ड्रेनों की मरम्मत, सफाई सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये सिंचाई खण्ड—2 जनपद महराजगंज को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95, 95-96 में 50 लाख रुपया अवमुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुरूप कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने कार्यों में प्रगति लाने के लिये शासन को दिनांक 3-2-96, 2-3-96, 22-7-96 तथा मा० मंत्री जी को दिनांक 31-3-97 का शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायतों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ स्थित "योजना नगर" आवासीय कालोनी के निर्माण में व्यय धनराशि एवं समुचित उपयोग की जानकारी

93—श्री सुरेश चन्द्र आर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित "योजनानगर" में सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी बनाये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा किस औचित्य के आधार पर स्वीकार किया गया था ? उक्त कालोनी निर्माण में अब तक कितना शासकीय धन व्यय किया जा चुका है तथा कितने अधिकारी आवास निर्मित होकर तैयार हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त कालोनी में मात्र अधिकारी आवास ही निर्मित होने हैं तथा अब तक निर्मित आवासों में कोई भी अधिकारी जाने को तैयार नहीं हैं ? क्या वर्तमान विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए वित्तीय नियमों के विरुद्ध उक्त आवासीय भवनों में कतिपय कार्यालयों की स्थापना संबंधी आदेश निर्गतोपरान्त पुनः निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि उक्त आवासों का उपयोग समुचित नहीं था तो निर्माणार्थ किये गये अलाभकर व्यय का उत्तरदायित्व किस पर आता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के नियोजन संगठन के अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "योजना नगर" में आवासीय कालोनी का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। "योजना नगर" आवासीय कालोनी निर्माण में अब तक कुल रु० 78.02 लाख व्यय किया गया है जिसके फलस्वरूप 24 अदद टाईप-4 (अधिकारी आवास) आवासों का निर्माण किया गया है।

जी नहीं। किसी भी अधिकारी का आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

आवासों का समुचित उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में जिला चयन समिति, लखनऊ द्वारा संस्तुत मण्डलीय लिपिकों की नियुक्ति

94—श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के अधिष्ठान–4 क–अनुभाग के पूर्व स्टाफ अधिकारी (श्री जय भगवान अग्रवाल) के कार्यकाल में आठ ऐसे मण्डलीय लिपिकों की नियुक्ति चयन समिति से नाम मंगवाकर की गयी थी जो कि न ही चयन समिति द्वारा टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित थे और न ही विभाग द्वारा नियुक्ति के समय उनकी टंकण परीक्षा ली गयी थी ? यदि हां, तो दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। प्रश्नगत अवधि में नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन का दायित्व जिला समितियों का था और जिला चयन समिति, लखनऊ से प्राप्त 8 चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलीय लिपिक के पद पर नियुक्ति विभाग द्वारा की गयी थी ?

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग की कैण्ट रोड, लखनऊ स्थित कैनाल कालोनी में भवन निर्माण अग्रिम प्राप्त लोक सेवकों से सरकारी आवास तत्काल खाली कराने की मांग

95—श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग की कैन्ट रोड, लखनऊ स्थित कैनाल कालोनी में वर्तमान में कितने ऐसे अधिकारी सरकारी आवासों में आवटंनोपरान्त प्रवास कर रहे हैं जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम प्रपत्र में घोषित किया है कि ऋण द्वारा निर्मित आवास में वे स्वयं सपरिवार प्रवास करेंगे जबकि ऋण प्राप्त होने पर निर्मित भवन को किराये पर उठाकर व्यवसायिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं ? क्या ऐसे लोक सेवकों से तत्काल सरकारी आवास रिक्त कराकर सरकार को धोखा देने के आरोप के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेंगे ? इस संबंध में पूर्व में निर्गत, स्टाफ अधिकारी (नियोजन) सिंचाई विभाग के पत्रांक 5073/आई०बी०/86 बी, दिनांक 4-2-1986 पर शारदा सहायक अनुभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

भवन निर्माण खण्ड, द्वितीय, लखनऊ को आवंटित वाहन की उपयोगिता एवं मरम्मत आदि पर हुए व्यय का विवरण

96–श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण खण्ड द्वितीय लखनऊ को विगत चार वर्षों से निर्माण/मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटित न होने की स्थिति में वर्तमान में डीजल चालित जीप संख्या यू० पी०–32/जी–9448 का शासकीय उपयोग क्या है ? जून, 1997 से अब तक के दैनिक उपयोग का विवरण देते हुये अवगत कराने की कृपा करेंगे कि वाहन के मरम्मत आदि हेतु प्रतिमाह कितना व्यय हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जीप का उपयोग शासकीय कार्य पर किया गया है ।

जीप शासकीय कार्य हेतु प्रतिदिन लगभग औसतन दूरी माह जून 1997 में 54.3 कि०मी०, जुलाई 1997 में 52.12 कि०मी०, अगस्त, 1997 में 32.16 कि०मी० सितम्बर 1997 में 46.06 कि०मी० अक्टूबर 1997 में 64.45 कि०मी० नवम्बर 1997 में 46.23 कि०मी० दिसम्बर 1997 में 44.64 कि०मी० चली है तथा डीजल/मोबिल/मरम्मत पर प्रतिमाह जून 1997 में रुपये 2452.70, जुलाई, 1997 में रुपये 2839.25, अगस्त 1997 में रुपये 119186.05, सितम्बर 1997 में रुपये 2581.90, अक्टूबर 1997 में रुपये 3839.75, नवम्बर 1997 में रुपये 2687.30 तथा दिसम्बर 1997 में रुपये 3009.00 व्यय हुये ।

लखनऊ स्थित गंगा सिंचाई पुरम् कालोनी में अध्यासित सभी संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों से लीविंग एरिया के आधार पर किराये एवं विद्युत शुल्क की वसूली

97–श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गंगा सिंचाई पुरम्/बाल्मीकि कालोनी में अध्यासित सभी संवर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों से दिनांक 1-7-1998 से तत्संबंधी शासनादेशों के अनुसार "लिविंग एरिया" के आधार पर फ्लैटरेन्ट निर्धारित करके नियमित वसूली न होने की स्थिति में शासन को प्रतिवर्ष कितने राजस्व की क्षति हो चुकी है ? किराये के निर्धारण की प्रक्रिया से अवगत कराते हुये बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कालोनियों के अध्यासियों से विद्युत शुल्क प्रति आवास निर्धारित करके वसूली की जाती है ? यदि हां, तो विद्युत विभाग से प्राप्त बिलों की धनराशि व अध्यसियों से वसूली जाने वाली राशि में जो भिन्नता (घटाबढ़ी) होती है उसका समायोजन लेखा में कैसे किया जाता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गंगा सिंचाई पुरम् कालोनी में अध्यासित सभी संवर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों से आवासों का मासिक किराया शासनादेश में निहित प्राविधानों के अधीन लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारित दरों, पर उनके मासिक वेतन बीजक/कोषागार के माध्यम से वसूल किया जाता है । इसलिये राजस्व की क्षति का प्रश्न नहीं उठता है ।

कालोनी के अध्यासियों से विद्युत शुल्क की वसूली आवासों की श्रेणीवार निर्धारित दरों पर की जाती है । कालोनी में विद्युत विभाग द्वारा एक बिन्दु पर कनेक्शन दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रेषित बीजकों में आवासीय भवनों के अतिरिक्त कालोनी के अन्य अनावासीय भवनों, भण्डार, पार्क एवं परिसर, ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइट इत्यादि पर उपभोग हुई विद्युत का मूल्य भी सम्मिलित होता है ।

वर्तमान व्यवस्था में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के मीटर अलग-अलग न होने के कारण उनके उपयोग की धनराशि पृथक-पृथक नहीं है । अतः वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार की घटाबढ़ी का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ जनपद के प्राग नारायण रोड (भैंसाकुण्ड) स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों की संख्या एवं अध्यासन की जानकारी

98–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के अन्तर्गत प्राग नारायण रोड (भैंसाकुण्ड) स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों की संख्या कितनी हैं ? क्या उक्त आवासों के अध्यासियों से शासनादेश संख्या 8004/32-2 दिनांक 24-12-88 तथा संख्या 6888/32-2-89-10/89 दिनांक 3-11-89 के अनुसार फ्लैटरेन्ट का निर्धारण करके नियमित वसूली की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ जनपद के अन्तर्गत प्राग नरायण रोड (भैंसाकुण्ड) स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों की संख्या 48 हैं ।

जी नहीं । सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब तक निःशुल्क अध्यासित रहे हैं ।

लखनऊ जनपद के गंगा सिंचाई पुरम् आवासीय कालोनी में चतुर्थ श्रेणी आवासों की संख्या एवं अध्यासन तथा नियमित वसूली की जानकारी

99–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के गंगा सिंचाई पुरम् आवासीय कालोनी में चतुर्थ श्रेणी आवासों की संख्या तथा सर्वेन्ट क्वार्टर/आउट हाउसों की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या उक्त आवासों के अध्यासियों से शासनादेश संख्या 8004/32-2- दिनांक 24-12-88 तथा संख्या 6888/32-2-89-10/89 दिनांक 3-11-89 के अनुसार फ्लैटरेन्ट का निर्धारण करके मकान किराये की नियमित वसूली की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ जनपद में गंगा सिंचाई पुरम् आवासीय कालोनी में 40–चतुर्थ श्रेणी आवास, 40–सर्वेण्ट क्यार्टर हैं, आउट हाउस कोई नहीं है ।

चतुर्थ श्रेणी आवासों का किराया शासनादेश के अनुसार निर्धारित कर, नियमित वसूली की जा रही है ।

सर्वेण्ट क्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब तक निःशुल्क अध्यासित रहे हैं ।

लखनऊ, मेरठ/बागपत स्थित सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से अनुलग्न चतुर्थ श्रेणी आवासों की संख्या एवं नियमित वसूली की जानकारी

100–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ तथा मेरठ/बागपत जनपद स्थित सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से अनुलग्न क्वार्टर/आउटहाउसों (संबंधित अधिकारी के आवास के नम्बरों सहित) की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या उक्त आवासों के अध्यासियों से शासनादेश संख्या

8004/32-2-दिनांक 24-12-88 तथा संख्या 6888/32-2-89-10-89 दिनांक 3-11-89 के अनुसार फ्लैटरेन्ट का निर्धारण करके नियमित वसूली की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ, मेरठ/बागपत स्थित सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से अनुलग्न आवासीय कालोनी में लखनऊ में 36 नम्बर, मेरठ में 29 नम्बर व बागपत में शून्य चतुर्थ श्रेणी आवास है तथा सर्वेण्ट क्वार्टर/आउट हाउस लखनऊ में 87 नम्बर व मेरठ 11 नम्बर व बागपत में शून्य है । जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

यूपिका उत्पादन केन्द्र मुरादाबाद, भोजपुर एवं ठाकुरद्वारा पर वर्ष 95-96 में जनता वस्त्र तैयार करने से संबंधित समितियों को अवशेष का भुगतान एवं प्रोजेक्ट पैकेज योजना का प्रस्ताव

101–श्री सौलत अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यूपिका उत्पादन केन्द्र मुरादाबाद, भोजपुर एवं ठाकुरद्वारा पर 1995-96 में जनता वस्त्र तैयार करके देने का किस-किस समिति का कितना रुपया भुगतान के लिये शेष है ? अभी तक उक्त धन का भुगतान क्यों नहीं किया गया है ? भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री सरदार सिंह–

41 समितियों का रुपया 53.13 लाख का भुगतान शेष है समितियों की सूची संलग्न है इन तीनों केन्द्रों को वर्ष 1995-96 में क्रय किये गये वस्त्रों का रुपया 142.81 लाख भुगतान किया जा चुका है । अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु यूपिका प्रयत्नशील है ।

(देखिये नत्थी 'घ' 212-213 पर)

101–अ–श्री सौलत अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यूपिका उत्पादन केन्द्र मुरादाबाद व भोजपुर तथा ठाकुरद्वारा 1995-96 का समितियों का लगभग सत्तर लाख रुपये भुगतान न किये जाने पर लगभग पचास हजार बुनकर करघा बन्द हो जाने से भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं ? यदि हां,तो सरकार इनके रोजगार के बारे में क्या प्रयास कर रही है ?

श्री सरदार सिंह–

जी नहीं । वर्तमान में रु० 53.13 लाख का भुगतान मात्र अवशेष है ।

प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से उपरोक्त क्षेत्र के बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है और इसी क्रम में प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अन्तर्गत 35 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में ग्राम सभा हरपुर पकड़ी टोला बलुआ–बेलवा घाट तक सुनिश्चित गारण्टी रोजगार योजनान्तर्गत मिट्टी के कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि

102—श्री दीप लाल भारती–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा हरपुर पकड़ी टोला बलुआ क्षेत्र पंचायत सिसवां बाजार जनपद महराजगंज को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में रुपये 1.97 लाख शिव मंदिर से बलुआ टोला होते हुए बेलवा घाट तक मिट्टी कार्य के लिये धन अवमुक्त किया गया

था? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य में गरीबों को सुनिश्चित गारण्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कार्ड धारकों को मजदूरी में लगाकर कार्य सम्पादित कराया जाना था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि फर्जी मस्टर रोल में पात्र कार्ड धारक मजदूरों का नाम भरकर कम मजदूरी देकर सुनिश्चित दर की मजदूरी का भुगतान लेकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 94-95 में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई परन्तु सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में विकास खण्ड सिसवां के अन्तर्गत शिव मंदिर से होकर हरपुर पकड़ी से बलुआ टोला तक तीन कि०मी० मिट्टी कार्य हेतु मु० 1,58,000.00 रुपये प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 96-97 में चयनित गांधी ग्रामों के विकासार्थ अवमुक्त धनराशि का उपयोग एवं स्थलीय सत्यापन

103—श्री उवैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद गोण्डा वर्तमान जनपद बलरामपुर के विधान सभा उतरौला में वर्ष 1996-97 में चयनित गांधी ग्रामों के विकास के धन रुपये 7,29,639.21 की धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है ? क्या सरकार उसका स्थलीय निरीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से स्थलीय सत्यापन कराया गया है । सत्यापन में कार्य संतोषजनक पाया गया है । फिर भी आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ कार्यालय से टीम भेजकर भी स्थलीय सत्यापन करा लिया जायेगा ।

प्रदेश में नहरों की पटरी के डामरीकरण का लक्ष्य

104—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में नहरों की पटरी को पक्का/पेन्टिंग स्तर कराने का कितना लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में रखा गया है और इस हेतु कितना धन विभाग को आवंटित किया गया? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में किन-किन नहरों की पटरियों को पक्का कराया जायेगा और वांछित लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश में वर्ष 1997-98 में 1000 कि०मी० लगभग लम्बाई में नहरों की पटरियों को पक्का कराने की योजना है । इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग को अब तक रुपया 126.46 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद मैनपुरी में इटावा शाखा के 29.00 कि०मी० से 39.00 कि०मी० (कुल 10 कि०मी०) तक लम्बी नहर की पटरी को पक्का कराया जाना प्रस्तावित है ।

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद योजनान्तर्गत प्रदेश में नलकूप लगाने का लक्ष्य

105—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में और कितने नये नलकूप खोले जाने का लक्ष्य है और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में चालू वित्तीय वर्ष में कितने और कहां-कहां पर नलकूप खोले गये अथवा खोले जाने हैं? भोगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने नलकूप खोले जाने हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 177 नये राजकीय नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से मासान्त 12/97 तक कुल 59 नलकूपों का छिद्रण कराया जा चुका है ।

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम जरामई में एक नलकूप का निर्माण स्वीकृत है । भोगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नये राजकीय नलकूप लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रदेश के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

106—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कितनी महिला डाक्टरों की कमी है ? क्या सरकार के समक्ष महिला चिकित्सकों की नयी नियुक्ति की कोई योजना है ? यदि हां, तो प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

विभाग में 186 महिला चिकित्सकों की कमी है, परन्तु इनमें से 71 पदों को आस्थगित रखते हुए न भरे जाने का निर्णय लिया गया है ।

पदों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर नियमानुसार महिला चिकित्सकों की नई नियुक्तियां की जाती हैं ।

नई नियुक्तियां सीधी भर्ती/विभागीय प्रोन्नति द्वारा सेवा नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार की जाती हैं । चूंकि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये शत प्रतिशत चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता, अतः इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की योजना की जानकारी

107—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ऐसे हैं जिन केन्द्रों पर डाक्टर नियुक्त नहीं हैं ? क्या सरकार के समक्ष नये डाक्टरों की नियुक्तियों की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश में 494 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं ।

प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक निरन्तर रिक्त चल रहे पदों पर चयन कराकर चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है। चिकित्सकों के अध्ययनरत होने के कारण, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, जिन्हें भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद की न्याय पंचायत कुरसथ के ग्राम समुखा में पेयजल समस्या का निराकरण

108--श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के अन्तर्गत न्याय पंचायत कुरसथ के ग्राम सभा समुखा में पेयजल की गम्भीर समस्या है जिसके कारण बने प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है ? क्या उक्त गांव की पेयजल की समस्या के संबंध में क्षेत्रीय विधायक श्री धर्मज्ञ मिश्र का पत्र माह नवम्बर, 1997 में सचिव, ग्राम्य विकास एवं मंत्री जी को भेजे गये प्राप्त हुए ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

डा० धर्मज्ञ मिश्र, मा० विधान सभा सदस्य का पत्र दिनांक 13-8-97 तथा दिनांक 2-12-97 प्राप्त हुए हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार ग्राम के संतृप्तिकरण हेतु 4 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जाना है, जिसके विरुद्ध एक इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिया गया है तथा शेष 3 हैण्ड पम्प भी इसी वर्ष अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य है।

109—श्री राम स्वरूप सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में स्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूपों को रीबोर कराकर चालू कराने की मांग

110—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फतेहाबाद में स्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूपों को रीबोर कर चालू कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? कितने नलकूप स्थाई रूप से कब से खराब हैं ? क्या उक्त पूरा विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा ? स्थायी रूप से खराब नलकूपों की रीबोरिंग कब तक करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

वर्तमान समय में जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में कुल 56 राजकीय नलकूप विभिन्न वर्षों से स्थायी रूप से बन्द हैं, जिनका विवरण संलग्न है। नलकूप संख्या 24 फतेहाबाद के पुनः निर्माण का प्रस्ताव है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 55 नलकूपों का परित्याग किया जाना प्रस्तावित है, जिनके रिबोरिंग का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 214-215 पर)

जनपद फतेहपुर में सिंचाई निर्माण ड्रेनेज खण्ड में जजराह नाला की सफाई एवं मरम्मत

111—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में सिंचाई निर्माण ड्रेनेज खण्ड को वर्ष 1997-98 में जजराह नाला सफाई एवं मरम्मत हेतु धनराशि प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या मानक के आधार पर कार्य कराया जा रहा है ? मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है ? क्या इसकी तकनीकी जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मजदूरों की मजदूरी रु० 47.00 प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही है । चूंकि समय-समय पर कार्य का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है । सम्पादित हो रहा कार्य संतोषजनक होने के कारण तकनीकी जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम पडवन डेरा, मजरा इछावर, जिला बांदा में नया नलकूप लगाने की मांग

112—श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माननीय मंत्री सिंचाई एवं गन्ना विकास को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-8-1997 प्राप्त हुआ है, जो ग्राम पडवन डेरा मंजरा इछावर तहसील व जनपद बांदा में नलकूप लगाये जाने विषयक था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

113—श्री महेन्द्र पाल निषाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बांदा के ग्राम खपटिया कला में नलकूप लगाये जाने की जानकारी

114—श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि खपटिया कला जनपद बांदा में नलकूप के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जनपद बांदा के ग्राम खपटिया कला में नलकूप लगाये जाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया, किन्तु जिला सिंचाई सलाहकार समिति के अनुमोदन के बिना नलकूप लगाया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

लघु डाल नहर खण्ड, बांदा में सींच पर्यवेक्षक के सृजित पदों को दिलाये जाने की मांग

115—श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघु डाल नहर खण्ड बांदा में सींच पर्यवेक्षक के सृजित पदों को दिलाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-8-1997 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पदों की कमी के कारण फिलहाल अनुरोध स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

स्व० डा० मुश्ताक अहमद खां चिकित्साधिकारी, अदलाहट, जनपद मिर्जापुर के मृतक आश्रित की नियुक्ति की जानकारी

116—श्री विजय पाल सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्व० डा० मुश्ताक अहमद खां, चिकित्साधिकारी, अदलाहट, जनपद मिर्जापुर के मृतक आश्रित द्वारा वर्ष 1995-96 से लगातार प्रार्थना-पत्र शासन को प्रस्तुत किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवा कान्त ओझा–

स्व० डा० मुश्ताक अहमद की मृत्यु दिनांक 2-6-1987 को हुई थी । स्व० डा० मुश्ताक अहमद खां, चिकित्सा अधिकारी के पुत्र श्री इरशाद खां का सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र निदेशालय में दिनांक 26-10-95 को उक्त चिकित्साधिकारी के मृत्यु के पांच वर्ष से अधिक की अवधि के बाद प्राप्त हुआ । "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत्यु सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994" के प्राविधानों के अनुसार सरकारी सेवक के मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन कर देना चाहिए । चूंकि श्री इरशाद खां का प्रार्थना-पत्र सरकारी सेवक के मृत्यु के 5 वर्ष के उपरान्त प्राप्त हुआ है इसलिये शिथिलीकरण का मामला उक्त नियमावली के नियम–5 (तीन) के उपबन्धों के अधीन शासन के विचाराधीन है ।

जनपद आगरा में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाएं एवं आवंटित धन

117—श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में कोई योजनायें स्वीकृत की गयी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत की गयी हैं और कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

स्वीकृत योजनायें एवं आवंटित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) सम्पर्क मार्ग का निर्माण	रु० 52.529	लाख
(2) भूमि संरक्षण कार्य	रु० 44.42	लाख
(3) अग्रिम मृदा कार्य	रु० 15.114	लाख
(4) उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण	रु० 7.290	लाख
(5) प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण	रु० 83.970	लाख
(6) पंचायत भवन निर्माण	रु० 16.740	लाख
(7) नहर की सफाई	रु० 83.568	लाख
(8) पौध-रोपण (नर्सरी)	रु० 2.245	लाख
(9) नाला निर्माण	रु० 0.830	लाख
(10) बंधी निर्माण	रु० 9.180	लाख

जरवल रोड चीनी मिल, बहराइच पर गन्ना किसानों के बकाये धन के भुगतान की जानकारी

118—श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना चीनी मिलों पर किसानों का कितना-कितना धन बकाया है ? भुगतान कब तक कराया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जरवल चीनी मिल, जनपद बहराइच पर गन्ना किसानों का कितना-कितना रुपया बकाया है ? उसका ब्याज सहित भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निजी क्षेत्र की 6 तथा भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत 2 आर्थिक रूप से कमजोर चीनी मिलों पर पेराई सत्र, 1996-97 का रु० 52.54 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है जिसके भुगतान का प्रयास किया जा रहा है ।

पिछले सत्र की कोई धनराशि बकाया नहीं है ।

119—श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच की जरवल रोड चीनी मिल पर गन्ना किसानों का कितना धन बकाया है ? उसे कब तक भुगतान कराया जायेगा ? इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 20-1-1998 की स्थिति के अनुसार जरवल रोड चीनी मिल पर रु० 2.39 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है । चीनी मिल में गन्ना पेराई कार्य अभी चल रहा है तथा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान प्रगति में है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पी० सी० एस० संवर्ग में तैनात अधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध आशुलिपिकों को वेतन देने संबंधी शिकायती पत्र

120—श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 27-8-97 एवं उ० प्र० ग्राम्य विकास वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक संघ, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या मेमो/संगठन दिनांक 21-11-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ? वर्तमान में पी० सी० एस० संवर्ग के कितने अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनका वेतन क्या है ? इनसे सम्बद्ध आशुलिपिकों को क्या 1640–2900 का वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अहरौरा रोड हेतिमपुर से भीखमपुर माइनर की सर्विस रोड के डामरीकरण की मांग

121—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित अहरौरा रोड हेतिमपुर से भीखमपुर तक मेन कैनाल नकुइया नहर की पटरी का निर्माण न होने से लगभग चार दर्जन गांवों का

विकास अवरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार नहर की पटरी (सर्विस रोड) को पक्का कराये जाने की योजना के तहत उक्त कार्य का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अहरौरा रोड हेतिमपुर से भीखमपुर तक मेन नहर की पटरी निर्मित है ।

जी नहीं ।

संसाधनों की कमी के कारण ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग से अनुलग्न कालोनी में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों में सीवर पाइप न डालने का आरोप

122–श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग से अनुलग्न कालोनी में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों में वर्तमान में आई० एस० आई० (भारतीय मानक संस्थान कोड) के अनुसार प्रति आवास 4 इंच की सीवर पाईप लाइन नहीं पड़ी है ? इसके लिये दोषी सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का नाम व वर्तमान पदनाम क्या है तथा मानकों के अनुसार पाइप लाइन डालने हेतु इस्टीमेट कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती संबंधी पत्रावली गायब होने की जांच

123—श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 1988 को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रियायें अपनायी गयीं उनके विरुद्ध वर्ष 1990 तक प्राप्त परिवाद पत्रों पर क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी ? क्या उक्त प्रकरण संबंधी सभी अभिलेख गायब हो गये हैं ? क्या सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभिलेख मांगे जाने पर विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया ? उक्त प्रकरण में शासनादेश संख्या 3758/39-4-42(348)/86, दिनांक 27-9-89 तथा शासनादेश संख्या ए-4520–XX/सी एक्स–214-1955, दिनांक 29-12-55 के उल्लंघन एवं अभिलेख गायब होने के लिये उत्तरदायी अधिकारी/सहायक का नाम व पदनाम क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1988 को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी पत्रावली गायब हो गयी है, जिसकी जांच करायी जा रही है ।

मिनिस्ट्रीयल इस्टेब्लिशमेन्ट एसोसियेशन, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना

124—श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मिनिस्टीरियल इस्टेबिलिशमेन्ट एसोसियेशन, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग" द्वारा अब तक "उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979" के अनुच्छेद–4 (झ) एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिष्ठान–4 क–अनुभाग द्वारा उक्त एसोसियेशन से जो सूचना वर्ष 1984 से

1987 के मध्य मांगी गयी थी, क्या वह प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । प्राप्त सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है । †

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की निर्मित भवन/क्लब/हाल द्वारा ''सराय ऐक्ट'' के उल्लंघन का आरोप

125—श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की कैनाल कालोनी में कितने ऐसे भवन/क्लब/हाल निर्मित हैं जिनसे ''सराय ऐक्ट'' की धारा–3 का उल्लंघन हो रहा है तथा रिहायशी क्षेत्र के मानकों का एवं क्षेत्रीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है ? क्या उक्त तथ्य मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के संज्ञान में आ चुका है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की कैनाल कालोनी में कोई भी ऐसा भवन नहीं है जिस पर सराय ऐक्ट, 1867 (ऐक्ट 22, 1867) लागू होता हो ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित आशुलिपिकों की नियुक्ति की जानकारी

126—श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित आशुलिपिकों की बनाई गयी सूची में से अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी शेष है ? यदि हां, तो अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? क्या उक्त प्रकरण में शासन के पत्र सं० 34 एम एम/97-27-सिंह–7-6(4)/93, दिनांक 22-9-97 द्वारा वांछित सूचना विभाग से प्राप्त होने तथा अन्तिम निर्णय होने तक विभाग द्वारा की जाने वाली आशुलिपिकों की सीधी भर्ती को स्थगित रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । सूची कालातीत हो गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी सूचना शासन को प्राप्त हो गयी है और निर्णय हो चुका है ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के लिपिकों के स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन की नीति

127—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के लिपिकों के स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन हेतु ज्ञाप संख्या 11250/ई-4 क दिनांक 6-9-97 द्वारा एक नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1997 में उक्त नीति के प्रस्तर–4 के अनुसार लिपिकों के एक वर्ग

† छापी नहीं गयी ।

के अनुभागों में लगातार कार्यकाल की अवधि को जोड़कर निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर उनका अनुभाग परिवर्तन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि उक्त नीति के प्रस्तर–4 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में अनुभागवार लिपिकों की पदस्थापना

128—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा अनुभागवार लिपिकों के पदों की आवश्यकता तथा औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञाप दिनांक 17-4-97 द्वारा लिपिकों के पदों का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आवंटित पदों के अनुसार ही अनुभागों में लिपिकों की पदस्थापना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्ग–1 के अधिष्ठान अनुभागों में आवंटित पदों से अधिक लिपिकों की पदस्थापना की गयी है ? यदि हां, तो आवंटित पदों के अनुरूप लिपिकों की पदस्थापना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

कुछ अनुभागों में आकस्मिक रूप से बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए कार्यहित में आवंटित पदों से अधिक लिपिकों की पदस्थापना की गयी है ।

जी हां ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में विभिन्न अनुभागों के कार्यभार की समीक्षा करके कार्यहित की दृष्टि से यथासम्भव आवंटित पदों के अनुरूप लिपिकों की पदस्थापना पर विचार किया जायेगा ।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं की विभागीय स्थानान्तरण नीति के तहत एक खण्ड से दूसरे खण्ड में कार्यावंटन

129—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता के विभागीय स्थानान्तरण नीति में वर्ष 1995 से ही अधीक्षण अभियन्ताओं को स्थानान्तरण करने का अधिकार न होने पर भी षष्टम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 6705, दिनांक 20-9-96 तथा सं० 389, दिनांक 16-2-97 द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति यथास्थिति बनाये रखते हुए आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । पत्रांक 6705/दिनांक 20-9-96 तथा पत्रांक 389, दिनांक 16-1-97 द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किये गये थे अपितु अस्थाई मुख्यालय करते हुए एक खण्ड के दो फालतू अवर

अभियन्ताओं को दूसरे खण्ड में जहां अवर अभियन्ताओं की नितान्त आवश्यकता थी, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व सौंपा गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनों की संख्या

130—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर के अन्तर्गत एक ट्रक जो सन् 1980 में तथा एक जीप जो कि सन् 1982 में मरम्मत हेतु मेसर्स एस० यू० मोटर एण्ड ब्रदर्स लखनऊ यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लखनऊ को भेजी गयी थी ? विभाग को प्राप्त होकर उपयोग में है ? टी० एण्ड पी० रजिस्टर के अनुसार और कितने वाहन (ट्रैक्टर्स सहित) कब से सेवा योग्य नहीं हैं ? इस प्रकार कितनी राजस्व की क्षति हुई और उसके लिये उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी हां।

टी० एण्ड पी० रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित वाहन उनके सम्मुख अंकित समयावधि सेवा योग्य नहीं हैं :—

1—जीप पेट्रोल सं० यू० एस० क्यू०—435 —5/95 से

2—जीप पेट्रोल सं० यू० एस० ए०—9074 —4/97 से

3—ट्रैक्टर सं० यू० टी० क्यू०—5275 —1997 से

4—ट्रैक्टर सं० यू० एस० एस०—2487 —वर्ष 1997

5—ट्रैक्टर सं०—यू० टी० डी०—4356 —वर्ष 1994 से

6—ट्रैक्टर सं०—यू० पी० जे०—4044 —वर्ष 1994

राजस्व की क्षति नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती नदी के हार्डिंग्ज पुल के बायें तटबन्ध से बिजली के खम्भों की चोरी, क्षति एवं प्रतिपूर्ति की जानकारी

131—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती नदी के हार्डिंग्ज पुल से ऊपर के बायें तटबन्ध में वर्ष 1990-91 व 1992 से अब तक कितने बिजली के खम्भों की चोरी हुई है ? उक्त चोरी के शासन को कितनी क्षति हुई है। क्या उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित न करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 10 बिजली के खम्भों की चोरी हुई है।

उक्त चोरी से शासन को लगभग रु० 11,890.00 की क्षति हुई है।

इस संबंध में रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी है।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब में स्थित अम्बेडकर ग्राम औसी के इन्दिरा आवासों के वितरण की जांच एवं सत्यापन

132—श्री उवैदुर्रहमान–

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के पहले बुधवार के अता० प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या, जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

133–श्री उवैदुर्रहमान–

(1ले गुरु० के अता० प्र० सं० 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बलरामपुर में विकास खण्डवार स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का चयन

134—श्री उवैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या एम–4/102-12 गोण्डा/97, दिनांक 29-10-97 उतरौला क्षेत्र जनपद बलरामपुर में प्रत्येक विकास खण्ड में तीन स्वर्ण जयन्ती ग्राम बनाने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर तीन-तीन स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का चयन करवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि करवाया जायेगा, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। सूचना एकत्र की जा रही है।

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों का समायोजन

135–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनु० जनजाति विकास निगम लि० में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संविलियन किसी मानक के आधार पर निदेशालयों में कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संविलियन निदेशालयों में कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कुल 177 कार्मिकों में से 112 कार्मिकों में समायोजित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेष 65 कार्मिकों को अन्य निदेशालयों में समायोजित करने के संदर्भ में उल्लेखनीय होगा कि कतिपय रिट याचिकाओं के संस्थित होने से यह प्रकरण सम्प्रति न्यायाधीन है ।

सिंचाई विभाग के बाढ़ खण्ड बदायूं के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

136–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महाराज सिंह लोधी नेता शिव सेना उ० प्र० द्वारा प्रेषित सिंचाई विभाग के बाढ़ खण्ड बदायूं के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र क्रमशः दिनांक 15-10-97 व 25-10-97 प्राप्त हुये ? यदि हां, तो दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री महाराज सिंह लोधी का पत्र दिनांक 25-10-97 प्राप्त हुआ है ।

श्री लोधी का पत्र दिनांक 15-10-97 प्राप्त नहीं हुआ है । जांच हेतु प्रमुख अभियन्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गढ़वाल मण्डल में चीनी मिल चीनी निगम इकाई डोईवाला में प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति

137–श्री हरवंश कपूर–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढवाल मण्डल की एक मात्र चीनी मिल चीनी निगम इकाई डोईवाला में प्रधान प्रबन्धक के पद पर प्रति नियुक्ति पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त निगम में उस पर नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले अन्य अधिकारी भी हैं ? यदि हां, तो प्रति नियुक्ति पर प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी–2 के अधिकारी श्री आर० एस० वर्मा को शासन द्वारा निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के फलस्वरूप उन्हें निगम की डोईवाला इकाई में प्रधान प्रबन्धक के पद पर तैनात किया गया है ।

निगम में प्रधान प्रबन्धक पद धारकों की कमी के कारण पूर्व में भी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की सेवायें प्रधान प्रबन्धक हेतु ली जाती रही है । वर्तमान में 35 इकाइयों में प्रधान प्रबन्धक का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :–

1–निगम सेवा के 19

2–प्रान्तीय सिविल–

सेवा के अधिकारी– 10

3–गन्ना विभाग/कृषि विभाग के श्रेणी–2 के अधिकारी	06
	35

उन्नाव जनपद के हसनगंज ब्लाक में नहर की अवैध कटान को रोकने की मांग

138–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक हसनगंज जनपद उन्नाव में ग्राम बरोना, सिंगरामऊ, जाजमऊ से होकर जाने वाली नहर को उक्त गांवों के निवासियों द्वारा कोलावे से पानी न लेकर अवैध रूप से काट दिया जाता है जिससे आगे के गांवों को पानी नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में उक्त अवैध नहर कटान को रोकने की प्रभावी व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नहर कटिंग व अन्य अवैधानिक कृत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के हसनगंज ब्लाक में न्योतनी राजबाहे से जलापूर्ति की जानकारी

139–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक हसनगंज, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत स्थित ग्राम झांसी दयालपुर, चन्दौसी, फरहदपुर आदि गांवों से जाने वाली नहर में विगत तीन वर्षों से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है जिससे कि लाखों रुपये की फसलें नष्ट हो चुकी हैं ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में प्रश्नगत रजबाहे में पानी की आपूर्ति करवाकर फसलों की सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्रामों में निकलने वाली न्योतनी राजबाहे में प्रत्येक फसल में पानी दिया जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद एटा की न्यौली शुगर फैक्ट्री के विरुद्ध पांच सूत्रीय शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री नेतराम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया कोई पांच सूत्रीय शिकायत पत्र एटा जिला की न्यौली शुगर फैक्ट्री के संबंध में माह नवम्बर, 1997 के तीसरे सप्ताह में

मंत्री जी को मिला था ? यदि हां,तो वे पांच सूत्रीय शिकायतें क्या थी और प्रत्येक के संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र द्वारा प्राप्त शिकायतें निम्नलिखित थीं : –

1–न्यौली शुगर फैक्ट्री द्वारा वर्ष 1995-96 में गन्ना कृषकों से 30/- प्रति कुन्टल के हिसाब से काटा गया धन लगभग 1 करोड़ 15 लाख अवशेष है जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है ।

2–वर्ष 96-97 में इसी प्रकार 8/- प्रति कुन्टल के हिसाब से उक्त चीनी मिल द्वारा कृषकों का काटा गया धन जो लगभग 1 करोड़ 15 लाख जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

3–वर्तमान में जो किसानों से गन्ना खरीदा जा रहा है, गत वर्षों की भांति कटौती करने की नियत से उक्त चीनी मिल अपनी पर्ची पर गन्ना मूल्य के रेट अंकित नहीं कर रही है ।

4–उक्त चीनी मिल की पेराई क्षमता गत वर्षों के बराबर है लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण बाहरी क्षेत्रों से गन्ना क्षेत्र बढ़ाकर क्षेत्रीय किस का शोषण करना चाहते हैं ।

5–गन्ना सहकारी समिति द्वारा भुगतान में अनेक अनियमिततायें और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा किसानों का भारी शोषण होता है । शासनादेश के अनुसार बैंकों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाये ।

उक्त बिन्दुओं के संबंध में कृत कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार है :–

1–वर्ष 95-96 के गन्ना मूल्य के मद में न्यौली मिल के विरुद्ध 98.20 लाख रु० बकाया है जिसका भुगतान कृषकों एवं मिल के बीच सम्पन्न अनुबन्ध के अनुसार अप्रैल 98 में होना है ।

2–मिल के विरुद्ध वर्ष 96-97 के अवशेष सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया गया है ।

3–वर्तमान सत्र के गन्ना मूल्य की दर न्यौली मिल द्वारा भी निजी क्षेत्र की अन्य मिलों की भांति अंकित की जा रही है ।

4–मिल को उसकी पेराई क्षमता के अनुरूप ही गन्ना क्षेत्र उ० प्र० गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 15 के प्राविधानों के अनुसार चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की सुनवाई के उपरान्त सुरक्षित किया गया है ।

5–वर्तमान पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का भुगतान बैंकों के माध्यम से ही कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता पद पर चयन की जानकारी

141–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को ज्ञात है कि लघु सिंचाई विभाग में अक्टूबर, 96 में हुए मुख्य अभियन्ता के चयन में उ० प्र० अभियंत्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली, 1991 व उसमें संशोधन के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य अभियन्ता का कार्यभार दिया गया है जो अधीक्षण अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त न होने के कारण पात्र नहीं है, क्या यह सत्य हैं कि इस चयन में नियमानुसार आवश्यक 8 अभ्यर्थियों के बजाय मात्र 4 नामों पर विचार किया गया तथा पात्र व मेरिट में सर्वोच्च स्थान पाने वाले अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के चयन को निरस्त कर पुनः नियमित चयन कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

अक्टूबर, 1996 में हुए चयन में पात्र अधीक्षण अभियन्ता को ही मुख्य अभियन्ता के पद पर चयनित किया गया था ।

जी नहीं ।

उक्त चयन, चयन वर्ष 1995-96 की रिक्ति हेतु सम्पन्न हुआ था, तथा विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार 9 वर्ष की नियमित सेवा वाले 13 अधीक्षण अभियन्ताओं तथा मा० अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में 01 अधी० अभि० को उक्त पद की पात्रता परिधि में रखा गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम रतन कुशवाहा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार का आरोप एवं कृत कार्यवाही

142–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि लघु सिंचाई विभाग में वर्तमान में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री राम रतन कुशवाहा के विरुद्ध झांसी/इलाहाबाद व लखनऊ वृत्त के कार्यस्थल की गंभीर अनियमितताओं की जांच चल रही है, जिसमें उ० प्र० लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 85/से–7/6/9ए०डी०सी०/96-97 दिनांक 19-11-96 द्वारा श्री कुशवाहा को अधीक्षण अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदावनति करने की संस्तुति की है, किन्तु इसके विपरीत उन्हें अप्रैल, 1997 में मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो लोक सेवा आयोग के स्पष्ट आदेशों का परिपालन न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

उक्त अनियमितताओं हेतु श्री कुशवाहा को 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकने तथा एक भर्त्सना प्रविष्टि दिये जाने के दण्ड पर आयोग की सहमति हेतु पत्र दिनांक 5-7-96 द्वारा उ० प्र० लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया था, आयोग ने अपने पत्र दिनांक 19-9-96 द्वारा श्री कुशवाहा को पदावनित करने की संस्तुति की, किन्तु शासन के पत्र दिनांक 23 जून, 97 द्वारा आयोग से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर अपनी सहमति अंकित करने का कष्ट करें । आयोग

का उत्तर प्रतीक्षित है। अप्रैल 97 में उन्हें मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है, बल्कि वरिष्ठतम होने के कारण मुख्य अभियन्ता का कार्य देखने हेतु अधिकृत किया गया है जिस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं।

आयोग की अंतिम संस्तुति प्रात होने के पश्चात् ही कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हरदोई के माधौगंज विकास खण्ड में सोनहार राजबहे के चौड़ीकरण की मांग

143—श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत शारदा नहर से निकले नाला (माइनर) जो कि कुरसथ, खुर्दा, भजेहटा तक जाता है क्या इस नाले का पानी कुरसथ के आगे गांवों में सिंचाई हेतु नहीं पहुंच पाता है, जिससे इस नाले पर आने वाले गांव नेवादा, समुखा, जलिहापुर, खुर्दा, मदारपुर, भजेहटा आदि गांवों की सिंचाई नहीं हो पाती है ? क्या यह भी सही है कि दसियों वर्षों से पानी भजेहटा टेल तक नहीं पहुंचा है ? क्या इस नाले को चौड़ा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुरसठ गांव के आगे नहर सोनहार राजबहा द्वारा पानी पहुंचाया जाता है।

ग्राम नेवादा समुखा, जलियापुर खुर्दा, मदारपुर, मझेहटा इत्यादि में सोनहार राजबहा द्वारा सिंचाई की जाती है।

जी नहीं।

इस राजबहा को चौड़ा कराये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुल्तानपुर जनपद के गौरीगंज अस्पताल के चिकित्सकों पर कथित इलाज हेतु धनराशि मांगने के आरोप की जांच

144—श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, ग्राम बटनारीकर गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 24-11-97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें अस्पताल गौरीगंज के डाक्टरों द्वारा 500/- मांगने व देने पर बीच में बच्चे का इलाज छोड़ देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार आरोपी के सम्मुख जांच की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कर कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

इस प्रकरण की जांच मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से करायी जा रही है ? जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा मार्ग/पुलिया निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि

145—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग जो वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा सड़क निर्माण व नाला पुलिया निर्माण हेतु अलग-अलग कुल

कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या शासन के मानक के विपरीत श्रमिकों से कार्य न कराकर ट्रैक्टर द्वारा कार्य कराया गया है और फर्जी मस्टर रोल बनाकर मृतक व्यक्तियों के नाम लाखों रुपयों की धनराशि का आहरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी तथा सही मजदूरों को ब्लाक के पंजीयन के आधार पर मजदूरी दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु 18.22 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी । नाला/पुलिया निर्माण हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जनपद में मंझूपुर गांधी ग्राम में नाला खुदाई हेतु मानक के विपरीत कार्य कराने का आरोप

146—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में मन्झूपुर गांधी ग्राम में वर्ष 1997-98 में नाला खुदाई हेतु भूमि संरक्षण राष्ट्रीय जलागम द्वारा जवाहर रोजगार योजना से धनराशि दी गयी थी ? क्या यह सही है कि फर्जी मस्टर रोल बनाकर मानक के विपरीत कार्य कराया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फतेहपुर में मंझूपुर गांधी ग्राम में वर्ष 1997-98 में नाला खुदाई हेतु भूमि संरक्षण (राष्ट्रीय जलागम) को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कोई धनराशि नहीं दी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जनपद के मंझूपुर से अधमपुर सम्पर्क मार्ग के पेंटिंग कार्य में अनियमितता एवं गबन का आरोप

147—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में ग्राम मंझूपुर से अधमपुर सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 1996-97 में एस० आर० वाई० योजना से पेंटिंग कराये जाने हेतु धनराशि प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो मानक के अनुसार कितने मानव श्रम से कार्य कराया गया और उन्हें क्या मजदूरी दी गयी है ? क्या यह सही है कि फर्जी मस्टररोल बनाकर धनराशि का गबन कर लिया गया है ? कया सरकार इस विषय में जांचोपरान्त कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

मानक के अनुसार 1387 मानव दिवस सृजित कराये गये और उन्हें निर्धारित मजदूरी रुपये 47.00 प्रतिदिन के अनुसार भुगतान की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

148—श्री दीप लाल भारती–

[दूसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका द्वारा नाबालिग लड़की हेमलता पुत्री मुन्ना लाल निवासी किशोरपुरा, वृन्दावन का डाक्टरी मुआयना न करने के आरोप की जांच एवं आर्थिक सहायता दिये जाने की जानकारी

149—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित फैक्स 10 नवम्बर, 97 जो कि मथुरा महिला चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की हेमलता पुत्री मुन्ना लाल निवासी किशोरपुरा वृन्दावन का डाक्टरी मुआयना न करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित 10 नवम्बर, 1997 का नहीं, बल्कि 9 नवम्बर, 1997 का फैक्स प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

150—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलात्कार की शिकार अनुसूचित जाति की नाबालिक बालिका एवं स्त्रियों को दिये जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो मथुरा जनपद के थाना वृन्दावन के अन्तर्गत मु० अ० सं०-341/97 की पीड़ित कु० हेमलता पुत्री मुन्ना लाल निवासी किशोरपुरा, वृन्दावन, मथुरा को कब तक उक्त सहायता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"—

जी नहीं ।

रुपये 25,000/- की सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में व्ययाधिक्य विषयक प्रकरण की जांच

151—श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महालेखाकार, इलाहाबाद व अन्य एजेन्सियों द्वारा क्या सरकार के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि सिंचाई विभाग में बजट की अपेक्षा रुपये 400 करोड़ का व्ययाधिक्य हो गया है ? यदि हां, तो प्रकरण विषयक सम्पूर्ण विवरण विस्तार से देने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, इलाहाबाद द्वारा मई, 1996 में सिंचाई विभाग के अनुदानों में वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक कुल रु० 56699.79 लाख के व्ययाधिक्य की सूचना प्राप्त हुई थी । प्रारम्भिक छानबीन में यह व्ययाधिक्य लघु सिंचाई व बाढ़ मद के उच्चन्त मद में हुई थी । इसकी सूचना महालेखाकार को दे दी गयी थी । इस व्ययाधिक्य के कारणों की छानबीन की जा रही है ।

सप्तम् मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ खण्ड शारदा नहर एवं उपखण्ड चतुर्थ में अभिलेखों की बीडिंग/इंडेक्सिंग की जानकारी

152—श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम् मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ खण्ड शारदा नहर एवं उसके उपखण्ड–चतुर्थ में शासकीय निर्देशों/नियमों के अनुसार अभिलेखों की बीडिंग एवं सभी उपयुक्त अभिलेखों की इंडेक्सिंग कब तक करा ली जायेगी ? क्या इस आशय के भी निर्देश देने की कृपा करेंगे कि उक्तानुसार बीड आउट किये गये रिकार्ड की सूची/इण्डेक्स विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं शासन को भी परीक्षणार्थ उपलब्ध करा दी जाये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत उपखण्ड में शासकीय निर्देशों/नियमों के अनुसार अभिलेखों की बीडिंग एवं सभी उपयुक्त अभिलेखों की इंडेक्सिंग का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के आदेश हैं । जी नहीं । इसकी आवश्यकता नहीं है ।

153—श्री भारत सिंह रावत—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित].

श्री रामसेवक वरिष्ठ लिपिक, अधीक्षण अभियन्ता सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के वेतन आदि का एरियर देने की मांग

154—श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर के पूर्व वरिष्ठ लिपिक श्री रामसेवक की पुनर्स्थापना उक्त खण्ड में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सप्तम् मण्डल लखनऊ द्वारा अपने ज्ञाप दिनांक 11-9-91 के माध्यम से क्या इस आधार पर की गयी थी कि उक्त लिपिक के उक्त खण्ड से पुनर्पदस्थापना आदेश (जो कि 30-8-83 को निर्गत हुए थे) विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग स्तर पर विधिक परीक्षणोपरान्त दिनांक 30-4-90 को दिये गये विधिक परामर्श के अनुसार नियमानुकूल नहीं पाये गये ? यदि हां, तो उक्त लिपिक की निर्देशिता सिद्ध हो जाने के उपरान्त भी अब तक उसे दिनांक 3-9-83 से 11-9-91 तक का वेतन आदि का एरियर न दिये जाने का क्या कारण है तथा वांछित एरियर कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री राम सेवक, वरिष्ठ लिपिक को अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-9-91 द्वारा इस मामले में विधि अधिकारी द्वारा दी गयी राय एवं उनके 5 वर्ष से अधिक की अवधि में अनुपस्थित रहने हेतु आरोपित कर विधिवत कोई अनुशासनिक कार्यवाही न किये जाने के कारण लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में कार्य भार ग्रहण कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-9-91 द्वारा श्री रामसेवक को निर्दोष नहीं पाया गया वरन् तकनीकी आधार पर यह आदेश निर्गत किये गये थे कि दिनांक 3-9-83 के उपरान्त श्री रामसेवक जब-जब खण्डीय/उपखण्डीय कार्यालय में उपस्थित हुए हों इनका अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापन करके अग्रिम कार्यवाही की जाये । इनको दिनांक 3-9-83 से 11-9-91 तक वेतन देने का मामला विचाराधीन है ।

विघटित सिंचाई खण्ड–तृतीय, लखनऊ की कार्यावधि में हुई चोरी के प्रकरण का निष्पादन

155—श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व में विघटित सिंचाई खण्ड–तृतीय, लखनऊ की कार्यावधि के मध्य पुरनिया स्थित स्टोर से चोरी गयी 164 अदद जी० सी० शीटों के मामले में उत्तरदायी लोक सेवक से अग्रिम प्रकीर्ण की वसूली कर ली गयी है ? वर्ष 1992 में सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शासकीय क्षति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के संबंध में जो आदेश निर्गत किये गये थे उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? प्रकरण अन्तिम-रूप से कब तक निष्पादित कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

वर्ष 1992 में सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा राजकीय क्षति के लिये किसी अधिकारी को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी नहीं पाया गया था, वरन सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री श्याम लाल शुक्ला के उत्तरदायी होने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रीष्म कालीन वर्दी खरीद एवं सिलाई भुगतान की जानकारी की मांग

156—श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दी जाने वाली ग्रीष्म कालीन वर्दी के कपड़े का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दुकानों से वर्ष 1997 में किया गया है ? क्या गैर निर्धारित दुकानों से किये गये क्रय का विवरण उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त वर्ष में उक्त प्रकार क्रय किये गये वर्दी के कपड़ों की माप पुस्तिका में अंकित किये जाने के पश्चात् कर्मचारियों को कपड़ा दिया गया है ? सिलाई का भुगतान किस प्रकार किया जाता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

157—श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

[तीसरे बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद पिथौरागढ़ के तल्ली लमाई (राजस्व ग्राम चौकी) में लिंक सीमेंट कंकरीट मार्ग निर्माण की मांग

158—श्री सौलत अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तल्ली लमाई (राजस्व ग्राम चौकी) तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ में एक किलोमीटर का लिंक सीमेन्ट कंकरीट मार्ग डी० आर० डी० ए० पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत था ? यदि हां, तो क्या इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

159—श्री सौलत अली–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुरादाबाद जनपद में रामगंगा नदी द्वारा हो रहे कटान से प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाने की जानकारी

160—श्री सौलत अली–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सैफपुर पल्ला सिकन्दरपुर पट्टी आदि तह० व जिला मुरादाबाद की लगभग आधी आबादी जो कटने से बची हुई है और जो रामगंगा नदी से बराबर कट रही है और कटने के कगार पर है, क्या सरकार द्वारा उन्हें कहीं अन्यत्र बसाने का कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

161—श्री सौलत अली–

[पहले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद जनपद में नहरों में रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति

162—श्री सौलत अली–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद की नहरों में रोस्टर के अनुसार सभी नहरों की टेल में पानी पहुंचा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कौन-कौन सी नहरों से किसानों को हानि हुई है ? किसानों की हानि की पूर्ति सरकार कैसे करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मुरादाबाद जनपद की किसी भी नहर से कृषकों को हानि नहीं हुई है ।

हानि की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि अध्याप्ति अनुभाग सिंचाई विभाग द्वारा गजट नोटीफिकेशन एवं कब्जा की गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने की जानकारी की मांग

163–श्री मुन्ना चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्यापित अनुभाग सिंचाई विभाग के पत्रांक 746/आई० एल० ए०, दिनांक 16-7-86 द्वारा गजट नोटिफिकेशन हेतु जिन भूमि अध्याप्ति प्रकरणों को ब्लाक इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था, क्या विभाग द्वारा उक्त भूमियों पर पूर्व में ही अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था ? विभाग द्वारा प्रकरण से संबंधित भूमि मुआवजे की धनराशि जिलाधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को किन-किन तिथियों में दी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड व प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा किये गये स्थानान्तरण के स्थगित/निरस्त एवं अनुपालन करने की जानकारी

164–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड/प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा कितने अवर अभियन्ताओं को वर्ष 1996 तथा 97 में स्थानान्तरित किया गया ? उनमें से कितने अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण स्थगित/निरस्त किया गया ? कितने स्थानान्तरण आदेशों का पालन हुआ तथा कितने स्थानान्तरित आदेशों का पालन नहीं हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा वर्ष 1996 में 234 एवं वर्ष 1997 में 164 अवर अभियन्ताओं (यांत्रिक) को स्थानान्तरित किया गया जबकि मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 1996 में एक अवर अभियन्ताओं (सिविल) और वर्ष 1997 में 40 अवर अभियन्ताओं (सिविल) तथा 14 अवर अवर अभियन्ताओं (यांत्रिक) को स्थानान्तरित किया गया ।

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा वर्ष 1996 में किये गये स्थानान्तरणों में से 33 अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण स्थगित तथा 13 का निरस्त किया गया एवं वर्ष 1997 में 12 का स्थानान्तरण स्थगित एवं 9 का स्थानान्तरण निरस्त किया गया जबकि मुख्य अभियन्ता (उत्तराखण्ड) द्वारा वर्ष 1997 में किये गये स्थानान्तरणों में से 5 अवर अभियन्ता (सिविल) और 4 अवर अभियन्ता (यांत्रिक) का स्थानान्तरण स्थगित किया गया तथा 4-4 अवर अभियन्ताओं (सिविल/यांत्रिक) के स्थानान्तरण निरस्त किये गये ।

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा किये गये स्थानान्तरणों में से वर्ष 1996 में एक व वर्ष 1997 में तीन स्थानान्तरण आदेशों का पालन नहीं हुआ जबकि मुख्य अभियन्ता (उत्तराखण्ड) द्वारा किये गये स्थानान्तरणों में से वर्ष 1997 में 4-4 अवर अभियन्ताओं (सिविल/यांत्रिक) के स्थानान्तरण आदेशों का पालन नहीं हुआ है ।

जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ स्थित सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों द्वारा भूमि का पट्टा

165–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अल्मोड़ा, नैनीताल पिथौरागढ़ स्थित सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों द्वारा कितनी सरकारी भूमि किस-किस व्यक्ति/संस्था को पट्टे पर दी गयी है ? क्या उक्त कार्यवाही सम्पन्न करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा शासन के गोपन अनुभाग–1 के आदेश संख्या 3-1-3-74 सीए–दस–(1). दिनांक 20-11-1985 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत जनपदों में सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों द्वारा कुल 6 व्यक्तियों/संस्थाओं यथा श्री रामगोपाल जैन, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, श्री गोपाल दत्त, मुल्कराज एण्ड ब्रदर्स तथा पंचानन कोटेश्वर महादेव एवं नव दुर्गा समिति को पट्टे पर दी गई है ।

उक्त सभी पट्टे वर्ष 1985 से पूर्व किए गए हैं । अतः प्रश्नगत शासनादेश के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता ।

नेत्र चिकित्सालय, इन्दिरा नगर, लखनऊ के विरुद्ध महा सचिव, राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एशोसिएशन का कथितशिकायती-पत्र

166–श्री राम औतार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उ० प्र० के महासचिव श्री बी० के० श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिनांक 30-7-97 को जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय, इन्दिरानगर लखनऊ को अनियमित रूप से मान्यता दिये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसियेशन उ० प्र० के महासचिव श्री बी० के० श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 30-7-97 प्राप्त नहीं हुआ किन्तु प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित इनका पत्र दिनांक 4-7-97 प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय, इन्दिरानगर, लखनऊ को डिप्लोमा आप्टोमेट्रिस्ट प्रशिक्षण हेतु दी गयी मान्यता को निरस्त करने का उल्लेख किया गया है । उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय, इन्दिरा नगर, लखनऊ को प्रदत्त मान्यता के विरुद्ध जांच

167–श्री राम औतार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० जे० पी० गुप्ता जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय, इन्दिरा नगर, लखनऊ को डिप्लोमा आप्टोमेट्री का प्रशिक्षण हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ० प्र० से वर्ष 1997 में मान्यता दी गई ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या यह सच है कि डा० गुप्ता वर्तमान में प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र कोटवाधाम जनपद बाराबंकी में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें उपरोक्त मान्यता देना विधिक है ? यदि नहीं, तो इस प्रकरण में सरकार क्या और कब तक कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय, इन्दिरा नगर लखनऊ में डिप्लोमा आप्टोमेट्री के प्रशिक्षण को चलाने की सुविधायें पाये जाने के उपरान्त इस संस्था को दिनांक 21-4-97 को मान्यता प्रदान की गई है ।

जी हां ।

इसकी जांच की जा रही है ।

जांचोपरान्त नियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी ।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध जांच

168–श्री तेजभान सिंह–

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ का दिनांक 15-10-1997 को मंत्री जी ने आकस्मिक निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो

क्या-क्या अनियमितता पाई गयी है ? क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही शासन ने की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां ।

मुख्य रूप से पायी गयी अनियमिततायें निम्न हैं :–

(1) संस्थान की उपयोगिता का अभी तक अध्ययन नहीं कराया गया ।

(2) दो प्रचार वाहनों का क्रय स्वीकृत योजना के अनुरूप नहीं किया गया ।

(3) वर्ष 1991-92 में स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन तुरन्त न कराके वर्ष 96 में किये जाने में कितना अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन किया जाना ।

(4) सम्बन्धित कैशियर एवं निदेशक, संस्थान का कैश चेस्ट के सत्यापन के लिए सहयोग का न प्रदान किया जाना ।

जांच हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अर्टिजन को प्रदत्त आर्थिक सहायता के ऋण माफी की मांग

169–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्टिजन को खादी तथा ग्रामाद्योग बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान करता है ? यदि हां, तो वर्ष 1989 में ऋण माफी आदेश के अन्तर्गत कितने अर्टिजन के ऋण माफ किये गये ? इनका जनपदवार विवरण क्या है ? यदि माफ नहीं किये गये हैं, तो कब तक माफ किये जायेंगे ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

जी हां ।

खादी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में ऋण माफी का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानून मियाद अधिनियम के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उ० प्र० द्वारा ऋण वसूली

170–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानून मियाद अधिनियम के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ० प्र० की कितनी ऋण राशि की वसूली काल बाधित हो चुकी है ? इसका विवरण जनपदवार क्या है ?

श्री राजा राम पाण्डेय–

खादी बोर्ड में ऋण राशि वसूली कालबाधित होने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना समिति मेहरावां, जौनपुर में स्थापना से लेकर सितम्बर, 97 तक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गबन की गयी धनराशि एवं वसूली

171–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित सहकारी गन्ना समिति जौनपुर मेहरावां में स्थापना से लेकर 30-9-97 तक कितने रुपयों का गबन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है ? क्या गबनकर्ताओं से धन वसूल कर उसे समिति के खाते में जमा किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समिति का गबन से हुआ घाटा कब और कैसे पूरा किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत समिति में स्थापना वर्ष से लेकर दिनांक 30-9-97 तक अधिकारियों एवं कर्मचायिों द्वारा अंकन रु० 91,631.34 का गबन किया गया है ।

गबनकर्ताओं से रु० 5,394.55 की वसूली की गयी है तथा अवशेष धन की वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गबन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से गबन की गयी धनाराशि की वसूली करके समिति के घाटे को पूरा किया जायेगा ।

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सिक इकाइयों को सुविधा देने की मांग

172–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिक यूनिट (बीमार इकाई) योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत तथा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ० प्र० द्वारा वित्त पोषित इकाइयों को भी सुविधा देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित कितनी इकाइयों को सिक यूनिट योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की गयी है ? जनपदवार विवरण क्या है ? यदि यह सुविधा नहीं प्रदान की गयी है ? तो क्यों ? यह सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

जी नहीं । उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सिक यूनिट घोषित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी जनपद में किराये के भवन पर चल रहे चिकित्सालयों के किराये का नियमित भुगतान

173–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के भवन विहीन चिकित्सालय किराये के भवन पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक किराये के भवन पर चल रहे चिकित्सालय का क्या किराया है ? क्या भवन मालिकों को नियमित किराया भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रत्येक किराये के भवन पर चल रहे चिकित्सालय का किराया रु० 75/- प्रतिमाह है।

बजट की उपलब्धता के अनुसार भवन किराये का नियमित भुगतान करने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बिन्द एवं राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग

174–श्री राजेन्द्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बिन्द व राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने या उससे निकालने का अधिकार भारत सरकार में निहित है, तथापि सम्प्रति ऐसा कोई प्रकरण प्रदेश शासन के विचाराधीन नहीं है।

राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या एवं कोटा निर्धारण

175–श्री पारस नाथ यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने दैनिक वेतन पर हैं तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का कोटा क्या है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

प्रश्नगत निर्माणशाला में कुल–106 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

दैनिक वेतन पर 15 कर्मचारी कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 38 सामान्य जाति, 51 पिछड़ी जाति तथा 17 अनुसूचित जाति के हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधिशाला, लखनऊ में लिपिकीय वर्ग में आरक्षण कोटा

176–श्री पारस नाथ यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? उसमें सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है ? क्या आरक्षण अधिनियम का लाभ पात्र लोगों को दिया गया है ? यदि कोटा पूर्ण नहीं है, तो कब तक पूरा करायेंगे ? अब तक पूरा न करने का कारण क्या है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

कुल 27।

सामान्य–19, पिछड़ी जाति–7, अनुसूचित जाति–1।

पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है, अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है।

यथाशीघ्र निर्धारित कोटा भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

तत्कालीन निदेशक स्व० डा० शिवराज सिंह द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों की समीक्षा की जा रही है। इसी कारण रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

आयुर्वेद यूनानी विभाग द्वारा जौनपुर एवं भदोही जनपद में डिस्पेंसरियों में औषधि आपूर्ति

177–श्री पारस नाथ यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद यूनानी विभाग द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 में जौनपुर व भदोही जिले में कितनी-कितनी दवा डिस्पेंसरियों को सुचारु रूप से चलाने हेतु दी गयी है ? क्या यह सही है कि दवा के अभाव में समस्त औषधालय बन्दी की कगार पर है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

वर्ष 1996-97 में जौनपुर व भदोही जिले में बजट के अभाव होने के कारण औषधि आपूर्ति नहीं हो पाई। वर्ष 1997-98 में जौनपुर जिले में रु०–63,362.76 तथा भदोही जिले में रु०–1,40,616.58 की औषधि आपूर्ति की गयी है।

विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में यथासम्भव औषधि की आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। अब तक प्रश्नगत जनपदों के चिकित्सालयों में कुल रु०–2,03,979.34 मूल्य की औषधि आपूर्ति की जा चुकी है।

वर्ष 1996-97 में पल्स पोलियो अभियान पर व्यय धन की जानकारी

178–श्री पारस नाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पल्स पोलियो अभियान पर वर्ष 1996-97 में कितना धन प्रदेश में खर्च किया गया था ? वर्ष 1997-98 में कितना धन खर्च करने का प्राविधान रखा है ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

पल्स पोलियों अभियान पर प्रदेश में वर्ष 1996-97 में कुल रुपये 4,28,07,741.99 पैसे खर्च किया गया था।

वर्ष 1997-98 हेतु कुल रुपये 5,55,62,000– का प्राविधान किया गया था।

जनपद देवरिया में सरकारी अस्पताल भिंगारी बाजार के भवन निर्माण की मांग

179–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में भिंगारी बाजार में सरकारी अस्पताल किराये के मकान में है, जो अत्यन्त ही जर्जर हालत में है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो भवन निर्माण के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न से आच्छादित चिकित्सालय किराये के जिस में है उसकी स्थिति जर्जर नहीं है।

चिकित्सालय हेतु अपने भवन का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन, जिला योजना में परिव्यय एवं भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव हेतु बांध निर्माण की मांग

180–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया में भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव के लिये सैकड़ों किमी० बन्धा बन चुका है ? जो कई जगह ये बन्धे अधूरे रह गये हैं, जिसके कारण खनुआ गंडक तथा हाहानाला से बाढ़ आ जाती है ? यदि हां, तो बाढ़ से बचाव हेतु कौन सा उपाय किया जा रहा है ? अधूरे बन्धे को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी के बायें तट पर 21.5 कि० मी० खनुआ नाले में दायें तट पर 4.52 कि० मी० तथा हाहा नाले के बायें तट पर 3.455 कि० मी० की लम्बाई में बांध निर्मित है, छोटी गण्डक नदी के किनारे निर्मित बांध का कोई भी भाग अधूरा नहीं है।

खनुआ नाले के दाहिने किनारे पर कुल 7.98 कि० मी० तथा बायें किनारे में 7.9 कि० मी० की लम्बाई में बांध का निर्माण प्रस्तावित है। खनुआ नाले के दाहिने किनारे पर प्रस्तावित बांध का शेष भाग तथा दायें किनारे पर प्रस्तावित बांध का निर्माण मुख्य अभियन्ता की समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

हाहा नाले के बायें तट पर 4.90 कि० मी० की लम्बाई पर बांध का निर्माण प्रस्तावित था जिसके अवशेष भाग का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

महराज गंज जनपद में नारायणी नहर पर कि० मी० 15.834 पर पुल के निर्माण की मांग

181–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की नारायणी नहर के कि० मी० 15.834 पर एक पुल की सुविधा ग्रामीणों को दी गयी थी ? क्या यह सुविधा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुल की सुविधा पुनः प्रारम्भ करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। लोहे की अस्थाई पैदल पुलिया बनायी गयी थी।

जी हां।

निर्माण कार्य के सुविधा हेतु अस्थायी लोहे का पैदल पुल बनाया गया था जो जर्जर होने के बाद असुरक्षित हो गया इस लिये ग्रामीणों की सुरक्षा की दृष्टि से इसे हटाया गया।

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल कि० मी० 15.834 के ऊपर एवं नीचे क्रमशः 14.800 एवं 17.900 पर पक्के ग्रामीण पथ हेतु उपलब्ध हैं।

हमीरपुर जनपद में ग्राम महुअर में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना

182–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत ग्राम महुअर में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय को शासन द्वारा धन व ग्राम पंचायत द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जा चुकी है ? कब तक चिकित्सालय स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में निर्गत की जा चुकी है ।

उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा धन तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है ?

उपरोक्तानुसार चिकित्सालय स्थापित है ।

मुख्य अभियन्ता (परिवाद) जांच अनुभाग सिंचाई द्वारा घोटाले की जांच आख्या शासन को प्राप्त होने की जानकारी

183–राजेश कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता (परिवाद) जांच अनुभाग सिंचाई के पत्रांक जी–693/जा० आ०/2952 दिनांक 23-10-97 द्वारा एक घोटाले की जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर 20 नवम्बर 1997 तक क्या कार्यवाही की गयी ? विलम्ब के लिये कौन दोषी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जांच आख्या दिनांक 5-12-1997 को प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग की शिकायत

184–राजेश कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996-97 में टेलीफोन के बिलों का बीजवार कितना भुगतान किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त सरकारी फोन पर निजी टेलीफोन करके हजारों रुपये सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद के टेलीफोन संख्या 312154 का वर्ष 1994-95 से 1996-97 में भुगतान की गयी धनराशि का विवरण तिथिवार निम्नवत् है :–

वर्ष	दिनांक	धनराशि
1994-95	5-5-94	1,271.00
..	27-6-94	2,116.00
..	30-7-94	1,751.00
..	19-8-94	1,791.00
..	16-9-94	2,677.00
..	22-11-94	746.00
..	18-1-95	1,016.00
..	21-3-95	1,944.00
1995-96	27-6-95	2,298.00
..	21-7-95	1,659.00
..	4-10-95	2,214.00
..	28-11-95	5,691.00
..	15-1-96	2,456.00
..	18-3-96	2,126.00
	नकद	210.00
1996-97	29-6-96	1,998.00
..	15-7-96	1,983.00
..	26-9-96	6,123.00
..	19-11-96	4,125.00
..	17-1-97	1,919.00
..	5-3-97	3,672.00
	योग	50,796.00

निजी काल्स की धनराशि सरकारी कोष में समय-समय पर कुल रु० 7,450.00 जमा की गयी। सरकारी धनराशि के दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद में नलकूपों के सुधारात्मक कार्यों हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच

185–राजेश कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद को नलकूपों के सुधारात्मक कार्यों के लिये कितने नलकूपों हेतु धन आवंटित किया गया ? क्या यह सही है कि मार्च, 1997 तक केवल एक नलकूप 92 हसनपुर का ही पुनर्विकसन कराया गया ? शेष धन उच्च अधिकारियों की अनुमति लिये बगैर वर्ष 1994-95 व 1995-96 के पुनर्निर्मित नलकूपों पर व्यय दर्शा दिया गया ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच करायी जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद में नलकूप निर्माण खण्ड द्वारा छिद्रण व विकसन कार्य हेतु फर्जी यात्रा भत्ता लेने का आरोप

186–राजेश कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996-97 में कितने नलकूपों का छिद्रण व विकसन कराया गया ? उक्त कार्यों पर समय-समय पर क्या अधिशासी द्वारा भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणियां जारी की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उनके द्वारा मौके पर न जाकर फर्जी यात्रा भत्ता लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1994-95 में 15 वर्ष 1995-96 में 33 तथा वर्ष 1996-97 में 63 नलकूपों का छिद्रण व विकसन कराया गया । अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्षवार समुचित संख्या में निरीक्षण टिप्पणियां निर्गत की गई तथा भौतिक सत्यापन भी किया गया । फर्जी यात्रा भत्ता लिये जाने का कोई प्रमाण प्रकाश में नहीं आया है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी से संबंधित आमंत्रित निविदाओं में धांधली के आरोप की जांच की मांग

187–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा वर्ष 1994 से 1997 तक प्रिन्टिंग व स्टेशनरी से संबंधित कितने निविदायें समाचार पत्रों द्वारा आमंत्रित की गयी एवं कितनी धनराशि व्यय की गई ? यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी, तो किस आधार पर प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी का कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाही, गोण्डा के भवन निर्माण की जानकारी

188–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं०–ख–नं० 153140 दिनांक 17-4-97 मुख्य चिकित्सा, अधिकारी गोण्डा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाही का भवन निर्माण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्न में आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की शासकीय स्वीकृति 2 दिसम्बर, 1997 को दी जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जिले के औषधि निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं पद के दुरुपयोग के आरोप की जांच

189–श्री नेतराम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के औषधि निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं पद के दुरुपयोग की गंभीर शिकायतें रमा सहकारी चिकित्सालय समिति, आगरा एवं आगरा फार्मा एशोसियेशन के माह अक्टूबर, 97 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जांचकर्ता कौन अधिकारी थे ? जांच के क्या परिणाम है ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा को शासनादेश सं०–2201 (1) पांच–8-97-47 औषधि/97, दिनांक 1-12-97 द्वारा जांच सौंपी गयी । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो में शौचालय निर्माण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

190–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड जामों में (ग्राम–चिक्हुलाव डेबरा से संबंधित) तीस शौचालयों के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर द्वारा की गयी है जिसकी जांच आख्या पत्रांक 4794/जांच शौ०/97-98, दिनांक 7-11-97 द्वारा प्रश्नकर्ता को भी उपलब्ध कराई गयी है, में शौचालयों का निर्माण न कराकर, लाभार्थियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सरकारी धन को हड़पने हेतु श्री अनिल कुमार सरोज, ग्रा० वि० अ० वि० ख० जामों को उत्तरदायी ठहराया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार धन की वसूली दोषी व्यक्ति से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री अनिल कुमार सरोज, ग्रा० वि० अ०, जामों को निलम्बित कर अनुशासनात्मक/जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कैम्पस में निर्मित चतुर्थ श्रेणी के आवासों का आवंटन

191–श्री रामजग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी, पी० जी० आई० लखनऊ कैम्पस में निर्मित चतुर्थ श्रेणी के कितने आवास रिक्त हैं तथा आवास आवंटन की (लैब अटेन्डेन्ट अटेन्डेन्ट/प्रतीक्षा सूची क्या है ? क्या जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आवास की मांग की है उनको आवास आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? रिक्त आवास कब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित कर दिये जायेंगे ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

संस्थान में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु टाइप–I के 41 आवासों में से मात्र दो आवास रिक्त है । संस्थान में आवास आवंटन हेतु केवल लैब अटेन्डेन्ट/अटेन्डेन्ट की अलग से कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है । संस्थान के 142 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की निर्गत सूची जिनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 17-12-91 तक थी, में से मात्र 52 कर्मचारियों द्वारा आवास की मांग की गयी जिनमें 39 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास आवंटित किया जा चुका है । रिक्त दो आवासों को मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाने पर वरिष्ठता के अनुसार आवंटित किया जायेगा ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में लैब अटेन्डेन्टों की टेक्नीशियन पद पर प्रोन्नति की मांग

192–श्री रामजग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी, पी० जी० आई० लखनऊ में वर्ष 1997 में टक्नीशियन की भर्ती की गयी है ? भर्ती में कितने लैब अटेन्डेन्ट एवं अटेन्डेन्टों को जिनकी योग्यता इण्टरमीडिएट साइंस थी तथा जिन्हें विभाग में कार्य करते लगभग पांच वर्ष पूरे हो गये थे को टेक्नीशियन के पदों पर प्रोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो रिक्त पड़े टेक्नीशियन पदों पर कब तक उन्हें समायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री शिवा कान्त ओझा–

जी हां ।

विज्ञापन के सापेक्ष जो भी लैब अटेन्डेन्ट एवं अटेन्डेन्ट अर्हता पूर्ण करते थे, उनकी भर्ती की गयी है जिनकी संख्या दो है ।

टेक्नीशियन का पद सीधी भर्ती का पद है अतएव प्रोन्नत एवं समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड, बांदा को संबोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

193–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड, बांदा के सम्बोधित पत्र संख्या यू० पी० एल० सी०/अध्यक्ष 1001/163 दिनांक 30-7-1997 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी (एलोपैथिक), लखनऊ में चिकित्साधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती एवं दवाओं के स्थानीय क्रय में अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही

194–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी लखनऊ में चिकित्साधिकारी तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दवाइयों के स्थानीय क्रय में पक्षपात करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

सचिवालय डिस्पेन्सरी (एलोपैथिक) लखनऊ में कार्यरत चिकित्साधिकारी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची एवं उनके तैनाती की तिथि संलग्नक में अवलोकनीय है ।

जी हां, सचिवालय डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) लखनऊ में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें जिसमें स्थानीय क्रय में पक्षपात आदि का भी उल्लेख है, प्राप्त हुई हैं ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी (एलोपैथिक) लखनऊ में विभिन्न प्रकार की अनियमितता की शिकायतों की जांच करायी गयी है और जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये गये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 216 पर)

(तत्पश्चात् 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

तारांकित प्र० सं० 5 से संबंधित उत्तर में सिंचाई मंत्री द्वारा किसानों के प्रति अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किये जाने पर आपत्ति

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते समय कहा था कि हमने प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता को जेल के अन्दर डाल रखा है । वह जेल के अन्दर पड़ा है उसका कोई साथ देने वाला नहीं है । मंत्री जी की इस बयान बाजी से पूरे प्रदेश के किसानों का अपमान हुआ है । हम जो इस सदन के सदस्य हैं किसानों की कृपा से ही यहां जीतकर आये हैं । हम किसानों के नाम की कसमें खाते हैं । माननीय मंत्री ने जिस अहंकार पूर्ण भाषा का प्रयोग किया है । उससे पूरे प्रदेश के किसानों का अपमान हुआ है इसलिए मंत्री जी अपनी बात के लिए सदन में माफी मांगेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस प्रश्न को देख लिया है मंत्री जी का वह कहना उस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसलिए उतना अंश कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम डेत सिंह, श्री चन्द्र पाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्य नाथ उपाध्याय तथा श्री पुरुषोत्तम लाल बबबार के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, मुझे आज सदन को वेदना के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस माननीय सदन के 9 माननीय पूर्व सदस्य अब दुनिया में नहीं रहे । उन सभी सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की सेवा की है । सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने जीवन की सुचिता पर विशेष जोर दिया, समाज सेवा में वह तत्पर रहे, प्रदेश की सेवा में तत्पर रहे । उनमें से भूतपूर्व सदस्य श्री माखन लाल मिश्र का निधन 7 अक्टूबर, 1997 को हो गया वह जनपद खीरी में 1921 में जन्में थे । वे 1969,74, में इस विधान सभा के सदस्य रहे । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । जहां तक मुझे जानकारी है लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के वह प्रथम अध्यक्ष रहे । उनके निधन से जनपद खीरी ने एक कर्तव्यनिष्ठ, समाजसेवी और मूल्यों पर जोर देने वाला व्यक्ति खो दिया है । मेरी आपसे प्रार्थना है सदन की, मेरी दल सहित संवेदना शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, दूसरे सदस्य कुंवर तेजभान सिंह जी का निधन 4/5 नवम्बर, 1997 की रात्रि को हो गया । उनका जन्म प्रतापगढ़ में 19 मार्च, 1907 को हुआ था । वह 1962,69 व 1977 में इस सदन के सदस्य रहे । आदरणीय श्री मोतीलाल जी के नेतृत्व में रायबरेली में उन्होंने नमक बनाया तथा लखनऊ में गिरफ्तारी दी । लगान बन्दी आन्दोलन में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नेतृत्व में 10 दिन तक रायबरेली जेल में बन्द रहे । भारत छोड़ो आन्दोलन में वे 15 माह जेल में रहे । इस प्रकार देश और प्रदेश की सेवा करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई । वह शोषितों, उपेक्षितों के मसीहा के रूप में काम करते रहे ।

आज हमारे बीच में नहीं है, आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक-संवेदनाएं उनके शोकसन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री बाबू राम जी वर्मा का 23 नवम्बर, 1997 को निधन हो गया । जनपद बस्ती में 1 जनवरी, 1930 में उनका जन्म हुआ था । 1977 और 1993 में वह इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे । समाजवादी दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे और दल के द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलनों में वह 23 बार जेल भी गये थे । विधान सभा की कई महत्वपूर्ण समितियों के वह सदस्य रहे । अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ वह जुड़े रहे । उनके निधन से बस्ती जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है । आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक-संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री मदन गोपाल वैद्य का निधन 28 नवम्बर, 1997 को हो गया । वह 1913 में फैजाबाद में जन्मे थे । 1952 और 1957 में वह इस सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और आयुर्वेद के क्षेत्र में वह उच्च कोटि के लेखक भी थे । अन्वेषण में उनकी विशेष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभिरुचि थी । उनके निधन से जनपद फैजाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है । आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक-संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री राम हेत सिंह का निधन 8 दिसम्बर, 1997 को हो गया । उनका जन्म 1924 में जनपद मथुरा में हुआ था । 1952 और 1957 में वह इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे । 1941-42 में भारत छोड़ो आन्दोलन में उनकी बहुत अहम भूमिका थी । देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की अग्रिम पंक्ति में वे थे । सहकारी क्षेत्र में उनकी विशेष अभिरुचि थी और कई सहकारी संस्थाओं के वे अध्यक्ष रहे । जिला पंचायत मथुरा के भी वह अध्यक्ष रहे और बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने वहां का प्रशासन चलाया । आज उनके निधन से जनपद मथुरा ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में अग्रणी और जनता की सेवा करने वाले एक महान व्यक्ति को खो दिया है । आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री चन्द्र पाल सिंह रावत का 29 दिसम्बर, 1997 का निधन हो गया । वह 1962 में जनसंघ के टिकट पर सदस्य चुने गये थे । उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया था । 1961 के आसपास वह जनसंघ में आये थे । देश और जनसेवा में उनकी रुचि थी । उनके उठ जाने से भी सिद्धार्थनगर जनपद ने एक सुयोग्य समाजसेवी को खो दिया है । आपसे प्रार्थना है कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी शोक-संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी का निधन 2 जनवरी, 1998 को हो गया । जनपद शाहजहांपुर में 4 नवम्बर, 1921 को उनका जन्म हुआ था । वह बड़े लोकप्रिय थे और 4-4 बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुये, 1962, 1967, 1969 तथा 1989 में । तत्पश्चात् 1977 में वह लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुये । उनके साथ में हमको यहां पर काम करने का अवसर मिला था, हम सभी उनकी सूझबूझ के कायल थे । इस सदन में वह जनता की जिन्दगी से जुड़े सवालों को बड़े तर्कसंगत रूप से, जोरदारी से उठाते थे । उनके निधन से जनपद शाहजहांपुर ने एक प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है ।

श्रीमन्, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय का निधन 8 जनवरी, 1998 को हो गया । वह इस विधान सभा के तीन बार 1969, 1974 तथा 1980 में सदस्य निर्वाचित हुये । वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे । जौनपुर जिला कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली जिलाध्यक्ष रहे, कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे, स्वभाव से वह बड़े ही शालीन थे, मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी था । दारुलशफा के ए ब्लाक में हमारा और उनका कमरा बिल्कुल पास-पास मे पड़ता था । प्रायः मुझे अवसर मिलता था, मैं उनके कमरे पर जाता था और कभी-कभी वह हमारे पास चाय पीने आते थे । मैंने उनके व्यवहार में बड़ी शालीनता पाई । उनके व्यक्तिगत और कृतित्व ने यूं तो अपने जिले पर छाप छोड़ी होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे ऊपर उनके अच्छे व्यक्तित्व और कृतित्व की छाप रही है ।

श्रीमन्, श्री पुरुषोत्तम लाल जी बधवार का 8 जनवरी, 1998 को निधन हो गया, वह 26 जून, 1912 को जनपद बदायूं में जन्मे थे । वह दो बार 1962 तथा 1974 में इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुये । वह नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे, फर्स्ट क्लास के स्पेशल मजिस्ट्रेट भी रहे, कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से उनका जुड़ाव रहा, उनके निधन से जनपद बदायूं ने एक कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है ।

श्रीमन्, मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी ओर से और सदन का नेता होने के नाते से समूचे सदन की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे, सद्मति दे तथा शोकाकुल सभी परिवारों को इस गहरे दुख को सहन करने की क्षमता दे, साहस दे, सामर्थ्य थे।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, मैं माननीय नेता सदन के विचारों से अपने को जोड़ते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच से हमारी इस विधान सभा परिवार के 9 सदस्य हमसे हमेशा के लिये विलग हो गये। श्रीमन् वैसे तो सारा संसार एक कुटुम्ब है लेकिन फिर भी जो जिसके जितना नजदीक होता है, उसके सुख और दुख में, उतना ही सुख में प्रसन्न तथा दुख में उतना ही दुखी होता है, यह मानव की प्रवृत्ति है। श्रीमन्, इस संसार में जो प्राणी जन्म लेता है, जो मनुष्य जन्म लेता है, उसकी प्रतिभा अलग-अलग हुआ करती है।

यह ऐसे 9 व्यक्ति अलग-अलग प्रतिभा लेकर इस संसार में अवतरित हुए और अपनी प्रतिभाओं की छाप छोड़कर हमसे विलग हुए लेकिन उन्होंने जो इस समाज की सेवा की, देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की वह हमेशा-हमेशा के लिए याद की जायेगी। श्रीमन्, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तिगत तरीके से भी हम जब विवरण प्रस्तुत करेंगे तो ज्ञात हो जायेगा। जिन्होंने अपनी जवानी को, अंग्रेजों को इस देश से निकालने के लिए जेलों में खपाया और तमाम यातनायें सहीं। ऐसे ही व्यक्तियों में हमारे थे श्री माखनलाल जी मिश्र। यह लखीमपुर खीरी के निवासी थे और उनका निधन हाल में 7-10-97 को हो गया। वह इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मैं अपनी ओर से अपनी दल की ओर से और समस्त विपक्ष की ओर से आपसे यह अनुरोध करूंगा कि हमारी सम्वेदनाएं उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

दूसरे माननीय सदस्य जो हमसे जुदा हुए हैं वह हैं कुंवर तेजभान सिंह, जो प्रतापगढ़ के निवासी थे और 4-5 नवम्बर, 1997 को हमसे विलग हुए हैं। यह इस माननीय सदन के तीन बार सदस्य रहे और अपने कार्यकाल में उन्होंने इस विधान सभा में प्रदेश की जनता से प्रदेश के किसानों से, गरीबों और मजदूर से जुड़े हुए प्रश्नों को बड़ी गंभीरतापूर्वक उठाया वह समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर्य रहते थे उन्होंने सारे जीवन दबे-कुचले, पिछड़े और शोषितों की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में भी आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे। कई बार वह स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल भी गये, यातनायें भी सहीं। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम अपनी ओर से अपने दल की ओर से और विपक्ष तथा समस्त सदन की ओर से आप से निवेदन करूंगा कि हमारी संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त श्री बाबूराम जी वर्मा भी अब हमारे बीच में नहीं हैं। उनका निधन 23-11-1997 को हो गया। वह दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह समाजवादी विचाराधारा के व्यक्ति थे। समाजवाद की स्थापना के लिए गरीबों और शोषितों की लड़ाई के लिए उन्होंने 28 बार जेल में जाकर जेल की यातनाएं सहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन कभी भी वह हिम्मत नहीं हारे और सदैव जब भी किसानों, गरीबों की समस्यायें आती रहीं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनको निपटाने का प्रयास किया और यहां तक कि अपने को जेल भी जाने में कोई हिचक नहीं रखी । मैं ऐसे राष्ट्रीय नेता के प्रति अपनी ओर से, अपने दल की ओर से समस्त विपक्ष और सदन की ओर से यह चाहता हूं कि आप हम लोगों की संवेदनायें उनके परिवार जन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

इसके पश्चात् हमारे मदन गोपाल वैद्य जी जो फैजाबाद के निवासी थे, उनका निधन 28-11-97 को हो गया । वह इस माननीय सदन के दो बार विधायक रहे और विधायक ही नहीं बल्कि वह जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा और भी बहुत सी संस्थाओं से जुड़े रहे और उन संस्थाओं से जुड़े रह कर उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा की । उनकी सेवाओं को फैजाबाद जनपद ही नहीं सारा प्रदेश कभी नहीं भूलेगा और हम ये आशा करते हैं कि उनके बताये हुये रास्ते पर चल कर समाज सेवी इसी तरह से सेवा करते रहेंगे ।

श्रीमन्, इसी कड़ी में हमारे सदन के श्री राम हेत सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है । वह मथुरा के निवासी थे और इसी 8-12-97 को हम से हमेशा-हमेशा के लिये विदा हो गये वह इस सदन के दो बार सदस्य रहे और स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में कई बार शरीक हुये और जेल भी गये उन्होंने मथुरा जनपद के लिये ही नहीं सारे प्रदेश के लिये इस प्रदेश की खुशहाली के लिये, दबे पिसे लोगों की मदद के लिये, दबे लोगों की मदद के लिये, जीवन भर अथक प्रयास किया और हिम्मत नहीं हारे । मैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी महानुभाव के प्रति जो आज हमारे बीच में नहीं है अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही अपने दल समस्त विपक्ष की और सदन की संवेदना व्यक्त करते हये आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी संवेदनायें उसके परिवार जन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

इसी कड़ी में श्री चन्द्रपाल रावत भी हमारे बीच में नहीं रहे उनका निधन 29-12-97 को हो गया वह भी इस माननीय सदन के एक बार सदस्य रहे । लेकिन उनकी सेवा, समाज के लिये और सिद्धार्थ नगर जनपद के लिये सदैव सदैव याद की जायेगी उन्होंने समाज के लिये देश के लिये शोषित और पीड़ितों के लिये सदैव-सदैव अपने को अर्पित रखा और उनके बीच कार्य किया । इसी कड़ी में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं और मेरा दल, समस्त विपक्ष और सदन उनके निधन से बहुत दुखी हैं । श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी संवेदनायें उनके परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा करें । इस सदन के एक और हमारे साथी श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी जो शाहजहांपुर जनपद के निवासी थे, वह अभी हाल ही में 2 जनवारी, 1998 को हमसे अलग हुए हैं । उनकी सेवायें शाहजहांपुर जनपद ही नहीं अपितु सारे देश और प्रदेश के लिये अविस्मरणीय रहेंगी । वह इस सदन के चार बार सदस्य रहे और एक बार लोक सभा के सदस्य रहे । उन्होंने बढ़-चढ़कर समाज सेवा में हिस्सा लिया और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी । मैं और मेरा दल तथा सम्पूर्ण विपक्ष और यह सदन उनके निधन से दुखी है । हम चाहते हैं कि हम लोगों की संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सूर्यनाथ उपाध्याय जी भी आज हमारे बीच में नहीं रहे उन्होंने भी हमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है । 8 जनवरी, 98 को वह हमसे अलग हुए हैं । वह भी आदरणीय सदन के दो बार सदस्य रहे । स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया । उन्होंने कई यातनायें सही, अंग्रेजों ने उन पर क्रूर अत्याचार किए तथा उनके परिवार को बरबाद कर दिया । इन सबके बावजूद भी उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और समाज सेवा की । मैं और मेरा दल, सम्पूर्ण विपक्ष तथा यह सदन उनके निधन से बहुत दुखी है । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, इसी कड़ी में श्री पुरुषोत्तम लाल बधवार जी भी आज हमारे बीच में नहीं रहे । वह बदायूं जनपद के निवासी थे । इनका निधन 8-1-1998 को हुआ । इस सदन में दो बार सदस्य रहकर उन्होंने प्रदेश की जनता से जुड़े हुए कई सवालों को उठाया और उनकी लड़ाई लड़ी । सहकारी आन्दोलनों में भी उन्होंने भाग लिया और सहकारी संस्थाओं से भी वह जुड़े रहे और इसके साथ ही वह कई संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे । अपने को कष्ट देकर उन्होंने सदैव समाज सेवा की । उन्होंने जो रास्ता बनाया, यह रास्ता हम सबको याद रहेगा । इतना ही नहीं, उन्होंने जो विचार छोड़े हैं, वे हमेशा याद रहेंगे । मैं और मेरा दल, सम्पूर्ण विपक्ष और यह सदन उनके निधन से अत्यन्त दुखी है । हम चाहते हैं कि हमारे ये संवेदना के भाव उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता, बहुजन समाज पार्टी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा, नेता, उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक कांग्रेस का नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, श्री माखन लाल मिश्र, श्री कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्रपाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री पुरूषोत्तम लाल बधवार जो आज हमारे बीच में नहीं रहे । इसमें से कई साथियों के साथ मुझे इस सदन में रहने का सौभाग्य मिला । श्री माखनलाल मिश्र, श्री चन्द्रपाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम लाल बधवार आदि साथियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला । इन सभी दिवंगत साथियों के गुणों के बारे में नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो चर्चा की जिससे उत्तर प्रदेश का जनमानस, यहां के नागरिक, मजदूर, किसान लाभान्वित होते थे । स्व० सूर्यनाथ उपाध्याय उन 6 आदमियों में से थे, जिनकों 16 सितम्बर को फांसी होने वाली थी । यह सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । उस समय उत्तर प्रदेश में स्व० श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था और स्व० श्री रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री थे । तब मुख्य मंत्री प्रीमियर कहे जाते थे । उस समय श्री हैलेट उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे । यह सब जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं । श्री रफी अहमद किदवई साहब ने, उत्तर प्रदेश में तीन स्थानों पर फांसी होने वाली थी, उनकी फांसी माफ करने के लिए श्री हैलेट साहब को लिखा । 16 सितम्बर को दिल्ली में जवाहर लाल के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार बनने वाली थी । श्री हैलेट साहब ने गृह मंत्री जी के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया । उन्होंने कहा कि बागियों को सजा दी गयी है यह माफ नहीं की जायेगी । रफी अहमद किदवई साहब ने पन्त जी से बात की । पन्त जी ने जब कारण पूछा तो उन्होंने गवर्नर साहब का तर्क दिखा दिया । यहां अगले दिन कांग्रेस सरकार को अन्तरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था और केन्द्र में जवाहर लाल नेहरू जी अन्तरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और इन लोगों को फांसी होने वाली थी । पन्त जी ने इस पर अपना इस्तीफा देने की बात नेहरू जी से कही । जब यह सूचना स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू जी तक पहुंची तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, फिर उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन वायसराय जनरल लार्ड माउन्टबेटन से बात की और कहा फांसी की सजा माफ की जाय । तो उस समय जिन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी होने वाली थी, उनकी फांसी को लार्ड माउन्टबेटन ने मांफ कर दिया । इन महानुभावों के बारे में, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो भी विचार हमारे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने रखे हैं, मैं और हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल उनसे जुड़ा है और हम उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे यह अनुरोध करते हैं कि इन महानुभावों के परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इन सदन के शुरू होने के पूर्व 9 सदस्यों का देहान्त हो गया और उनके उठ जाने से जो खालीपन पैदा हो गया है वह हमेशा याद रहेगा। उसमें कई स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। मैं चाहूंगा कि मैं और मेरे दल की शोक संवेदनाएं आप उनके परिवारजन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्रपाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री पुरुषोत्तम लाल बधवार का निधन हो गया। इन महानुभावों की सख्शियत के मामले में माननीय नेता सदन, नेता विपक्ष और माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता किसान कामगार पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि इन स्व० महानुभावों में अधिकांश ऐसे लोग थे जिनकी कुरबानी देश की स्वाधीनता संग्राम में रही है। मान्यवर, इनमें कुंवर तेजभान सिंह और श्री बाबूराम वर्मा समाजवादी आन्दोलन के पुरोधा रहे हैं। इन सभी महानुभावों ने इस सदन के माध्यम से अपने सार्वजनिक जीवन में अपने जिले और प्रदेश के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनके निधन से जो रिक्तता आज प्रदेश में तथा इन जिलों में आई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं तथा मेरा दल उनके निधन से बहुत दुखी है। मान्यवर, हमारी शोक संवेदनायें इनके परिवारों तक आप पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के पूर्व में रह चुके 9 सम्मानित सदस्य–श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्रपाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री पुरूषोत्तम लाल बधवार आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। इन महानुभावों के निधन के बारे में जैसा कि माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता किसान कामगार पार्टी और माननीय नेता जनता दल ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन महानुभावों में 5 लोगों की ऐसी सख्शियत रही है और जिनको स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही है जिससे इन्हें पूरा देश याद रखेगा। इनमें से 4 लोग ऐसे रहे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा में बड़ा योगदान रहा है जिसे प्रदेश और देश याद करेगा। मान्यवर, आज यह स्वाधीनता संग्राम सेनानी जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके बताये हुए रास्ते पर चलें। मान्यवर, हम लोग यहां विधान सभा में बैठे हुए देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन आप देखें तो यह राष्ट्र कहां जा रहा है इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। हमारा देश जो एक खूबसूरत देश है उसे दूसरे देश गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं और हमारी आर्थिक आजादी को आज खतरा पैदा हो गया है। इसलिए इसकी ओर हम सभी को ध्यान देना होगा। अन्त में, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्र पाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्य नाथ उपाध्याय और श्री पुरुषोत्तम बधवार के निधन से श्रीमन् जो रिक्ति सामाजिक सेवा और राजनैतिक सेवा में हुई है, वह अपूर्णनीय है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी शोक संवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

* ऊर्जा मंत्री ((श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्र पाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्य नाथ उपाध्याय और श्री पुरुषोत्तम बधवार, जो इस माननीय सदन के सदस्य थे और वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

* सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आदरणीय सदन में माननीय नेता सदन द्वारा जो पूर्व विधायकों के स्वर्गारोहण के उपरान्त शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसे नेता विरोधी दल, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने अपने को उससे सम्बद्ध करते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर के श्री चन्द्रपाल रावत जी थे, वह पहले कांग्रेस पार्टी में काम करते थे और 1962 के पहले वह जनसंघ में शामिल हो गये और 1962 के चुनाव में जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित हुए और 5 साल तक इस सदन की उन्होंने सेवा की। उन्होंने अपनी योग्यता और समझदारी से इस सदन की सेवा की। वह एक अच्छे किसान थे और एक अछे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु पर मैं अपना शोकोद्गार प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवारजनों को इस असह्य दुःख को सहन करने की शक्ति दे। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, बस्ती के श्री बाबू राम जी वर्मा एक अच्छे सोशलिस्ट थे। और गरीबों के लिए हमेशा लड़ते थे। 1977 में जनता पार्टी में हम लोग साथ-साथ काम करते थे वह कई बार इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे और आपातकाल में हम लोग महीनों तक जेल में साथ-साथ रहे। आपस में हम लोगों का विचार-विमर्श भी होता था मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे हमारी ओर से इनके साथ उन सभी नौ दिवंगत आत्माओं की भी हमारी संवेदना उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

माननीय अध्यक्ष जी आज इस सदन में नौ भूतपूर्व माननीय सदस्यों के स्वर्गवास होने पर माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो शोक संवेदना प्रकट की है उनके साथ मैं अपने विचारों को सम्बद्ध करता हूं और विशेष रूप से ठाकुर रामहेत सिंह जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र छाता से दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं वह जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, जिला सहकारी संघ के लगभग पन्द्रह वर्षों तक वह चेयरमैन रहे, अनेक सहकारी संस्थाओं के भी वह चेयरमैन रहे तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं के भी वह अध्यक्ष रहे हैं । ठाकुर रामहेत सिंह मथुरा के बहुत ही प्रभावी और निर्भीक कट्टर कांग्रेसी नेता थे । ठा० साहब के निधन से हमारे जिले की अपूर्णनीय क्षति हुई है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन सभी नौ माननीय भूतपूर्व सदस्यों के साथ और ठा० रामहेत सिंह जी के परिवारजनों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय दलों के नेताओं ने जो शोक संवेदना श्री माखन लाल मिश्र, कुंवर तेजभान सिंह, श्री बाबू राम वर्मा, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री राम हेत सिंह, श्री चन्द्र पाल रावत, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री सूर्य नाथ उपाध्याय और श्री पुरुषोत्तम बधवार इन सभी नौ माननीय सदस्यों के प्रति जो शोक संवेदना प्रकट की है, मैं अपने तथा जनतान्त्रिक बहुजन समाज पार्टी .....

श्री अध्यक्ष–

इस पार्टी को सदन में अभी मान्यता प्राप्त नहीं है ।

श्री मारकण्डेय चन्द–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन नौ दिवंगत भूतपूर्व सदस्यों के शोक संतप्त परिवारजनों तक हमारी संवेदना पहुंचा दी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

विगत लगभग चार महीनों में इस सम्मानित सदन के नौ भूतपूर्व विधायकों का देहावसान हो गया । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं ने इन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । दिवंगत माननीय पूर्व विधायकों ने विभिन्न काल खण्डों में इस सदन की महत्वपूर्ण सेवा की है । यही नहीं उनमें से अनेक इस देश के स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़े थे । उन्होंने त्याग किया, ताड़ना सही लेकिन फिर भी समाज सेवा से विचलित नहीं हुए । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपने जो शोकाकुल परिवारजनों के लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए विचार प्रकट किये हैं, मैं उन्हें दिवंगत आत्माओं के परिवारों को सूचित कर दूंगा । मेरा अनुरोध है कि दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण करें ।

(सदन ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने हेतु दो मिनट का मौन धारण किया ।)

पूर्व प्रधान मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं देश के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूं और शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिन्होंने सदैव आदर्श जीवन जिया जिनकी कथनी और करनी में भी कभी अन्तर नहीं दिखा । जो एक प्रकार की राजनीति में रहते हुए भी महान सन्त

थे । जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अनुकरणीय और सराहनीय योगदान किया । उस महान व्यक्तित्व का नाम है श्रद्धेय, स्वर्गीय गुलजारी लाल जी नन्दा । 15 जनवरी, 1998 को उनका निधन हो गया । "जीवेति शत शरदम्", 100 वर्ष तक जीवन जीने की जिजीविषा हमारे भारतीय दर्शन का मूल मन्त्र है । सही अर्थों में वह 100 वर्ष तक जीवन जिये और जिजीविषा की उस उत्कृष्ट संकल्पना का उन्होंने परिचय दिया । उनका जन्म 4 जुलाई, 1898 को गूंजरावाला के गांव बादकोई घोषी में हुआ था जो आजकल पाकिस्तान में है । वह सच्चे अर्थों में गांधीवादी थे । 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में वह जेल गये । फिर 1942 में भारत की आजादी की लड़ाई में "अंग्रेजों भारत छोड़ो" के आन्दोलन में उन्होंने योगदान दिया । कामगार आन्दोलन से वह जुड़े । वह नेशनल टेक्सटाइल्स ऐसोशियेशन के सचिव रहे । 1940-42 में अहमदाबाद नगर पालिका के स्थायी समिति के चेयरमैन रहे । 1946 में जब प्रान्तीय सरकारों का गठन हुआ तो उस समय उन्होंने संसदीय सचिव का कार्यभार सम्भाला । 1950 में वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने । और देश की जो पंचवर्षीय योजना चल रही है । सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना उन्होंने ही प्रारम्भ की । विकास की दृष्टि से इन योजनाओं का कितना महत्व है, हम जानते हैं । यह उसी मनुष्य की बुनियादी सोच थी कि बिना समुचित प्लानिंग के देश के उत्थान नहीं कर सकता है और देश का विकास नहीं हो सकता है । जो परिकल्पना आज भी जारी हैं पंचवर्षीय योजना की वह परिकल्पना श्रद्धेय गुलजारी लाल नन्दा जी ने ही प्रकट की थीं । वे आदरणीय श्री नेहरू जी, शास्त्री जी और इन्दिरा जी के मंत्रि-मण्डल में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे । आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री 1968 में जब दो महान विभूतियों का निधन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री भी 28 दिनों तक रहे और जिस खूबी के साथ देश को सम्भाला और शासन चलाया वह इतिहास के पन्नों पर अनुकरणीय रहेगा । उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ और "भारत रत्न" की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया । उनका निष्कलंक जीवन निष्प्रभ जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक होगा । उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने का बड़ा साहसिक कदम उठाया था । पूरे जीवन भर वे जीवन के मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे । लोकतन्त्र की रक्षा के लिए सदैव आगे रहे । संविधान के एक-एक अक्षर के लिए उनके मन में सम्मान था । आज वह महामानव हमारे बीच से उठ गया है । उनके उठ जाने से जो रिक्ति हुई है उसकी पूर्ति हो पाना कोई सरल काम नहीं है । उनके जीवन से प्रेरणा हम लें । आज सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसमें आदरणीय गुलजारी लाल जी नन्दा का जीवन आज भी हम सभी के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम कर सकता है । हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है उनके निधन से । इस अवसर पर अपनी ओर से अपने दल की ओर से और सम्पूर्ण सदन की ओर से उस महान व्यक्तित्व के प्रति बड़े ही सम्मान के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति दे । प्रभु से यह भी प्रार्थना करता हूं कि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए इस महान आघात और गम्भीर दुःख को सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य दे । गुलजारी लाल नन्दा जी का कोई छोटा परिवार नहीं है, पूरा देश उनका परिवार था, पूरा समाज उनका परिवार था । श्रीमन्, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह शोक सम्वेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय गुलजारी लाल नन्दा जी के प्रति जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति जो शोक सम्वेदनायें प्रकट की हैं, उससे अपने को जोड़ते हुए.....

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो आया है वह अवश्य ही जायेगा । प्राण की बात तो दूर रही, शरीर की बात तो दूर रही, नदिया पहाड़ भी किसी दिन विलीन हो जायेंगे । हमारे देश के कर्णधार, देश

की आजादी में भाग लेने वाले, देश के प्रति अपने को समर्पित करने वाले महान त्यागी और निस्पृह जीवन व्यतीत करने वाले स्वर्गीय गुलजारी लाल नन्दा जी यद्यपि हमारे बीच में अब नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका त्याग और समाज सेवा, देश प्रेम जो अपने पीछे छोड़ गये हैं उसका अनुकरण हम समस्त भारतीय और भारतीय ही नहीं, विदेश के लोग भी हमेशा-हमेशा करते रहेंगे । क्योंकि कोई महान व्यक्ति जो होता है वह किसी देश, धर्म जाति, सम्प्रदाय से उसे नहीं बांधा जा सकता है । जिस तरह पूज्य बापू आज देश के लिए नहीं सारे संसार के लिए, सर्वमान्य समाजसेवी माने जाते हैं नन्दा जी को भी उसी तरह से हमारे देशवासी और संसार के अन्य लोग मानेंगे । व्यक्ति जब जीवित रहता है और खासतौर से हमारे देश में जीवित व्यक्ति की उतनी महत्ता नहीं होती है उस समय जो वह कार्य करते हैं उसका आंकलन ठीक तरह से नहीं हो पाता है, लेकिन उसके पश्चात् उसका आंकलन होता है और उसके विषय में लेखक, साहित्यकार, रचनाकार तमाम रचनायें किया करते हैं । निश्चित रूप से हमारे सर्वमान्य नेता स्वर्गीय गुलजारी लाल नन्दा जी ने अपनी सौ वर्ष की आयु में, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, ऐसे ही लोगों को प्राप्त होती है जिनके मन में जिनकी भावनाओं में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं हुआ करता है देश और समाज के लिए जिनके हृदय में भावनायें हुआ करती हैं वही इतना लम्बा जीवन जिया करते हैं । यह भी सही है कि जिस तरह से नाटक का सूत्रधार किसी पात्र से उसी समय तक मंच पर काम करवाता है जब तक उसकी आवश्यकता होती है तत्पश्चात् उसको वापस बुला लेता है ऐसे ही उस परम् पिता परमात्मा ने, उस सूत्राधार ने नन्दा जी को भी, उनको जितने कार्य के लिए भेजा था पूरा होने पर वापस बुला लिया । नन्दा जी को इस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ और इतिहास में हमेशा उनका नाम अमर रहेगा । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से समस्त सदन की ओर से ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शाश्वत शान्ति और उनके परिवारजनों को और उनके मित्रों को इस गहरे दुःख में धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे । अध्यक्ष जी हम लोगों की भावनाओं को उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मा० नेता बहुजन समाज पार्टी ।

(नेता बहुजन समाज पार्टी के उपस्थित न होने पर)

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी महान गांधीवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध इस देश के दो बार प्रधानमंत्री रहे श्री नन्दा जी आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन इस देश के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विचारधारा इस देश को दी आज सभी दलों की बाध्यता है कि उनकी विचारधारा को स्वीकार करें । उनके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की उसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नन्दा जी का जन्म 4 जुलाई, 1898 को हुआ उनकी मृत्यु 15 जनवरी, 1998 को हुई । महात्मा गांधी जी के वह शिष्य थे । वह गांधीवादी विचारधारा में डूबे हुए थे । बापू की प्रेरणा से वह राजनीति में आये और अपने पीछे विशाल जनसामान्य को, जो उनको मानने वाला है, छोड़कर गए । नन्दा जी स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू स्व० लाल बहादुर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शास्त्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे । जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया । और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई । आज जो भारत का विकास हुआ है उसमें नंदा जी की पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है । श्रीमन् नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता लोकतांत्रिक कांग्रेस ने जो बातें इस संबंध में कही हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौकब हमीद–

माननीय अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय गुलजारी लाल नन्दा जी दो बार 28 दिन के लिए इस देश के प्रधानमंत्री रहे और सच्चे गांधीवादी थे । वह एक सच्चे देशभक्त थे । उन्हें इस देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया । उनकी मृत्यु से सारे सदन को दुख हुआ है । इस संबंध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता लोकतांत्रिक कांग्रेस, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से और हमारे दल की ओर से शोक संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, गुलजारी लाल नन्दा सही अर्थों में गांधीवादी विचारधारा के उत्तराधिकारी थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में उनकी अग्रणी भूमिका थी और आज जो सबसे समीचीन और प्रासांगिक बात है वह यह है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित श्री नन्दा जी ने अपते व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में इस संकल्प का मजबूती से निर्वहन किया कि न केवल साध्य पवित्र होना चाहिए बल्कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए । भारतीय राजनीति के तमाम देदीप्यमान नक्षत्रों में से वह एक महान नक्षत्र श्री गुलजारी लाल नन्दा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे । न केवल आज की पीढ़ी को प्रेरित होने के लिए उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व और यश भरा चरित्र हमारे सामने है बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी निष्कलंक व्यक्तित्व और चरित्र से प्रेरित होती रहेंगी । स्वर्गीय नन्दा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता लोकतांत्रिक कांग्रेस, नेता किसान कामगार पार्टी द्वारा व्यक्ति किये गये विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी तथा मेरे दल की संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके श्री गुलजारी लाल नन्दा के निधन से पूरा देश दुःखी है । गुलजारी लाल नन्दा जी के बारे में पूरा देश जानता है । उन्होंने कभी भी विघटनकारी ताकतों को उत्साहित नहीं किया, हमेशा धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की । आज उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है । उनके बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता लोकतांत्रिक कांग्रेस, नेता कांग्रेस (आई), नेता किसान कामगार पार्टी और नेता जनता दल ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को तथा अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं । अध्यक्ष जी, आज हम दुःखी हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जिस प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम उनके पद-चिन्हों पर चलें । श्री नन्दा जी सभी धर्मों के मानने वालों को समानदृष्टि से देखते थे और राष्ट्रीय एकता के पक्षधार थे, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अग्रणी नेता रहे हैं । आज हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके पद-चिन्हों पर चलते हुये राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा करें । अन्त में मैं अपने तथा अपने दल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की तरफ से जो हमारी शोक-संवेदनायें है उसको, उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

(नेता जनता दल (राजाराम गुट) के अनुपस्थित होने पर)

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

स्वनामधन्य, श्रद्धेय गुलजारी लाल नन्दा जी के निधन से जो रिक्तता हुई है उस रिक्तता को देखते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गुलजारी लाल नन्दा जी ने भारत छोड़ो आन्दोलन और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में मूल्यों की लड़ाई और संघर्ष के बाद उन्हें हिन्दुस्तान के अनेक राजनैतिक पदों पर रहने का गौरव प्राप्त हुआ । उन स्थानों पर रहकर, हमारे देश के लिये जो नई परिस्थितियां उन्होंने छोड़ी, जो परम्परायें वह छोड़कर गये, अपने जीवन में उच्च पदों पर रहकर, जिस प्रकार से उन्होंने अपने को सादगी से जोड़ा, ईमानदारी से जोड़ा, वह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है, उनके द्वारा छोड़ा गया यह मार्ग हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है । श्रीमन् आज हमारे देश में विकास की धारा को पांच वर्षों से जोड़कर, नये-नये आयाम क्या मुल्क के लिये हो सकते हैं, उसकी आधारशिला के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, आज उसी के सहारे चलते हुए हम सब लोग अपने विकास के आयाम को ऊपर पहुंचाने के लिये कार्यरत हैं, सेवारत हैं, यह मार्ग हमको श्री नन्दा ने ही दिया । इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारे दल की, इस सदन की संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

मान्यवर, पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा जी के निधन के पश्चात् माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य नेताओं ने जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन कर उनके प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को तथा अपनी पार्टी के सदस्यों की भावनाओं को जोड़ता हूं . मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी तथा हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्यों की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नन्दा का देहावसान कुछ दिनों पूर्व हो गया । वह लगभग 100 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् देवलोक पधार गये । श्री गुलजारी लाल नन्दा का नाम इस देश में उन लोगों में अग्रणी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन का संकल्प लिया था । केन्द्र के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में, मंत्रि-परिषद् के सदस्य के रूप में, एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री नन्दा जी ने जिस सादगी, सुचिता और नैतिकता का परिचय दिया और राजनीति में उसका समावेश करने का काम किया, वह देश के लिये बहुत बड़े मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में उपस्थित हो गया है । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सब उन्हें बहुत ही श्रद्धा से स्मरण करते हैं । नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न राजनैतिक दल के नेताओं ने उनके संबंध में जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, इस सदन की शोकाकुल भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा । आपसे अनुरोध है कि नन्दा जी की आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

कश्मीर घाटी में दिनांक 26 जनवरी, 98 को श्रीनगर के समीप वंधामा (गन्दरबल) में 23 निर्दोष एवं निहत्थे कश्मीरी पण्डितों की नृशंस हत्या की घोर भर्त्सना और पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना संबंधी मुख्य मंत्री का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मेरे सामने एक प्रस्ताव आया है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष के भी हस्ताक्षर हैं । मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इस प्रस्ताव को रखें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कश्मीर घाटी में दिनांक 26 जनवरी, 1998 को श्रीनगर के समीप बन्धामा गन्दरबल में 23 निर्दोष एवं निहत्थे कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या की घोर भर्त्सना करता है और पूरे परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

श्रीमन्, लोकतंत्र में हत्या, हिंसा, अराजकता और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं हो सकता। श्रीमन्, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व के पावन दिवस पर गत 26 जनवरी को कश्मीर में 23-23 निर्दोष और निहत्थे लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। जिन किन्हीं ने इस जघन्य हत्याकाण्ड को किया है, यह उनका कायरतापूर्ण कार्य है। कठोर शब्दों में इस जघन्य हत्याकाण्ड की हम भर्त्सना करते हैं।

श्रीमन्, यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह देश की एकता, देश की अखण्डता और देश की सार्वभौम सत्ता को खुली चुनौती है। देश की सम्पूर्ण जनता को देश के सामने उपस्थित इस गम्भीर खतरे से देश को बचाने के लिए सानिध्य होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां कश्मीर में आग लगाकर पूरे देश की एकता अखण्डता को खतरे में डालना चाहती हैं। ऐसे उन राष्ट्र विरोधी शक्तियों के कुत्सित मन्सूबे कभी पूरे नहीं होंगे। यह राष्ट्र जागरूक है, राष्ट्र के सभी नागरिक जागरूक हैं। यह सरकार का काम है कि वह देखें कि किन राष्ट्र विरोधी शक्तियों का यह कार्य है जो यह जघन्य हत्याकाण्ड कर रहे हैं, कश्मीर में आग लगाना चाहते हैं और उसके द्वारा पूरे देश की एकता अखण्डता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। हम सभी उन दुखी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और कश्मीर की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समूचा देश, देश का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। कश्मीर का मामला केवल कश्मीरवासियों का नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मामला है। कश्मीर की समस्या केवल कश्मीर की समस्या नहीं है जो कुछ तत्व बनाये रखना चाहते हैं। वह हमारा राष्ट्रीय मामला है राष्ट्रीय एकता, गरिमा, गौरव उन सबका प्रतीक है। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी यह भावनायें कश्मीरियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और, जिन 23 लोगों की जघन्य हत्या हुई है उनके शोकाकुल परिवारों तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, नेता सदन ने, कश्मीर में 26 जनवरी, 1998 को गणतंत्र दिवस के दिन ही 23 कश्मीरी लोगों की जो जघन्य हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में जो विचार रखे, उनसे अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में दो तरह की विचार धारायें सदैव फलती-फूलती रही हैं एक रचनात्मक एक विध्वंसात्मक। एक दैवी और एक आसुरी। कभी-कभी और कहीं-कहीं दैवी प्रवृत्तियों की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं तो वहां कुछ सिरफिरे लोग, आसुरी शक्ति वाले, अपनी विध्वन्सात्मक कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। यहां पर यह कहना चाहता हूं चाहे हत्यायें स्वयं प्रेरित होकर की हों या किसी प्रेरणा से की हों निश्चित तौर से, यह अपराध अक्षम्य है और ऐसे अपराधों की छान-बीन करके उनको कठोर दण्ड दिलवाये जाने की कार्यवाही होनी चाहिए। कश्मीर में कुछ लोगों ने, और पड़ोस के लोगों ने उग्रवाद को बढ़ावा देने का काम बहुत दिनों से प्रारम्भ किया है और मैं समझता हूं कि इसी कड़ी से निर्दोष कश्मीरियों की हत्या की गयी है। निर्दोष 23 व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, कश्मीर के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे इसका आंकलन कश्मीर के रहने वाले और उनके कार्यों को जानने और समझने वाले ही भली-भांति समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इन 23 लोगों को जो मौत के घाट उतारा है और जिन लोगों ने उतारा है उनका यह कार्य अत्यन्त निन्दनीय है और भर्त्सना करने योग्य है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि अपनी ओर से अपने दल की ओर से, सम्पूर्ण सदन की ओर से कि हे ईश्वर इन स्वर्गीय

आत्माओं को शाश्वत शांति और उनके परिवारजनों को इस गहरे शोक को सहने की क्षमता प्रदान करें। हम इन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और श्रीमन्, आप से यह प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की भावनाओं को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी नहीं हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, गणतंत्र दिवस पर जिन लोगों ने यह घृणित कृत्य किया है, यह देश की शान्ति को खतरा पहुंचाने का कार्य किया है। यह निन्दनीय है और मेरा यह मानना है कि प्रजातंत्र में आतंकवाद के लिये कोई स्थान नहीं होता है। मुझे विश्वास भी है कि उन शक्तियों को वहां की सरकार सख्त सजा देगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी दलों को राष्ट्रीय विचाराधारा से जुड़ना चाहिये। जब तक राष्ट्रीय विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आतंकवादी शक्तियां पनाह पाती रहेंगी। मैं नेता सदन के द्वारा जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस आतंकवादी कृत्य में शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शान्ति मिले। हमारे दल की संवेदनायें उनके परिवार जनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 26 जनवरी को जम्मू–कश्मीर में जिन 23 लोगों की आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, इस घटना की हम निन्दा करते हैं। पहले यह आतंकवाद पंजाब में पनपा, फिर उसके बाद जम्मू काश्मीर में पनपा। आज इस आतंकवाद से वहां की सारी तरक्की रुक गई है। मुझे यकीन है कि वहां की सरकार इन दोषियों को पकड़कर जरूर सजा देगी और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। मै अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ये संवेदना के भाव उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जम्मू-कश्मीर की इस घटना की निन्दा करते हुए, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही माननीय नेता, प्रतिपक्ष, माननीय नेता, किसान कामगार पार्टी ने भी अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं किया जा सकता है यह बात प्रमाणित है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे सरहदी इलाके में जो आतंकवादी व पृथकतावादी ताकतें सक्रिय हैं, जो हमारे मुल्क की मुस्तकबिल को बरबाद करना चाहती हैं, इन ताकतों ने फिर से कश्मीर में 23 निर्दोष लोगों की हत्या कर एक चुनौती हमें दी है। मेरा मत यह है कि केवल उन्हें याद करके और इस घटना की भर्त्सना करके या निन्दा करके हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते बल्कि हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि जहां हम एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और अपनी आजादी की स्वर्ण-जयन्ती मना रहे हैं, वहीं पर आज हमें इस बारे में आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है कि आजादी के बाद देश की एकता व अखण्डता के लिये जो खतरा पैदा हुआ है, उसमें कहीं न कहीं आजादी के बाद सत्ता संभालने वाले लोगों के संकल्प में खोट है, इच्छा शक्ति में खोट है, वैचारिक प्रतिबद्धता में खोट है क्योंकि स्वाधीनता के बाद उन समस्याओं पर महानता से विचार न होने के कारण वे विकराल होती चली गईं और उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका।

मुझे यह सबक लेना है, कश्मीर को जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि में परिवर्तन करना होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पृथकतावादी और अलगाववादी ताकतों ने यह घृणित कार्य किया है उसमें मुझे सोचने के लिये मजबूर कर दिया है समाज के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की आतंकवादी, पृथकतावादी और अलगाववादी ताकतें पनप न पायें । मान्यवर, इस संबंध में जो विचार हमारे माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखे हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आतंकवादियों द्वारा किये गये इस प्रकार के कायरतापूर्ण कृत्य की घोर निन्दा करता हूं । मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि दिवंगत आत्माओं के परिवार तक हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पृथकतावादी और अलगाववादी ताकतों द्वारा जिन 23 लोगों की हत्या की गयी यह राष्ट्र के लिये एक चिन्ता का विषय बन गया है । आज हमारे देश में पृथकतावादी और अलगाववादी ताकतें देश को तोड़ने का कार्य कर रहीं हैं । उन्होंने गणतंत्र दिवस पर जो इस प्रकार का घृणित कार्य किया है और जिसके बारे में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय किसान कामगार पार्टी, नेता, जनता दल ने जो विचार रखे हैं मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जिन 23 निर्दोष लोगों की हत्यायें की गयी हैं उनके परिवारी जन तक हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

[नेता, जनता दल (राजाराम पाण्डेय) जी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे]

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, कश्मीर हत्याकाण्ड के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । और इस जघन्य अपराध की घोर निन्दा करते हुए आपसे यह अनुरोध करता हूं कि मृत आत्माओं के परिवारीजन तक हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

मान्यवर, जहां हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे वहीं दूसरी तरफ जो देश को अलग करने वाली ताकतें थीं उन्होंने 23 निर्दोष लोगों को समाप्त कर दिया उनकी बलि चढ़ा दी इससे जो हमारा गणतंत्र दिवस का उल्लास था वह फीका पड़ गया । मैं इन निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, उसकी घोर निन्दा करता हूं और इस संबंध में जो विचार हमारे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं भी अपनी तथा अपने दल की तरफ से शोक संवेदनायें व्यक्त करता हूं । आज उनके परिवार किस स्थिति में हैं उनके घर में किस तरह का गम्भीर माहौल पैदा हो गया है । मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

सामान्यतः सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अध्यक्ष पीठ से विचार नहीं आते हैं, इसलिये मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मा० नेता सदन, मा० नेता प्रतिपक्ष और मा० नेताओं, जो दूसरे दलों के हैं, ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन कश्मीर घाटी में दिनांक 26 जनवरी, 1998 को श्रीनगर के समीप बन्धामा (गंदरबल) में 23 निर्दोष एवं निहत्थे कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या की घोर भर्त्सना करता है और पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन् मैंने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दिया था जिस पर चर्चा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी इसे तुरन्त ले रहा हूं। पहले मेरी बात सुन लें।

मेरे पास नियम 311 की 6 सूचनायें प्राप्त हुईं। इसके पश्चात नियम 300, 301 भी है और कई विधेयक भी हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है माननीय सदस्यों से कि नियम 311 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें हैं उनमें दो-दो मिनट में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर दें तो अच्छा होगा जिससे सारा कार्य सम्पादित हो सके। पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम 311 में दिया है इसलिये माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपनी बात कह लें।

प्रदेश में हुई व्यापक ओलावृष्टि, वर्षा एवं शीतलहर के फलस्वरूप किसानों को हुई क्षति के कारण उनका सिंचाई शुल्क एवं लगान आदि माफ किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी नवम्बर के अंतिम सप्ताह और सम्पूर्ण दिसम्बर तथा जनवरी महीने के पहले सप्ताह में ओला और असामयिक वर्षा तथा शीत लहरी से प्रदेश के किसानों की आलू, तिलहन और धान की 80 से 100 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो गयी। श्रीमन्, गेहूं बोने में भी विलम्ब हुआ और जो अब बोया जा रहा है वह कितना होगा यह नहीं कहा जा सकता है, होगा भी या नहीं। इस तरह से प्रदेश के सारे किसानों की रीढ़ टूट गयी है और किसानों के मन में जो उत्सुकता थी कि जब धान और आलू की फसल आयेगी तो अपने बच्चों के किताबें खरीदेगा वह उसकी उत्सुकता पूरी नहीं हुई।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

बच्चों को कपड़ा बनवायेगा, और लगान व आबपाशी देगा, और ब्याज और मूल की जो समस्या होगी वह दूर करेगा, लेकिन उसकी सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया, दैवी प्रकोप से लोग बड़े दुखी हो गये हैं, लेकिन हमारी इस मौजूदा सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिये कुछ नहीं सोंचा है। पता नहीं किसानों से इनको कौन परेशानी है, कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत बीज में छूट दी है, मैं पूछना चाहता हूं कि गेहूं के बीज में जो छूट दी है, वह कितने लोगों को मिली है, बीज कहीं पर मुहैया नहीं हुआ, कागज पर केवल छूट दी। उसके पास जब पैसा नहीं है तो वह खरीदेगा कैसे ? बार-बार रेडियो से प्रसारित किया जाता है कि यूरिया डालो, डी० ए० पी० डाला, तो कुछ पैदावार हो जायेगी। पैसा नहीं है तो कहां से यूरिया और डी० ए० पी० डाले और उस पर छात्रों की फीस में बढ़ोत्तरी। बहुत से अभिभावकों ने अपने बच्चों को बैठा रखा है वह मजबूर हो गये हैं, बच्चों को कपड़ा नहीं बनवा सकते, उनका धान खेतों में डूबा पड़ा हुआ है, कुछ तो निकालते समय और कुछ एक दो दिन बाद स्वर्गवासी हो गये। कितने किसानों पर इस समय मुसीबत है, शायद सत्ता में बैठे हुये मंत्रीगण और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इनकी हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो निश्चित रूप से किसानों का एक साल लगाव और आबपाशी माफ कर दिये होते, कहते हैं कि स्थगित कर दिया है, स्थगन से क्या फायदा हुआ, आगे वह कहां से लायेगा, उसका धान चला गया, आलू चला गया और तिलहन जा रहा है।

मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, जब फसल नष्ट होती थी, तो पर्चे बंटते थे और उनसे उनको मालूम होता था, लगान माफ होता था, आबपाशी माफ होता था, मान्यवर, यह सरकार तो अंग्रेजों से भी निर्दयी हो गयी है और किसानों की ओर नहीं सोच रही है। भीषण सर्दी में लगान वसूल

किया जा रहा है, जो लगान नहीं दे पाये हैं, उनको पकड़ कर काल कोठरी में डाला गया है और एक कम्बल ओढ़ने के लिये दिया गया । मान्यवर, उसको कठघरों में बन्द किया जाता है और एक कम्बल दिया जाता है, एक कम्बल देकर इतनी सर्दी में उसकी जान से खिलवाड़ किया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि विपक्ष के लोग अव्यवस्था पैदा करते हैं । क्या मानवता यही कहती है । कर्जा चाहे बीज का हो, कर्जा चाहे खाद का हो और कर्जा चाहे अन्य किसी चीज का हो, वह उनका ब्याज कैसे देगा और कैसे देगा, उसका वह मूल । किसान असमर्थ है । धान नहीं हुआ, आलू नहीं हुआ और तिलहन बरबाद हो गया । ऐसे में हमारी एक ही मांग है कि उनकी सहायता की जाये । जब हमारी सरकार थी हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों का 10 हजार का कर्जा माफ कर दिया था । आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक साल का ब्याज ही माफ कर दें तो हम कहेंगे कि आप किसानों के हमदर्द हैं । आपकी क्षमता कर्ज माफ करने की नहीं हैं तो एक साल का ब्याज ही माफ कर दें । ताकि अगली फसल जब उसकी हो तो वह कर्ज का भुगतान कर सके । इस साल की लगान और आवपासी माफ कर दें । पिछले साल किसान का आलू बर्बाद हो गया इस साल झुलसा लग गया आलू के भण्डारण पर पिछले साल आपने शुल्क बढ़ा दिया मिल मालिकों ने भण्डारण में नहीं रखा जिससे आलू सड़कों पर ही सड़ गया । आपका बहुमत था आपकी सरकार थी उसमें किसानों की दुर्दशा हुई । इस बार आलू में झुलसा लग गया उसके बाद भी एक रुपया दो रुपया किलो बिका । प्राइवेट जो लाइसेंस धारक हैं उनको आप आलू निर्यात करने का अवसर दें इससे निश्चित तौर से काश्तकार को लाभ हो सकता है । धान की बात आप जानते हैं क्या स्थिति हुई सत्ता पक्ष में बैठे हुए बहुत से लोग जानते हैं जो किसान हैं लेकिन वह कुछ कहेंगे नहीं अगर कुछ कहेंगे तो मंत्री पद छिन जायेगा । मुख्यमंत्री जी जानते हैं वह भी कुछ नहीं कहेंगे । वह भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह पायेंगे किसान का धान सड़ गया है उसे कोई खरीदने वाला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल आपसे अनुरोध है आप कितना समय लेंगे ?

श्री धनीराम वर्मा–

मिल मालिक धान खरीद नहीं रहे हैं और जो खरीद भी रहे हैं उससे जो चावल निकलता उसमें एफ० सी० आई० वाले अनाप-शनाप पैसा मांग रहे हैं जिससे मिल मालिक भी परेशान हैं । किसान टूट गया है । उसका कोई पुरुषाहाल नहीं है । अधिष्ठाता महोदय मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की आबपाशी और लगान माफ कर दें और कर्ज माफ न कर सकें तो उस पर लगा हुआ ब्याज ही माफ कर दें । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए मांग करता हूं कि इस सूचना को स्वीकार कर इस पर चर्चा करा दें ।

(संसदीय कार्यमंत्री का नाम पुकारने पर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उन्हें एक मिनट सुन लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

किसानों का मामला है, सबको एक-एक मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

किनारे की सारी फसल, नदी के किनारे की जो फसल बोयी गयी थी वह सब बरबाद हो गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा निवेदन है .....

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

जिनके सूचना पर हस्ताक्षर हैं मैं उनको समय दूंगा । सारी कठिनाई सदन के सामने समय की है । कार्य सूची लम्बी है । केवल जिनके नोटिस पर हस्ताक्षर हैं उनको 2 मिनट का समय दूंगा ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जनवरी, दिसम्बर, नवम्बर के महीने में इतनी ठंडक, बरसात हुयी जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का किसान तबाह हुआ । धान के उसके खेत अतिवृष्टि की वजह से, मौसम खराब होने कीं वहज से बरबाद हो गये । मौसम की खराबी से इस समय तिलहन की स्थिति भी खराब है । आपसे आग्रह है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये । प्याज भी 16 रुपये किलो बिक रहा है, सब्जियां, शाक, दलहन, तिलहन का बड़ा नुकसान हुआ है । विधान सभा से लेकर बाहर तक के नेता, सत्तापक्ष के लोग भी जो अपना भाषण देते हैं वह कहते हैं उससे लगता है कि सरकार को जानकारी है लेकिन वह करना कुछ नहीं चाहती, होगी कुछ मजबूरी जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं । किसान जिसकी वजह से हम सब लोग यहां बैठे हैं उसको नजरअंदाज आप करना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है । किसान से इस प्रदेश का व्यापारी आगे बढ़ता है, किसान से प्रदेश, देश की सब चीजें उन्नति करती हैं । जब गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा तो कैसे आप तरक्की करेंगे । गेहूं की फसल खराब हो गयी है । आप आंकड़े दे देंगे लेकिन आंकड़े दे देने से कुछ नहीं होगा । गेहूं, चावल न होने से किसान, मजदूर भूखों मरेगा और आपको भी चावल नहीं मिलेगा । किसान के बारे में सरकार को कोई न कोई चिन्तन करना होगा । नेता सदन भी गांव के हैं, वह किसान हैं उनको चिन्ता करनी चाहिये । आज हमारे पास गेहूं चावल धान सब्जी कुछ भी नहीं है फिर भी उसके बाद हमारे ऊपर सख्त से सख्त वसूली क्यों ? मान्यवर, तहसील की बैरक में जहां दस लोग नहीं रह सकते वहां पर पचास-पचास लोग भरे जा रहे हैं । यह इसलिये किया जा रहा है क्योंकि यहां से सख्त आदेश गये हैं । यह सख्त आदेश इसलिये रोका जाना चाहिये क्योंकि इनको किसानों के निजी जीवन से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है । किसान को गन्ना मूल्य नहीं दे पा रहे हैं और वसूली के नाम पर उनको जेल में रखा जा रहा है । जैसा कि

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कम से कम आप किसानों का कर्जा माफ कर दीजिये । विद्यार्थी को फीस चाहिये, कापी किताब चाहिये । वह कहां से यह उपलब्ध करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, एक मिनट का समय और लूंगा । मान्यवर, सिंचाई शुल्क माफ होना चाहिये । मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं वहां पर अपनी आंखों से देखा तहसील हवालात में सैकड़ों आदमी बन्द हैं । सिंचाई मंत्री जी अपनी बात कहेंगे, ऊर्जा मंत्री जी अपनी बात कहेंगे लेकिन मान्यवर, सही बात जानने के लिये आपको वहां पर देखना होगा । मान्यवर, यह जो मुद्दा 311 में उठाया गया है यह लोक महत्व का है और 311 की परिधि में आता है । मान्यवर, फसल नहीं है तो खेत नहीं है, खेत नहीं है तो किसान नहीं है और किसान नहीं है तो हम सब का जीवन बेकार है । मान्यवर, पुलिस परेशान कर रही है, किसान को लूटा जा रहा है । इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये । मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी होती है । कम से कम वह यहां पर घोषणा करें कि जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कम से कम एक साल का कर्जा उनका माफ कर दिया जाय । माननीय नेता सदन को गम्भीर होकर चिन्ता करनी चाहिये तब ही इसका कुछ समाधान होगा । इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा कराई जाय । यह लोक महत्व का प्रश्न है आपने इसकी ग्राह्यता पर सुना इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सबसे निवेदन कर दूं कि कृपा करके समय का ध्यान रखें । आज कार्य सूची बहुत लम्बी है अगर हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिये कठिन हो जायेगा । इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि दो मिनट के बाद निश्चित रूप से आप अपने आप निर्णय ले लें अपनी बात समाप्त करने में अन्यथा कार्यवाही चलाने में कठिनाई होगी ।

* संसदीय पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, सम्मानित नेता विपक्ष और अन्य सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे और जो चिन्ता व्यक्त की है वह उनकी ही नहीं है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की भी चिन्ता है । जो अभूतपूर्व आपदा आई और उससे जो नुकसान हुआ है और जो सरकार ने किया है मैं वहां तक अपने को सीमित रखते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो जानकारी जान-माल की आई है । कुछ ऐसे भी गरीब लोग थे जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । यह संख्या 45 की एक सूची प्राप्त हुई थी । मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान पहले ही दिया जा चुका है । सरकारी देयों के संबंध में कहा गया है कि जितने भी प्रभावित गांव हैं वहां यह आदेश दिये जा चुके हैं 23 दिसम्बर को कि सारे सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है । सरकार त्वरित गति से जो कार्यवाही कर सकती थी उसको अंजाम दिया है । सारे सर्वेक्षण करा दिये । जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली गई और उस रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़े आये उसके अनुसार लगभग 242 करोड़ रुपये की क्षति तमाम प्रभावित लोगों को उठानी पड़ी । प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया और मुझे इस बात को बताने में गर्व और प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सैकड़ों बार दिल्ली जाकर प्रयास कर चुके हैं कि जल्दी ही यह धनराशि उपलब्ध कराई जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छः सदस्यों की एक टीम का केन्द्र सरकार द्वारा गठन हुआ है । वह दो बार आ चुकी है, अध्ययन कर चुकी है । उच्च स्तर पर इसमें विचार-विमर्श हो चुका है जल्दी ही वह धनराशि उपलब्ध होगी और आगे कार्यवाही होगी । धान की फसल के बारे में कहा गया तो हमने जितने क्रय केन्द्र खोल सकते थे, जहां से रिपोर्ट आई व्यवहारिक कठिनाई के बावजूद जितना प्रयास हो सकता था वह किया गया । इस वर्ष जितनी चावल की खरीदारी हुई है वह रिकार्ड खरीदारी अपने आप में हुई है उम्मीद से ज्यादा चावल खरीदा है । अखबारों के माध्यम से आपको भी इसकी जानकारी हो गई होगी । मान्यवर, कई बातें यहां आईं दैवी आपदा की बात थी उसके साथ कार्य व्यवस्था को जोड़ा गया । मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा ताला तोड़ेंगे मैं उम्मीद नहीं करता हूं मैं उनके पास बैठ चुका हूं कभी उन्होंने ताला तोड़ा हो मेरी जानकारी नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

जितने विद्यालय हमारे हैं उतने आप सबके हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह सरकार पुण्य कर्मों पर टिकी है कुछ पाप कर्मों की तरफ ध्यान दिलाया गया तो पहले इतने पाप हो चुके थे कि उनको साफ करने में समय लगेगा । कुछ पाप तो धो लिए हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

अब अपने कर्म शुरू हुए हैं । प्रदेश के विकास के लिए हमारी कर्मण्यता को देखें हमारी कार्यशैली को देखें तो सब सामने आएगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से नहीं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने लगान आबपासी की वसूली को स्थगित करने के आदेश दिए ? क्या इन्होंने अन्य सरकारी या सहकारी गृहों को, जो किसानों से संबंधित हैं उनकी वसूली भी स्थगित करने के आदेश दिए ।

दूसरी बात अभी आपने कहा कि रिकार्ड खरीदारी हुई धान की, धान भी ज्यादा खरीदा गया तो कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष अभी तक सरकारी क्रय केन्द्रों से कितनी धान की खरीदारी की गई ?

तीसरी बात, मैंने यह आग्रह किया था कि किसान बरवाद हो रहा है उसकी क्रय शक्ति क्षीण हो गई है न तो वह कपड़ा खरीद सकता है, न बच्चों की पढ़ाई के लिए कापी-किताबें खरीद सकता है ? न रजाई बनवाकर ओढ़ सकता है इतनी ठंड में वह कैसे काट रहा है यह अनुभव आपको भी होगा । आप गांव की समस्याओं से जुड़े हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि वह इस वर्ष का लगान आबपासी माफ करेंगे और सरकारी ऋण जो किसानों से संबंधित हैं उनको माफ करेंगे या एक साल का ब्याज माफ करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी दो तीन बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहीं । मैंने अभी धान के बारे में नहीं कहा था । मैंने चावल के बारे में कहा था । धान को खरीदने में व्यवहारिक कठिनाई आई क्योंकि इस वर्ष जो बारिश हुई उसका कोई अनुमान नहीं था । धान का जो मानक है उस मानक के अनुरूप धान उपलब्ध नहीं हुआ । उस मानक को शिथिलीकरण करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है । हमने

यह प्रयास जरूर किया कि शिथिलीकरण करा दिया जाए । इस बार उत्तर प्रदेश में रिकार्ड चावल की खरीद जरूर हुई है । जहां तक देयों की बात है, जितने भी कृषि से संबंधित देय हैं, उन सभी का स्थगन किया गया है । माफी की बात आपने कही है उसके बारे में आंकलन किया जा रहा है । केन्द्र सरकार के पास भी हम गए हैं । हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि हमारे जीवन काल में इस मौसम में इतनी बारिश और ओलावृष्टि कभी नहीं हुई । मुख्य मंत्री जी दो बार केन्द्र सरकार के पास गए, वहां की टीम यहां आई । उस टीम ने यहां के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया । जितना भी संभव होगा उतना प्रयास हम करेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए दूसरी सूचना ले रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा । इस तरह से सदन अगर चलाया जायेगा तो यह संभव नहीं होगा । आपको हमारे प्रश्न को सुनना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली सूचना श्री लोकपति त्रिपाठी की ले रहा हूं । इस तरह से अनन्तकाल तक चलने के लिए यह सदन नहीं बैठा है ।

(श्री अधिष्ठाता की व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गए और किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन को चलाने में सबका सहयोग आवश्यक है । आप लोग कृपया अपने स्थान पर जांय ।

(सदन की वेल से डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री गोपाल कृष्ण, श्री रामतेज यादव एडवोकेट आदि माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे)

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह जो बोला जा रहा है, कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री राम विशुन आजाद, श्री गोपाल कृष्ण व डा० धर्मज्ञ मिश्र व वेल में आये हुए समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों ने किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाये ।)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

यह परम्परा ठीक नहीं है । आप लोग अपने स्थान पर चलें ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी पीठ से यह निर्णय उचित नहीं है । नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी तरह से आयी नहीं । यह पीठ निष्पक्ष होना चाहिए । मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष की बात सुन लीजिए । उसके बाद निर्णय दे दीजिए । अगर आप पहले ही फैसला कर लेंगे तो हमारी बातों का कोई अर्थ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं । दो मिनट के स्थान पर 15 मिनट तक बोले । मैंने दूसरी सूचना ले ली है । अब आप लोग अपने स्थान पर बैठें ।

(वेल में आये हुये सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे)

*श्री गोपाल कृष्ण–

पीलीभीत जनपद जो कृषि में अग्रणी है, किसानों को कोई राहत नहीं दी गयी है । किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए । 25 रुपये लीटर मिट्टी का तेल बिक रहा है । राहत के नाम पर किसानों को एक पैसा नहीं दिया गया । सारी फसलें बर्बाद हो गयीं लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है ।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है । यह किसानों की सरकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोगों से बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री गोपाल कृष्ण सहित समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर से अपनी-अपनी बात एक साथ कहने का प्रयास करते रहे, जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

जो कुछ आप लोग कह रहे हैं, वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप लोग अपना आसन ग्रहण कर लीजिये, आपकी बात सुनी जायेगी ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक स्पष्टीकरण मांगने की बात कही थी लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। आपने जवाब दिया उसके ऊपर मैं स्पष्टीकरण पूछ रहा था, उसकी अनुमति नहीं दी। वह किसानों से जुड़ा हुआ सवाल था। मान्यवर, किसान बर्बाद हुआ और सबसे बुरी हालत आज जो किसान की है वह शायद ही, मैं 70 वर्ष का हो गया हूं उसमें से 10 वर्ष छोड़कर 60 साल में शायद ही ऐसी स्थिति कभी हुई हो।

श्रीमन्, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वक्तव्य दिया और उसमें यह कहा कि किसान सचमुच ऐसा कभी बर्बाद नहीं हुआ जैसा इस वक़्त हुआ लेकिन उन्होंने यह कहा कि आंकलन करवाकर के केन्द्रीय सहायता के लिए इसे भेज दिया जायेगा जैसे सहायता प्राप्त होगी वैसे ही निर्णय लिया जायेगा। मैंने मांग की थी कि केवल इस वर्ष किसान की लगान और आबपासी माफ कर दी जाय। भूमि विकास का ऋण चाहे सहकारिता का ऋण हो, खाद बीज का हो, पम्पिंगसेट का हो किसान से संबंधित, उसका एक साल का ब्याज माफ कर दिया जाय उस पर जो जवाब आया उसमें यह था कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, बर्बादी जरूर हुई इतनी बर्बादी कभी नहीं हुई, हमने केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है, केन्द्र सरकार जब कुछ करेगी तब हम करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जब सहायता मिलेगी तब मिलेगी आप कितनी सहायता दे रहे हैं, आप क्या लगान, आवपासी माफ करने की घोषणा कर रहे हैं, क्या आप किसान का एक साल का ब्याज माफ करने की घोषणा कर रहे हैं और क्या आप लड़कों की केवल 6 माह की फीस माफ करेंगे और जो आप शुल्क बढ़ा दिये हैं विकास के नाम पर वह माफ कर देंगे ?

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अपनी बात कर रहे थे उसके पूर्व ही उन्होंने कहा कि आपकी बात बाद में सुन लूंगा लेकिन उसके पूर्व नोटिस निरस्त कर रहा हूं। मान्यवर, जब पूरी बात सुन ली जाय तो पीठ का निर्णय आये तो वह शिरोधार्य है लेकिन बात सुने बिना पहले ही फैसला दे दिया जाय और उसके बाद बात कहने को कहा जाय तो यह तो अपमान है माननीय नेता प्रतिपक्ष का और इस माननीय सदन का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो निर्णय दिया है माननीय अधिष्ठाता महोदय ने "अस्वीकृत करने का" उसको तत्काल निरस्त कर दें और पहले बात सुनकर उसके बाद जो निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष–

दो चीजें बहुत स्पष्ट है माननीय चौधरी जी, एक तो इस सीट पर अध्यक्ष बैठते हैं या अधिष्ठाता बैठते हैं जो एक बार जब निर्णय दे दिया है तो उस पर सदन में प्रश्न नहीं उठाया जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कह दी, और मैं अपने कक्ष में बैठा इसको सुन रहा था और देख रहा था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दे दिया उसके पश्चात् आपने स्पष्टीकरण मांगा उस पर माननीय अधिष्ठाता ने यह कहा 2 मिनट का समय दे दिया उस पर वह अपनी बात श्री अधिष्ठाता ने कहा कि अब अनन्तकाल तक इसकी अनुमति नहीं दे सकता और इन्होंने क्रम संख्या 2 को पुकार लिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा हम बहुत बार इस सदन का प्रयोग करते हैं अपने-अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ताकि जनता के अन्दर संदेश जाये कि हमने उनकी बात उठाई । माननीय विरोधी दल के नेता ने अपनी बात कही माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात कह रहे हैं मैं इस पर निर्णय दे दूंगा ।

श्री रामजग–

मान्यवर, हमने इसी विषय पर 311 में नोटिस दिया है वह विषय महत्वपूर्ण है । हमको भी उस पर सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, क्रम संख्या 6 का भी एक साथ निस्तारण कर दिया जाता है ।

श्री रामजग–

श्रीमन्, पिछले महीने बे-मौसम बरसात और चक्रवाती तूफान ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश का किसान तबाह हो गया है । दिसम्बर, 97 को आजमगढ़–मऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चक्रवात तूफान से भारी तबाही हुई है, ऐसी तबाही पिछले 100 वर्षों में भी नहीं देखने को मिली । जन-धन की भारी क्षति हुई । चक्रवाती तूफान ओलावृष्टि तूफान से, बे-मौसम बारिश से जो तबाही हुई । बे-मौसम बारिश से जो फसल बर्बाद हुई है उससे किसान तबाह हो गया है । किसानों का धान खेत खलिहान में सड़ गया गेहूं की बोवाई समय से नहीं हो पायी है आलू दलहन की फसल भी खराब हो गई लेकिन इतना सब होते हुए भी प्रदेश सरकार को किसानों की कोई चिन्ता नहीं है । मान्यवर, किसानों को खाद बीज नहीं मिला और अब तो बोवाई का समय भी निकल गया है दूसरे मिलावटी खाद भी धड़ल्ले से बिकी । किसान भुखमरी के कगार पर है । ऐसी स्थिति में उनका विद्युत बकाया माफ हों नहर के पानी की जो वसूली है वह माफ हो, और इसके अलावा सारी वसूलियां माफ हो और उसकी जो फसल बर्बाद हुई है उसमें सरकार क्षतिपूर्ति करे । फसल का मुआवजा सरकार दे उनके बेटों-बेटियों की शिक्षा की फीस माफ हो । मैं इसी के साथ अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार चिन्तित नहीं है । चिन्तित न होने का तो प्रश्न ही नहीं है इतनी बड़ी विपदा है और हम चिन्तित न हों यह संभव नहीं है । हम जो कार्यवाही कर सकते थे उसको हमने किया । मान्यवर, बीज की तो तब जरूरत पड़ती है जब जमीन उपयुक्त हो जाती है । जो दैवी आपदा है इस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है । लेकिन हमने बीज के ऊपर सबसे पहले छूट दी । उसके साथ-साथ जितने भी कृषि से संबंधित देय थे सबकी वसूली स्थगित कर दी । सारे के सारे देय प्रभावित किसानों के स्थगित है । केन्द्र सरकार से हमने 242 करोड़ रुपये की मांग की है उसमें संस्तुति भी आ चुकी है और उसका अध्ययन हो रहा है । उसमें कार्यवाही चल रही है । कार्यवाही में विलम्ब हो तो हम दोषी हैं । हमने अविलम्ब कार्यवाही कर दी । जितने भी मृतक परिवार की जानकारी थी उन मृतक के परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता पहले ही सरकार ने दे दी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों माननीय नेताओं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निरस्त होती है ।

श्री धनीराम वर्मा–

सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए कोई घोषणा नहीं की जा रही है जबकि हम लोगों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि किसान की आबपासी और लगान इस वर्ष का माफ हो जाये और इस वर्ष का ब्याज माफ हो जाये किसान के बच्चों की 6 माह की फीस माफ हो जाये । लेकिन सरकार किसानों के लिए किन्चित मात्र भी चिन्तित नहीं है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिगर्मन कर चले गये । बहिगर्मन कर जाते समय किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे भी लगाये गये ।)

श्री रामजग–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है मैं भी सदन का बहिगर्मन करता हूं ।

(श्री रामजग सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

प्रदेश में व्याप्त मंहगाई एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं की कालाबाजारी के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की इस राजधानी में जहां सरकार मौजूद है, जहां हमारा सम्मानित सदन मौजूद है, जहां हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, वहां पर आये दिन हत्यायें व लूट की घटनायें हो रहीं हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उस वक्तव्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने भय-मुक्त समाज की बात कही है । माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो समाचार-पत्रों की करतनें तो जाती होंगी । आज उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा नगर नहीं है, जहां हत्या व लूट की घटना न हो रही हो । आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनायें हो रहीं हैं । किसानों का दुखड़ा अभी माननीय नेता विरोधी दल रो रहे थे, नेता किसान कामगार पार्टी रो रहे थे, नेता कम्युनिष्ट पार्टी रो रहे थे । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी स्वयं किसान के बेटे हैं । हमारे अधिकांश माननीय सदस्य किसान हैं । धान की फसल खेतों में ही सड़ गई और उसका बीज अपने आप वहां पर अंकुरित हो गया और जो फसल खलिहान तक पहुंची भी थी तो वह बारिश के कारण वहीं पर सड़ गई और उसका बीज वहां पर अंकुरित हो गया । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे थे कि बारिश होती रही जिसके कारण फसल नहीं बोई जा सकी परन्तु हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो एक लाख बारह हजार गांव हैं और उनमें जो लोग रहते हैं, उन ग्रामीण भाइयों के लिए आने वाली फसल के लिए कोई कार्यक्रम क्या बनाया है ? उनके भोजन के लिए क्या व्यवस्था की है । यहां यह कहा गया कि 1 लाख 10 हजार लोगों को रोजगार देंगे । इसका मतलब यह हुआ कि 5 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । आज उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ है, जहां पर 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है । इनके बारे में सरकार को सोचने की बात है । सदन में कहा जा रहा है कि हम भारत सरकार को लिख चुके हैं । भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं और 235 करोड़ रुपये की मांग हम कर रहे हैं । इससे काम चलने वाला नहीं है । सरकार का दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में जहां पिछले वर्ष नवम्बर–दिसम्बर में हानि हो चुकी है, उसे जो खाद्यान्न की हानि हुई है, क्या उसे देने के लिए प्रदेश सरकार सामर्थ्य रखती है । मान्यवर, मुझे क्षमा कीजिये, यह सदन बिक भी जायेगा, तो भी वह हानि पूरी नहीं होगी ।

मगर उनके आंसू तो पोछे जायें, उनके लिए कोई व्यवस्था तो की जाय । उनको यह आश्वासन तो दिया जाय कि उनके लिए रोजी रोटी का इन्तजाम किया जा रहा है । अभी हमारे एक सम्मानित साथी

भारतीय जनता पार्टी के, ने विकलांगों की बात उठायी और माननीय मंत्री जी ने भी उस पर कहा । 1985-86 में जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ थी, उस समय की विकलांगों की सूची स्वास्थ्य विभाग में होगी, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है तीन लाख पचासी हजार उत्तर प्रदेश में विकलांग थे । यह सही है कि आपने पोलियो बैकसीन का कार्यक्रम चलाया और इस समय विकलांगों की संख्या में भी कमी आयी है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री त्रिपाठी जी, आप विषयांतर कर रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह कानून व्यवस्था से ही संबंधित है । विकलांग जब अस्पताल में जाता है, ब्लाक पर जाता है पेंशन के लिए वह फोटो खिंचाता है और फोटो लगाता है लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में वह डकैती, चोरी क्यों कर रहे हैं ? वह इसलिए कर रहे हैं कि उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे कृपया इस तरफ ध्यान दें ।

संसदीय पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो भागों में प्रश्न उठाया है । हमारे माननीय वरिष्ठ एवं विद्वान साथी, श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने खाद्यान्न की कमी की तरफ इशारा किया और खाद्यान्न की कमी की वजह से कानून व्यवस्था के बारे में भी कहा । मैं उनसे यह अपेक्षा कर रहा था कि वे बिगड़ती हुई व्यवस्था की तरफ कहेंगे उसमें किस प्रकार से सुधार हो उसके बारे में कहेंगे और जिस गति से सुधार हो रहा है उसके बारे में साधुवाद कहेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा । उन्होंने दो बातें कही हैं । एक तो खाद्यान्न की कमी की चुनौती को बरदास्त करने के लिए कहा । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पहली बार इस सरकार द्वारा कदम उठाया गया है कि जो खाद्यान्न हम खरीदते थे उसे खरीदकर पहले हम एफ० सी० आई० को देते थे फिर वहां से लेते थे तो इस प्रकार से इस व्यवस्था में दो गुना खर्चा होता था और कभी-कभी दिक्कतें आती थीं । इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जहां खाद्यान्न का क्रय किया जायेगा वहीं उसका भण्डारण किया जायेगा । कानून व्यवस्था की बात उन्होंने कही । आकंड़े हमें दिये जाते थे कि हत्यायें कम हुई, चोरी कम हुई, डकैती कम पड़ी लेकिन निर्देश यह दिये जाते थे कि रिपोर्ट दर्ज न की जाय । यह पहली सरकार है जिसने यह निर्देश दिया कि एफ० आई० आर० लिखी जायेगी और जो पुलिस कर्मी कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । विज्ञापन के जरिये सरप्राइज विजिट के जरिये यह देखा जायेगा कि कहीं कोई ऐसी घटना न हो जिसकी एफ० आई० आर० दर्ज न हो । तीन प्रकार की घटनायें होती हैं चाहे वह कत्ल हो, डकैती हो या अन्य उन घटनाओं में 33 प्रतिशत की कमी आयी है । दूसरा जो हमारा वीकर सेक्शन है उनके साथ अक्सर अत्याचार होता था । खाली एफ० आई० आर० होने के बावजूद उसमें कमी आयी है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता था उसमें भी काफी कमी आयी है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जिस प्रकार से मण्डलों में जाकर बैठकर जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं उससे एक वातावरण बना है । माफियाओं को जेल में डालने की कार्यवाही की जा रही है । अभी तो यह शुरुआत है । अभी तो 100 दिन इस सरकार को आये हुए हैं, आगे-आगे देखिये क्या होता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–311 में नहीं आती है इसलिये मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत व अन्य किसान नेताओं को कारावासित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका प्रदेश के करोड़ों किसानों से संबंध है। लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को लेकर उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। मान्यवर, चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत को सभी लोग जानते हैं कि वह किसान नेता हैं और वह किसानों की समस्याओं के लिये निरन्तर संघर्ष करते आ रहे हैं और उसी के दौरान उनको गिरफ्तार करके जेल में बन्द किया गया है। इसलिये सरकार और मुख्यमंत्री जी यहां बैठकर चाहे जो घोषणा करें लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है। गन्ना विकास मंत्री जी ने आज यहां कहा कि गन्ने का भुगतान बकाया नहीं है लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले दो वर्षों का किसानों के गन्ने मूल्य का करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है लेकिन फिर भी चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पिछले वर्ष जिन किसानों ने निजी चीनी मिलों को जो गन्ने की आपूर्ति की थी उसका 2 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बकाया है और सरकार उसे नहीं दिलवा रही है। सरकार ने घोषणा करवाया कि बकाये का भुगतान नहीं होगा तो किसानों को 15 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा लेकन चीनी मिल मालिक वह नहीं दे रहे हैं।

घोषणा सरकार ने किया कि जो ट्रान्सफारमर जल गये हैं उन्हें 72 घंटे में बदल दिया जाएगा लेकिन वास्तविकता यह है कि 72 दिनों में भी नहीं बदला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है जबकि सरकार ने घोषणा किया है कि 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसलिये किसान अनेक समस्याओं से त्रस्त है जिन्हें विपक्ष यहां नहीं उठायगा तो अपने कर्तव्यों का वह निर्वहन कैसे कर सकेगा। इसलिये विपक्ष का कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने जनता की समस्याओं को लेकर आन्दोलन किया तो उनको जेल में डाल दिया गया और तमाम किसानों को जेलों में बन्द कर दिया गया। मान्यवर, किसानों को अपने काम से ही फुरसत नहीं है और यदि वह आन्दोलन करते हैं तो शौक के लिये नहीं करते हैं बल्कि अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आन्दोलन करते हैं। किसान के गन्ने की फसल तैयार हो गयी तो उसे चीनी मिलों को दे दिया लेकिन उसको भुगतान नहीं मिला तो किसान आन्दोलन नहीं तो क्या करते। इसलिये हमें बहुत खुशी होती कि सरकार किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देती जिससे वह आन्दोलन करने के लिये मजबूर न होते और न जेलों में आप बन्द करते। अच्छा होता यदि आप माफियाओं और गुण्डों को जेलों में आप बन्द करते जिससे मुझे खुशी होती और यदि वे जेलों में बन्द होते तो अपहरण न होते लेकिन सरकार उनको गिरफ्तार करने में विफल है। मान्यवर, चौधरी महेन्द्र सिंह कोई माफिया या हत्यारा नहीं है जिसको उसे जेल में बन्द कर रखा है। उनको जेल में बन्द करने से करोड़ों किसानों के मान-सम्मान की बात है। किसानों के नेता को जेल में बन्द करके उनके सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को चुनौती न दें, किसान आन्दोलित हैं, उनके नेता को रिहा करें, वह धरना पर बैठे हैं, इसलिये मैं श्री टिकैत को रिहा करने की मांग करता हूं।

संसदीय, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, समरपाल जी गन्ना क्षेत्र से आते हैं और वह एक जागरुक सदस्य हैं । मान्यवर, इसमें दो बातें हैं, एक तो गन्ना के किसानों की समस्या है । आप सहमत होंगे कि यह समस्या भाव को लेकर नहीं थी, गन्ने का भुगतान किस प्रकार किया जाये, इसके संबंध में थी । गन्ने के मूल्य की अदायगी की समस्या को लेकर, यह चीज शुरु हुई । आप सहमत होंगे कि अभी तक जिस तरह से गन्ने के मूल्य का भुगतान होता था, माफियाओं ने जितना गन्ना किसानों का शोषण किया है, वह किसी से छिपा नहीं है । मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं, फर्जी पर्ची बनाकर पैसा ले लिया जाता था और किसान अपनी पर्ची लिये हुए घूमता रहता था । सरकार ने इसको रोकने के लिये किया कि पैसे का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जायेगा, उसका सारा पैसा उसके खाते में जायेगा और इस व्यवस्था से माफिया वंचित हो गये । इसपर हम दृढ़ हैं और हमें खुशी हो रही है, शुरू शुरू में खातों को खुलवाने में दिक्कत हुई, जितना आपका सहयोग मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला । मुझे प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है ।

दूसरी बात जो गिरफ्तारी की है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहां से बात शुरू हुई, धरना चलता रहता, लेकिन जब आपने सारी रेलगाड़ियों को रोक दिया, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर को जातीं हैं, गाड़ियों के रोक देने से बच्चे बिलखते रहे, किसी को किसी की मौत में शरीक होना था, वह शरीक नहीं हो पाया । मुजफ्फरनगर ऐसा स्थल बन गया था, कि सारे देश में उसकी बुराई होने लगी थी, चार चार दिन तक रेलगाड़ियां खड़ी रहीं, तब गिरफ्तार नहीं किया गया, इस तरह से रोके रखा, मैंने आग्रह किया, आप इनको क्यों रोके हैं । इतनी सम्पत्ति वहां पर रखी हुई थी, मुझे पता नहीं कैसे आग लगी, उसको जलाया गया तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जब श्री टिकैत खुद गिरफ्तारी देने के लिये आये, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया । किसी रास्ते में गिरफ्तार नहीं किया, वह घोषणा करने के बाद गिरफ्तारी के लिये आये । एक भी किसान को उसके घर में नहीं उठाया गया, बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया, तो मान्यवर, आप देखें कि यह समस्या कहां से पैदा हुई और जिम्मेदारी किस पर रखी जाती है, आप खुद देख लें कि समस्या कैसे पैदा हुई । पिछली बार गन्ना किसानों को 75 रुपया और 80 रुपया का भाव दिया गया ।

एक सदस्य–

ऐसा नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

अर्ली वरायटी को 75 रुपया और नार्मल वरायटी को 80 रुपया दिया गया । इस प्रकार से 32 लाख किसानों को इस सरकार ने लाभ दिलाया है । मैं तो सोचता था कि आप हमें बधाई देंगे । मैं आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य समस्या को हल करने में रुचि लें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद कहा कि चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत पर कोई आरोप नहीं है और खुद उन्होंने गिरफ्तारी दी तो फिर उनको बन्द क्यों किया हुआ है । कब तक उनको रिहा कर देंगे । जब कोई आरोप नहीं हैं तो क्यों जेल में बन्द किया हुआ है । लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र में आन्दोलन करने का अधिकार दिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने यह कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद हमने गिरफ्तार नहीं किया । मैंने यह नहीं कहा कि उन पर कोई आरोप नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद में इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

यह सरकार किसान विरोधी है, किसानों के नेता को जेल में डालने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के इस कृत्य के विरोध में हम सदन त्याग करते हैं।

(सदन त्याग कर चले गये)

कैसरगंज, जिला बहराइच में घाघरा नदी से होने वाले भीषण कटाव के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से बहराइच जिले के अपने निर्वाचन क्षेत्र के घाघरा नदी से प्रभावित हजारों लोगों की ओर जिनके घर घाघरा नदी की कटान से बह गये हैं दिलाना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो दिन में 400 घर कट गये हैं। बुहैया नं० 3, 2, 4 रेतीहाता, रासिरगंज, खुर्रमपुर, अहाता, बहामपुर, नियामतपुर, फतेहपुर में 110 घर कट गये हैं। उनको बसाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं उनके बसाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है और जो बीमार है उनके लिये दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वह फीस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिये मैंने यह बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न उठाया है घाघरा के कटान से पिछले सालों में भी जो नुकसान हुआ था उसकी समस्या का निदान के लिये व्यवस्था होती थी तो उनकी समस्या का निदान किया जाये। जो घर कट गये हैं और लोग इधर-उधर घूम रहे हैं उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था की जाये और दवाओं की व्यवस्था की जाये। जिलाधिकारी, बहराइच से तत्काल इस पर कार्यवाही करने के लिये कहा जायें और नासिरगंज के किसानों के जो 110 घर कट गये हैं उनको बसाने की व्यवस्था की जाय, जो बीमार हैं उनके लिये दवा का इन्तजाम किया जाये। जो बेघर हो गये हैं उनको बसाने के लिये जमीन खरीद ली जाये जहां उनको बसाने की व्यवस्था की जाये। बाढ़ के समय जो नावों की व्यवस्था हुआ करती है उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। लेखपाल अपनी रिपोर्ट देने में विलम्ब कर रहे हैं। 4,5 साल से उनका भुगतान पड़ा हुआ है, तहसील स्तर से जिलाधिकारी से कहकर इस पर तेजी की जाये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री और नेता सदन बैठे हुए हैं मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाये और पीड़ित लोगों को अनुदान दिया जाये इसकी बहुत आवश्यकता है ताकि इस समस्या का हल हो सके। इसलिये मैंने यह अर्ज किया है जो महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय सदस्य ने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है और अपनी सूचना में दिया है उसकी कृपया कुछ व्यवस्था करें। माननीय रामतेज जी की सूचना को निरस्त किया जाता है।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

प्रदेश में राज्य चीनी निगम की इकाइयों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के राज्य चीनी निगम में 35 मिलों में काम करने वाले तकरीबन 35 हजार कर्मचारियों से संबंधित यह विषय है।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस समय इस विषय को उठायें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, उसकी तात्कालिकता है । मान्यवर, विगत 15 जनवरी को पूरे प्रदेश की निगम की 35 इकाइयों में पंजीकृत श्रमिक संगठनों ने हड़ताल की सूचना दी और उसके ठीक एक महीने पहले 15 दिसम्बर को प्रबन्ध निदेशक और इन इकाइयों के प्रधान प्रबन्धकों को केवल एक सूत्रीय मांगपत्र दिया । आदर्श सेवायोजक के रूप में इस प्रदेश में इस निगम का गठन किया गया था और निगम ने निजी क्षेत्र की 35 मिलों को अधिग्रहीत किया तो उस समय निगम ने यह कहा कि इन 35 इकाइयों में कार्यरत जितने श्रमिक हैं उनको निगम का कर्मचारी माना जायगा । बाद में वेज बोर्ड के तहत इन श्रमिकों में 3 तरह का विभाजन किया गया और 1984 में इन इकाइयों में कार्यरत जो सुपरवाइजरी स्टाफ था उसे कारपोरेशन को ग्रेड देकर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का वेतनमान दिया गया किन्तु शेष दो कोटियों के श्रमिकों को इस वेतनमान से वंचित कर दिया गया जो मुख्यालय में कार्यरत क्लर्क ग्रेड के कर्मचारी हैं उनको भी राज्य कर्मचारियों का वेतन दे दिया गया । मान्यवर, श्रमिक संगठनों ने एक सूत्रीय मांग उठायी कि आप हमको निगम का कर्मचारी मानते हैं और वेज बोर्ड के द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उनसे आप वंचित करते हैं एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने इस श्रमिकों को निगम का कर्मचारी मानती है किन्तु इन्हें कारपोरेशन ग्रेड देने से मना करती हैं । इसी विसंगति को दूर करने के लिये प्रदेश के श्रमिक संगठनों ने संघर्ष का एलान किया । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जो इस सम्मानित सदन में औद्योगिक शान्ति की तो दुहाई देती है किन्तु श्रमिकों की जायज मांगों को ठुकराकर उनके हड़ताल के विरुद्ध आज दण्ड का इस्तेमाल करके वह श्रमिकों की हड़ताल को तुड़वाने का काम की है । भारत के संविधान के अन्तर्गत श्रमिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनसे श्रमिकों को जबरन वंचित किया जा रहा है । 10 जनवरी को हड़ताल को तुड़वाने के लिये एक बयान सरकार की ओर से अखबारों में दिया गया कि 265 कर्मचारियों को हड़ताल करने के कारण बर्खास्त किया जाता है । यह उत्पीड़न की कार्यवाही श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है । जिन 265 श्रमिकों को बर्खास्त किया गया है उनको सेवा में लिया जाय और इन श्रमिकों को राजकीय कर्मचारियों का वेतन दिया जाय । मैं आपसे मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की यह सूचना नियम 311 में नहीं आती है । उन्होंने इस सूचना के अंतिम वाक्य में शासन का ध्यान आकर्षण की बात कही है । अतः मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

नियम 301 की सूचनायें

आज दिनांक 28-1-1998 को नियम 301 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जो सभी स्वीकार हो गयी हैं । मैं नाम पढ़े देता हूं । डा० धर्मज्ञ मिश्र जी, श्री राम कृपाल जी .....

(डा० धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने पर ।)

आपकी सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी ।

अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, चौथी सूचना श्री समरपाल सिंह की है, पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, छठी सूचना श्री रणधीर सिंह की है, सातवीं सूचना श्री दयाशंकर वर्मा की है, आठवीं सूचना श्री तेज भान सिंह की, नवीं सूचना श्री लाखी राम जोशी की है, दसवीं

सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह की है, ग्यारहवीं सूचना श्री अम्बरीष कुमार की है और बारहवीं सूचना श्री मोहन सिंह रावत गांववासी की है ।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

प्रदेश में किसान पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शासनादेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, आपके ध्यान में यह लाना है कि प्रदेश में आज गरीबों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के सामने घोर समस्यायें उत्पन्न हैं । यह विचारणीय तथ्य है कि इन लोगों के पक्ष में जो भी योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही है इनसे भी पूरा लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है । आज वृद्धावस्था के आवेदन पत्रों का निस्तारण होकर पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है उनको भी भुगतान नहीं हो रहा है । पिछले दो वर्षों से लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त निर्धन जाति की लड़कियों के विवाह जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं उनके हजारों आवेदन पत्र लम्बित हैं, धन नहीं दिया जा रहा है शासन आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध नहीं करा रहा है । जबकि संबंधित प्रार्थीगण धन पाने के लिये समाज कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर लगाते परेशान हो रहे हैं । इसी प्रकार हजारों आवेदन पत्र राष्ट्रीय लाभ योजना में एकत्र है किन्तु शासन द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । जिससे संबंधित प्रार्थीगण अव्यवस्था से जूझ रहे हैं । इसी तरह किसान पेंशन के फर्मों का हाल है । शासन के आदेश के अनुसार गरीब किसानों को पेंशन शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । शासन आदेश के बावजूद भी किसान को किसान पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के फार्म केन्द्रों को भराने के आदेश दिये जायं । जिससे किसानों को तहसील व जिले पर चक्कर न लगाना पड़े ।

अतः इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराकर गरीबों को किसान केन्द्रों पर ही सहायता प्रदान कराने की कार्यवाही की जाय ।]

पी० सी० एस० एवं अन्य राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में अभ्यर्थन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने एवं अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृपाल–

[मान्यवर, आज कल पूरे प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा सन 1992 से 1995 के बीच आयोजित की गई पी० सी० एस० की परीक्षाओं में हुई अनियमितता के कारण प्रतियोगिता से बाहर हुए अभ्यर्थियों को सन् 1998 की पी० सी० एस० परीक्षा (जिसकी रिक्तियां घोषित हो चुकी हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी 1998 है) से लेकर आगे के वर्षों में तीन अतिरिक्त अवसर दिये जाने ।

2–पी० सी० एस० में एवं अन्य राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में अभ्यर्थन की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने ।

3–भ्रष्ट अवर अधीनस्थ सेवा आयोग, लखनऊ की समाप्ति के बाद सन् 1991 से उस आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के कारण सन् 1991 से सन् 1998 के बीच प्रतियोगिता से बाहर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हुये प्रतियोगियों को लोअर सबार्डिनेट की अगली परीक्षाओं में जिनकी रिक्तियां अब लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा विज्ञापित होनी हैं, में तीन अतिरिक्त अवसर दिये जाने की मांग को लेकर एक वर्ष से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन इन मांगों के पूरा न होने से प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों में घोर असंतोष है।

महोदय जी उपर्युक्त प्रकरण प्रदेश के व्यापक जनहित का अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न है अतः इस पर अविलम्ब चर्चा कराने की कृपा करें।।

मेरठ महानगर/जनपद में कानून व्यवस्था सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

।मान्यवर, मेरठ महानगर/जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में नहीं है।

अपहरण की घटनाओं में निरन्तरता बनी हुई है, मयंक जैन का अभी तक पता नहीं चला है परतापुर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय गरीब बच्ची मनीषा पाण्डे के साथ बलात्कार के मुलजिमों का अभी तक पता नहीं है। लूट चोरी की घटनायें भी आम हो गयी हैं जनता का विश्वास डगमगा गया है। टाप टेन, टाप फाइव, गुण्डा ऐक्ट, जिलाबदर की कार्यवाही वास्तविक व उपरोक्त श्रेणी में वांछित अपराधियों से कोसों दूर है, महज खानापूरी है।

कानून व्यवस्था में तत्काल प्रभावी सुधार की आवश्यकता है।

बलात्कार की शिकार मनीष पाण्डे को तत्काल मुआवजा दिये जाने का निर्देश शासन को देने का कष्ट करें।।

बागपत क्षेत्र के कई गांवों में गत 18 वर्षों से लम्बित चकबन्दी कार्य को शीघ्र पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समर पाल सिंह–

।मान्यवर, जनपद बागपत (मेरठ) के ग्राम दाहा, दोघट, टिकरी निरपूडा, वामनौली, गन्छाड, सिरसल बाढ़, एवं नौबौकलां में विगत लगभग 18 वर्षों से चकबन्दी का कार्यलम्बित है। इतने लम्बे समय से चकबन्दी लम्बित होने के कारण एक तरफ किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है, उनको कठिनाई हो रही है और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अनेक परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गांवों में चकबन्दी का कार्य तत्काल पूरा कराया जाय।।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत कई नहरों/माइनरों की खुदाई,सफाई आदि में हुई धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

।मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।

नोट –। ।यहअंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट –। ।यहअंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में राजवाह, फरह-दरारी अडीगं माइनरी, कीठम, रसूलपुर पलसों, कोनई, मथुरा स्केप खामनी, फोडर, थिरावली पुरा, आदि के साथ वेस्टर्न ड्रेन की खुदाई सफाई नहीं होने के कारण तथा आज की रोस्टर में पानी चलने को होने के साथ भी न चलना तथा पुरा मील नं० 1 अहमल माइनर, भगोसा, माइनर के साथ गोवर्धन ड्रेन के लिये पहुंचा धन माननीय मंत्री सिंचाई को लिखित में अवगत कराये जाने के बावजूद कोई भी फर्जी बिल बनाकर वर्क आर्डर के अनुसार कार्य दिखला कर टेन्डर के अनुसार कार्य न कर धनराशि को हड़प कर लिया गया स्थल पर कार्य कुछ न होने के कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र के समस्त कार्यों को विजिलेंस (गुप्तचर विभाग) से जांच करा कर दोषियों को जेल भेज कर धन हड़पने वाले अधिकारियों के समस्त फण्ड वेतन को जब्त करके कार्य जनहित में तत्काल कराये जाने का कष्ट करें । जिससे किसानों को राहत मिल सके ।]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तदर्थ सहायक अभियन्ता (सिविल) को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर विनियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग में शासन द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत प्रमुख सचिव स्तरीय विभागीय समिति द्वारा फरवरी, 1995 में तदर्थ सहायक अभियन्ता (सिविल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीधी भर्ती की थी, जिन्हें फरवरी, 96 एवं फरवरी, 97 में क्रमशः एक-एक वर्ष के लिये सेवा विस्तार किया गया वर्तमान में इनकी विभागीय सेवायें तीन फरवरी, 1998 में पूर्ण हो रही है । इनमें से अधिकांश सहायक अभियन्ता ओवर एज हो गये हैं । इसी तरह की नियुक्तियां मध्य प्रदेश सरकार ने की थीं जिन्हें केवल एक वर्ष में ही नियमित कर दिया गया । उत्तर प्रदेश सरकार में अभ्यर्थियों द्वारा पिछले वर्ष अनुरोध किया कि इन्हें भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी विनियमित कर दिया जाय । अब तीन वर्ष की सेवायें पूर्ण होने जा रही हैं ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तदर्थ सहायक अभियन्ता (सिविल) को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करते ही विनियमित कर दिया जाय । ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों में व्यापक असंतोष समाप्त हो सके ।]

लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1995 के आरक्षित रिक्त 71 पदों के विरुद्ध सभी सहायक अभियन्ताओं को लोक सेवा आयोग से अनुमोदित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दया शंकर वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1994 एवं 1995 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 71 अवर अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति नियमित सहायक अभियन्ता के पद पर शासनादेश के अधीन की गई थी बाद में माननीय उच्च न्यायालय शासनादेश को निरस्त करके पदोन्नति को उचित ठहराते हुये निरस्त नहीं किया लोक निर्माण विभाग इन्हें नियमित न मानते हुए अनुमोदन हेतु मांग कर रहा है । जिसे शासन ने स्वीकार भी कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिया पदोन्नति के समय 71 रिक्त पदों पर पदोन्नति की गई थी वर्तमान में 71 पदों के स्थान पर वर्ष 97 तक के कुल 32 पदों पर इनके चयन के लिये भेजा जा रहा है । जो अनुचित है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वर्ष 95 तक के आरक्षित रिक्त 71 पदों के विरुद्ध इन सभी सहायक अभियन्ताओं को लोक सेवा आयोग से अनुमोदन कराया जाय । ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अधिकारियों में व्यापक असंतोष समाप्त हो सके ।]

जनपद सुल्तानपुर में डी० ए० पी० की अनुपलब्धता तथा नकली खाद की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर में इस समय नकली डी० ए० पी० खुले आम बाजारों में बिक रही है । जगदीशपुर थाने में एक नकली खाद बनाने का कारखाना भी पकड़ा गया जिसमें मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा कृषि विभाग को सूचित किया गया है, गौरीगंज जगदीशपुर में बार-बार कृषि अधिकारियों को सचेत किया गया परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि विभाग के अधिकारियों से नकली खाद विक्रेताओं से सांठगांठ है जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है सरकारी दूकानों, सहकारी समितियों, कृषि विभाग एग्रो आदि की दूकानों पर मांग के अनुरूप डी० ए० पी० न मिल पाने के कारण किसान नकली खाद खरीदने के लिये मजबूर है नकली खाद के प्रयोग से कृषि उत्पादन निश्चित घटेगा जिसका प्रभाव राष्ट्रीय हानि के रूप में परिलक्षित होना स्वाभाविक है । नकली खाद बिक्री से जनता में भारी आक्रोश है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से उपयुक्त डी० ए० पी० सहकारी, सरकारी दुकानों पर उपलब्ध कराने तथा नकली खाद विक्रेताओं की जांच कर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

फोनिक्स लैम्प इण्डिया लिमिटेड नोएडा के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखी राम जोशी–

[मान्यवर, जिला गौतमबुद्ध नगर में नोएडा स्थित फोनिक्स लैम्प इण्डिया लि० के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त फोनिक्स मजदूर यूनियन (रजि०) 7821 द्वारा प्रबन्धन को 5-9-97 को मजदूरों/कर्मचारियों को न्यायोचित 32 सूत्रीय मांग पत्र पर देने पर प्रबन्धकों ने पुलिस के माध्यम से फर्जी मुकदमें दर्ज कराकर कर्मचारियों को आतंकित कर नौकरी से इस्तीफा देने को वाध्य किया जा रहा है । यूनियन से संबंधित पदाधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है और उन्हें ड्यूटी पर नहीं आने दिया जा रहा है उपश्रमायुक्त द्वारा दिये गये आदेशों का भी फैक्ट्री प्रबन्धक वर्ग पालन नहीं कर रहा है कार्यरत अनेक कर्मचारी गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए हैं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है न्यूनतम वेतन 2500 प्रतिमाह से काफी कम वेतन भुगतान किया जा रहा है । प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा की आकस्मिक सुविधा नहीं है अनेक वाद श्रम विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा अपने साथ न्याय करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये परन्तु अभी तक विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । परिणामस्वरूप कर्मचारियों का उत्पीड़न जारी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अनेक कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर खड़े हैं सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अतः फोनिक्स लैम्प इण्डिया लि० नोएडा के प्रबन्धकों के खिलाफ श्रम कानूनों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाये तथा निकाले गये कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा देकर वांछित मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर पुनः कार्य पर बहाल करने का निर्देश करने की कृपा करें । ।

प्रतापगढ़ के सदर ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा जहनईपुर एवं कल्याणी ग्राम के सरहंग में आम रास्ता रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सदर ब्लाक एवं सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा जहनईपुर तथा मान्धाता ब्लाक के सरायराजा के कल्याणी ग्राम के सरहंग तथा असमाजिक व्यक्तियों ने आम रास्ता रोक दिया जिसके कारण हजारों ग्राम सभावासियों को आने-जाने का कोई मार्ग नहीं है ।

ग्राम जहनईपुर में सैकड़ों वर्ष से चालू आम रास्ता रोक दिया गया है कृपया जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से अविलम्ब उक्त मार्ग को चालू कराने हेतु कार्यवाही करने हेतु सूचना दे रहा हूं । ।

प्रान्तीय वन सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, उपर्युक्त विषय में मुझे कहना है कि आरक्षण कोटा पूरा न होने से अ० जा०/अ०ज०जा० एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तथा शासन की नीतियों का पालन नहीं हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश प्रांतीय वन सेवा में 389 पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 65 तथा अनुसूचित जन जाति के 6 और अन्य पिछड़े वर्ग के 83 अधिकारी होने चाहिए परन्तु यह संख्या पूरी नहीं है यह स्थिति काफी समय से चली आ रही है प्रांतीय वन सेवा में पूरे पदों पर अधिकारी कार्यरत नहीं है और पद रिक्त है अतएव शासन की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण कोटा पूरा करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही हो ।]

जनपद पौड़ी में प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के निराकरण हेतु तत्काल राहत राशि आवंटित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर, यह अत्यधिक लोक महत्व का विषय है कि जनपद पौड़ी में 7 मई, 1997 व 28 जून, 1997 एवं अनेक बार अतिवृष्टि भू-स्खलन आदि से जनपद पौड़ी की अनेक यातायात की सड़के क्षतिग्रस्त है तथा अनके प्राकृतिक व्यवधानों से यातायात की सड़कें मलवे से ढकी हैं तथा दीवारें टूटी भी हैं तथा अनेक सड़कें धस गयी हैं जिससे यातायात प्रभावित हो गया है और सड़कें बन्द होने के कारण यातायात सुलभ नहीं है लोक निर्माण विभाग पौड़ी के अनुसार माननीय जिलाधिकारी ने वर्ष 1997-98 के बाद/अतिवृष्टि/भूस्खलन/एस०आर०डी० के अन्तर्गत मार्ग व सेतुओं पर होने वाली क्षतियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से 233.68 लाख रुपये की मांग सितम्बर, 15. 1997 को की थी परन्तु अभी तक वह मांग के अनुसार धन आवंटत नहीं किया गया है साथ ही जिलाधिकारी पौड़ी ने बाढ़, भूस्खलन अतिवृष्टि आदि के द्वारा जिले की विभिन्न योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने पर (नहरें गूल, पेयजल योजनायें, किसानों के खेत फसल मकान आदि) राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन को मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित करने के विषयक में अनके बार लिखा है, परन्तु अभी तक कोई भी धन आवंटित नहीं हुआ है । जिससे पूरा पौड़ी जनपद बाढ़/भूस्खलन/अतिवृष्टि आदि दैवी आपदाओं से भयंकर रूप से ग्रस्त है और अनेक जन कल्याणकारी योजनायें जनसुविधाओं से वंचित हो गयी हैं । इसलिए इस लोक महत्व के विषयक पर उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग है कि अतिशीघ्र जनपद पौड़ी को जिलाधिकारी पौड़ी के मांग के अनुसार विभिन्न योजनाओं में तत्काल राहत राशि आवंटित करने के लिए शासन आदेश करे और चाहें तो इस विषय पर सदन में चर्चा भी करायें । ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–300 की सूचनाएं ले रहा हूं । पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट जी की है ।

संसदीय, पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 4 बजे का समय कार्य सूची में दूसरे विषय के लिये है ।

श्री अध्यक्ष–

संभवतः तब तक एक-दो सूचनाएं हो जायं । समय को देखते हुए 300 की जितनी सूचनाओं का निस्तारण 4 बजे के पहले तक हो जाय तो ठीक रहेगा । उनको तब तक कर देते हैं । 4 बजे का कार्य कार्य सूची के अनुसार ही होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, 4 बजे तक का समय तो गौरी शंकर जी ही ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

4 बजे जो कार्य निर्धारित है वह ही होगा । शेष विधायी कार्य उसके बाद कर लेंगे । गौरी शंकर जी आप अपनी बात संक्षेप में कहियेगा ।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण दिनांक 27 जनवरी, 98 में भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता संबंधी प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आप स्वयं अवगत हैं कि 12 वीं लोक सभा के निर्वाचन गठन के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी हो गयी है । नामांकन और चुनाव की प्रक्रिया चालू है । ऐसी स्थिति में यह जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशिप एक्ट है उसमें जो प्राविधानित व्यवस्था है उसके अनुसार प्रदेश सरकार को नीतिगत एवं जनसामान्य की मनःस्थिति को प्रभावित करने वाली घोषणाएं और कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए लेकिन कल महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से सरकार ने अपनी घोषणाएं की हैं जिससे आपकी मंशा सीधे नजर आती है कि आप क्या चाहते हैं । आप कहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद–174 के तहत आपको अधिकार प्राप्त है । मान्यवर, मैं अनुच्छेद–174 पढ़कर सुना देता हूं–

राज्यपाल समय-समय पर, राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख के बीच छः मास का अन्तर नहीं होगा।

आप अनुच्छेद 174 का सहारा लेंगे और यह कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति थी सत्र को बुलाना आवश्यक था। महामहिम राज्यपाल जी ने उस व्यवस्था के तहत संविधान के अनुच्छेद–174 के अन्तर्गत इस सदन को आहूत किया लेकिन इसमें कौन सी अनिवार्यता थी कि सदन के आहूत होने के बाद सदन में घोषणाएं कराये जिनसे जनमासन और मतदाता प्रभावित हो। श्रीमन्, मैं इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं जिनसे कौन ऐसा मतदाता होगा जो प्रभावित हुए बिना रह सकेगा। पहली अप्रैल, 1998 से गृहकर के मूल्यांकन के लिए स्वतः कर निर्धारण लागू की जाएगी। जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विभागों के लिए "सिटिजन्स चार्टर" निर्गत कराया जाएगा। जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिये शीघ्र कार्यवाही प्रस्तावित है। आगामी तीन पेराई सत्रों के लिए गन्ने की आपूर्ति नीति घोषित की गयी है। कैप्टिव कन्जम्शन पर विद्युत शुल्क माफ कर दिया गया है। व्यापारियों को सुविधा देने और शुल्क अपवंचन को रोकने के लिये मण्डी शुल्क को वसूल किये जाने हेतु बहुस्तरीय प्रणाली के स्थान पर एकल स्तरीय प्रणाली लागू करने के लिए शीघ्र निर्णय। यूनिवर्सिटी फार मेडिकल साइन्सेज की स्थापना पर सक्रिय विचार। प्रदेश के एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक कालेजों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ–10 जिस पर कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान दिया जायेगा। यह सत्र आहूत हुआ उस समय जब कि लोक सभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह की घोषणा करके सरकारी कर्मचारियों के मन में यह बात डाल दी है कि हम सम्वेदनशील हैं और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिये कृतसंकल्प हैं। माननीय अध्यक्ष जी इसी तरह से पृष्ठ–14 पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें नई प्रगतिशील शीरा नीति की घोषणा की गई है। इस तरह से उद्योगपतियों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनका जो पैसा होगा उसका भी आकर्षण आपकी तरफ होगा। जन मानस को प्रभावित करने के बाद आप लोकसभा को अपनी जेब में डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आचार संहिता विरोधी आचरण किया है। राज्यपाल के अभिभाषण में पृष्ठ–16 पर देखें इसमें लिखा है–"ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने और स्वायत्तता प्रदान करने हेतु ठोस कदम" इसमें ठोस कदम उठाने की बात कही गई है और कहा गया है कि ग्रामीण निकायों को अब पहले की तुलना में 13 गुना धनराशि प्राप्त होगी ऐसे कार्य इनके चुनावी हथियार होंगे। आपने इसकी घोषणा की आपको शंका थी और विश्वास था कि चुनाव आयोग इसकी नोटिस लेगा इस पर ध्यान देगा। श्रीमन्, इनकी सदस्यता पर शंका क्यों नहीं करें चुनाव आयोग ने विधान परिषद् चुनाव दस दिन तक टाल दिए जिससे बी० डी० सी० सदस्यों तक संदेश चला गया।

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने व हंसने पर व्यवधान)

अगर चुनाव समयानुसार करते तो चर्चा न होती खेत–खलिहान तक में यह चर्चा होती रही। श्रीमन्, संविधान के 324 अनुच्छेद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें जो व्यवस्था है आप स्वयं विधि विज्ञ हैं मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा सुपरीटेंडिन्स डाइरेक्शन एण्ड कंट्रोल आफ एलेक्शन टु बी वेस्टेड इन एन एलेक्शन कमीशन।

मैं इसका हिन्दी रूपान्तर कर दूं संविधान के अनुच्छेद 224 में यह प्राविधान है कि–"निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना" इसी तरह की बात जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में है उसका पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग बीच में आएगा तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा जैसा कि ए० आई० आर० सुप्रीम कोर्ट 1978 के पृष्ठ 851 मोहिन्दर सिंह गिल, अन्य बनाम चुनाव आयोग में लिये गये निर्णय के अनुसार चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

324 में इसका उल्लेख कर दिया है 324-ए तथा बी में व्यवस्था कर दी गई है चुनाव आयोग को अधिकार होगा चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए यदि सरकार का कोई व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है इस तरह से मतादाता प्रभावित होकर वोट देंगे तो इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इलेक्शन में कोई ज्यादा पैसा खर्चा करता है–आदि 2 कारणों से चुनाव आयोग चुनाव को निरस्त कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं सारी चीजों का उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूं कि इस अनिवार्यता के तहत कि 6 महीने के अन्दर सत्र बुलाना है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा जाना है, अब श्रीमन् यह कौन सी अनिवार्यता है कि इसमें सारी घोषणायें करने का महामहिम राज्यपाल को बाध्य किया जाय क्या कोई मजबूरी थी या कोई अपरिहार्य परिस्थिति थी जिसके तहत आपने बहुत सारी घोषणाएं करा दीं और लोक सभा चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है कि...

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मतदाताओं तक संदेश जाए यह सरकार ऐसा चाहती है। मतादाताओं पर प्रभाव पड़ेगा तो लोकसभा के इलेक्शन को कैंसिल कर दें स्थगित न करें। (हंसी)

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का कार्य किया है इसके लिए कम से उत्तर प्रदेश की 85 लोक सभा सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया कैंसिल की जाए और उसके बाद यहां के लिए दुबारा नोटीफिकेशन किया जाये ताकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनका मतदाताओं पर प्रभाव न पड़े। यह जो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है उसको हम समझ रहे हैं। इसको देखकर हम यही कह सकते हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम यह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी माननीय गौरी शंकर जी ने एक ऐसा विषय उठाया है जिस पर बहुत ही गंभीरता के साथ चिन्तन-मनन करने की आवश्यकता है। उन्होंने शायरी कही कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना इस संदर्भ में :–"वहीं पर निगाहें वहीं पर निशाना।"

श्रीमन्, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आज प्रश्नकाल के समय ही मिल चुका था। मुझे स्मरण है आज इसी सदन में प्रश्नकाल में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल उठाया था कि सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश में विकलांगों की सूची कब तक तैयार कर ली जाएगी। उनको पेंशन की परिधि में कब तक ले जाया जाएगा। यह उनको पूछने का अधिकार था यह उनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उन्होंने मुझसे जानना चाहा तो मैंने कहा था कि सरकार विकलांगों की सूची 31 मार्च, 1998 तक तैयार करा लेगी। सूची तैयार होने पर निर्धारित मानक के अनुसार पात्रता के आधार पर विकलांगों को पेंशन देने की परिधि में सम्मिलित कर लिया जायेगा। यह मेरा उत्तर था। उनको प्रश्न पूछने का अधिकार था हमको उत्तर देने का अधिकार था न प्रश्न पूछ कर उन्होंने कोई गलती की और न ही मैंने गलती की उत्तर देकर। अगर माननीय गौरीशंकर जी की बात का संज्ञान लें तो हमारे उत्तर से जनता को एक संदेश तो चला गया। जिस समय मैं नेता प्रतिपक्ष के सवाल का उत्तर दे रहा था उस समय कितने माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उसका स्वागत किया था। इस तरह से देखें तो हमारी घोषणा से माडल कोड आफ कंडक्ट का वायलेशन हो गया लेकिन न तो नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त इस तरह की कोई बात कही न अन्य किसी माननीय सदस्य ने। श्रीमन् आज यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा प्रश्न जिससे संविधान लोकतंत्र और संसदीय परम्पराओं के लिए दिशा बोध मिल सकता है इसलिए समय अधिक लग सकता है।

आज मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी एक संवैधानिक संस्था को इतने ही महत्वपूर्ण संस्था के कार्यकलापों में, नियमावली में, कार्यसंचालन में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं ? निर्वाचन आयोग की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वह एक संवैधानिक संस्था है उसकी अपनी एक गरिमा है, यह सदन भी एक संवैधानिक संस्था है इसकी भी अपनी एक गरिमा है, इसका अपना कुछ अधिकार है । विधायिका के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता और इसलिये आज यह निर्णीत होना चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, उसे विधान सभा जो स्वयं में एक संवैधानिक संस्था है, उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है । मान्यवर, जिस दिन यह स्वीकार कर लिया गया कि चुनाव आयोग को विधान सभा के, सदन के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप या अतिक्रमण करने का अधिकार है । मुझे उसी क्षण से कष्ट होगा । इस माननीय सदन की सार्वभौम सत्ता, इस सदन की गरिमा, माननीय सदन के अपने अधिकार, इस सदन के वे अधिकार जिसके द्वारा नियमावली बनाते हैं, संचालन करते हैं, जिसमें किसी भी बाहरी प्राधिकरण का हस्तक्षेप वर्जित है, न्यायपालिका तक इस माननीय सदन के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करने से वर्जित है । पर आज उस माडल कोड आफ कण्डक्ट को आधार बनाकर इस सदन के सारे अधिकारों में अतिक्रमण को स्वीकार कर लें तो आने वाली पीढ़ियां, हमको–आपको माफ नहीं करेंगी कि कैसे लोग थे जो सदन के अपने अधिकार, उस पर अतिक्रमण स्वीकार कर लिया ।

श्रीमन् मैं संविधान की कुछ सुसंगत धारा में उद्धृत करके अपनी बात पर बल देना चाहूंगा । "केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, 1973 4 एससीसी पृष्ठ–25 पर प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था को ही एम०एस० गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ए०आई०आर०, 1978 पृष्ठ–851 पर, उसके बाद दिग्विजय मोदी बनाम भारत सरकार, 1973 4 एससीसी पृष्ठ–175 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है । क्या प्रतिपादित किया है–

"रूल आफ ला इज ए बेसिक स्ट्रक्चर आफ दि कान्स्टीट्यूशन एपार्ट फ्राम डेमोक्रेसी ।"

मान्यवर, इसका हिन्दी रूपान्तरण है कि प्रजातंत्र के अतिरिक्त कानून का राज्य, यह संविधान का मूल अधिकार है यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया । मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के खण्ड–2 पर "जहां पर भी संसदीय प्रणाली होती है वहां पर सदस्यों को प्रश्न करने का अधिकार है और सरकार को उन प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार है ।" अगर कोई माननीय सदस्य नीतिगत प्रश्न करता है तो उत्तर देना मंत्रि परिषद् के सम्मानित सदस्यों का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बन जाता है । माननीय सदस्यों के अधिकार पर अतिक्रमण करने पर अगर सरकार के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर देने के अपने दायित्व के मामले में चुनाव, आयोग को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । हमारे यहां संसदीय प्रणाली है । मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 174 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसका संदर्भ माननीय गौरीशंकर जी ने कृपापूर्वक दे दिया और मेरा काम हल्का कर दिया । अनुच्छेद–174 में यह व्यवस्था है कि 6 महीने का अन्तराल जैसे ही पूरा होगा, उससे पहले सदन बुलाना होगा । यहां दोनों सदन हैं, विधान सभा भी है और विधान परिषद् भी, इसलिये महामहिम राज्यपाल समवेत अधिवेशन को सम्बोधित करेंगे । अब 6 महीने पूर्ण होने के पहले जो संयुक्त उपवेशन विधान सभा, विधान परिषद् का बुलाया गया, यह तो संविधान के निर्देशों के अन्तर्गत ही किया है, इस प्रकार हमारा यह काम "रूल आफ ला" विधि के शासन को स्थापित करता है, यही बात केशवानन्द भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि लोकतंत्र के ऊपर कानून का राज यह कान्स्टीट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हमने उस कानून के राज को ही प्रतिपादित करते हुये संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत 6 महीने के कार्यकाल के बीच में समवेत उपवेशन बुलाकर, विधि के शासन की स्थापना की है । हम न बुलाते तो विधि का शासन नहीं हो पाता । अब संविधान के अनुच्छेद–176 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु निर्धारित समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया एक प्रस्ताव ला दीजिये कि मद संख्या–35 को, जो 4 बजे होने वाली थी, इसे 5.00 बजे कर दें।

संसदीय पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत उपबन्ध को शिथिल करते हुये मद संख्या–35, वर्तमान जारी चर्चा के उपरान्त ले ली जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित मद संख्या–35, जिसका 4.00 बजे का समय निर्धारित हुआ था, 5.00 बजे ली जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण दि० 27 जनवरी, 98 में भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता सम्बन्धी प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

तो मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 176 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में, एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मंडल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा। अब कारण क्या हो सकते हैं। कारण यही हो सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन है, वह सरकार की उपलब्धियां गिनाये। कोई मौसम का हालचाल पूछने के लिये तो सत्र बुलाया नहीं गया है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। दूसरा कारण है कि वह बताये, सरकार की दिशा क्या है, सरकार की योजनायें क्या है, सरकार की आगे की सोच क्या है, संकल्प क्या है, किस मार्ग से वह उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, यह कारण हो गये। इस अनुच्छेद में आगे है कि सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करने के लिये उपबंध किया जायेगा, वह भी कर दिया गया कि 29 तक बहस होगी। अब आज हमने रूल आफ ला का सम्मान करते हुये, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुये संविधान के अनुच्छेदों का सम्मान करते हुये, सदन बुलाया है और हम यहां सदन में बैठे हैं, जब महामहिम राज्यपाल ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया तो स्वाभाविकता है कि उसमें उपलब्धियों की चर्चा होती और स्वाभाविकता है कि उसमें सरकार के द्वारा योजना की चर्चा होती है, इसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति के और किसी भी एथारिटी को चाहे वह एथारिटी कांस्टीटिट्यूशन ही क्यों न हो, वह चुनाव आयोग ही क्यों न हो जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं इस सदन के इन अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पर श्रीमन्, मैं संविधान के अनुच्छेद 194 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधन का अनुच्छेद 194, यह अपने में बहुत महत्वपूर्ण है जो लोकतंत्र का प्राण है। इसमें है–इस संविधान के उपबन्धों और विधान मंडल की प्रक्रिया का विनियम करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य विधान मंडल में सदस्यों को वाक स्वातंत्रता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। वाक स्वातंत्र्य, और आज अगर मैं माननीय श्री गौरी शंकर जी के तर्क को मान लूं तो फिर हमारी वाक स्वातंत्रय समाप्त हो

गयी अर्थात् विपक्ष द्वारा प्रश्न करने का अधिकार समाप्त हो गया । फिर सरकार को अपनी ओर से स्पष्टीकरण देने का अपना अधिकार है वह समाप्त हो गया । विश्व में सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार के अनुचित नियंत्रण को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो नियंत्रण माननीय सदस्यों के वाक् स्वातंत्र्य (फ्रीडम आफ स्पीच) को कर्टेल कर दे, काट दे और इस नाते से यहां पर इलेक्शन कमीशन के कोई कोड की कोई धारा उपधारा लागू नहीं होती । यह ठीक है कि वाक् स्वातंत्र्य में इतना कह दिया गया कि न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी यहां नहीं की जायेगी, यह प्राविधान है, हम लोग करते भी नहीं हैं । श्रीमन्, संविधान की व्यवस्थाओं का नियंत्रण हो उसके अतिरिक्त और कोई नियंत्रण नहीं है, यहां की सब गतिविधियों और कार्यकलापों पर केवल संविधान की व्यवस्थाओं का नियंत्रण हो अन्य किसी संस्था का नहीं है चाहे वह कितनी ही ऊंची क्यों न हो । श्रीमन्, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह कितनी महत्वपूर्ण बात है वाक स्वातंत्रय फ्रीडम आफ स्पीच, यह अधिकार न होता तो बहुत बाते कहने का हम साहस न जुटा पाते और इसीलिए प्राविधान किया गया है कांस्टीट्यूशन के अन्दर कि विधान सभा के अन्दर कही गयी बाते किसी एक्शन से परे होंगी और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती । आज यह प्रश्न उठा है कि क्या हम अपने इतने बड़े अधिकारों पर अंकुश लगाने को तैयार है ? संविधान ने हमको स्वतंत्र भाषण करने का अधिकार दिया है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया है । इस नाते से इस माननीय सदन के अधिकारों का दमन मेरे अपने विश्वास में कोई भी माननीय सदस्य इसे सहन नहीं करेगा । श्रीमन्, मैं अब अनुच्छेद 208 को पढ़े दे रहा हूं इसके अन्तर्गत यह है कि सारी नियमावली बनाने, यहां की सारी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एकमेव टक है यह पवित्र सदन और यह माननीय सदस्य और यहां जितने भी विधान मंडलों, सदनों की प्रक्रिया और कार्यसंचालन है वह इस सदन के द्वारा स्थापित नियमों के द्वारा संचालित है अब इसके लिए किसी भी बड़े से बड़े प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता यहां तक कि न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है कि विधान सभा में क्या नियम बने और कैसी प्रक्रिया चले इसे देखें तो क्या आज यह सवाल उठाकर इतने बड़े मौलिक अधिकार को उनको देने के लिए तैयार हैं । मेरा विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य इसके लिए तैयार नहीं होगा । अब श्रीमन् संविधान के अनुच्छेद 212 पर आता हूं । संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधान मण्डल की किसी कार्यवाही पर न्यायालय जांच नहीं कर सकता है । इतने बड़े अधिकार हैं हमारे पास यह लोकतंत्र के लिए होने भी चाहिए ।

अनुच्छेद 212 इस प्रकार हैं–"राज्य के विधान-मण्डल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।"

इस तरह से जो हम करते हैं यहां पर गलत सही उस के मालिक हम ही हैं सदन मालिक है । कोई बाहरी प्राधिकारी नहीं है । लोकतंत्र का यही प्राण है । यह अधिकार यदि हम किसी दूसरे प्राधिकारी को देने लगेंगे तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप के पास संविधान है, अनुच्छेद 211 देखिये ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप भिज्ञ हैं । इसमें प्रतिबन्ध है कि किस मामाले में विधायिका में चर्चा नहीं हो सकती है । न्यायालय, न्यायपालिका के बारे में चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर संविधान निर्माता चाहते तो चुनाव आयोग का उल्लेख हो सकता था उसमें ।

श्री कल्याण सिंह–

हम आपके आभारी हैं मान्यवर । संविधान के अनुच्छेद 211 में केवल यही प्रतिबंध है कि न्यायपालिका और न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी । यह कहीं-नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ।

अब अनुच्छेद 324 देखें । मैं पहले अंग्रेजी में पढ़े देता हूं उसके बाद उसका हिन्दी में अनुवाद भी कर दूंगा । अनुच्छेद 324 जिसकी कि बार-बार चर्चा होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अनुच्छेद 324 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ।

सुपरिटेन्डेन्टस डाइरेक्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ इलेक्शन टु बी वेस्टेड इन एन एलेक्शन कमीशन इसमें शब्द सुपरिटेंडेंस है, गर्वनेन्स शब्द नहीं है । संविधान निर्माता बहुत विद्वान थे वे इलेक्शन कमीशन को इतने अधिकार देने के पक्ष में रहे होते तो सुपरिटेंडेंस की जगह गवर्नेन्स शब्द लिखते ।

अब मान्यवर, अनुच्छेद 324 का हिन्दी देखें । "निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना–(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान का निर्वाचन आयोग कहा गया है)"

मान्यवर, इसमें गवर्नेन्स शब्द नहीं है बल्कि शब्द "सुपरिटेन्डेन्स" है । चुनाव निष्पक्ष हो जाय, बूथ सही बन जायं, यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन आयोग सदन को आदेश नहीं दे सकता है कि सदन अपने कौन से नियम बनाये । श्रीमन्, एक बात उल्लेखनीय है, जैसे कहीं पर संविधान के अनुच्छेदों में यह होता है और लिख दिया जाता है कि पीछे इस संबंध में यह लिख दिया गया है, जैसे कोई ओवर-राइडिंग क्लोज हो । परन्तु 324 में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं । इसलिये हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर यह सावधानी बरती । मैं यहां पर फिर दोहराना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और सरकार की भावी योजनाओं का उल्लेख होगा, यह एक संवैधानिक अधिकार है । इसमें इलेक्शन कमीशन का किसी भी कोड और कन्डक्ट का बाल भर भी उल्लंघन नहीं हुआ है । अच्छा, मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे एक बात पूछूं कि विपक्ष को पूरा अधिकार है हमारी आलोचना करने का, हम पर आरोप लगाने का कि यह सरकार निकम्मी है, नकारा है, चार महीने हो गये, इस सरकार ने कुछ करके नहीं दिया । अब या तो हम चुप बैठ रहें या फिर हम कहें कि श्री गौरी शंकर जी आपने जो आरोप लगाये हैं, वे सही नहीं हैं और चार महीने के कार्याकाल में हमारी सरकार ने बड़े-बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं जो पहली बार लिये गये हैं और ये-ये हमारी उपलब्धियां हैं 1, 2, 3, 4 आदि । तभी तो हम आपके आरोपों का सार्थक उत्तर दे पायेंगे । आप हम पर आरोप लगायें कि यह सरकार दिशाहीन है, लक्ष्यविहीन है, और भविष्य के लिए इसके पास कोई योजना नहीं है । हम चुप बैठ जायं और मान लें कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है । हमें तो बताना ही होगा कि आपका यह आरोप गलत है और भावी हमारी यह योजना है और इस दिशा में प्रदेश को ले जाने का हमारा संकल्प है और ये हमारे कार्यक्रम हैं और प्रदेश के विकास के रथ को हम इस दिशा में इस तेजी से ले जाना चाहते हैं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन बातों का आना आवश्यक है । राज्यपाल का अभिभाषण होगा, यह हमारी संवैधानिक बाध्यता है । जब आप आलोचना करेंगे तो हमें बताना होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमने यह कहा है और भविष्य की हमारी यह योजना है । पिछले चार महीनों में हमारी क्या-क्या उपलब्धियां रहीं, इसका ब्यौरा हमने दिया और आगे हम किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, वह हमने दे दिया । अब इस बारे में हम रूल आफ

ला नहीं अपनायेंगे तो उसके दुष्परिणाम भयंकर होंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक विद्वान वी०एम० विट का एक ठोस उदाहरण देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि "ह्वैर ला इंड्स, दि टाइरेनी बिगेन्स ।" जहां कानून समाप्त होता है वहीं से अराजकता प्रारम्भ हो जाती है । तो हमने जो कुछ भी किया है वह रूल्स आफ ला के अन्तर्गत किया है । चुनाव आयोग चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो लेकिन वह संविधान के ऊपर नहीं है । आखिर इस इलेक्शन कमीशन की स्थापना कहां से हुई ? यह उसी कास्टीट्यूशन से तो हुई । अगर कांस्टीट्यूशन को अलग कर दिया जाय तो इस इलेक्शन कमीशन को क्या महत्ता रह जायेगी ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि आप रूल्स आफ ला के अनुसार चलें और हमने जितनी भी प्रक्रिया अपनायी है वह रूल्स आफ ला के अनुसार ही है । इसमें जो अनुच्छेद 327 है उसमें यह इंगित किया गया है कि देश की संसदीय प्रणाली में संसद विधिमान्य सर्वोच्च संस्था है । वह संविधान 327 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद समय-समय पर, विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल सदन प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक–नामावली तैयार कराना, निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिये अन्य सभी आवश्यक विषय हैं , उपबन्ध कर सकेगी । कानून के ऊपर या संविधान के ऊपर यह इलेक्शन कमीशन कार्य करने में सक्षम नहीं है । जो 17 जनवरी, 98 का लिखकर भेजा है, वहां पर संविधान विशेषज्ञ लोग बैठे हैं और उन्होंने संविधान जरूर पढ़ा होगा, मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं । उसमें यह लिखा हुआ है :–

दि कमीशन इज एंक्सियस दैट व्हाइल लेजिस्लेटिव सेशन्स आर रिक्वायर्ड मस्ट गो फारवर्ड इन दि नार्मल कोर्स टिल दि इलेक्शन प्रासेस इज ओवर आन दि सेवेन्थ मार्च, 1998.

दि स्टेट इक्जिक्यूटिव शुड नाट यूटिलाइज सच अपार्चुनीटीज टू एनाउन्स वाइड रेंजिंग फाइनेंशियल एण्ड अदर कन्सेशन ।

मैं एक्जीक्यूटिव होने के नाते इस परिधि में आता हूं, गवर्नर नहीं आते हैं । जो घोषणाएं की हैं वह गवर्नर ने की हैं । गर्वनर एड्रेस के बारे में कमीशन टिप्पणी नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान का अनुच्छेद 154 देखें । उसमें लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी कर सकता हूं । मान्यवर, पंचम वेतन आयोग का सवाल उठाया गया । मैं सरकार को बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने केन्द्र के द्वारा पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने यहां भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके बराबर वेतनमान दिया और इससे हमारे 9 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए और तीन लाख पेंशनर्स लाभान्वित हुए । श्रीमन्, यह भी किसी सूबे में नहीं हुआ है । लेकिन हमने कर दिया है, इसके लिए हमें बधाई मिलनी चाहिए ।

श्रीमन्, हमने एक काम और किया है वह है संवैधानिक संशोधन 73, 74वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण और नगरीय निकायों के लिए 10 प्रतिशत की धनराशि सुनिश्चित कर दी जायेगी । यह धन-राशि राज्य के पुल जो हैं उनमें जो कर हैं उनमें से 10 प्रतिशत की धनराशि सुनिश्चित की जायेगी । हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है । इसमें भी

उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें 73वें, 74वें संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को मान कर और उसके कुछ बढ़ाकर नगरीय और ग्रामीण निकायों को मजबूत करने का काम किया है। यह भी किया है तो संविधान के 73वें, 74वें संशोधन, पंचायत राज अधिनियम के अनुसार यह काम हमने किया है। इसके लिए भी बधाई मिलनी चाहिए थी लेकिन आप ने कहा कि यह क्यों कर दिया ?

श्रीमन्, इसी तरह शीरा की पालिसी 1997 में ही घोषित कर दी गई थी जो सम्भवतः 3/4 दिसम्बर में हुई, तो उसमें भी कोई चीज चुनाव आयोग के अनुसार उल्लंघन नहीं होती है। इसलिए पुनः मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके एक जुट होकर इस सदन के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। हमें किसी भी दूसरी संस्था का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए घातक हो जायेगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका हम सम्मान करते हैं लेकिन मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यह सदन, विधान मंडल, उतनी ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसलिए एक संवैधानिक संस्था को दूसरी संवैधानिक संस्था के क्रिया-कलापों और कार्य-प्रणाली में, नियम बनाने के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

आप ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर से मांग कर रहे हैं कि चुनाव टाल दिये जायं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

टाल नहीं, कैंसिल कर दिए जाएं।

श्री कल्याण सिंह–

कब तक के लिए ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जब तक आपकी यह घोषणायें बन्द न हो जाएं तब तक के लिए यह निष्प्रभावी हो जाये।

श्री कल्याण सिंह–

यह तो हो गयी हैं और जनता तक पहुंच गयी हैं। इसका लाभ हमको मिल गया। आपको इससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए चुनाव होंगे और घोषणायें हो गयी हैं और सरकार प्रतिबद्ध है घोषणाओं को पूरा करेगी।

श्री अध्यक्ष–

बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना उत्तर दे दिया है। इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं, इस पर व्यवस्था मैं कल दूंगा।

नियम 51 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं पर उसी दिन संबंधित मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

एक सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई जी ने दिया है, नियम 51 के बारे में है। डा० बाजपेई ने कहा कि आजकल संचार की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गयी है, इसलिये उसके माध्यम से नियम 51 के बारे में सूचना उसी दिन प्राप्त कर ली जाया करे, तो आप प्रयास करें। नियम 51 की सूचनायें जाती हैं, तो काफी समय लग जाता है, तो सदस्यों को उस सत्र में उत्तर नहीं मिल पाता है।

संसदीय पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो कार्यसूची है, एजेन्डा है, उसके सबसे अन्त में नियम 51 की सूचनायें ली जाती हैं, तो जब सदन का अन्त होने वाला होता है, तब ली जाती हैं और कभी-कभी सदन सात-आठ बजे तक चलता है और ऐसी स्थिति में यह सूचनायें उस समय आयेंगी, तो सूचना उसी दिन मंगाना संभव नहीं होगा, आपने निर्देश दिया है, तो मैं प्रयास करूंगा।

(डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा० बाजपेयी जी, मैंने निर्देश दे दिया है।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मैं मान्यवर, नियमावली के नियम 51(2) का हवाला देना चाहता हूं, उसमें है कि किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर संबंधित मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायेगी। मैंने किसी नई बात की मांग नहीं की है। मैंने कहा है कि साधन बहुत गतिशील हो गये हैं, मैं एक दो उदाहरण भी देना चाहता हूं। अध्यक्ष निर्देशित करेंगे कि मंत्री उत्तर कब देंगे, मंत्री नहीं तय करेंगे कि उत्तर कब देंगे ? नियम 51 में जो सूचनायें दी जाती हैं, वह अविलम्बनीय लोक महत्व की होती हैं। आज प्रश्न उठाया जाता है और उत्तर 10 दिन के बाद आयेगा तो हमें सूचना कैसे मिलेगी, आज सत्र बहुत कम अवधि के होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में मैं अवगत नहीं हो पाऊंगा। मान्यवर, इसमें विशेष निर्देश की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी सूचना को संज्ञान में ले लिया है। नियमावली और आपकी सूचना के आधार पर व्यवस्था करें।

दिनांक 13 अगस्त, 1997 को सरकार द्वारा विधान सभा में जिला योजना के संबंध में की गयी घोषणा को मानने से इन्कार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पिछला सत्र अगस्त में समाप्त हो गया था। 13 अगस्त, 1997 को सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभी सदस्यों की व्यथा को ध्यान में रखते हुए कहा था कि जिले की जो अनुश्रवण समितियां हैं, वह जो जिले की योजना बनाकर शासन के पास भेजेगी, उसको शासन स्तर पर उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया जायेगा। मान्यवर, उन समितियों में उस जिले के विधायक सदस्य होते हैं और उनकी राय और मशविरे के साथ योजना बनायी जाती है और सरकार उनका अक्षरशः पालन करेगी, लेकिन अभी हाल ही में यह हुआ है कि 30 दिसम्बर, 1997 को हरिद्वार की अनुश्रवण समिति ने योजना बनायी और उस पर जिलाधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं और तब उसको शासन के पास भेजा गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग के सचिव ने एक मीटिंग बुलायी और कहा है कि यह प्रस्ताव पुनः बनाकर भेजे जायें। मैं कहना चाहता हूं कि शासन के जो मानक थे, वह उस बैठक के बाद जिले में प्राप्त हुए, तो जो घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में किया था, उसका उल्लंघन सचिव के आदेशों से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

लगभग इसी प्रकार की सूचना माननीय अम्बिका चौधरी जी की भी है।

13 अगस्त, 1997 को पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा का सरकार द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 300 के अन्तर्गत जितना समय आपने माननीय सदस्यों को दिया होगा, उससे कम ही मैंने समय लिया है। मान्यवर, पिछले सत्र के चलते जुलाई-अगस्त में चलने वाले सत्र में एक बात आयी थी कि विकास के कार्यों में जो सदस्यों की भूमिका है, वह सिमट गयी है।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

एक कठिनाई तमाम सदस्यों के सामने आई जितनी योजनायें विकास की उनके क्षेत्र में थी उन सभी योजनाओं की राशि को घुमा फिराकर एक में कर दिया। अगर माननीय सदस्य जानना भी चाहते थे कि अमुक योजना चल रही थी उसका क्या हुआ ? तो उस पर श्रीमन्, यहां उत्तेजना के क्षण भी आये हम सब इस पर एक राय से और माननीय सभी सदस्य इस पर सहमत होंगे हमारी दो तरह की भूमिका रहती है एक तो हमारा विधायी कार्य रहता है और दूसरा जिन क्षेत्रों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसके विकास से भी हमारा सीधा सरोकार रहता है। अपने क्षेत्र में छोटी नाली बनाना, खड़ण्जा लगाना, हैण्ड पम्प लगवाना, विद्यालय बनवाना और दूसरे विकास के कार्य करना है। अगर हम यह सब नहीं करेंगे तो हमारे सामने कठिनाई आती है उसके निराकरण के लिए यहां पर विधायक निधि की स्थापना की बात कही थी मैं उस पर नहीं जाता। उसके निराकरण में आपकी भी अहम् भूमिका रही आपने कृपापूर्वक बड़ा योगदान दिया। उस निराकरण में इस तरह की अन्य योजनाओं के अलावा पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि में माननीय सदस्यों की राय ली जायेगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तब कहा था कि पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि में जिलाधिकारी द्वारा जो योजना तैयार की गयी है उसमें माननीय सदस्य विधान सभा और माननीय सदस्य विधान परिषद् की राय अवश्य ली जायेगी। उन्हीं की राय से उनको तैयार किया जायेगा। उसमें किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सांसदों की भी राय नहीं ली जायेगी। अन्य योजनाओं में भी हम लोग राय दे सकेंगे लेकिन आज परिस्थिति दूसरी हो गयी है रहा खटका नहीं चोरी का, दुआ देता हूं रहजन को। इसको पूरा का पूरा डायवर्ट करने का काम सरकार कर रही है। पूर्वांचल विकास निधि का सारा धन डायवर्ट करने के लिए आदेश हो गये हैं। पूरी तरह से इसे दूसरी तरफ घुमा दिया जायेगा तो जो इस सदन की परम्परायें हैं जो सदन के सम्मुख बातें सरकार ने की हैं और जो माननीय सदस्यों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। हमने अपने क्षेत्र में लोगों को जानकारी दे दी कि यह-यह योजनायें चलेंगी तो यह प्रश्न सदस्यों की विश्वसनीयता का है कि अमुक सड़क पूर्वांचल विकास निधि से बन जायेगी तो उसको डायवर्ट कर देने से क्या स्थिति हमारी होगी इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत योजनाओं के लिए जो माननीय सदस्यों की राय ली गयी है उसके अनुसार कार्य किया जाये। क्योंकि पहले ही उनकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस पर आज माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से घोषणा हो जाय तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा और माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पूर्वांचल विकास निधि में माननीय सदस्यों की राय को महत्व दिया जाये। इसकी घोषणा कर दें कि हमने निर्देश दे दिया है।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारने पर)

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा निवेदन है.....

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर उनके विचार आ जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, हमारे 2 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी । मैं इसी के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है । 15-1-1998 को शासनादेश जारी हुआ है । उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया और निर्देशित किया गया कि वे अपने जनपद के विधान सभा और विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के साथ बैठकर ही योजना को अन्तिम रूप दें । पहले जो नियम बने हुए थे उन नियमों में संशोधन कर दिया गया है । संशोधित प्रारूप यह है । निधि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के जिलांश भाग से पोषित होने वाली योजनाओं से संबंधित जिलाधिकारी अपने जनपद के सदस्य, विधान सभा सदस्य और विधान परिषद् सदस्य के साथ बैठक करके अन्तिम रूप देंगे । मान्यवर, यह संशोधन कर दिया गया है । इसमें सम्मानित विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के साथ बैठकर योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सरकार ने जो निर्णय लिया है मैं उसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने वाक् चातुर्य से जो बात कही है, उन्होंने कार्य तो कुछ और किया है और कहा कुछ और है । इसे । आप आरोप के तौर पर न लें । आप भी पहले माननीय सदस्य हैं और बाद में मंत्री हैं । पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जो योजनायें आयीं उनको विधायकों के माध्यम से शासन तक पहुंचाया गया और शासन में वह स्वीकार हो गयीं और उस पर स्वीकृति के बाद आपके यहां से एक निर्देश गया कि अमुक योजना को डायवर्ट कर दें । मेरा कहना है कि जो योजना पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत भेजी गयी और जिनको स्वीकार किया गया है उनके लिए तत्काल धन निर्गत करने के लिए आदेश दिये जायं । 15 जनवरी को जो आदेश भेजा है मैं उसका स्वागत करता हूं उसमें कोई बाधा नहीं है । गाइड लाइंस के अनुसार तय करें लेकिन जो योजनायें पहले आ गयीं हैं और स्वीकृत हैं उन पर इन प्राविधानों को लागू न किया जाय और तत्काल उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर भी ध्यान दे दीजियेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी थी उसमें कहा था कि जिला अनुश्रवण समिति हरिद्वार से 30-12-97 को जो प्रस्ताव आया था उसको स्वीकार किया जाय । उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस पर भी ध्यान दीजियेगा । जहां तक मा० अम्बरीष कुमार की सूचना का संबंध है शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है । इसको अस्वीकार किया जाता है । माननीय अम्बिका चौधरी की सूचना के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है उसके पश्चात् इस सूचना को अस्वीकार किया जाता है ।

जिला चिकित्सालय, देवरिया में चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वतन्त्र चेतना के संवाददाता श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी को अपमानित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है । जो समस्या आपने उठायी है उसको मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में ला चुका हूं और उन्होंने उस पर जांच के आदेश दे दिये हैं । उसके बाद आप कुछ कहना चाहते हैं । मैं तो नहीं समझता कि अब कुछ कहने की आवश्यकता है । पर यदि कहना है तो कृपया एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव

मान्यवर, विगत 19 जनवरी को मैं अपना एक्सरे कराने के लिए देवरिया के जिला अस्पताल में गया एक्सरे कक्ष में डा० के० एन० शुक्ला हमारे एक्सरे प्लेट देखकर हमको इलाज बता रहे थे । उसी समय हमारे जनपद के एक बहुत ही सम्मानित युवा पत्रकार श्री महेन्द्र त्रिपाठी अपनी भाभी का एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए आये । डा० हमारी रिपोर्ट देख रहे थे । मेरी गर्दन का एक्सरे हुआ था । स्पोन्डिलाइटिस की शिकायत बता रहे थे ।

श्री अध्यक्ष

आपकी सूचना से संबंधित विषय माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है । शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है और उस पर जांच के आदेश हो गये हैं । अब आपको क्या दिक्कत है ? आपकी सूचना अभिलेख में आ गयी है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव

मान्यवर, प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है । देवरिया जनपद में पत्रकार आन्दोलित हैं इसलिए कहना चाह रहा हूं । स्वतन्त्र चेतना के पत्रकार महेन्द्र त्रिपाठी को जिला अस्पताल के दो चिकित्सक डा० राजीव जायसवाल तथा डा० भीम सिंह ने कुर्सी से खींचकर गिरा दिया और कुर्सियों से मारा तथा कहने लगे कि अखबार में तुम खबर छापते हो हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस की आलोचना करते हो । मान्यवर, यह 19 तारीख की घटना है । उक्त तिथि को ही महेन्द्र त्रिपाठी के आवेदन-पत्र के साथ अपना पत्र संलग्न कर मैंने फैक्स किया था डी० एम० ने एस० डी० एम० (प्रशासन) को जांच अधिकारी ने मुझसे 22 तारीख को डी०एम० के आदेश पर ए०डी०एम० (प्रशा०) ने उनके कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में मुझे सहयोग करने के लिए पत्र लिखकर बुलाया । मैं उनके कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त घटना के बारे में बताया । डा० जायसवाल तथा डा० भीम सिंह ने पत्रकर को मारा और कहा कि तुम एक्स-रे की फीस रुपये 200 नहीं देना चाहते हो और मुफ्त में रिपोर्ट लेना चाहते हो । मान्यवर, 22 तारीख को इसी से संबंधित एक और घटना होती है उस पत्रकार के एक और साथी श्री विनोद तिवारी 27 तारीख को इस घटना को लेकर अनशन करने की सूचना जिला प्रशासन को दिये थे उनकी भी उक्त डा० जायसवाल द्वारा जान से मारने की धमकी तथा पिटाई की गयी और कहा कि 27 तारीख को जो अनशन करने की तुमने धमकी दी है उसको वापस लो । मान्यवर, 504 और 506 धारा के अन्तर्गत उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय थाना कोतवाली में दर्ज है । विगत एक सप्ताह से जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें मैंने बता दिया कि आपकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आ गयी है और उन्होंने उस पर जांच के आदेश कर दिये हैं । अगर आपकी सूचना निरस्त कर दी जाय तो शासन जांच के आदेश वापस ले सकती है । आप क्यों चाहते हैं कि मैं आदेश करूं कि आपकी सूचना

निरस्त हो ? माननीय सुबाष जी की इस नियम में दी गयी सूचना का इसी के साथ निस्तारण कर रहा हूं। निरस्त नहीं कर रहा हूं। निस्तारण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 †

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 की, भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (II) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क०स०वि० 2-2783/ग्यारह 9(68)/97 उ०प्र०अधि०–15–48 आदेश–97, दिनांक 1 सितम्बर, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थगत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क०स०वि०– 2-2786/ग्यारह 9(68)/97 उ०प्र०अधि०–15–48 आदेश–97, दिनांक 1 सितम्बर, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क०स०वि०– 2-2787/ग्यारह 9(68)/97 उ०प्र०अधि०–15–48 आदेश–97, दिनांक 1 सितम्बर, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क०स०वि०– 2-3115/ग्यारह 9(460)/94 उ०प्र०अधि०–15–48 आदेश–97, दिनांक 30 सितम्बर, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क०स०वि०–2-3350/ग्यारह 9(68)/97 उ०प्र०अधि०–15–48 आदेश–97, दिनांक 4 सितम्बर, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के परिशिष्ट वित्तीय वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 का संकलित प्रमाणित वार्षिक चिट्ठा †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के परिशिष्ट वित्तीय वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 का संकलित प्रमाणित वार्षिक चिट्ठा को उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

---

† छापी नहीं गयी।

अधिनियम 1960 की धारा 30 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य वित्त आयोग (पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय) के अन्तरिम, अन्तिम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य वित्त आयोग (पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय) के अन्तरिम/अन्तिम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन को संविधान की धारा 243 (आई) (4) तथा 243 (वाई) (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम, प्रतिवेदन, 1977-78

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ० प्र० पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम प्रतिवेदन, 1977-78 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619 की उपधारा–3 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मण्डलीय विकास निगम, आगरा का प्रतिवेदन, 1983-84

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मण्डलीय विकास निगम, आगरा का प्रतिवेदन, 1983-84 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619 की उपधारा–3 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पूर्वांचल विकास निगम, फैजाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79,80, 1980-81

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पूर्वांचल विकास निगम, फैजाबाद के प्रतिवेदन, 1978-79, 80, 1080-81 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619 की उपधारा–3 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 637/सात–सं–1–97–31सं/97 दिनांक 25 जून, 1997 के साथ प्रकाशित उ० प्र० राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण का वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 को विलम्ब के कारणों सहित उ० प्र० साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–14–15 में कुछ नहीं है अब मद संख्या–16 लेते हैं।

नोट :– † छापी नहीं गयी।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 जनवरी, 1998 की बैठक में सदन के दिनांक 28 जनवरी, 1998 तथा 29 जनवरी, 1998 के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–सदन का दिनांक 28 जनवरी, 1998 तथा 29 जनवरी, 1998 का निथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जनवरी, 1998

---

28 बुधवार

(1) निधन के निदेश (प्रश्नकाल के उपरान्त) ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998—आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998–आधा घण्टा ।

(ग) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998–आधा घण्टा ।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998–आधा घण्टा ।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998– आधा घण्टा ।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998–आधा घण्टा ।

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(4) 4.00 बजे अपराह्न से

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

29 गुरुवार

(1) विधायी कार्य ।

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–दिनांक 28 व 29 जनवरी, 1998 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव से जिसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

मद संख्या–19 (श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2,3, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक:

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 को निरसित करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा । — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 28 दिसम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 का निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1997

3–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । — निरसन

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 3, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 16 का संशोधन

(2) यह 13 नवम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 16 में, उपधारा (15) में, शब्द "आधे से अधिक से बहुमत" के स्थान पर, शब्द "दो-तिहाई बहुमत" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1997

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 24 पुकारे जाने तथा माननीय सदस्य श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव के अनुपस्थित होने पर)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मैं मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, शाम के 5 बज रहे हैं लेकिन आबकारी मंत्री जी की आंखों में लालिमा नजर नहीं आ रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 7 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।

(2) यह 8 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(घघ) 'शीरा वर्ष' का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है :"

धारा 8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) उप धारा (1) में शब्द "आज्ञा द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आज्ञा द्वारा" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(1–क) उप धारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी शक्कर के कारखाने का अध्यासी शीरा वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में शक्कर के कारखाने में उत्पादित शीरे का चालीस प्रतिशत ऐसे रासायनिक उद्योगों को बेचेगा या सम्भरित करेगा जो शीरे के वास्तविक उपभोक्ता हों और जिन्हें संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन लाइसेन्स हो :

प्रतिबन्ध यह है कि शीरे की ऐसी मात्रा जो उक्त रासायनिक उद्योगों द्वारा अपेक्षित न हो, नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन से शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा किसी अन्य इकाई को, जो शीरे के वास्तविक उपभोक्ता हों, बेची या सम्भरित की जा सकती है।"

धारा 10 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(एक) उप धारा (1) में शब्द "उस मूल्य पर बेचेगा जो अनुसूची में नियत मूल्य से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "बेचेगा" रख दिया जायेगा :

(दो) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि पेय मद्यसागर की आसवनियों को, जिन्हें देशी शराब के थोक संविदा सम्भरण के लिए लाइसेन्स दिया गया है, शीरा, जिसके संबंध में धारा 8 के अधीन आज्ञा दी गयी हो, उस मूल्य पर जो अनुसूची में तत्समय नियत मूल्य से अधिक न हो, 31 मार्च, 1998 तक सम्भरित किया जाना जारी रखा जायेगा :"

(तीन) उपधारा (2) और स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

धारा 10–क का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 10–क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"10–क–शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी, नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के शीरे के विक्रय मूल्य से ऐसी धनराशि, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रह की पर्याप्त सुविधाओं की

संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि

व्यवस्था तथा अनुरक्षण में उपयोग करने के लिए एक पृथक निधि में रखेगा :

शीरे की श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)
प्रथम	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक
तृतीय	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक

अनुसूची का निकाला जाना

6–मूल अधिनियम की अनुसूची 31 मार्च, 1998 से निकाल दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 1 सन् 1998

निरसन व अपवाद

7–(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 7, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2, 4, 5 और दिनांक 19 सितबर, 1997 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 में नयी धारा 31–कक का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"सह-आचार्य और आचार्य के पद की पदोन्नति"

"31–कक (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत किसी सह-आचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जायं, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है ।"

(2) उपधारा (1) के अधीन पदोन्नति, धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी ।

स्पष्टीकरण :—लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय के संबंध में धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द "उपाचार्य" का अर्थ "सह-आचार्य" होगा ।

नई धारा 31-ख का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 31-कक के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गई समझी जायगी, अर्थात् :-

"31-ख-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध मे या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य या अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसायटी, इलाहाबाद के नियमों और उपविधियों के अनुसार की जायगी ।

नियुक्ति के संबंध में विशेष उपबन्ध

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) 1998 के प्रारम्भ के पूर्व उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार की गई समस्त नियुक्तियां उक्त उपधारा के अधीन की गयी समझी जायगी मानो उक्त उपधारा के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवत्त थे ।"

धारा 50 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारी वर्ग, के लाभ के लिए या अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए, कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार, कुलाधिपति की अनुमति से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है ।"

धारा 57 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 57 में, खण्ड (ii) में, शब्द "उसने परिनियमों या अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है : या" के स्थान पर शब्द "उसने परिनियमों या अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है : या" रख दिये जायेंगे ।

धारा 65 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (2) में, शब्द "और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्त न हो जाय" निकाल दिये जायें।

निरसन और अपवाद

7-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1997

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

1––उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में,–– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "कुलाधिपति द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) में, शब्द "कुलाधिपति द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (10) में, शब्द "कुलाधिपति, किसी उपर्युक्त व्यक्ति को छह मास से अनधिक पदावधि के लिये जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद नियुक्त कर सकेगा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छह मास से अनधिक पदावधि के लिये, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा" रख दिये जायेंगे ।

3–मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में, शब्द "कुलाधिपति द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा" रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु निर्धारित समय को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

समय तो समाप्त हो रहा है, क्या 10 मिनट के लिये प्रस्ताव करेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव किये देता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के उपबन्धों को निलम्बित करते हुए मद संख्या–35 को 5.00 बजे के स्थान पर 5.10 बजे ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों सन् 1997 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक इस सदन ने पारित किया था और उस समय वर्तमान सरकार में बैठे हुये लोग, जिनकी आधी हिस्सेदारी पिछली सरकार की मंत्रि-परिषद् में थी और मुझे याद है, सदन को भी इस बात की जानकारी है कि आज की सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों ने इस विधेयक की वकालत की और यह कहा कि महिलाओं की समाज में चतुर्दिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की जिन्दगी की परेशानियों को समझने के लिये, उनका उत्थान करने के लिये आयोग का गठन करना अतिआवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुये लोगों की सोच में फर्क क्यों आ गया है ? जो पहले कहा करते थे कि महिला आयोग का गठन अतिआवश्यक है, आज कौन सा इन्कलाब आ गया, उनके जेहन में कौन सा परिवर्तन आ गया कि आज यह मानने को तैयार नहीं हैं उस आयोग की कोई सार्थकता रह गई है। क्या महिलाओं की चर्तुदिक भागीदारी सुनिश्चित हो गई, कि अब महिला आयोग की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी उस आयोग की प्रांसगिकता है और महिलाओं के प्रति वर्तमान सरकार की दृष्टि है, वो अपनी वचनबद्धता के विपरीत है इस विधेयक को इस सदन में लाकर अपने कर्म और वाणी की विषमता को सरकार उजागर कर रही है। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर जोर तथा बल देता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, माननीय सुबाष जी ने एक प्रस्ताव रखा और चिन्ता जताई, मैं उसके संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार महिलाओं के उत्थान के लिये पूर्णतः प्रतिबद्ध है । हमने इस आयोग के कार्य-कलाप को देखा, और जो अपेक्षायें की गई थी, जो इसका उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हुआ । इसलिये एक नया प्रारूप बनाने की आवश्यकता है, चिन्तन करने की आवश्यकता है, इसलिये यही निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्यगण को विश्वास में लेकर दोबारा इस सारे प्रकरण पर विचार करके दूसरे किसी रूप में इसको गठित किया जाय और जिम्मेदारी दी जाय, ताकि जो अपेक्षायें हम करते हैं, जो उद्देश्य सामने रखा गया है, वह पूरा हो सके, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व 3, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 को निरसित करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) वह 8 दिसम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1997 का निरसन

2.—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1997 निरसन

3.—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 27 जनवरी, 1998 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

मान्यवर, इससे पूर्व कि मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करूं मैं देश और प्रदेश की राजनैतिक स्थिति का सूक्ष्म चित्रण करने का अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं । आज से लगभग 4 माह पूर्व जिस विषम राजनीतिक परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन की बागडोर माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में संभाली थी वह सर्वविदित है । किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुरभिसंधि करके अपदस्थ करने का कुत्सित षड़यन्त्र किया गया, किस प्रकार 24 घंटे से भी कम समय में भाजपा सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का असंभव, अव्यावहारिक एवं गुरुतर दायित्व सौंपा गया, किस प्रकार हमारे सबल एवं सफल नेतृत्व ने असंभव को संभव बनाते हुये संसदीय लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास तथा आस्था रखने वाले राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त किया, किस प्रकार निरंकुश एवं तानाशाह नेताओं के दलों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई, किस प्रकार हमारी कल्पनातीत सफलता को इसी आदरणीय सदन में हिंसा के द्वारा असफल बनाने का षड़यंत्र किया गया किस प्रकार हमने सत्तापक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए असीम संयम का परिचय दिया और अंततः दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 को प्रदेशवासियों की चिरपरिचित अभिलाषा की पूर्ति माननीय श्री कल्याण सिंह की सरकार को मिले व्यापक समर्थन से हुई और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आशातीत 222 मतों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, बाद के राजनीतिक घटनाचक्र का वर्णन करने में तो बहुत समय लगेगा किन्तु संक्षेप में इतना उल्लेख करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को साधुवाद अवश्य देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन में कोई संकोच नहीं किया और षड़यंत्र करके भाजपा को सत्ताच्युत करने वालों के नापाक इरादों को नाकाम ही नहीं किया वरन् वह ऐतिहासिक उदाहरण सम्पूर्ण देश के

समक्ष प्रस्तुत किया जो भारत के प्रथम नागरिक को करना चाहिये । राष्ट्रपति महोदय के इस अभूतपर्व निर्णय से देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु निर्धारित समय को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत उपबन्धों को शिथिल करते हुए मद संख्या 35 को 5-10 बजे के स्थान पर 6.00 बजे ले ली जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मद संख्या 35 को 5-10 बजे के स्थान पर 6-00 बजे लेने का किया है उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, लगभग 4 महीने के कालखण्ड में यह पहली सरकार है जिसने काफी लम्बे दिनों के बाद पूरे उ० प्र० की जनभावना का सम्मान करते हुए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं ।

(व्यवधान)

मैं दूसरे माईक पर आ जा रहा हूं । मान्यवर, हमारी सरकार की लगातार उपलब्धियां प्राथमिकताओं पर बढ़ती जा रही हैं । हमारी सरकार की जो प्राथमिकतायें और संकल्प हैं उनमें सर्वप्रथम चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं भयमुक्त वातावरण । यह सरकार की प्राथमिकता सर्वविदित है विपक्ष के माननीय सदस्य भी यह महसूस कर सकेंगे और इस पर सहमति देंगे अगर वे हृदय पर हाथ रखकर निष्पक्षता से विचार करेंगे तो उनको लगेगा कि जो इस सरकार की प्राथमिकतायें हैं उसका लक्ष्य किस तरह से उसने प्राप्त किया है । भ्रष्टाचार उन्मूलन, समग्र विकास, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव–यह पांच चीजें ऐसी हैं जो जिसकी प्राथमिकता तय करके इसे सरकार ने इस प्रदेश की जनता की भावना के अनुसार कार्य करना शुरू किया है । विकास की नयी रणनीति–मान्यवर, विगत 10 वर्षों से विकास-कितना बाधित था इस प्रदेश में । किसी ने विकास की चिन्ता नहीं की । केवल सत्ता का लाभ उठाकर और गलत-गलत तरीके से आपसी मतभेद पैदा करके सामाजिक टकराव पैदा करके प्रदेश का विकास अवरुद्ध कर दिया । पहली बार एक बड़ा महत्वूपर्ण निर्णय लेकर उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान लोकप्रिय सरकार ने 3 डी प्रणाली–जिसमें डिसिप्लिन, डिलीवरी तथा डवटेलिंग है लागू किया है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस लोकप्रिय सरकार ने कानून व्यवस्था में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है । साम्प्रदायिक सद्भाव कानून व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है । विगत 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया-सुन्नी में टकराव होता था । कई सरकारें आयीं और चली गयीं लेकिन किसी ने गंभीरता से इसे नहीं लिया । लेकिन हमारी

सरकार के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है कि उसने सांप्रदायिक सद्भाव के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रयास किया और इसी का नतीजा है कि शिया और सुन्नी दोनों वर्गों के लोगों ने इस बार अजादारी के जलूस निकालें और बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाले । यह उपलब्धि चौंका देने वाली उपलब्धि है और इस उपलब्धि से विपक्ष के लोग जिनके पास कोई हथियार हमला करने के लिए नहीं है वह बिल्कुल तिलमिला गये हैं और उन्होंने अपना संतुलन खो दिया है और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वह इस सरकार के काल में सफल नहीं हो पायेगा और उनके मंसूबों पर पानी फिर जायेगा और यहां पर समरसता बनी रहेगी । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त यह आरोप लगाये जाते हैं कि इस सरकार के समय में अपराध बढ़ गये हैं । मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा । 1997 और 1996 को । मैं उनकी तुलना कर रहा हूं । 71 में कितने हुए और 96 में कितने हुए ।

श्री अध्यक्ष–

27 वर्ष के बाद की आप तुलना कर रहे हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, हत्या के संबंध में 1971 में 3505 दर्ज हुए और 1996 में 10,525 जो कि दो सौ गुना बढ़ा है । डकैती के संबंध में 4657 मुकदमें दर्ज हुए और 1996 में 1153 मुकदमें दर्ज हुए जो कि 75 प्रतिशत घटा है । 1971 में लूट के संबंध में 7681 मुकदमें दर्ज हुए 1996 में 5395 दर्ज हुए तो इसमें 3 प्रतिशत घटा है । बलवा के संबंध में 1971 में 7681 तथा 1996 में 6980 मुकदमें दर्ज हुए जो कि 50 प्रतिशत घटा है । इसी तरह से नकबजनी के संबंध में 48,894 1971 में तथा 1996 में 11,719 जो कि 26 प्रतिशत घटा है । अपराधों में यह कमी वास्तव में नहीं हुआ बल्कि पंजीकरण न होने से ऐसी कमी दिख रही है ।

श्री अध्यक्ष–

पूर्ववर्ती सरकारों में 1991 की सरकार थी कि नहीं ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, थी । तो मैं यह कह रहा था कि वर्तमान सरकार ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि कोई भी अपराध छिपाया नहीं जायेगा और उसका पंजीकरण अवश्य होगा ।

हत्या एक ऐसा अपराध है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता है और उसका पंजीकरण तो होता ही है परन्तु दूसरे अपराध जो होते हैं, उनका पंजीकरण नहीं होता है या उन्हें हल्के ढंग से पंजीकृत किया जाता है परन्तु वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक अपराध पंजीकृत किया जाय । सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि किसी अपराध को छिपाने की बात नहीं की गई है । जो अपराध होते हैं उनका त्वरित गति से परीक्षण कराया जाता है और अपराधी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है । जब यह सरकार अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने लगी तो प्रतिपक्ष की तरफ से एक अपने को बड़ा उदीयमान नेता समझने वाले नेता को बड़ी तकलीफ हुई और कहने लगे कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है । दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई दल विशेष छांट-छांट करके अपराधियों को अपना कार्यकर्ता बनाये तो कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अगर सरकार कानूनी कार्यवाही करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होती ही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कार्यकर्ता तो इन्हें मिले नहीं अपराधी मंत्री बनाने के लिये इन्हें मिले ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, कोई अपराधी नहीं है, जिस पर इस तरह का कोई पुष्ट आरोप बना हो परन्तु जब वह उधर से इधर आ गये तो इन्होंने उन्हें अपराधी कहना शुरू कर दिया । पुलिस विभाग में गुणात्मक सुधार लाने के लिये, जिन पुलिस कर्मियों की अपराधियों से सांठ-गांठ थी, उन्हें चिन्हित किया गया है । इसके तहत 108 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया, 183 मुअत्तल किया गया और जिन्होंने सराहनीय कार्य किया, ऐसे 4061 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया ।

मान्यवर, उधर से बार-बार यह प्रश्न आ रहा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सारे मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो रही है और उन पर कार्यवाही हो रही है । आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी उत्पीड़न नहीं हो रहा है । जो मुकदमें कायम हुए हैं, उन पर त्वरित गति से कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, एक अनुभव की चीज है । पूरे प्रदेश में पिछली सरकारों में जनता के कार्य नहीं होते थे और लोग निराश होते थे और अधिकारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था, उन लोगों को अपने कार्य कराने के लिये सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते थे । ग्रामीण भाइयों-बहिनों का धन बरबाद होता था, उनका समय बरबाद होता था और साथ ही सचिवालाय का कार्य भी प्रभावित होता था परन्तु इस वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी खुद जनता दरबार के माध्यम से लोगों का कार्य देख रहे हैं और पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र के माध्यम से लोगों के कार्य किये जा रहे हैं । आज किसान सेवा केन्द्र एक मिनी सचिवालय की तरह स्थापित किये जा रहे हैं ताकि विभागीय अधिकारी वहीं पर रहे और जो गांव का आदमी रेल व बस का किराया देकर सचिवालय आता था, वह वहीं पर अपने कार्य को करा सके ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात है । यह सरकार की भी प्राथमिकता है । विगत सरकार के कुछ घोटालों को पकड़ा गया है । दो मामलों में सी० बी० आई० को जांच हेतु सरकार ने संस्तुति की है कुछ घपलों में सी० ए० जी व सतर्कता अधिष्ठान से जांच करायी जा रही है । प्रतिपक्ष में बैठे लोगों को इससे पीड़ा हो रही है । मान्यवर, मुझे बड़ी पीड़ा है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, जिनमें यह सुनने का साहस नहीं था, इसलिये वह सदन छोड़कर चले गये । भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हुई है । 3 आई० ए० एस०, 2 आई० पी० एस, 3 पी० सी० एस०, 4 मुख्य अभियन्ता, 1 अधीक्षण अभियन्ता, 4 अधिशासी अभियन्ता, 17 भूमि संरक्षण अधिकारी, 96 चिकित्सक तथा लगभग 310 अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है । एक नये कार्य-संस्कृति, अनुशासित संस्कृति को बनाया गया है, जो आज दिखायी भी दे रहा है ।

श्रीमन्, संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में क्रांतिकारी निर्णय हुआ है । संपत्ति के हस्तान्तरण में रजिस्ट्री कार्यालयों में काफी भ्रष्टाचार होता था । वहां स्टैम्प नहीं मिलते थे और उनकी ब्लैक होती थी । सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि यदि रजिस्ट्री कार्यालयों में स्टैम्प नहीं होंगे तो वहां फ्रैंकिंग मशीन लगाकर इस असुविधा को दूर किया गया है और नकद पैसा जमा कर जितने स्टैम्प चाहें उतने का कैश जमा करके काम करें । यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है ।

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर श्री अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डगं पीठासीन हुए)

श्रीमन्, नवजवानों के संबंध में स्थिति बहुत खराब थी । पढ़ा लिखा नवजवान इधर-उधर भटकता था, उसका शोषण होता था, इसलिए हमारी सरकार ने पहली बार इनके संबंध में गंभीरता से विचार करके इस सरकार ने एक "राज्य युवा नीति" का प्रारूप तैयार किया है जिसे शीघ्र ही अंगीकार करके कार्यान्वित किया जाएगा । इसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं का एक ही जगह पंजीकरण कराया जायगा

जिससे बेरोजगारों को नौकरी दी जा सके और जगह-जगह उनको दौड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े ।

श्रीमन्, राज्य में खेलकूद की भी एक पारदर्शी नीति बनायी जा रही है । इसी प्रकार प्रदेश के युवा वर्ग को सरकारी नौकरियों में और स्वरोजगार योजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराने का वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

विभिन्न विकास योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, खादी एवं ग्रामोद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, रेशम उद्योग, प्राविधिक शिक्षा आदि को समेकित कर प्रत्येक जनपद के लिए स्वरोजगार हेतु एक वृहद योजना तैयार की जा रही है जिसे "रोजगार छतरी योजना" का नाम दिया गया है । इस प्रकार नवजवानों को काम करने का अवसर सृजित किया जा रहा है ।

श्रीमन्, सरकारी नौकरियों में भर्ती की पूर्णतया पारदर्शी नवीन प्रणाली हमारी सरकार लागू कर रही है । अब नवजवान एक जगह अपनी शैक्षिक योग्यता और पात्रता के आधार पर पंजीकरण करा लेगा जिससे उसे दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा और जिस विभाग में रिक्ति होगी वहां पात्र व्यक्ति को यह सुविधा दी जायेगी । सरकारी नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा होती थी । हमारी सरकार ने उसका परीक्षण कराया तो लगा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण साक्षात्कार में 50 और 60 प्रतिशत नम्बरों का जो आवंटन होता था उसमें यह भ्रष्टाचार है इसलिए अब किया गया है कि केवल 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए रहेंगे और बाकी नम्बर उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको मेरिट बनाकर नौकरियां दी जायं ।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

यह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया है । श्रीमन्, भारत सरकार ने पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां घोषित कीं, यह हमारे लिये बहुत गर्व का विषय है कि पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश ने ही सबसे पहले उनको अपने यहां लागू किया है, जो कुछ 2-3 विभाग, जैसे स्थानीय निकाय आदि हैं, जो भारत सरकार में नहीं है, उनके लिये बजाज कमेटी का गठन कर दिया गया है और उसकी भी तीन समितियां बना दी गयी हैं, जिससे उसमें देर न हो और उन कर्मचारियों को भी यथाशीघ्र लाभ हो सके । इससे मान्यवर 5 हजार करोड़ रुपये का उत्तर प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा ।

मान्यवर, किसानों के बारे में अभी बहुत कहा गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के बाद 25 प्रतिशत अनुदान गेहूं के बीज पर किसानों को सुलभ कराया गया है और इस प्रकार से सरकार पर 242 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है और इतना ही हमारे किसानों को लाभ मिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

समय का ध्यान रखें ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, जल्दी ही समाप्त करता हूं । तो मान्यवर, गन्ना किसानों को पहली बार इतनी संवेदनशीलता के बाद उनकी समस्याओं पर विचार किया गया है और जल्दी पकने वाली किस्म का 80 रुपया और सामान्य पकने वाली किस्म का 75 रुपया निर्धारित किया गया है । इसके साथ ही साथ मिल मालिकों पर प्रेशर बनाये रखा जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है ।

मान्यवर, शीरा नीति इस सरकार की उपलब्धि है । हमारी सरकार ने शीरा को प्रदेश के बाहर ले

जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। मान्यवर, हमारा प्रदेश गांवों का प्रदेश है। यहां की 80-85 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जितनी भी विकास योजनायें होती हैं, वह जनसंख्या वृद्धि के कारण उनमें बाधा आती है। गांवों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है और विकास के अभाव में, रोजगार के अभाव में किसी भी आर्थिक योजना से लाभान्वित होने के अभाव में छोटे-छोटे बच्चे बाल श्रमिक के रूप में शहरों मे आ जाते हैं और शहर में झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं जो हमारे सामने आज मलिन बस्ती के स्वरूप में सामने आते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब कुछ थोड़ा संक्षेप करें। समर्थक माननीय सदस्य के लिए भी रहने दें।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

शहरों का गांव की ओर से पलायन हो रहा है। श्रीमन्, सरकार कोई जादू नहीं कर सकती जैसा पहले एक माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी जगह विशेष के लिए कहा था कि परिन्दा पर नहीं मार सकता। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है कि गांव से पलायन पूरी तरह से रोक दिया जायेगा लेकिन गांव का सुनियोजित विकास होगा विद्युत गांवों में होगी और अन्य संसाधन गांव में उपलब्ध हो जायेंगे तो गरीबों के बच्चे वहीं अपना विकास कर सकेंगे। सारी सुविधायें वहीं उनको सुलभ करा दी जायेंगी तो गांवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा और नगरों का स्वरूप भी अपने आप में बना रहेगा। गांव का विकास द्रुत गति से होगा उन्हें भी विकास का लाभ सहज में प्राप्त हो सकेगा।

श्रीमन्, जवाहर योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 97 तक 279.86 करोड़ रुपये का उपयोग करके 360.83 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किये गये जिसमें 106.28 करोड़ रुपये की धनराशि अक्टूबर, 97 से दिसम्बर तक उपयोग की गई और इस अवधि में 136.07 लाख मानव दिवस सृजित किये गये इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 97 तक 74179 आवास उपलब्ध कराये गये इनमें से 25556 आवास माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य तैयार किये गये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य समाप्त करें ठीक 6 बजे अनुपूरक अनुदान पारित होंगे अभी आपके समर्थक भी बोलेंगे इसलिए आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

यह बात कही जाती रही है कि चुंगी समाप्त करके व्यापारियों को बड़ी सुविधा दी है लेकिन व्यापारियों का कोई विशेष लाभ उससे नहीं हुआ है। इस बार पहली बार सरकार ने नगरों के विकास के लिए धन दिया है इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आपको भी अनुभव होगा और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि स्थानीय निकायों की स्थिति दिनोदिन खराब होती जा रही थी। पहली बार 1-4-97 से राज्य के सभी करों की सम्मिलित शुद्ध आय का 11 प्रतिशत भाग ग्रामीण एवं नगरीय निकायों को वित्त विभाग द्वारा सीधे आवंटित किया जायेगा। अब सरकार की तरफ उन्हें मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्रीमन्, विद्युत का विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यह सर्वविदित है कि विद्युत विकास का आधार है लेकिन विगत अनके वर्षों में कोई नये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किये गये, कोई नये पावर स्टेशन नहीं लगाये गये। जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ है। किन्तु हमें गर्व है कि हमारे इस चार महीने में प्लान्टलोड, फैक्टर बढ़ा है। जिससे विद्युत की कमी में कुछ सुधार आया है।

श्री अधिष्ठाता–

घड़ी की सुई न आपके लिए प्रतीक्षा करेगी और न मेरे लिए आप समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

पूर्व में सड़कों का विकास अवरुद्ध हो गया था जिसका विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गांवों के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाने की वृहद योजना तैयार की है। इसके अन्तर्गत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए "पं० दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना" के अन्तर्गत 132 करोड़ रुपये की लागत से 1160 मार्गों एवं 18 सेतुओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप शेष उत्तर भाषण के लिए छोड़ दें इसलिए आप विराजमान हों। प्रस्ताव के समर्थक के लिए भी समय दें।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

प्रदेश के विकास के लिए तीव्र गति से औद्योगिक विकास की व्यवस्था की है। इसी तरह प्रदेश के विकास में पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसकी ओर भी सरकार ने ध्यान दिया और अनेक योजनाएं स्वीकृत की हैं।

जो पुराने नगर हैं उनकी स्थिति ठीक करने के लिये विशेष कार्य योजना चलायी जा रही है। गरीबों को घर मुहैय्या कराने के लिये 5-10-15 रुपये रोज के आधार पर देने हेतु योजना बनायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब अपने आसन पर विराजमान हों, कल आपको उत्तर भाषण के लिये समय मिलेगा।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को बिना संशोधन के यथावत् पारित करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बालचन्द्र मिश्र जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपका अंकुश है और समय बहुत तेजी से भाग रहा है इसलिये मैं सिर्फ 2-3 मिनट के अन्दर अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की कुछ प्राथमिकतायें होती हैं और उन्हीं प्राथमिकताओं के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के माननीय कल्याण सिंह जी, मुख्य मंत्री के नेतृत्व में उसने कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं। मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है और मैं गर्व अनुभव करता हूं कि जो प्राथमिकतायें हमारी सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हैं उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो देश में पहली बार लागू की गयी हैं। मान्यवर, ग्रामीण और नगरीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने के लिये और स्वायत्ता प्रदान करने के लिये आय की 11 प्रतिशत धनराशि को देने का फैसला किया गया है। इसमें से 7 प्रतिशत नगरीय निकायों को और 4 प्रतिशत ग्रामीण निकायों को दिया जायगा। इस प्रकार से ग्रामीण निकायों को 719 करोड़ रुपये और नगरीय निकायों को 446 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। जैसे-जैसे राज्य

सरकार की आय बढ़ेगी वैसे-वैसे ग्रामीण और नगरीय निकायों को ज्यादा धनराशि प्राप्त होगी । मान्यवर, इसी तरह से 31 मार्च, 1997 तक इन निकायों पर जो बकाया धनराशि है उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा । स्थानीय निकायों पर 31 मार्च, 1997 तक जो शासकीय ऋण था उसे ब्याज सहित अनुदान में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

मान्यवर, नौकरियों में भर्ती में एक पारदर्शी क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और सरकारी नौकरियों में भर्ती की नयी प्रणाली लागू की गयी है । इस व्यवस्था में 30 प्रतिशत अंक परीक्षार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर दिये जायेंगे । यदि अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शंका है तो वह स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकेंगे जिसके लिये उनको उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अवसर प्रदान किया जायगा । इसके पहले यह आरोप लगाये जाते थे कि चयन में धांधली होती है तथा डिजर्विंग कंडीडेट्स नहीं लिये जाते हैं । इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि चयन में धांधली होती है तो इसको संज्ञेय अपराध माना जायगा और जिम्मेदार अधिकारी को जेल भेजने का प्राविधान किया गया है । मैं समझता हूं कि यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसे पहली बार लागू किया गया है ।

मान्यवर, रजिस्ट्री कराने के संबंध में बहुत बड़ी धांधली होती थी अब इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है । अब यदि स्टाम्प उपलब्ध नहीं हैं तो स्टाम्प की कीमत के बराबर राशि सरकारी खजाने में जमा करने के उपरान्त रजिस्ट्री करायी जा सकेगी । इसी तरह स्टाम्प पेपर न मिलने पर फ्रैंकिंग मशीन द्वारा रजिस्ट्री हेतु स्टाम्प की धनराशि को जमा करने की व्यवस्था की गयी है जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत बड़ी सहायता होगी । देश में पहली बार इस सरकार ने यह कदम उठाया है ।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान दिया गया है और इसे लागू करने से 9 लाख कर्मचारियों तथा 3 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे । यह लागू करके सरकार ने 2535 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाकर कर्मचारियों को लाभान्वित करने का फैसला किया है । मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में अपराधों की कमी पर भी बताना चाहता हूं कि पहले जो अपराध हुआ करते थे उनकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं होती थी । यहां पर भी बड़ी चर्चा होती थी और बड़ी दिक्कत में होती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने आदेश कर दिया है कि हर हालत में दर्ज हो और इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए । हर किसी को एफ० आई० आर० दर्ज कराने का अधिकार है और एफ० आई० आर० दर्ज जरूर की जायेगी । इसके बाद भी मान्यवर, अपराधों के प्रतिशत में कमी आई है जो कि एक उपलब्धि है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने भयमुक्त समाज के बारे में जो वायदा किया था उसको देश व्यापी बनाने का फैसला किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट में क्या कहें और क्या न कहें ?

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात कहें । वक्त न मेरा इन्तजार करेगा न आपका ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, इस सरकार ने एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया है जो हमारी सड़के हैं वह गड्ढों से भरी पड़ी हैं उन सड़कों पर चलना दूभर है । हमारी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाने की योजना लागू की

है और उसके लिये प्राक्कलन भी कराया है जिसमें 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 20 करोड़ रुपये वर्तमान में अवमुक्त भी कर दिया है ताकि हमारी सड़कें चलने लायक हो जायं । इसी तरह से जो समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत योजनाएं हैं जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग के लिये पेंशन, विधवा पेंशन आदि है पहले इसमें बहुत गड़बड़ियां होती थीं इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त था । सरकार ने निर्णय उसमें तेजी से कार्यवाही करके लाभार्थियों को समय से यह लाभ उपलब्ध हो सके ऐसा कार्यक्रम बनाया है । इसी तरह से एक और कदम उठाया है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रित हैं उनके लम्बित मामलों का तुरन्त निस्तारण करने के लिये योजना तैयार की गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब समाप्त करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आदेश का पालन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन पर श्री बाल चन्द्र मिश्र के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर उनके उपस्थित न होने पर)

मेरे पास जो सूचना आई है माननीय नेता विरोधी दल की उन्होंने अपने दल के दो सदस्यों को नामित किया है । श्री अम्बिका चौधरी और श्री अम्बरीष कुमार को । इन दोनों सदस्यों में से कोई उपस्थित है क्या ?

(किसी के उपस्थित न होने पर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि आप उनके पत्र के अनुसार देखें वह सदस्य नहीं है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके किसी भी सदस्य को बुला लें ।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने जिन दो लोगों को अधिकृत किया था उसमें से किसी न किसी को तो रहना चाहिए था । मुझे लगता है कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया है । दो लोगों को ऑब्जोराइज किया तो किसी को तो रहना चाहिए था । कोई दलीय नेता उपस्थित हैं ।

मा० रामजग जी आप अपने दल के नेता हैं आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

श्री रामजग–

जी, प्रस्तुत करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव है संशोधन का, प्रारम्भ तो आपको वहीं से करना पड़ेगा ।

श्री रामजग–

मुझे खेद है कि आपने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित उल्लेख नहीं किया–

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन दिया गया है उसे आपको प्रारम्भ में रखना पड़ेगा, आप तो अपना बोल रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

वह इनके पढ़ने लायक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा अधिकृत लोग भी उपस्थित नहीं हैं और आपके पास भी उनका संशोधन प्रस्ताव नहीं है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

सदन के सामने और कोई चारा नहीं है जब तक अनुपूरक अनुदान लिया जायगा तब तक सदन को स्थगित करें । यह सदन 6 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, तत्पश्चात् 6 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

ईद के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को एक दिन पहले वेतन भुगतान की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 35 लेने से पूर्व मुझे सूचित किया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री कोई घोषणा करना चाहते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन्, परसों ईद का त्योहार है और इसके बाद फिर अवकाश हो जायगा इसलिये जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन ईद के त्योहार से एक दिन पहले भुगतान कर दिया जायगा । श्रीमन्, यह घोषणा करना चाहता था ताकि इस प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी हो सके । इस संबंध में श्रीमन् मैं आदेश देकर आया हूं ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 35 के संबंध में कोई माननीय सदस्य विचार रखना चाहेंगे ।

(किसी सदस्य द्वारा विचार न रखने पर)

अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,21,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,21,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–2 आवास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 51,34,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–2 आवास विभाग के अन्तर्गत 51,34,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 6,12,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 6,12,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,89,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,89,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 6,63,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 6,63,56,000

रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 24,57,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 24,57,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 63,06,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 63,06,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 5,68,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 5,68,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 40,73,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 40,73,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 9,01,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 9,01,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 42,04,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 42,04,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

संसदीय मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 20,95,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 20,95,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री वंश नारायण सिंह पटेल)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान

संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 64,90,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 64,90,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 13,96,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 13,96,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 29,59,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 29,59,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,64,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,64,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,18,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,18,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 4,46,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 4,46,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,26,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,26,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 14,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 14,76,000

रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 81,25,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 81,25,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खेले विभाग के अन्तर्गत 90,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत 90,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 7,40,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 7,40,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 19,99,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 19,99,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 9,85,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 9,85,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,53,22,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,53,22,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,82,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,82,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान

संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,68,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,68,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 23,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 23,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 15,44,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 15,44,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलौपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलौपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 96,78,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलौपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 96,78,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 19,13,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 19,13,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,03,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,03,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 58,36,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 58,36,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 40,19,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत

40,19,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,81,22,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,81,22,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–38– नागरिक उड्डयन विभाग

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,19,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,19,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–39– भाषा विभाग

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 31,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 31,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,32,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,32,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 6,47,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–41– निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 6,47,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 30,16,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 30,16,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुखपाल पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 9,29,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 9,29,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान

संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,98,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,98,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 8,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 8,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 25,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 25,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक विभाग

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक विभाग के अन्तर्गत 7,46,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक विभाग के अन्तर्गत 7,46,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,39,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,39,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 17,38,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 17,38,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 23,27,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 23,27,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 25.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 98,54,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 98,54,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 61,40,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 61,40,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 37,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 37,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 28,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 28,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 71,51,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 71,51,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्यसम्पत्ति निदेशालय)

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,06,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,06,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–60–वन विभाग

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 19,87,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 19,87,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,29,51,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,29,51,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें) के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें) के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 7,75,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 7,75,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 11,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 11,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 7,91,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 7,91,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 7,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 7,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 50,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 50,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,20,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,20,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 70,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 70,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 28,55,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्रथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 28,55,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

मध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 74,32,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

"प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 74,32,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ? .

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 7,18,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 7,18,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 96,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 96,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

मध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 9,20,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 9,20,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 10,52,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 10,52,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवा योजन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 13,01,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 13,01,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 14,66,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 14,66,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 1,34,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 1,34,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 9,23,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 9,23,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 66,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 66,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–82–सर्तकता विभाग

ससदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–82–सर्तकता विभाग के अन्तर्गत 1,29,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–82–सर्तकता विभाग के अन्तर्गत 1,29,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग

सहकारिता मंत्री (श्री राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 18,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 18,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,85,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,85,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 94,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 94,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधे श्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 17,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 17,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधे श्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 20,47,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 20,47,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,09,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,09,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 6,24,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 6,24,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–92–सांस्कृतिक कार्य विभाग

सांस्कृति एवं पूर्तधर्मस्व मंत्री (श्री फागू)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,04,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,04,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,41,22,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,41,22,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 12,29,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 12,29,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–95–उत्तराखण्ड विकास विभाग

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 27,76,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 27,76,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(प्रतियां वितरित की गई)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए ।

श्रीमन् इस समय मैं दो शब्द आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं यह सरकार उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है । जो इस समय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है वह केवल अनुपूरक मांगों से संबंधित है क्योंकि मूल बजट पहले ही यहां पारित किया जा चुका है । हमारी सरकार 1998-99 का पूरा बजट, बजट-सत्र में प्रस्तुत करेगी और उस समय इस माननीय सदन के समक्ष हम उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए सारी योजनाओं को लेकर प्रस्तुत होंगे । आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्तीय दृष्टि से हमको विरासत में बहुत जर्जर स्थिति प्राप्त हुई है जो बजट में राजस्व का घाटा है

वह 6,464 करोड़ रुपये का है । स्थिति यहां तक आ गई है कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनके द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कठिनाईयां आ रही हैं । पिछली सरकार ने योजना आयोग के सामने अतिरिक्त संसाधन जुटाने का वायदा किया था, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया । इसके बावजूद मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास के रथ का पहिया रुकने नहीं देंगे । कठोर वित्तीय अनुशासन डिलीवरी सिस्टम, डवटेलिंग सिस्टम के माध्यम से पैसे का सदुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे । मान्यवर, अनुपूरक मांगें जो हैं वह 2,630 करोड़ की हैं इसमें आयोजनागत पक्ष में 600 करोड़ और आयोजनेत्तर पक्ष में 2 हजार 30 करोड़ का प्राविधान इसमें किया गया है । जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया है उस पर भी इसी वित्तीय वर्ष में एक हजार 385 करोड़ रुपये का सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा । श्रीमन् ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय को स्वायत्ता प्रदान करने हेतु ठोस् कदम उठाये हैं । श्रीमन् वित्त वेतन आयोग के कारण पहले वित्तीय वर्ष में 329 करोड़ का वित्तीय भार आएगा यह पहला राज्य है जब हमने सारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमान को केन्द्र के समान कर दिया है । हमारे सामने कुछ श्रेणियां ऐसी हैं पुनरीक्षित वेतनमान में शैक्षिक, शिक्षणेत्तर सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की, इसको हमने बजाज समिति को सौंपा है । इसमें विलम्ब न हो इसके लिये हमने तीन उप समितियों का गठन किया है ताकि वह जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें । बजाज समिति की रिपोर्ट जैसे ही शासन को प्राप्त होती है शासन पूरी सहानुभूतिपूर्वक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम उस रिपोर्ट को लागू करेंगे । इससे कुल मिलाकर शासन के ऊपर पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा । हम फिर दोहराना चाहते हैं कि डिसिप्लिन, डिलीवरी सिस्टम और डब टेलिंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा । कठोर वित्तीय अनुशासन, जिस राशि का जब जहां उपयोग होना है, तब और वहां गुणवत्ता के साथ हो । साथ ही विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर समेकित रूप में लागू किया जाए जिससे सीमित संसाधनों का न्यूनतम समय में अधिकतम उपयोग हो । इसी प्रकार से इन अनुपूरक मांगों पर नहर की पटरियों के लिये इस वित्तीय वर्ष के लिये 16 करोड़ रुपये, दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना के लिये 15 करोड़ गड्डा मुक्त सड़क देने के लिये इस वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये 112 करोड़ रुपये तथा खण्डसारी के लिये 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । गड्ढा मुक्ति के लिये कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । पहली किश्त के तौर पर 20 करोड़ रुपये मुक्त किये गये हैं ।

इसी प्रकार से एक वित्तीय अनुशासनहीनता चली आ रही थी । पी० एल० ए० में काफी पैसा पड़ा हुआ था मैंने जब वित्त मंत्री के रूप में समीक्षा की तो पाया कि लगभग 824 करोड़ रुपये पी० एल० ए० में पड़ा था । विद्वान सदस्य इस बात को जानते हैं कि पी० एल० ए० में पैसा तब जाता है जो पैसा जिस मद के लिये दिया जाता है उस वित्तीय वर्ष में वह पैसा खर्च न हो जाय । हमने पी० एल० ए० के पैसे को विकास के कामों की ओर मोड़ा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि अनुपूरक मांगों के संबंधित विनियोग विधेयक जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है उस पर विचार किया जाय ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लखनऊ में ध्यान सिंह स्टेडियम में जो स्टोटर्फ पड़ा है वह खराब हो गया है उसको बदलवाने की व्यवस्था करें । दूसरा

अनुरोध यह है कि बनारस में एक स्टेडियम बन रहा है वहां पर दो हजार आदमियों के बैठने की व्यवस्था हो रही है उसकी दो हजार की क्षमता को बढ़ाकर 10 हजार की क्षमता कर दी जाए ।

श्री कल्याण सिंह–

हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने जो दो सुझाव दिये हैं शासन उस पर विचार करेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विनियोग विधेयक, 1998 द्वारा जो अनुपूरक मांगें मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों द्वारा रखी गयी हैं उनको रखने में जिन तर्कों का सहारा, जिन आंकड़ों का सहारा माननीय नेता सदन ने लिया है मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है और जब देखते हैं तो निश्चित रूप से आइना आपके सामने नहीं होता है वरना आपको अपनी शक्ल दूसरी तरह की नजर आती । जब आप पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो आपको यह देखना चाहिये आपके यहां अधिकांश मंत्री वही हैं जो पिछली बार मंत्री थे । उनकी सहायता और सहमति से बजट बना, उस बजट का जितना दुरुपयोग हो सकता था, दुर्दशा हो सकती थी किया । इसलिये मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहूंगा कि अन्य सारी बातें कहते हुये जो घिसे-पिटे जुमले की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है वह आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं है । आप पार्टनर थे यह छोटी बात है लेकिन आपके मंत्रीगण बजट बनाने में शामिल थे, बजट का विभिन्न विभागों में दुरुपयोग हुआ तो उसके लिये सीधे-सीधे वह मंत्रीगण जिम्मेदार हैं । मैं धन्यवाद देता हूं कि पी० एल० ए० में जो पैसा पड़ा हुआ था और जिस मद में जो पैसा था उसे उसी मद में खर्च किये जाने का निर्देश दिया है उसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है । तमाम जिलों में जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारी जो अपनी मनमानी करने का काम एक लम्बे अरसे से किया करते थे उस पर आपके इस आदेश के जाने के बाद निश्चित रूप से कुछ नियंत्रण लगा है । किन्तु इसके बाद भी इस बात की आवश्यकता है कि कहीं इस धारा में कि उस पैसे का तत्काल खर्च कर दिया जाये और जल्दबाजी में यह सारी चीजें निपटाने का प्रयास किया जाये और जो धन एक महीने में खर्च होना चाहिये उसे तीन दिन में खर्च किया जाये तो इस विनियोग विधेयक रखे जाने के अवसर पर एक विनती करना चाहता हूं कि इस पर नजर रखी जाये कि जो धन खर्च करने के लिये जितना उपयुक्त समय होना चाहिये । अगर आप किसी कार्य के लिये आवश्यक समय एक माह का मानते हैं और कोई सख्त आदेश आपके द्वारा निर्गत किया जायेगा कि उसे तीन दिन में खर्च किया जाये तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग होगा और आंकड़ों की बाजीगरी होगी । इसलिये इस पर नजर रखे जाने की आवश्यकता है । साथ ही जो जम्बो मंत्रिमंडल खड़ा किया हुआ है और वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता की बात करते हैं,तो यह विरोधाभास है और उपहास की स्थिति है । एक मंत्री के काफिले में आधे दर्जन से कम गाड़ियां नहीं लगती । यह प्रदेश के सभी जगहों पर देखा जा सकता है । कारपोरेशन में आपने जिन जगहों पर अध्यक्ष बना रखे हैं और एक निगम से 4-5 संस्थायें जुड़ी हुई हैं तो प्रत्येक संस्था की कम से कम एक गाड़ी लगी हुई है । प्रदेश की जनता सर्वोच्च जज है इस मामले में । आपके आंकड़ें सबकी समझ में नहीं आते जिन लोगों ने बहुत जोर से "हां" "हां" कहा है उनमें से अधिकांश के पल्ले नहीं पड़ी है । कितनी अनुदान मांगें रखी गयी यह जानकारी नहीं होगी । मान्यवर, विनियोग विधेयक रखे जाने के अवसर पर अगर किसी गम्भीरता की आवश्यकता है तो जो बातें जनता की नजर में साफ-साफ नजर आ रही हैं चाहे उस पर कम धन

खर्च होता है दो प्रतिशत या 3 प्रतिशत खर्च होता है । हम आंकड़ों में नहीं जाते । निश्चित रूप से जनता सरकारी धन के अपव्यय को देख रही है । इसके नियंत्रण के बारे में आपने एक वाक्य भी कथन नहीं किया है । यह शंका होती है कि आपकी मंशा निश्चित रूप से ऐसी नहीं है । जिन कारणों के लिए आपने धन की मांग की है उसका कोई औचित्य नहीं दर्शाया है । संख्या बल के आधार पर पारित कराना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग कर सकते हैं । धन्यवाद ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

आपके नेता तो हेलीकाप्टर से चलते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर हमारे नेता हेलीकाप्टर से चलते हैं तो आपके सीने में दर्द क्यों होता है ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

[x x x]

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह बातें नहीं लिखी जायेंगी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

हरिद्वार में कुम्भ मेले में 5 किलोमीटर सीवर लाइन के लिये वायदा किया था, मैं अनुरोध करता हूं कि स्वीकृति देने की कृपा करें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने इसे तो बहुमत के आधार पर पास करा लिया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का जो सबसे वीकर सेक्शन है, उसके लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्राइमरी स्कूल चलाये जाते हैं, जो उनके नये स्कूल हैं, उनको अनुदान सूची पर लेने के लिये कहीं कोई बात नहीं कही गई है, मैं चाहूंगा कि इसको भी आप शामिल करने की बात कहें । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिये कोई भी ऐसी योजना सामने नहीं रखी गई है, न ही कोई बजट का प्राविधान किया गया है । मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप स्पष्ट तौर से कुछ अवश्य कहें । तीसरी बात कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनके विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है । मेरा सुझाव है कि इन स्कूलों के जो भवन नहीं बने हैं, उनके भवन बनवाने हेतु पैसा दिया जाय ताकि उनके भवन बन सके । जहां तक पिछली सरकार की बात है, उसमें आप भी शामिल थे, इसलिये जो उसकी खामियां हैं, उसमें आप की भी जिम्मेदारी है । अंत में मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उनको अवश्य शामिल कर लिया जाय ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् मैं आभारी हूं, विपक्ष के अपने सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये। मैं केवल दो तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरी सरकार पैसे का कतई दुरुपयोग नहीं होने देगी और कठोर वित्तीय अनुशासन कायम करेगी, इधर-उधर बिखरे हुये पैसों का पूल बना लिया गया है।

जहां तक नहरों की पटरियों को पक्का करने का प्रश्न है, एक हजार किमी० नहर पटरियों को पक्का करने की योजना हम बना चुके हैं और पक्का करने का मतलब सिर्फ ईंटों का खड़न्जा नहीं, बल्कि लेपन स्तर तक की डामर रोड है। आने वाले 4 वर्षों में हम 4 हजार किमी० और नहर पटरियों को पेटिंग स्तर तक डामर रोड में परिवर्तित करना चाहते हैं, इस प्रकार जिस दिन उत्तर प्रदेश में 5 हजार किमी० नहर पटरियां पक्की हो जायेंगी, बहुत बड़ी संख्या में वहां के गांव और गांव में रहने वाली करोड़ों की जनसंख्या मुख्य सड़कों से जुड़ जायेगी। मैं फिर दोहरा कर कहना चाहता हूं कि चूंकि मैंने समीक्षा की है, अध्ययन किया है, वास्तव में हमको बेहद खराब वित्तीय स्थिति मिली है और मैं यह कह सकता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी किसी की नहीं, बल्कि उस समय के मुख्यमंत्री की है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से शासन चलाया गया, किस तरह से मनमानी की गई

किस प्रकार से ऐसे फैसले किये गये जिसका विकास से कोई ताल्लुक नहीं, यह ठीक है कि हम भी साझीदार थे, जितना चला सकते थे उतना चलाने की जरूर कोशिश की गयी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा के कोटे के किसी मंत्री की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है क्योंकि यह काम मंत्रियों का मुखिया कर रहा था। वह कार्यप्रणाली सबको पता है उस पर चर्चा करना इस अवसर पर उचित न होगा बाकी इतना जरूर बता दूं कि यह अनुपूरक अनुदान है। मूल बजट पहले ही पारित हो चुका है और मेरी कठिनाई यह है कि मुझे पारित शुदा बजट के अन्तर्गत ही काम करना पड़ रहा है। मैं सारी नई-नई योजनाओं को ले नहीं सकता तो भी जहां तक कर्मचारियों के वेतनमान पर कुल मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा हमें वह व्यय करना है, इसी प्रकार से स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के लिए पैसे की व्यवस्था करना है। यह इस अनुपूरक बजट के माध्यम से हम लाये हैं बाकी हम पायेंगे कि पुरानी ही योजनाओं के लिए हमें अनुपूरक अनुदान लेना पड़ रहा है। इसमें भी एक-एक अनुदान को देखेंगे तो पायेंगे कि दलित वर्ग के लिए अनुदान मांगा है, महिलाओं के लिए अनुदान मांगा है बाल विकास के लिए अनुदान मांगा है इत्यादि-इत्यादि। परन्तु मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, इस सदन में मेरी सरकार का फुलफिल बजट आगे बजट सत्र में आने को है उसमें उन सारी योजनाओं का हम समावेश करेंगे जिससे गांव का गरीब का, किसान का, खेतिहर मजदूर का, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले नौजवान का विकास संभव हो सके। मेरी कोशिश होगी कि इस बजट के माध्यम से विकास की एक नई दिशा उत्तर प्रदेश की महान जनता के सामने रख सकूंगा। हम प्रतीक्षा करें आने वाले बजट की। इन शब्दों के साथ फिर से मैं अपने सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रुचि ली और खासतौर से मेरे सामने जो 8 व्यक्ति बैठे हैं बड़े धैर्यशील हैं। सब घर छोड़कर भाग गये। मैं तो चाहता था कि नेता प्रतिपक्ष यहां पर रहेंगे, इतने महत्वपूर्ण विषय पर उनके विचार सुनने को मिलेगा। मैं तो विपक्ष की ओर से की गयी अलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेता हूं। जो भी बातें कही गयी हैं उनका हम पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे और आपके सुझावों का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997–98) का अनुपूरक विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997–98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998

31 मार्च, 1998 ई०को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1997–98 का अनुपूरक) अधिनियम 1998 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1997–98 के लिये 26,30,12,56,000 रुपये का दिया जाना।

2–ऐसे विविध पारेव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1998 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 26,30,12,56,000 रुपये (छब्बीस अरब तीस करोड़ बारह लाख छप्पन हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्र०सं०	अनुदान/सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	3,21,53	...	3,21,53
		पूंजी	...	...	...
2	आवास विभाग	राजस्व	51,34,02	...	51,34,02
		पूंजी	...	1,36,45	1,36,45
3	उद्योग विभाग	राजस्व	12,00	...	12,00
	(निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी	6,00,01	...	6,00,01
4	उद्योग विभाग	राजस्व	1,02,18	...	1,02,18
	(खानें और खनिज)	पूंजी	87,56	...	87,56
5	उद्योग विभाग	राजस्व	5,61,40	...	5,61,40
	(ग्राम एवं लघु उद्योग)	पूंजी	1,02,16	...	1,02,16

1	2		3	4	5
6	उद्योग विभाग	राजस्व	1,88,87	...	1,88,87
	(हथकरघा उद्योग)	पूंजी	22,69,00	...	22,69,00
7	उद्योग विभाग	राजस्व	5,21	...	5,21
	(भारी एवं मध्यम उद्योग)	पूंजी	63,01,52	...	63,01,52
8	उद्योग विभाग	राजस्व	5,68,53	...	5,68,53
	(लेखन सामग्री और मुद्रण)	पूंजी	...	...	...
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	73,68	...	73,68
		पूंजी	40,00,00	...	40,00,00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	9,01,53	3,63	9,05,16
	विभाग (औद्यानिक विकास)	पूंजी	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	41,81,49	...	41,81,49
	विभाग (कृषि)	पूंजी	22,82	...	22,82
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	20,95,20	...	20,95,20
	विभाग (क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	...	...	...
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	64,39,11	4,50	64,43,61
	विभाग (ग्राम विकास)	पूंजी	51,56	...	51,56
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	13,96,70	11,69	14,08,39
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	27,78,85	...	27,78,85
	विभाग (पशुधन)	पूंजी	1,80,58	...	1,80,58
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	4,93,43	...	4,93,43
	विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी	70,74	...	70,74
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	2,18,37	...	2,18,37
	विभाग (मत्स्य)	पूंजी	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	4,46,16	...	4,46,16
	विभाग (सहकारिता)	पूंजी	...	...	...
19	कार्मिक विभाग	राजस्व	1,26,41	...	1,26,41
	(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
20	कार्मिक विभाग	राजस्व	14,76	98,27	1,13,03
	(लोक सेवा आयोग)	पूंजी	...	...	...

1	2		3	4	5
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	14,50,75	10,53	14,61,28
		पूंजी	66,74,72	...	66,74,72
22	खेल विभाग	राजस्व	75,96	...	75,96
		पूंजी	14,16	...	14,16
23	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	7,40,80	...	7,40,80
	(गन्ना)	पूंजी	...	...	...
24	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	77,80	2	77,82
	(चीनी उद्योग)	पूंजी	19,21,96	...	19,21,96
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	9,28,22	...	9,28,22
		पूंजी	57,32	...	57,32
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	2,52,90,91	...	2,52,90,91
		पूंजी	31,28	...	31,28
27	गृह विभाग (नागरिक	राजस्व	4,82,37	...	4,82,37
	(सुरक्षा)	पूंजी	...	...	...
28	गृह विभाग (राजनैतिक	राजस्व	2,68,55	...	2,68,55
	(पेंशन तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
*29	गोपन विभाग	राजस्व	...	69,11	69,11
	(राज्यपाल सचिवालय)	पूंजी	...	...	...
30	गोपन विभाग (राजस्व	राजस्व	23,91	...	23,91
	(विशिष्ट अभिसूचना	पूंजी	...	...	...
	निदेशालय तथा अन्य व्यय)				
31	चिकित्सा विभाग	राजस्व	14,07,84	...	14,07,84
	(चिकित्सा शिक्षा एवं	पूंजी	1,36,85	...	1,36,85
	प्रशिक्षण)				
32	चिकित्सा विभाग	राजस्व	81,19,60	2,23	81,21,83
	(ऐलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	15,59,39	...	15,59,39

* भारत विनियोग से संबंधित क्रम संख्या

1	2		3	4	5
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व	19,13,30	...	19,13,30
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी	...	...	...
34	चिकित्सा विभाग	राजस्व	6,02,50	10,40	6,12,90
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	78	...	78
35	चिकित्सा विभाग	राजस्व	58,05,11	1,95	58,07,06
	(परिवार कल्याण)	पूंजी	31,17	...	31,17
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व	40,19,62	...	40,19,62
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1,76,22,83	...	1,76,22,83
		पूंजी	5,00,00	...	5,00,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,19,45	...	2,19,45
		पूंजी	...	...	...
39	भाषा विभाग	राजस्व	31,47	...	31,47
		पूंजी	...	...	....
40	नियोजन विभाग	राजस्व	4,32,99	15	4,33,14
		पूंजी	...	...	...
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	6,47,41	13	6,47,54
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	30,16,92	4,37,66	34,54,58
		पूंजी	...	...	...
43	परिवहन विभाग	राजस्व	4,29,23	...	4,29,23
		पूंजी	5,00,00	...	5,00,00
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,03,41	...	1,03,41
		पूंजी	2,94,91	...	2,94,91
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	8,43	...	8,43
		पूंजी	...	...	...
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	25,60	...	25,60
		पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	7,11,13	...	7,11,13
		पूंजी	35,00	...	35,00
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1,39,59	...	1,39,59
		पूंजी	...	...	...
49	महिला एवं बाल	राजस्व	17,38,99	...	17,38,99
	कल्याण विभाग	पूंजी	...	...	...
50	राजस्व विभाग	राजस्व	23,27,70	...	23,27,70
	(जिला प्रशासन)	पूंजी	...	...	...
51	राजस्व विभाग (दैवी	राजस्व	25	...	25
	विपत्तियों के संबंध में राहत)	पूंजी	...	1,02	1,02
52	राजस्व विभाग (राजस्व	राजस्व	98,54,44	1,82	98,56,26
	परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	90	...	90
		पूंजी	...	...	...
54	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	61,40,73	...	61,40,73
	(अधिष्ठान)	पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	22,16	3,43	25,59
	(अनावसिक भवन)	पूंजी	15,00	...	15,00
56	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	1,88	1,80	3,68
	(आवास भवन)	पूंजी	27,07	...	27,07
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	20,00,00	...	20,00,00
	(संचार साधन)	पूंजी	51,51,79	...	51,51,79
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	6,53,03	...	6,53,03
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी	53,88	...	53,88
60	वन विभाग	राजस्व	19,84,16	8,86	19,93,02
		पूंजी	3,01	...	3,01
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	3,29,51,70	18,17,25	3,47,68,95
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष	राजस्व	3,00,00,00	...	3,00,00,00
	भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व	7,75,50	...	7,75,50
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	...	...	...
64	वित्त विभाग	राजस्व	11,06	...	11,06
	(राज्य लाटिरी)	पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व	7,91,37	...	7,91,37
	परीक्षा अल्प बचत आदि)	पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग	राजस्व	7,25	...	7,25
	(सामूहिक बीमा)	पूंजी	...	...	...
67	विधान परिषद्	राजस्व	50,61	15	50,76
	सचिवालय	पूंजी	...	...	...
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1,20,85	17	1,21,02
		पूंजी	...	...	...
70	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	राजस्व	70,35	...	70,35
	विभाग	पूंजी	...	...	...
71	शिक्षा विभाग	राजस्व	28,55,85	...	28,55,85
	(प्राथमिक शिक्षा)	पूंजी	...	...	...
72	शिक्षा विभाग	राजस्व	73,82,25	10,00,00	83,82,25
	(माध्यमिक शिक्षा)	पूंजी	50,00	...	50,00
73	शिक्षा विभाग	राजस्व	7,08,77	...	7,08,77
	(उच्च शिक्षा)	पूंजी	10,00	...	10,00
74	शिक्षा विभाग	राजस्व	96,33	...	96,33
	(प्रौढ़ शिक्षा)	पूंजी	...	...	...
75	शिक्षा विभाग (राज्य	राजस्व	8,38,59	...	8,38,59
	शैक्षिक अनुसंधान एवं	पूंजी	81,50	...	81,50
	प्रशिक्षण परिषद्)				
76	श्रम विभाग	राजस्व	10,52,42	...	10,52,42
	(श्रम कल्याण)	पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग	राजस्व	12,93,98	...	12,93,98
	(सेवायोजन)	पूंजी	7,26	...	7,26
78	सचिवालय प्रशासन	राजस्व	14,66,54	...	14,66,54
	विभाग	पूंजी	...	...	...

1	2		3	4	5
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,34,70	...	1,34,70
	(समाज कल्याण)	पूंजी	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	7,29,33	...	7,29,33
	(अनुसूचित जातियों एवं	पूंजी	1,93,72	...	1,93,72
	पिछड़े वर्गों का कल्याण)				
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	66,87	...	66,87
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	...	...	...
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,29,85	7,37	1,37,22
		पूंजी	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	18,09	...	18,09
		पूंजी	...	...	...
86	सूचना विभाग	राजस्व	1,85,04	...	1,85,04
		पूंजी	...	...	...
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	94,94	...	94,94
		पूंजी	...	...	...
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	17,57	...	17,57
	(निदेशालय)	पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	20,38,11	42	20,38,53
	(व्यापार-कर)	पूंजी	9,74	...	9,74
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	1,09,71	12,67	1,22,38
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	6,24,73	...	6,24,73
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी	...	...	...
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	94,92	...	94,92
		पूंजी	10,00	...	10,00
93	सिंचाई विभाग	राजस्व	95,78,51	...	95,78,51
	(अधिष्ठान)	पूंजी	45,43,58	2,00	45,45,58
94	सिंचाई विभाग	राजस्व	5,24,78	...	5,24,78
	(निर्माण कार्य)	पूंजी	7,05,07	87,15	7,92,22

1	2		3	4	5
95	उत्तराखण्ड विकास	राजस्व	24,80,06	...	24,80,06
	विभाग	पूंजी	2,96,62	...	2,96,62
	योग ...	राजस्व	22,26,80,00	35,04,21	22,61,84,21
		पूंजी	3,66,01,73	2,26,62	3,68,28,35
	कुल योग ...		25,92,81,73	37,30,83	26,30,12,56

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (विनियोग 1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997–98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष–

सचिव, विधान सभा, विधान परिषद् से पारित दो विधेयक जो विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त हुये हैं सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28–1–98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना श्री राम कृपाल की सूचना है यही सूचना श्री लोक पति त्रिपाठी जी की है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की पी०सी०एस० परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने तथा आयु सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना

श्री जोखूलाल यादव की है यही सूचना श्री विजेन्द्र आर्य, श्री दया शंकर वर्मा, श्री परवेज हलीम खां व श्री राम कृपाल की है जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1985 में आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा (पी०सी०एस०) के आधार पर अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान (महिला) शाखा के पद पर चयन एवं नियुक्तियों के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री विनोद मणि की प्रदेश के पूर्वांचल में कतिपय जिलों में सूखे की स्थिति तथा कतिपय जिलों में ओलावृष्टि व चक्रवात से प्रभावित किसानों को राहत दिये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की प्रदेश में दीवानी, फौजदारी व राजस्व पक्षों में शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर की जानी नियुक्तियों में पूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण की व्यवस्था न होने से उत्पन स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत पुलिस उप अधीक्षक (सदर) द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज में हुई ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे है। अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा की तहसील सदर में गांधीनगर व किशोरपुरा आदि के किसानों की भूमि को नियम विरुद्ध मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से विद्युत की वांछित आपूर्ति से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों के संबंध में है। अगली सूचना श्री विजय पाल सिंह जी की जनपद आगरा में विद्युत की समुचित आपूर्ति न होने तथा ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की लखनऊ महानगर के थाना अमीनाबाद के पुलिस अधिकारियों द्वारा एक उत्पीड़ित महिला के उत्पीड़न कर्ताओं को संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री मोहन सिंह गांववासी की जनपद पौड़ी तथा कई अन्य जनपदों के राजकीय व अशासकीय विद्यालयों के अध्यापक व कर्मचारियों को विगत छः माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री रामजग की सीमेंट कारखानों में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री जोखू लाल यादव की प्रदेश के आबकारी विभाग में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यही सूचना श्री रामकृपाल जी की है।

पहली सूचना जो श्री राम कृपाल व श्री लोकपति त्रिपाठी जी की है को मैं वक्तव्य के लिये स्वीकृत करता हूं। क्रमांक 13 व 14 की सूचनायें अस्वीकृत की जा रही हैं। शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 7 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
28 जनवरी, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता०प्र०सं० 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

दिनांक 29-5-93 को दोपहर 12 बजे एवं दिनांक 5-6-93 को प्रातः 11 बजे समस्त 50 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त सेवारत कर्मचारियों को स्क्रीनिंग करने के संबंध में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों की एक बैठक सम्पन्न हुई।

1-डा० आर०के० गुप्ता, प्रो० एवं विभागाध्यक्ष-एस०पी०एम०

2-डा० एस०एन० अग्रवाल, प्रोफेसर आफ मेडिसिन।

उपरोक्त बैठक में समस्त 50 वर्ष के उपरान्त सेवारत कर्मचारियों की पत्रावली एवं उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को विचार के योग्य पाया गया-

1-श्री मंगू लाल, सफाई कर्मचारी, बालक छात्रावास नं- 1-ये बराबर बीमार रहते हैं। अतः उनकी बीमारी को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि उन्हें मेडिकल बोर्ड में भेज दिया जाये और वहां से यह रिपोर्ट प्राप्त की जाय कि ये कार्य करने योग्य है, कि नहीं तदोपरान्त कार्यवाही की जाय।

2-श्री वाई० एन० त्रिपाठी, कनिष्ठ लिपिक (सेन्ट्रल स्टोर) की पत्रावली एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया गया और उन्हें शासनादेश के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त के योग्य नहीं पाया गया।

3-श्री पी०सी० मिश्रा, लाइब्रेरियन, के संबंध में उनकी सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया वे बराबर दीर्घकाल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे जिसकी पुष्टि प्रभारी अधिकारी-सी०आर०एस० एवं अवैतनिक लाइब्रेरियन-सेंट्रल लाइब्रेरी से ली गयी है।

4-श्री मिश्रा ने प्रधानाचार्य के आदेशों की बराबर अवहेलना की और इन्हें सुधार के लिये जो मौके दिये गये तो उन्होंने उसके संबंध में जो पत्राचार किया उसकी भाषा आपत्तिजनक थी। उनके द्वारा दिये गये पत्र सन्तोषजनक नही पाये गये। अतः सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्राचार का गहन विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति शासनादेश के तहत जनहित में श्री मिश्रा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त के योग्य हैं।

ह०/-अपठनीय	ह०/-अपठनीय	ह०/-अपठनीय
आर० के० गुप्ता	एस० एन० अग्रवाल	आर० के० श्रीवास्तव

नत्थी "ख"

(देखिये अता०प्र०सं० 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम औतार शाक्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर संलग्नक

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	व्यय धनराशि	योजनायें	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मैनपुरी	20.72	1–स्कूल भवन निर्माण 2–जल निकास/सिंचाई नाली 3–मृदाकार्य/वनीकरण 4–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी पुलिया	27.28
2	कुरावली	24.00	1–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी पुलिया 2–जल निकास/सिंचाई नाली 3–मृदाकार्य 4–स्कूल भवन निर्माण	24.00
3	घिरोर	19.25	1–स्कूल भवन निर्माण 2–खडन्जा/पुलिया/मिट्टी कार्य/सम्पर्क मार्ग 3–सामाजिक वानिकी 4–सिल्ट सफाई 5–भूमि विकास	28.75
4	सुल्तानगंज	19.50	1–स्कूल भवन निर्माण 2–सम्पर्क मार्ग/खडंजा/मिट्टी पुलिया 3–जल निकासी/नाली 4–मृदाकार्य 5–निरवालिंग बेल	28.50
5	बेबर	20.30	1–स्कूल भवन निर्माण 2–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी पुलिया 3–जल निकासी/सिंचाई नाली 4–मृदाकार्य	27.70
6	किशनी	24.50	1–स्कूल भवन निर्माण 2–भूमि विकास 3–नाला निर्माण 4–सामाजिक वानिकी 5–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी पुलिया	23.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
7	जागीर	17.70	1–स्कूल भवन निर्माण 2–सम्पर्क मार्ग/खडंजा/मिट्टी पुलिया 3–सामाजिक वानिकी	30.30
8	करहल	18.43	1–स्कूल भवन निर्माण 2–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी पुलिया 3–मृदाकार्य	29.57
9	वरनाध्ल	19.47	1–स्कूल भवन निर्माण 2–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी पुलिया 3–जल निकासी/नाली निर्माण 4–मृदाकार्य	28.53

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता०प्र०सं० 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री अजय कुमार पोइया मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर का संलग्नक

(क) नियमित अधिष्ठान में सेवायोजित कर्मचारी :–

1–श्रीमती सम्पदा देवी पत्नी स्व० श्री सुमेर चन्द्र, वरिष्ठ लिपिक ।

2–श्री गिद्रलेल कुमार शर्मा, पुत्र स्व० श्री नरेश प्रकाश शर्मा, टेक्नीशियन ।

3–श्रीमती परमोदेवी पत्नी स्व० श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक ।

4–श्रीमती जगसन देवी पत्नी स्व० श्री जौहर सिंह, चार्जमैन ।

5–श्रीमती शोभारानी पत्नी स्व० श्री ब्रजमोहन, बेलदार ।

6–श्रीमती जया देवी पत्नी स्व० श्री जगदीश प्रसाद, चालक ।

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान में सेवायोजित कर्मचारी :–

1–श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री श्याम सुन्दर, रीगर ।

2–श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बीरबर, बेलदार ।

3–श्री नकली राम पुत्र स्व० श्री ममूल सिंह, बेलदार ।

4– श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री समय सिंह, फिटर ।

5–श्री शिव गोपाल शर्मा पुत्र स्व० श्री कृष्णा, रीगर ।

6–श्री मो० हसन बिलाली पुत्र स्व० श्री ए० एच० बन्ने, मारकर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता० प्र० सं० 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

समितियों की सूची

1–मेसर्स अंसार करघा औ० उत्पा० स.स.लि० घेरवाला, रुस्तम पुर तिगरी मुरादाबाद ।

2–करघा स०स० लि० रुस्तमपुर तिगरी, मुरादाबाद ।

3–करघा उद्योग को०सो०लि० रानीनागर, मुरादाबाद ।

4–करघा वीवर्स को०सो० लि० रानीनागर, मुरादाबाद ।

5–नवीन करघा औ० उत्पा० स०स०लि० मदीना मस्जिद ।

6–हथकरघा औ० उत्पा० स०स० लि० रुपपुर, रुस्तमपुर तिगरी, मुरादाबाद ।

7–डेस्टीट्यूट हथकरघा औद्यो० सह०स०लि० जामा मस्जिद सादात नगर ।

8–डेस्टीट्यूट हथकरघा उद्योग स०स०लि० दक्षिणी सरदार नगर, मुरादाबाद ।

9–करघा उत्पादन सह० स० लि० नई बस्ती भोजपुर ।

10–डेस्टीव्यूट बुनकर करघा उत्पा, स०स० लि० नई बस्ती भोजपुर ।

11–करघा औद्यो० उत्पा० स०स०लि० नई बस्ती रुस्तमपुर तिगरी मुरादाबाद ।

12– डेस्टीट्यूट रजा हथकरघा उत्पा० स०स०लि० पश्चिम ढाकिया पीर मुरादाबाद ।

13–डेस्टीट्युट गुलशन हैंडलूम औ० उत्पा० स०स०लि० सरदार नगर, अटरिया ।

14–एकीकृत ग्राम विकास हथकरघा औ० उत्पा० स०स०लि० सरदार नगर अटरिया ।

15–डेस्टीट्यूट न्यू इण्डिया करघा उत्पा० स०स० सिरसा खेड़ा मुरादाबाद ।

16–बुनकर करघा स०स० लि० फतेहपुरी, भोजपुरी ।

17–डेस्टीट्यूट नवीन करघा उद्योग स०स० लि० जाटवीवाला, भोजपुर ।

18–करघा उद्योग सह० स० लि० जाटवीवाला, भोजपुर, मुरादाबाद ।

19–करघा उद्योग सह०स०लि० अल्लीवाला, भोजपुर, मुरादाबाद ।

20–हैंडलूम कोआपरेटिव सोसायटी लि० भोजपुर ।

21–उत्तम करघा औद्यो० उ०स०स० लि० पश्चिमी गढ़ी भोजपुर, मुरादाबाद ।

22–न्यू इण्डिया औद्यो० उ०स०स०लि० पश्चिमी गढ़ी भोजपुर, मुरादाबाद ।

23–वस्त्र करघा औ० उ०स०स० लि० मसवासी रामपुर ।

24– भारत करघा औ०उ०स०लि० नई बस्ती बहेड़ी मुरादाबाद ।

25–जनता करघा औ उ०स०स० लि० रेती बस्ती बहेड़ी मुरादाबाद ।

26–नवभारत करघा औ०उ०स०स० लि० अंसारियान डिलारी, मुरादाबाद ।

27–राष्ट्रीय बुनकर कोआ० ससा०लि० नई बस्ती पीपल साना मुरादाबाद ।

28–जनता करघा उत्पा०स०स०लि० अंसारियान, मुरादाबाद ।

29–हथ करघा औ० उत्पा०स०स०लि० फर्जीवाला, पीपलसाना, मुरादाबाद ।

30–हैण्डलूम वीवर्स को०सो० लि० पीपलसाना, मुरादाबाद ;

31–करघा उद्योग स०स०लि० शाही मस्जिद पीपलसाना, मुरादाबाद ।

32–करघा उद्योग सह०स०स० लि० नीचे की सराय, पीपलसाना, मुरादाबाद ।

33–गुडलक हैंडलूम वीवर्स को०सा० लि० गढ़ी 2–पीपलसाना मुरादाबाद ।

34–अजाद करघा उद्योग सह० स० लि० बाजार पीपलसाना, मुरादाबाद ।

35–करघा उद्योग सह०स०लि० बढ़ानपुर, मुरादाबाद ।

36–डायमण्ड करघा औ०उ०स०स०लि० ताहिररोड, ठाकुरदारा, मुरादाबाद ।

37–एवन करघा औ०उ०स०स० लि० गोपीवाला, मुरादाबाद ।

38–करघा उद्योग सह०स०लि० कोट पीपलसाना मुरादाबाद ।

39–डेस्टीट्यूट करघा औ०उ०स०स० लि० अंसरियान फुरीदनगर, मुरादाबाद ।

40–डेस्टीट्यूट अंजुम करघा औ०उ०स०स० लि० फुरीदनगर, मुरादाबाद ।

41—डेस्टीट्यूट अंजुम करघा औ०उ०स०स० लि० नई बस्ती, ढाकियाजद, मुरादाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अता०प्र०सं० 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में स्थायी रूप से बन्द नलकूपों की सूची

क्रमांक	नलकूप संख्या व समूह	विकास खण्ड का नाम	ग्राम	नलकूप विफल होने का वर्ष	विफल होने का कारण	प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	10 फतेहाबाद	समशाबाद	सिकतरा ठहराई	1997	पानी का निकास कम व खारी होना	परित्याग हेतु
2	52 ..	..	..	1996	..	..
3	53 ..	..	..	1996	..	..
4	54 ..	..	विसहरी मोरवां	1996	..	..
5	64 ..	..	इनायतपुर	1996	..	..
6	57 ..	..	पट्टी मैनपुरा	1992	..	..
7	61 ..	..	फलेपुर	1996	..	..
8	70 ..	..	लेहरा	1996	..	..
9	33 ..	फतेहाबाद	भरापुरा	1981	..	..
10	11 ..	..	रूपपुर	1996	..	..
11	12 ..	..	मवलीकलां	1996	..	..
12	13 ..	..	तारंगपुर	1992	..	..
13	14 ..	..	खंडेर	1980	..	..
14	16 ..	..	ताकुरी खुर्द	1992	..	..
15	17 ..	..	जलालपुर	1996	..	..
16	18 ..	..	न० लोहिया	1997	..	..
17	19 ..	..	मांडेपुरा	1981	..	..
18	20 ..	..	भिलोखरा	1996	..	..
19	21 ..	..	जलालपुरा	1996	..	..
20	23 ..	..	मुवराठ	1992	..	..
21	34 ..	..	भैरापुरा	1996	..	..
22	35 ..	..	परतापपुरा	1996	..	..
23	37 ..	..	कल्यानपुर	1986–87	..	..
24	38 ..	..	परतापुरा	1981	..	..
25	40 ..	..	खण्डर	1990–91	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5	6	7
26	43	फतेहाबाद	फतेहाबाद	जवाहरपुर	1993–94	..	..
27	41	..	..	सिकरारा	1976	..	..
28	44	..	..	नागर	1981–82	..	..
29	45	..	..	मदौरा	1981-82	..	..
30	47	..	..	कुतुबपुर	1997	..	..
31	50	..	..	तारौलोगूजर	1996	..	..
32	48	..	..	गढ़ी छओरा	1993–94	..	..
33	95	..	..	तिवांह	1981–82	..	..
34	81	..	..	तारोलोगूजर	1996	..	..
35	82	..	..	गुडायना	1996	..	..
36	83	..	..	अर्द	1997	..	..
37	85	..	..	नुगलाहाली	1996	..	..
38	86	..	..	मुआवली	1996	..	..
39	87	..	..	दौरी	1979	..	..
40	88	..	..	चौधरी मेहरा	1996	..	..
41	89	..	..	वाजीदपुर	1990–91	..	..
42	90	..	..	रामनगर	1990	..	..
43	91	..	..	फतेहाबाद	1991–92	..	..
44	92	..	..	सुहारा	1986–87	..	..
45	94	..	..	तारौलीगूजर	1996	..	..
46	96	..	..	खण्डेर	1996	..	..
47	97	..	..	मुरावल	1984–85	..	..
48	98	..	..	बिहारी	1986–87	..	..
49	99	..	..	सुहारा	1982–83	..	..
50	100	..	..	बरना	1996	..	..
51	101	..	..	जरारी	1985	..	..
52	102	..	..	पत्थरकोट	1984–85	..	..
53	103	..	..	भीलपुरा	1984–85	..	..
54	25	..	..	गुवरोठ	1996	..	..
55	63	..	शमशाबाद	ठेकुरई	1981–82	..	..
56	24	..	फतेहाबाद	साकुरी खुर्द	1995–96	अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने के कारण	पुनर्निर्माण

नत्थी "च"

(देखिये अता०प्र०सं० 194 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)

विधान सभा 1998 के प्रथम सत्र के पहले बुधवार के लिये निर्धारित मा० सदस्य विधान सभा श्री राम तेज यादव एडवोकेट द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर का संलग्नक

सचिवालय डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) लखनऊ में कार्यरत चिकित्साधिकारियों, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्वर्गवार सूची एवं उनकी तैनाती की तिथि :–

क्र०सं०	पद नाम	नाम	तैनाती की तिथि
1	2	3	4
1	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	डा० आर० एस० आर्या	14-8-95
2	चिकित्सा अधिकारी	डा० आर० के० खन्ना	1-5-93
3	तदैव	डा० (श्रीमती) मंजुल बहार	6-9-97
4	तदैव	डा० (श्रीमती) के० एल० गौतम	21-8-96
5	तदैव	डा० आर० पी० पाण्डे	2-12-97
6	फार्मासिस्ट, तृतीय श्रेणी	श्री पी० सी० श्रीवास्तव	25-11-97
7	तदैव	श्री जय प्रकाश	4-11-97
8	कनिष्ठ लिपिक, तृतीय श्रेणी	श्री सुनील श्रीवास्तव	15-11-94
9	तदैव	श्री निखिल श्रीवास्तव	4-5-94
10	वाहन चालक, तृतीय श्रेणी	श्री डी० एन० श्रीवास्तव	18-8-83
11	स्वच्छकार, चतुर्थ श्रेणी	श्री कन्हैया लाल	20-2-87
12	क्लीनर, चतुर्थ श्रेणी	श्री प्रेम सिंह	9-9-83
13	वार्ड ब्वाय, चतुर्थ श्रेणी	श्री दीप नारायण पाण्डेय	1-7-92

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 3 विधान सभा (4)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।